खण्ड-479, अंक-3
बुधवार 09 ज्येष्ठ, शक संवत् 1934
(30 मई, 2012 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2012)

(खण्ड 479 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2012

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-7
प्रश्नोत्तर	9-86
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	86-87
जनपद शाहजहांपुर के जलालाबाद तहसील के ब्लाक एवं ग्राम मिर्जापुर में ग्राम समाज के तालाब पर भू-मफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	88
जनपद बांदा में कर्ज से डूबे किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	88
मथुरा जनपद में नेशनल हाइ-वे से मण्डी परिषद् के सामने होकर जाने वाला मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	89
फिरोजाबाद नगर में पीने के पानी की अत्यन्त विकराल समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	89-90
जनपद जौनपुर के मुगरा बादशाहपुर कस्बे में मंडली गली में विद्युत तार टूटने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	90
रूदौली क्षेत्र के अन्तर्गत रामसनेही घाट ग्राम पंचायत सलेमपुर निवासी श्री अजीत यादव एवं 4 अन्य लोगों की टंकी फटने से मृत्यु हो जाने पर प्रशासन द्वारा कोई सहायता उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	90-91
जनपद मेरठ में धारा-6 की विज्ञप्ति जारी हो जाने के कारण तहसील अभिलेखों में बरती जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	91-92
कानपुर महानगर के बाहरी क्षेत्रों में गम्भीर जलभराव की समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	92
विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर के अन्तर्गत खरीद दरौली घाट घाघरा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	92
जनपद सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड रामपुर मथुरा में घाघरा/शारदा व चौका केवानी नदियों में बाढ़ आने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	93

विषय	पृष्ठ-संख्या
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद द्वारा चयनित सैकड़ों अभ्यर्थियों की नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	93-94
जनपद महोबा में भयंकर आंधी तूफान से हुई तबाही के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	94
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के अन्तर्गत बस्ती शाखा में ग्राम लटिया में प्रस्तावित साइफन का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	94-95
सम्पूर्ण प्रदेश में गर्मी के मौसम में हुये अग्निकांड के पीड़ितों को सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	95
जनपद आगरा में विकास खण्ड खंदौली के गांव नगला चतुरा में गांव सिकन्दरपुर तक यमुना नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	95-96
जनपद गौतमबुद्धनगर में नोएडा प्राधिकरण द्वारा विगत 5 वर्षों के अन्तर्गत आवंटित 5 प्रतिशत किसान कोटे में गलत नीति के तहत भारी घोटाले की उच्चस्तरीय जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	96
लखनऊ जिला जेल जो ऐतिहासिक जेल थी, को मा0 काशीराम इको गार्डन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	96-97
सहारनपुर नगर निगम का चुनाव अन्य निकायों के साथ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	97
श्री इन्द्रजीत सरोज द्वारा स्वयं की सुरक्षा विषयक नियम-300 के अन्तर्गत सूचना	97-102
भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 498-ए के अन्तर्गत हजारों महिलाओं तथा उनके अबोध बच्चों को बेगुनाही के बाद भी जेल भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	102-104

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां एवं पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा-24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत पेंशन के हकदार भूतपूर्व माननीय सदस्यों की मृत्यु के पश्चात् उनको मिलने वाली पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर पारिवारिक पेंशन उनके पति/पत्नी को दिलाये जाने का प्राविधान करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	104-106
जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र 130 बीसलपुर के अन्तर्गत रपटुआ नाले पर एपिल पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	106-107
लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-7/2010 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	107
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (तेइसवां संशोधन) नियमावली, 2010 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	107
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (चौबीसवां संशोधन) नियमावली, 2012 (सदन के पटल पर रखी गयी)..	107
यू0 पी0 प्रोजेक्ट लि0 की वार्षिक रिपोर्ट 2009-2010 (सदन के पटल पर रखी गयी)	107
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2 वर्ष 2010-2011 (सदन के पटल पर रखे गये)	108
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या-3 राजस्व प्राप्तियां उत्तर प्रदेश सरकार (सदन के पटल पर रखा गया)	108
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन संख्या-1 उत्तर प्रदेश सरकार (सदन के पटल पर रखा गया)	108
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या-4 (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार (सदन के पटल पर रखा गया)	108
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार (सदन के पटल पर रखा गया)	109
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रतिवेदन (सिविल) संख्या-5 उत्तर प्रदेश सरकार (सदन के पटल पर रखा गया)...	109

विषय	पृष्ठ-संख्या
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या-6 (सिविल) लखनऊ शहर में पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन पर निष्पादन लेखापरीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार (सदन के पटल पर रखा गया)	109
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	109-112
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2011 पर पुनर्विचार का प्रस्ताव (स्वीकृत)	112-114
विधान सभा में लम्बित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2011 को वापस लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	114-115
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2011 पर पुनर्विचार का प्रस्ताव (स्वीकृत)	115
विधान सभा में लम्बित उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2011 को वापस लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	115
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा ...	115-172
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक सूचना	172-174
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	174-176
नत्थियां	177-180

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 30 मई, 2012

[विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।]

उपस्थित सदस्य-374

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद़
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय मिश्र टेनी, श्री — लखीमपुर खीरी
6. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
7. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
8. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
9. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
10. अजीमुलहक पहलवान, श्री — अम्बेडकर नगर
11. अताउर्रहमान, श्री — बरेली
12. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
13. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
14. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
15. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
16. अनुप्रिया पटेल, सुश्री — वाराणसी
17. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
18. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
19. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
20. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
21. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
22. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
23. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
24. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
25. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
26. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
27. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
28. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
29. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
30. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
31. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
32. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
33. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
34. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
35. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
36. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
37. अविनाश, श्री — सोनभद्र
38. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
39. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
40. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
41. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
42. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
43. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
44. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
45. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
46. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
47. आशीष यादव, श्री — बदायूं
48. इकबाल, श्री — बिजनौर
49. इकबाल महमूद, श्री — भीमनगर
50. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ

51. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
52. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
53. इन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
54. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
55. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
56. उदयराज, श्री उन्नाव
57. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
58. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
59. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
60. उमाशंकर, श्री बलिया
61. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
62. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
63. ओम कुमार, श्री बिजनौर
64. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
65. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
66. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
67. कमाल अख्तर, श्री ज्योतिबाफूले नगर
68. कमाल युसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
69. कलराज मिश्र, श्री लखनऊ
70. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
71. कामेश्वर, श्री देवरिया
72. काली चरन सुमन, श्री आगरा
73. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
74. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
75. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
76. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
77. केशव प्रसाद, श्री कौशाम्बी
78. कैलाश, श्री गाजीपुर
79. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
80. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
81. गंगा, श्री कुशीनगर
82. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
83. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
84. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
85. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
86. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
87. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
88. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
89. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
90. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
91. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
92. गोमती यादव, श्री लखनऊ
93. गोरख पासवान, श्री बलिया
94. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
95. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
96. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
97. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
98. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
99. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
100. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
101. जगपाल, श्री सहारनपुर
102. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
103. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
104. जफर आलम, श्री अलीगढ़
105. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
106. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
107. जमील अहमद कास्मी, श्री मुजफ्फरनगर
108. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
109. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
110. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
111. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
112. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
113. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती

114. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
115. तसलीम, श्री बिजनौर
116. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
117. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
118. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
119. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
120. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
121. दलजीत सिंह, श्री बांदा
122. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
123. दिलवाज खान, श्री बुलन्दशहर
124. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
125. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
126. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
127. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
128. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
129. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
130. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
131. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
132. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
133. धर्मराज, श्री बाराबंकी
134. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
135. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
136. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
137. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
138. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
139. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
140. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
141. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
142. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
143. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
144. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
145. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
146. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
147. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
148. पिंकी सिंह, श्रीमती भीमनगर
149. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
150. पीतमराम, श्री पीलीभीत
151. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
152. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
153. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
154. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
155. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
156. प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
157. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
158. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
159. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
160. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
161. फसीहा बशीर (गजाला लारी), चौधरी देवरिया
162. फेरन लाल, श्री ललितपुर
163. बंशी सिंह पहड़िया, श्री बुलन्दशहर
164. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
165. बदलू खां, श्री उन्नाव
166. बब्बन, श्री चन्दौली
167. बाबू खां, श्री हरदोई
168. बाबूलाल, श्री गोण्डा
169. बावन सिंह, श्री गोण्डा
170. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
171. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
172. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
173. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
174. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
175. बैजनाथ, श्री मऊ
176. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
177. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़

178. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
179. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
180. भारतेन्द्र, कुंवर बिजनौर
181. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
182. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
183. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
184. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
185. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
186. मनबोध, श्री देवरिया
187. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
188. मनीष रावत, श्री सीतापुर
189. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
190. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
191. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
192. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
193. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
194. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
195. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू श्री सीतापुर
196. महेश शर्मा, डा0 गौतमबुद्धनगर
197. महेश नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
198. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
199. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
200. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
201. मानपाल सिंह, श्री काशीराम नगर
202. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
203. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
204. मुकेश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
205. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
206. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
207. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
208. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
209. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावास्ती
210. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
211. मो0 आसिफ जाफरी, श्री कौशाम्बी
212. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
213. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
214. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
215. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
216. मो0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
217. मो0 इरफान, श्री मुरादाबाद
218. मोहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
219. यासर शाह, श्री बहराइच
220. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
221. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
222. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
223. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
224. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
225. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
226. रणजीत सुमन, श्री एटा
227. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
228. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
229. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
230. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
231. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
232. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
233. रवि शर्मा, श्री झांसी
234. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
235. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
236. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
237. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
238. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर

239. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
240. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
241. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
242. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
243. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
244. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
245. राजाराम, श्री प्रतापगढ़
246. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
247. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
248. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
249. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
250. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
251. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
252. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
253. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
254. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
255. राधेश्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
256. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
257. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
258. राम करन आर्य, श्री बस्ती
259. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
260. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
261. राम गोविन्द, श्री बलिया
262. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
263. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
264. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
265. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
266. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
267. राम मगन, श्री बाराबंकी
268. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
269. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
270. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
271. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
272. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
273. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
274. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
275. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
276. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
277. रामेश्वर सिंह, श्री एटा
278. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
279. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
280. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
281. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
282. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
283. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
284. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
285. ललितेशपति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
286. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
287. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
288. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
289. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
290. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
291. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
292. विजय पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
293. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
294. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
295. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
296. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
297. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
298. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
299. विजय सिंह, श्री रामपुर
300. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
301. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
302. विनोद कुमार उर्फ

	पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
303.	विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
304.	विशम्भर सिंह, श्री	बांदा
305.	वीरपाल राठी, श्री	बागपत
306.	वीर सिंह, श्री	चित्रकूट
307.	वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
308.	वीरेश यादव, श्री	अलीगढ़
309.	वेदराम भाटी, श्री	गौतमबुद्ध नगर
310.	शंखलाल मांझी, श्री	अम्बेडकरनगर
311.	शकुन्तला देवी, सुश्री	शाहजहांपुर
312.	शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री	लखीमपुर खीरी
313.	शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
314.	शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
315.	शाकिर अली, श्री	देवरिया
316.	शारदा प्रताप शुक्ला, श्री	लखनऊ
317.	शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री	आजमगढ़
318.	शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
319.	शिव कुमार बेरिया, श्री	रमाबाई नगर
320.	शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
321.	शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
322.	शिवाकान्त ओझा, प्रो0	प्रतापगढ़
323.	शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महाराजगंज
324.	शेर बहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
325.	शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
326.	श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री	वाराणसी
327.	श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
328.	श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर
329.	संगीत सिंह सोम, श्री	मेरठ
330.	संग्राम यादव, डा0	आजमगढ़
331.	संजय कपूर, श्री	रामपुर
332.	संजय प्रताप जयसवाल, श्री	बस्ती
333.	सईद अहमद, श्री	इलाहाबाद
334.	सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
335.	सतवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
336.	सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री	कानपुर नगर
337.	सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
338.	सत्यदेव पचौरी, श्री	कानपुर नगर
339.	सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
340.	सत्यवीर मुन्ना, श्री	इलाहाबाद
341.	सन्त प्रसाद, श्री	गोरखपुर
342.	सन्तराम, श्री	जालौन
343.	सन्तोष पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
344.	सर्वेश कुमार, कुंवर	मुरादाबाद
345.	सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
346.	सावित्री बाई फूले, सुश्री	बहराइच
347.	सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री	बदायूं
348.	सिबगतुल्ला अंसारी, श्री	गाजीपुर
349.	सियाराम सागर, डा0	बरेली
350.	सीमा, श्रीमती	जौनपुर
351.	सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
352.	सुदामा प्रसाद, श्री	महराजगंज
353.	सुधाकर, श्री	मऊ
354.	सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
355.	सुनील कुमार सिंह यादव, श्री	सोनभद्र
356.	सुनील कुमार लाला, श्री	लखीमपुर खीरी
357.	सुब्बा राम, श्री	गाजीपुर
358.	सुभाष, श्री	गाजीपुर
359.	सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
360.	सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
361.	सुरेश राणा, श्री	प्रबुद्धनगर

362. सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
363. सुरेश बंसल, श्री	गाजियाबाद
364. सुल्तान बेग, श्री	बरेली
365. सुशील सिंह, श्री	चन्दौली
366. सूरज पाल सिंह, श्री	आगरा
367. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
368. सोबरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
369. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर
370. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	लखीमपुर खीरी
371. हरिओउम् यादव, श्री	फिरोजाबाद
372. हुकुम सिंह, श्री	प्रबुद्धनगर
373. हेमराज वर्मा, श्री	पीलीभीत
374. हेमलता चौधरी, श्रीमती	बागपत

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव) तथा राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में जापानी मस्तिष्क ज्वर से निपटने की कार्य योजना

**1-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री श्यामदेव राय चौधरी तथा डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कौन-कौन से जिले जापानी मस्तिष्क ज्वर की बीमारी से प्रभावित हैं ? क्या सरकार ने जे0 ई0 बीमारी से निपटने के लिये कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जे0 ई0 बीमारी का टीकाकरण बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार उसको पुनः कब तक चालू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)-

जी हां।

प्रदेश के मुख्यतः 18 जिले क्रमशः गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, सन्त कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, लखनऊ एवं जालौन वर्ष 2011 में जापानी मस्तिष्क ज्वर से प्रभावित रहे हैं। वर्ष 2012 में अभी तक कोई भी जिला इस रोग से प्रभावित नहीं हैं।

जी हां।

जे0ई0 बीमारी से निपटने के लिये वर्ष 2012 के लिये बनाई गई कार्य योजना निम्नवत् है :-

उपचार व्यवस्था :-

परिधिगत चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की गई हैं, और इन पर पर्याप्त औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

रोग वाहक नियंत्रण :-

रोग वाहकों के नियंत्रण के लिये फॉगिंग मशीन कीटनाशकों एवं इनमें प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई है। जनसामान्य एवं विभिन्न विभागों का सहयोग इसके नियंत्रण हेतु प्राप्त किया जा रहा है।

टीकाकरण :-

1 से 2 वर्ष के बच्चों का नियमित टीकाकरण सतत् रूप से कराया जा रहा है। इससे पूर्व 1 से 15 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण विशेष अभियान चलाकर वर्ष 2010 में पूर्ण किया जा चुका है।

स्वास्थ्य शिक्षा :-

जे0ई0 रोग के उपचार के संबंध में, स्वयं को रोग वाहकों के काटने से बचाने, रोग वाहकों की उत्पत्ति रोकने आदि के संबंध में व्यापक जागरूकता हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं यूनीसेफ के सहयोग से प्रभावित जनपदों के विभिन्न विभागों के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिये जाने की

व्यवस्था की गई है, जिससे माह मई, 2012 तक 4000 प्रशिक्षक जनसामान्य से जुड़े व्यक्तियों को प्रशिक्षित करके जागरूकता प्रदान करेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि 1 से 15 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण विशेष अभियान चलाकर वर्ष 2010 में पूर्ण किया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी यहां पर रहना चाहिये।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया 1 से 15 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण विशेष अभियान चलाकर वर्ष 2010 में पूर्ण किया जा चुका है। लेकिन माननीय मंत्री जी के संज्ञान में क्या ऐसा है कि 2011 में काफी लोग कालकवलित हुए। अकेले बहराइच जनपद में वर्ष 2010-11 में 12 लोग कालकवलित हुए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वर्ष 2012-13 में इस तरह का टीकाकरण अभियान चलाया जायेगा। जो बन्द कर दिया गया है, जो लोग छूट गये हैं। दूसरी चीज 1 से 2 वर्ष तक के बच्चों के लिये बताया गया है कि इनका सघन टीकाकरण अभियान जनपद में चलाया जा रहा है। तो क्या इनके भण्डारण की व्यवस्था है, क्या जनपद को टीका की व्यवस्था करा दी गई है, क्या इनको खरीदा जा चुका है ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी अब आ गये हैं, मा0 मंत्री जी समय का ध्यान रखिये, सदन में इसकी एक गरिमा है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ शिशु कल्याण मंत्री (श्री शंखलाल माझी)-

जी मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

इसका उत्तर पढ़ा जा चुका है, इस पर सप्लीमेण्ट्री सुनिये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

आप अपना प्रश्न दोबारा रिपीट कर दें तो उचित होगा।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

माननीय मंत्री जी आप द्वारा बताया गया कि वर्ष 01 से 02 वर्ष के बच्चों का नियमित टीकाकरण सतत् रूप से कराया जा रहा है। इससे पूर्व 1 से 15 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण विशेष अभियान चलाकर वर्ष 2010 में पूर्ण किया जा चुका है। क्या मा0 मंत्री जी बतायेंगे कि वर्ष 2011 में समूचे उत्तर प्रदेश में कितने लोग जे0ई0 और ए0ई0 से कालकवलित हुए और कितने लोग उसका शिकार हुए। जहां तक मेरी जानकारी है अकेले बहराइच जनपद में वर्ष 2011 में 12 लोग इससे कालकवलित हो चुके हैं। तो मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सघन टीकाकरण अभियान वर्ष 2012-2013 में भी चलाया जायेगा। दूसरी चीज मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं, आप द्वारा बताया गया है कि एक से दो वर्ष के बच्चों का नियमित टीकाकरण कराया जा रहा है। तो क्या जनपदों में टीके की व्यवस्था है, उसके भण्डारण की व्यवस्था, उसके रख-रखाव की व्यवस्था है। अगर है तो कितने टीके जनपद बहराइच के लिये और उत्तर प्रदेश के लिये क्रय किये गये हैं ? यह मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री शंखलाल माझी-

श्रीमन् पूर्वांचल में मस्तिष्क ज्वर से पीडितों के उपचार हेतु बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर के अतिरिक्त जिला चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी व्यवस्था की की गई है।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

यह तो उत्तर में दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

आप पहले सुन लीजिये, उसके बाद अनुपूरक कर लीजियेगा।

श्री शंखलाल माझी-

मान्यवर, इसे अतिरिक्त एस0जी0पी0जी0आई0 और सी0एम0यू0 इसमें क्रियाशील हैं तथा प्रदेश के 10 जनपदों में जे0ई0 से सम्बन्धित लैब क्रियाशील हैं। जे0ई0 बीमारी की रोकथाम के लिये वर्ष 2012 हेतु कार्य योजना बनाई गई है। परिधिगत चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की गई है तथा इन पर पर्याप्त औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। रोग वाहकों के नियंत्रण के लिये फॉगिंग मशीन कीटनाशकों एवं इनमें प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई है। जनसामान्य एवं विभिन्न विभागों का सहयोग इसके नियंत्रण हेतु प्राप्त किया जा रहा है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी जो बता रहे हैं यह सब उत्तर में आ चुका है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी, जहां तक वर्ष 2011 के टीकाकरण का प्रश्न है उसमें आप अगर यह जानकारी चाहेंगे कि कितना हुआ और कितनी आवश्यकता थी तो यह जवाब आपको बाद में मिल जायेगा।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

माननीय अध्यक्ष जी, हम यह जानना चाहते हैं कि क्या वर्ष 2012-2013 में भी टीकाकरण का अभियान चलाया जायेगा पूर्व की भांति जैसा वर्ष 2010 में चलाया गया था।

श्री मोहम्मद आजम खां-

टीकाकरण आगे होगा या नहीं मान्यवर, यह हमेशा इस बात पर मुनहासिर करता है कि उसकी कितनी जरूरत है और जितनी जरूरत है वह पूरी की जायेगी इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। आपने उसके स्टोरेज की भी बात पूछी है कि स्टोरेज की व्यवस्था है, अगर स्टोरेज की व्यवस्था है तो और सुदृढ़ की जायेगी अगर नहीं है तो व्यवस्था की जायेगी।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मा0 मंत्री जी मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जिस तरह इसमें 18 जिले दिये गये हैं क्या इसमें कानपुर का नाम नहीं है, जबकि कानपुर में इसकी बीमारी लगातार हो रही है, अखबारों में भी आता है, मस्तिष्क ज्वर से लोग अस्पताल जाते-जाते मर जाते हैं और उनकी दवाई और इलाज नहीं हो पाता है। क्या आप बताना चाहेंगे कि कानपुर जैसा जिला क्यों नहीं लिया गया जबकि वहां पर ऐसी मौतें हो चुकी हैं। अगर है तो बताइये, नहीं है तो नहीं बताइये ?

श्री अध्यक्ष-

सूचना है इसकी आपके पास। संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि सूचना हो तो बता दीजिये न हो तो बताइये। संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरे लिये नहीं कह देना तो बहुत आसान है लेकिन मस्तिष्क ज्वर के बारे में आम तौर पर हर जिले में यही शिकायत रहती है कि ये मस्तिष्क ज्वर से ही मौत हुई है। लेकिन जांच के बाद ज्यादातर यही रिपोर्ट आती है कि इस वजह से मौत नहीं हुयी। जहां मौत का होना इस बीमारी से साबित होगा, वहां जाहिर है कि संज्ञान लिया जायेगा और इलाज व्यवस्था की जायेगी। आपके यहां से इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है और इस सूची में नाम नहीं है और इसके लिये आपको मुबारकवाद पेश है कि नाम नहीं आपका। ऐसी गम्भीर बीमारी में आप नहीं है तो आपको खुश होना चाहिये। आपको प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिये।

(श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया के फिर से खड़े हो जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

नहीं अब चौधरी साहब को पूछने दीजिये। मा0 चौधरी साहब, आपका भी सवाल है। ये सवाल पूछ रहे हैं, ये इसके प्रश्नकर्ता हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मा0 अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं कहा कि यह प्रश्न बहुत गम्भीर है और जनहित में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जब से इस मा0 सदन में आता रहा हूं। इस प्रश्न को मैंने हर सत्र में देखा है, सुना है, इससे भी यह प्रतीत होता है कि यह जो बीमारी है जो इससे ग्रसित लोग हैं, उनकी जो मौतें होती

हैं तो बहुत गंभीर मामला है। मैं इतना जानना चाहता हूं, यहां हमारे क्षेत्र के डाक्टर साहब हैं, मेडिकली जो प्रश्न होगा वो ये करेंगे घुमा के, फिरा के। मैं सिर्फ आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि आपने इसमें यह भी कहा है कि जन सामान्य एवं विभिन्न विभागों का सहयोग इसके नियंत्रण हेतु प्राप्त किया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि इस रोग की उत्पत्ति जब से हुई है तब से यह कार्यक्रम चल रहा होगा। जन सामान्य का सहयोग भी, टीकाकरण भी। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इतनी गंभीर बीमारी है और जब इसका सीजन आता है तब सैकड़ों की संख्या में लोग काल-कवलित होते हैं, अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, बच्चे-बड़े सभी। क्या सरकार ने कभी कोई विशेषज्ञ बना कर, यहां का यह विदेश का यह प्रयास किया जानने का कि इस रोग को समूल नष्ट करने का उपाय है अथवा नहीं है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम आप इस सदन में इस प्रश्न की महत्ता को देखते रहे हैं और सबसे ज्यादा इसमें हमारे डाक्टर साहब गोरखपुर के, उनकी जानकारी इसमें कोई शक नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा है और सदन को उससे बहुत मालूमात मिलती है। मा0 अध्यक्ष जी, यह इस किस्म का वायरस है जो अपनी नेचर को बदलता रहता है और उस बदलाव के साथ-साथ ही इसका वैक्सीन तैयार होता है। इस पर बड़े पैमाने पर काम न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है और जापान तो इस पर बहुत तत्परता से काम कर रहा है। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिन पर काम तो हो रहा है लेकिन अभी तक इलाज नहीं निकल सका है, उनमें से ये भी एक ऐसा वायरस है तो परमानेन्टली किसी मुस्तकिल तौर पर एक जगह पर कायम नहीं है, हर बार बदल जाता है। तो बदले हुए में वो वैक्सीन जो तैयार होती है वो काम नहीं आ पाती है और बड़े पैमाने पर काम हो आपकी ऐसी इच्छा है, सरकार भी ऐसा ही चाहती है और इस पर विचार किया जायेगा। इस पर जो उत्तर प्रदेश सरकार कर सकेगी, हालांकि ये बहुत बड़ा काम है। अन्तराष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर काम हो रहा है। जो सहयोग उत्तर प्रदेश सरकार का हो सकेगा, सरकार करेगी।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के लिये कोई असहज स्थिति पैदा नहीं करूंगा यह उनका विभाग नहीं है। हम इन प्रश्नों को 20-20 दिन पहले से लगाते हैं और विभाग के मंत्री जब यह सुनिश्चित करते हैं कि वह निश्चित समय पर जवाब देंगे, तब ही वह प्रश्न चर्चा में आता है और बड़ा सुखद है कि हम सब सदन चलाना भी चाहते हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी, 3 दिन से लगातार यहां पर बैठ रहे हैं पर मुख्य मंत्री जी के निर्देशन में काम करने वाले मंत्री जी जिन्होंने 15 दिन पहले सूचना दी होगी कि हां यह प्रश्न लिया जाये, आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं। बाहर तो वह बहुत बयान देते हैं। जब से वह स्वास्थ्य मंत्री बने हैं अखबारों के पन्ने बढ़े हैं। लेकिन सदन के अन्दर वह क्यों गायब हैं यह मेरी समझ में नहीं आता है। कुछ पहलवान ऐसे होते हैं जो अखाड़े के बाहर ....

श्री अध्यक्ष-

वह नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद् भी हैं और वह भी चल रही है। उनके और भी दायित्व हैं।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, यह सूचना लग गई अच्छा है। मा0 अध्यक्ष जी मैं कुछ चीजें पूछना चाहता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि न तो मा0 मंत्री जी यहां हैं, राज्य मंत्री हैं यहां और साथ में मैं यह भी जानता हूं कि यह पहला सत्र है, लेकिन मा0 मुख्य मंत्री यहां हैं और स्वयं वह चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, इसलिये अगर प्रश्न उनके संज्ञान में जाते हैं, तो जवाब इस सत्र में नहीं आयेंगे, किसी और उपवेशन में आ जायेंगे, अभी बजट पर चर्चा होने हैं, मा0 मंत्री जी शिक्षा मंत्री जी का बजट आने वाला है, उस पर यह बातें आ जायेंगी। पहली बात मैं यह बता दूं कि आज तीन प्रश्न लगे हैं इन्सेफेलाइटिस के। क्या हम तीनों प्रश्नों को एक साथ ले लें या उनके लिये दोबारा अवसर देंगे आप ?

श्री अध्यक्ष-

इसको ले लीजिये। इसके बाद में देख रहा हूं कि तीन प्रश्न लगे हैं। तारांकित प्रश्न संख्या-2, 3 और अल्पसूचित तीनों इसी से सम्बन्धित हैं।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

इसीलिये मैं कह रहा हूं कि यह तीनों को इसी में एड कर लीजिये, फिर हम लोग आराम से बात कर लेंगे। मैं जानता हूं कि उद्देश्य आक्रमण करना नहीं है, उद्देश्य है गोरखपुर की बेहतरी।

श्री अध्यक्ष-

पहले आप पूछ लीजिये अल्पसूचित पर।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

पहली बात तो मैं यह बता दूं कि सरकार ने जवाब यह दिया कि यह बीमारी 18 जिलों में है। सरकार ने तारांकित प्रश्न के जवाब में यह दिया कि यह बीमारी 35 जिलों में है। अब सवाल है कि एक ही सरकार, एक ही दिन, एक ही उपवेश में दो जवाब दे रही है। एक बार कह रही है कि बीमारी 18 जनपदों में है और दूसरी बार कह रही है कि बीमारी 35 जनपदों में है। दोनों में सत्य कहां है ? क्योंकि 35 तो हम लोग जानते थे, अगर 18 में घटी है तो किन कारणों से घट गई ? क्या हो गया इस बीच में यह हम लोगों को पता होना चाहिये। दूसरी चीज सरकार ने कहा कि 2012 से अभी तक कोई जिला इससे प्रभावित नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अल्पसूचित को इसी में जोड़ देना चाहिये था। ठीक है।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मैं गोरखपुर से आता हूं। गोरखपुर में बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज है। जनवरी, 2012 से लेकर आज है 29 मई, 2012 कुल मिलाकर के 352 मरीज। मैं 352 मरीज की संख्या गिना रहा हूं, वह 351 भी नहीं है और 353 भी नहीं हैं। 352 मरीज बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में भर्ती हो चुके हैं। इनमें से 289 मरीज पिडियाट्रिक वार्ड में हैं और 263 मरीज मेडिसीन वार्ड में हैं। अभी इस समय भी आज के दिन 26 मरीज मेडिकल कालेज में भर्ती हैं। यानि की जवाब जो यहां पर दिया गया है, स्वाभाविक रूप से अधिकारियों ने आफिस में बैठ करके यह जवाब दिया है, जनपदों से सूचनायें

उन्होंने प्राप्त नहीं की। इसलिये मा0 मुख्य मंत्री यहां हैं सदन चलाना चाहते हैं और हम सब लोग बैठना चाहते हैं। कार्यवाहियां होनी चाहिये उन अधिकारियों के खिलाफ, जो सदन का मजाक उड़ाते हैं। अगर प्रश्न लगाये जाते हैं और उन प्रश्नों के जवाब वह बिना बेरीफाई किये हुए देते हैं तो ऐसे अधिकारियों को वह चाहे कितने भी वरिष्ठ हों, मैं आपसे चाहूंगा मा0 अध्यक्ष जी, आप इसका संरक्षण देंगे, और निर्देश देंगे।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब आप होशियार हैं, नियम-63 आपकी नियमावली में है, उसका प्रयोग आप ही कर लीजिये।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

जी, अध्यक्ष महोदय, मैं उसका प्रयोग कर लूंगा। आप भी हैं आपके पास तो बहुत ताकत है। अगर सदन में कोई घटना घटी है और आपको लगता है कि सही जवाब नहीं दिया गया, तो आप स्वयं इस पीठ में बैठकर उसका संज्ञान ले सकते हैं। दूसरी चीज सरकार ने यह कहा कि परिधिगत चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की गई है और पर्याप्त औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। अब सवाल यह है कि यह जो व्यवस्था की गई है उस पर कितना खर्च किया गया है, क्योंकि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कह रहा हूं कि किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में, किसी सामुदायिक केन्द्र में, और किसी जिला अस्पताल में इंसेफेलाइटिस के किसी भी मरीज का इलाज नहीं होता है, यह इलाज केवल मेडिकल कालेज में होता है। प्रश्न दूसरा है कि अगर इलाज वहां होता नहीं है।

श्री सतीश महाना-

पहले उनकी बात खत्म हो जाए। बात सुन तो लें तब जवाब देंगे।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अब मैं क्या करूं मैं समझ सकता हूं उनकी परेशानी। तो मैं यह कह रहा हूं कि किसी भी पी0एच0सी0, किसी भी सी0एच0सी0 और किसी भी जिला अस्पताल में इलाज होता नहीं है। सरकार ने व्यवस्था पूरी कर ली है। क्या यह दूसरा एन0एच0आर0एम0 का घोटाला है। पैसा जो खर्च हो रहा है जिला अस्पतालों में पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 में इन्सेफेलाइटिस के नाम पर, अगर वहां पर मरीज भर्ती नहीं हो रहे हैं तो वह पैसा जा कहां रहा है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि यदि वास्तव में संसाधन वहां है तो वहां मरीज भी हो। सच्चाई यह है कि अगर डाक्टर है तो दवा नहीं है और अगर दवा है तो डाक्टर नहीं है। इसलिये सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो मरीज वहां पर पहुंचे उनका इलाज हो। इलाज नहीं होता है। यह दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सरकार के जवाब से आया है।

तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है रोगवाहक नियंत्रण के लिये सरकार ने कहा कीटनाशक सच्चाई यह है आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं माननीय अध्यक्ष जी, और आपके क्षेत्र में भी इन्सेफलाइटिस कम नहीं होगी, गोरखपुर, कुशीनगर के बाद सबसे अधिक आपका जिला प्रभावित है। आपसे ज्यादा कहीं इससे प्रभावित पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। आपकी अपनी विधान सभा में फागिंग नहीं हुई है। तो

सवाल यह है कि जो फागिंग पूरे उत्तर-पदेश में कागज पर दिखाई जा रही है वह हो नहीं रही है। हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि वास्तव में फागिंग हो अत्यन्त आवश्यक है। मैं उन्हीं चीजों को छुउंगा जो जवाब के हैं एक शब्द भी जवाब से इतर बोलने की कोशिश नहीं करूंगा। फागिंग होनी चाहिये, क्योंकि फागिंग प्रभावी होगी अगर लेटेस्ट दवाओं का प्रयोग किया जाय।

चौथी चीज टीकाकरण के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा। यह टीका जिस कम्पनी से बनता है उस कम्पनी के ब्रोशर में लिखा है कि तीन डोज टीके का लगाया जाना चाहिये। यह डाक्टरी विधा की बहुत बड़ी चीज है कि जब कोई चीज बाजार में आती है तो कम्पनी उसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में उसके डोज के बारे में उसके रिक्वायरमेंट के बारे में लिखती है जब बेचने वाला कह रहा है कि अगर तीन डोज नहीं लगाई जायेगी तो इसका फायदा नहीं होगा तो आखिर एक डोज लगाकर क्यों रोका गया ?

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न करिये।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

डब्लू0एच0ओ0 कहती है कि दूसरा टीकाकरण का डोज एक साल बाद लगना चाहिये अगर 2010 में टीकाकरण किया गया है तो 2011 के दिसम्बर में टीकाकरण हो जाना चाहिये था अगर अभी तक नहीं हुआ है तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जो टीकाकरण का दूसरा डोज होना आवश्यक है सरकार इस दूसरे डोज को करवा ले।

एक प्रश्न और है और अन्तिम प्रश्न है जांच की लैब के बारे में जो माननीय मंत्री जी के जवाब में है। आपने कहा कि एसजीपीजीआई में जांच की व्यवस्था है, अब यह बड़ी अजीब सी स्थिति है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी इसी प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं उन्होंने इन्सेफ्लाइटिस के लिये बहुत कुछ किया है। वायरल रिसर्च सेल की स्थापना उसी समय हुई थी, विकलांगता पेंशन उसी समय दी गई थी, सारी सुविधायें उसी समय दी गई थी सच्चाई का दूसरा पहलू यह है कि हमने माननीय मुख्य मंत्री जी रिसर्च लैब वहां पर खोला है लेकिन उसके अनुसंधान के लिये जो सैम्पिल निकालते हैं वह हम पूना भेजते हैं फल यह होता है कि जब तक वह वहां पहुंचता है, वह खराब हो जाता है, जब सारे साधन हमने 2005 में बीआरडी मेडिकल कालेज में मुहैया करा दिये थे तो आखिर इसको आपरेशन क्यों नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष-

यह कोई प्रश्न है, आप प्रश्न पूछिये।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे प्रश्न समझ रहे हैं आप चूंकि हमारी ओर से हैं प्रश्नकर्ता हैं मैं जानना चाहता हूं आप वहां बैठे हैं इसलिये खाली बोलने के लिये बाध्य हैं। सच्चाई यह है कि आप भी चाहिते हैं कि यह प्रश्न माननीय मुख्य मंत्री तक जाये, समाधान है उसमें। मैं माननीय मुख्य मंत्री

जी से पूछना चाहूंगा कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री के रूप में कि वायरल रिसर्च सेन्टर वास्तविक रूप से वहां जांच कराई जायेगी या नहीं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मेरे ख्याल से माननीय विधायक ने इतनी लम्बी जो हमें जानकारी दी है, सबका क्लास हो गया जानकारी बढ़ी लेकिन जो आखिरी बात है वह उस सैम्पिल की है जो पूना जाता है और वहां तक जाते जाते वह खराब हो जाता है लिहाजा रिसर्च का काम भी, वह जो फर्दर इक्सटेंशन है लैब का, वह चाहते हैं आप कि हो जाय। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी मुझसे ऐसा कहा है कि आप तक यह समाचार पहुंचा दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी से जवाब दिलवा दें इतना।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मुझे यह अधिकार मिल गया है तो मुझे ही देने दीजिये।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

निर्देश तो मान लीजिये, दे देने दीजिये, माननीय अध्यक्ष का निर्देश तो हम सब मानते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

जैसे ही थोड़ा सा बजट में राहत होगी इस कार्य को कराया जायेगा इसकी घोषणा ही समझिये आप।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में वर्तमान में विद्युत उत्पादन की परियोजनायें

*1-श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, डा0 रीता बहुगुणा जोशी, तथा श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में विद्युत उत्पादन इकाइयों की क्षमता क्या है तथा उनसे कितना-कितना विद्युत उत्पादन हो रहा है ? क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में विद्युत उत्पादन कम होने के कारण शहरी क्षेत्रों में 8-10 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 5-6 घण्टे ही विद्युत सप्लाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार की विद्युत सप्लाई बढ़ाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

वर्तमान में प्रदेश में विद्युत उत्पादन इकाइयों की क्षमता 8987 मे0वा0 है तथा औसत उत्पादन 4240 है। परियोजनावार विवरण निम्नवत् है :-

परियोजना का नाम	स्थापित क्षमता	औसत
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम की परियोजनाएं	4277 मे0वा0	2050 मे0वा0

परियोजना का नाम	स्थापित क्षमता	औसत
जल विद्युत निगम की परियोजनाएं	526 मे0वा0	180 मे0वा0
विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजनाएं	352 मे0वा0	220 मे0वा0
रोजा तापीय परियोजनाएं	1200 मे0वा0	820 मे0वा0
अनपरा ''सी'' तापीय परियोजनाएं	1200 मे0वा0	380 मे0वा0
बजाज इनर्जी लि0 की परियोजनाएं	450 मे0वा0	290 मे0वा0
को-जनरेशन	982 मे0वा0	300 मे0वा0
योग :	8987 मे0वा0	4240 मे0वा0

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इस समस्या से आज पूरा प्रदेश जूझ रहा है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो छोटे-छोटे सवाल करना चाहता हूं। पहला सवाल, माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि जितनी विद्युत क्षमता का उत्पादन होना चाहिये उससे लगभग आधी क्षमता का विद्युत उत्पादन औसत रूप से हो रहा है। तो हमारी मांग के अनुरूप बिजली की आवश्यकता पूरी हो, क्या माननीय मंत्री जी इसके लिये अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था करेंगे। दूसरा सवाल, किन-किन जिलों को विद्युत कटौती से मुक्त किया गया है। क्योंकि मान्यवर, बहुत से जिले उत्तर प्रदेश में विद्युत कटौती से मुक्त किये गये, उसकी वजह से कहीं दो घंटे, कहीं 3 घंटे, कहीं 4 घंटे बिजली मिल रही है तो मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन से जिले हैं विशेषाधिकार प्राप्त, जिनकी वजह से आज हम लोगों को अपनी रात बिना बिजली के, बिना पंखे के बितानी पड़ रही है और क्या माननीय मंत्री जी पूरे प्रदेश में इसके लिये एकरूपता लाने की व्यवस्था करेंगे ? मान्यवर, यह दोनों स्पष्ट सवाल है और इनका स्पष्ट उत्तर दिलवा दें।

लोक निर्माण, सिंचाई, सहकारिता मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, बिजली का संकट तो है और आज के दिन बिजली की मांग 11 हजार मेगावाट है और जो मैंने अभी बताया, उपलब्ध है 4240 मेगावाट, इसके अलावा जो हमें केन्द्र से मिल रही है उसमें केन्द्र सरकार से मिलना चाहिये 5288 मेगावाट और मिल रही है 3900 मेगावाट। तो यह भी अंतर है और मान्यवर, बिजली का संकट इसलिये भी है कि जो पिछली सरकार थी वह जब आपूर्ति करा रही थी तो बिजली खरीद कर दे रही थी वह उसका लगभग 7200 करोड़ रुपया बकाया छोड़ गई और जो विभिन्न बैंकों से ऋण लिया है वह लगभग 18 हजार करोड़ रुपया आज कर्ज है। पिछली सरकार कर्ज छोड़कर गई है इस तरह से 25 हजार करोड़ रुपया की आज हमें चुकता कराना है। यह

भी बहुत बड़ी समस्या है तो इसकी वजह से भी दिक्कत है और जैसा अभी माननीय सदस्य खन्ना साहब ने कहा उसके संबंध में बताना चाहूंगा कि हम ग्रामीण क्षेत्र तहसील स्तर पर 10 घण्टे, जनपद स्तर पर 16 घण्टे, मंडल मुख्यालय 20 घण्टे, महानगर 22 घण्टे .....

(विपक्ष की ओर से नहीं है, नहीं है की आवाजें-घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप मंत्री जी का जवाब सुनिये तो, बाद में प्रश्न पूछ लीजियेगा, पहले माननीय मंत्री जी का जवाब तो आ जाने दीजिये।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, यह स्थिति है और जो हमें स्थिति मिली है उसकी वजह से स्थिति ठीक नहीं है जो मांग है सदस्यों की, उसको उपलब्ध कराने की स्थिति में हम आज की तारीख में नहीं हैं ... वैसे हमारा प्रयास है, जो हमारी सरकार की घोषणा है, उसके लिये हमें धन की आवश्यकता है। संसाधन हम जुटायेंगे और संसाधन हम जल्दी जुटायेंगे, शीघ्रता से जुटायेंगे। अधिकांश विभागों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हुआ है, यह बात आपके और पूरे सदन के संज्ञान में है कि कहां-कहां भ्रष्टाचार हुआ है। मान्यवर, अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता और वह पैसा बिजली उत्पादन में लगाया गया होता तो आज यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार के जमाने में हमने जो प्रयास किये थे वर्ष 2004 से 2007 तक उसकी वजह से आज यह बिजली मिल रही है और जो पुरानी सरकार के समय में यूनिटें लगीं, बहुत बड़ी-बड़ी बातें हम लोगों को सुनाई गईं लेकिन मान्यवर, क्या एक भी मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ। नहीं हुआ, इसी वजह से आज बिजली की दिक्क्त है। अध्यक्ष जी हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर अलग से एक बहस करा ली जाये।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी की एक बात को ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर चर्चा स्वीकार कर लें। यूंकि मा0 मंत्री जी स्वयं चर्चा की मांग कर रहे हैं इसलिये बिजली पर चर्चा स्वीकार कर ली जाय। क्योंकि यह सरकार सदन को गुमराह करके उत्तर प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण, आप लोग बैठ जायें। प्रश्न उत्तर हो रहा है, आप लोग बैठिये, शोर करने की जरूरत नहीं है प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से सही तथ्य सामने आ जायेंगे, इसलिये आप लोग शान्ति से सुनें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे मांग करता हूं कि इस विषय पर चर्चा स्वीकार कर ली जाए। यह सरकार किसान विरोधी है और जिस तरीके से यह उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं जब यह लोग क्षेत्र में जायेंगे तो जनता इनसे इसी प्रकार से सवाल पूछेगी। यह सरकार किसान विरोधी

है, गांव विरोधी है, इसलिये प्रदेश में बिजली कटौती करके मनमाने तरीके से बिजली आपूर्ति करना चाहती है।

श्री अध्यक्ष-

अब नेता सदन खड़े हो गये मा0 नेता विरोधी दल अब तो आप बैठ जायें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह सरकार किसान विरोधी है गांव विरोधी है, बिजली आपूर्ति मनमाने तरीके से कर रही है और जनता को गुमराह कर रही है, इसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

(तत्पश्चात् बहुजन समाज पार्टी के नेता अपने दल के साथ सदन का त्याग किया)

श्री अखिलेश यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लोग सवाल कर रहे थे बिजली पर और चिल्ला-चिल्ला करके किसानों के बारे में कह रहे थे मान्यवर, जब बिजली की समस्या पर सरकार का जवाब आता वह सदन छोड़कर चले गये इससे जाहिर हो गया है कि बिजली की समस्या का सामना वह नहीं कर सकते । यह बिजली की समस्या का सामना इसलिये नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें यह लगता था कि यह लोग चुनाव जीत जायेंगे, जनता इन्हें समर्थन दे देगी, जो भी बेईमानी बहुजन समाज पार्टी की सरकार कर सकती थी उन्होंने बेईमानी की। और कितने घाटे में हैं अभी माननीय मंत्री जी बता चुके हैं। एक भी बिजली का कारखाना अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं लगा है और जो एम0ओ0यू0 हुए भी हैं, यह सदन जानता होगा कि एम0ओ0यू0 के लिये इस सरकार ने क्या-क्या किया है ? एम0ओ0यू0 हो गये हैं तो एक भी बिजली कारखाने के पास, जो लगना है, उसके पास कोयला नहीं है, कोल लिंकेज नहीं है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लोग बैठे हैं, वह जानते होंगे कि कोल लिंकेज है या नहीं है, इसके साथ-साथ जो और तरह की बिजली मंहगी खरीदी गई है जिसकी वजह से हम लोग आज कर्ज में हैं, घाटे में हैं इसलिये मैं मानता हूं कि बिजली की बड़ी समस्या है, संकट है। बैंकों ने कर्जा देने से मना कर दिया, बैंकों ने कहा कि जब तक आप कीमत नहीं बढ़ायेंगे तब तक आपको कर्ज नहीं मिलेगी। तो मजबूरी में सरकार को फैसला लेना पड़ा कि बड़े लोग जो कारखाने चला रहे हैं उनकी कीमत बढ़ायेंगे लेकिन हम लोग किसान और आम व्यक्ति की डोमिस्टक बिजली की कीमत नहीं बढ़ने देंगे। मैं इस सदन को भरोसा दिलाता हूं, अभी मैं बजट पर बोलना चाहता था, जवाब के वक्त बोलना चाहता था। अभी जब बजट आयेगा और मैं प्रस्ताव भी ले करके आऊंगा बिजली को ले करके कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बिजली का उत्पादन बढ़ाना चाहिये। किसी रूप में बिजली आ जाए, चाहे हमें सोलर एनर्जी पर काम करना पड़ जाए, वह हम करेंगे। पुराने पुराने कारखाने जो बन्द हो गये हैं, ओबरा से ले करके तमाम पुरानी इकाईयां बन्द हो गयी है, जर्जर हालत में हैं, उनको भी ठीक करना पड़ेगा, उनकी इफीसियेन्सी बढ़ानी पड़ेगी। जब तक हम लोग प्रोडक्शन नहीं बढ़ायेंगे, एफीसियेन्सी नहीं बढ़ायेंगे, लॉसेस को नहीं खत्म करेंगे तब तक हम लोग किसान और उत्तर प्रदेश की जनता को बिजली नहीं दे पायेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर ये लोग सवाल का जवाब सुन लेते तो शायद पता लग जाता लेकिन वह डर इसलिये गये कि कहीं सत्तापक्ष के लोग उनके बिजली का भ्रष्टाचार न खोल दें।

(मेजें थपथपाई गईं)

(श्री हुकुम सिंह जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 हुकुम सिंह जी, जवाब तो सब आ ही गया है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह तो दुःख की बात है कि किसान हितैषी की पार्टी चली गई। (सदन में हंसी) वास्तव में उनके मन में दर्द है कि पांच साल तक किसान की सेवा जो उन्होंने की है और आज के उत्तर से उनको दुःखी तो होना ही था क्योंकि 25 हजार करोड़ रुपया उनके लिये कुछ नहीं। (सदन में हंसी) लेकिन मान्यवर, मूल प्रश्न और मूल उत्तर उसकी तरफ मैं आपका ध्यान चाहता हूं। निराशा इससे भी हो रही है, कठिनाईयां तो हैं ही आपके सामने लेकिन उत्तर तो कम से कम देखें। तीन भागों में यह सवाल है और दूसरा भाग है कि क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में विद्युत उत्पादन कम होने के कारण शहरी क्षेत्रों में 8-10 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों मे 5-6 घण्टे ही विद्युत सप्लाई हो रही है ? उत्तर आया कि जी नहीं। हम पूछ रहे हैं कि जानकारी है या नहीं है आपको। आप कहते कि जानकारी नहीं है और सप्लाई की बात कही कि 8-10 घण्टे की मान्यवर, जैसे आप कह रहे थे कि 14 घण्टे सप्लाई और 24 घण्टे की सप्लाई। इधर पूरे हाथ उठ रहे थे कि नहीं, नहीं। यह भी चुन करके आये हैं, अपने-अपने क्षेत्रों के प्रति जिम्मेदारी इनकी भी है। यह वास्तविकता है, आप चेक करा लें ग्रामीण अंचलों में मगर 3-4 घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं आ रही है। उत्तर देने वाले मा0 मंत्री जी बैठे हुए हैं, मा0 मुख्य मंत्री जी नेता सदन भी बैठे हुए हैं और अगर आपके यहां जा रही है तो बधाई के पात्र हैं लेकिन इधर नहीं आ रही है तो शिकायत तो होगी ही। दूसरी बात मान्यवर, प्रश्न का दूसरा भाग देखें कि यदि हां, तो क्या सरकार की विद्युत सप्लाई बढ़ाने की कोई योजना है ? इसमें भी आपने लिखा है कि जी नहीं। जब आप खुद ही कह रहे हैं, हमारी बढ़ाने की कोई योजना नहीं है तो निराशा होगी की नहीं होगी। क्या कहें इस बात के ऊपर ? मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, हम उस बात से गाइड होंगे जो उत्तर आयेगा। आज सरकार ने अपनी पोल खुद खोल दी कि हमारी सप्लाई बढ़ाने की कोई योजना नहीं है, जब नहीं है सप्लाई बढ़ाने की योजना या जनरेशन की योजना नहीं है तो क्या करेंगे ? आप कहीं से लायें, भारत सरकार से लायें या दूसरी जगह से लायें या अपना जनरेशन बढ़ायें, योजना आनी चाहिये कि यह-यह योजना हमारी हैं।

सदन को जानकारी होती कि यह योजनायें हैं। सत्तापक्ष में बैठने का यह मतलब नहीं है कि हर बात पर शोर मचायें। अगर सरकार के पास कोई योजना है तो वह बता दें।

श्री अध्यक्ष-

नेता भाजपा हुकुम सिंह जी अभी मुख्य मंत्री जी ने पूरी बात सदन के समक्ष रखीं कि यह परिस्थितियां हैं और हमें यह करना है। किस तरह से हम सबको मिलकर कार्य करना है यह बात आ गई है।

श्री हुकुम सिंह-

अध्यक्ष जी मुझे उम्मीद थी कि आपका संरक्षण मुझे मिलेगा। माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी वरिष्ठ सदस्य हैं। मैंने जवाब में भी कहा था कि हम यथाशीघ्र व्यवस्था कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा कि हम बजट में भी ला रहे हैं। मैंने अपने जवाब में कहा था कि कुछ योजनायें हैं जो अधूरी पड़ी हैं। उनका इंतजाम करना है। कर्जे का भी इंतजाम करना है। कोयले के लिये केन्द्र सरकार को लिखा है। जो तारों की जर्जर स्थिति है उसकी वजह से कभी-कभी लाइन खराब हो जाने की वजह से बिजली कम पहुंचती है। इसके साथ-साथ जो अधूरी परियोजनायें हैं जिनमें पूर्ववर्ती सरकार में कमीशन ले लिया गया था उनके इन्वेस्टर से भी बात करनी है अब वह इन्वेस्ट करना भी नहीं चाहते उन्हें भी बुलाना है।

श्री हुकुम सिंह-

आपको कुछ अंदाजा है कि कितना कमीशन लिया गया।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

अगर सदन इजाजत दे तो जो इस तरह का कालाधन है उसको छापा मारकर वापस किया जाय कुर्की भी हो सकती है। हमारा प्रयास है कि जो अधूरी परियोजनाएं हैं उनके बारे में मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उनके बारे में प्रस्ताव बजट में लायेंगे बजट में बतायेंगे। हमारी सरकार ने जो परियोजनाएं प्रारम्भ की थीं पूर्ववर्ती सरकार ने अगर उसको आगे बढ़ाया होता तो वर्ष 2009-10 में हमें लगभग 11 हजार मेगावाट बिजली मिलनी शुरू हो जाती। इस समस्या के बारे में मुख्य मंत्री जी स्वयं सतर्क हैं। बिजली के बारे में हमारी जो घोषणा है उसे हम पूरा करना चाहते हैं और करेंगे भी। हमारी जो योजनायें हैं उसमें शीघ्र ही काम शुरू होगा। हम मानते हैं कि अभी समस्या है लेकिन हम उस समस्या को दूर करेंगे। हम बिजली का उत्पादन बढ़ायेंगे और जो घोषणा है उसे पूरा करेंगे।

श्री कलराज मिश्र-

आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने और माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है यह सही है कि मांग के अनुरूप उत्पादन नहीं है और बहुत जबरदस्त अंतर है। बिजली की बहुत कठिनाई है, यह सब अनुभव कर रहे हैं लेकिन जो घोषणा की गई है इतने घण्टे हम ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली देंगे, इतने घण्टे शहर में बिजली देंगे। तो घोषणा के बाद उतनी बिजली पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है उसका समुचित प्रबन्धन होना चाहिये। उस प्रबन्धन का अभाव है। जो प्रबन्धन का अभाव है उस अभाव के अनुश्रवण के लिये क्या व्यवस्था की गई ? इसकी मानीटरिंग के लिये क्या व्यवस्था की गई है ? मुझे अच्छी तरह से पता है कि बिजली आती है लेकिन वहां मिल नहीं पा रही है। दिक्कत है लेकिन ठीक से उसकी मानीटरिंग न हो पाने के कारण जो घोषणा है, घोषणा तो छोड़ दीजिये उससे बहुत कम बिजली मिल रही है और सब तरफ लोगों ने उठाना शुरू कर दिया है कि हमारे यहां नहीं आ रही है, हमारे यहां नहीं आ रही है। इसके लिये क्या प्रभावी व्यवस्था है अगर इसको बता सकें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, वैसे तो बिजली की दिक्कत है और इस पर हम दिखवा लेंगे, परीक्षण करवा लेंगे। अगर कहीं कोई कमी है तो उसको पूरा करायेंगे। जहां पर भी हमारे अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी या लापरवाही होगी तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

मान्यवर, इस तारांकित प्रश्न में मेरा नम्बर तीसरे पर था और वह नम्बर 7-8 हो गया। महिलाओं का नम्बर अगर पीछे न किया जाय तो मैं सोचूंगी कि बेहतर होगा। मेरा आपसे माननीय अध्यक्ष जी यह निवेदन है। मुझे मंत्री जी का जो उत्तर था वह कुछ अटपटा भी लगा और मुझे दुःख भी हुआ। पिछली सरकार भी यही दावा करती थी कि हम इतने घंटे बिजली देते हैं और इस तरह से देते हैं। जब से नये मुख्य मंत्री जी आये हैं हमें उम्मीद थी कि कुछ यथार्थ सच्चाई समक्ष आयेगी सच्चाई को स्वीकार करने के बाद ही आप उसका निराकरण कर सकते हैं पर अगर वही असत्य फिर से दोहराया जाय और हम फिर से अपनी आंख बन्द करें तो बहुत ही दुःखद होगा। जो आंकड़े उन्होंने दिये और जो आंकड़े इसमें लिखित रूप से हैं उसमें बड़ा अन्तर है। मेरा एक प्रश्न है आपसे इस सन्दर्भ में कि क्या आप जानते हैं कि कागज में जो बिजली ग्रामीण क्षेत्रों को देने का प्रबन्धन का दावा है वह अगर वहां नहीं जाती तो जाती कहां है ? वह बिजली अगर उतनी मेगावाट निकल गई तो कहां ? मेरे संज्ञान में कुछ ऐसे तथ्य आये हैं कि बिजली क्रय होती है, बिजली बेची जाती है और फिर बिजली क्रय की जाती है। कितनी बिजली हम बनाते हैं, कितनी बिजली हम खरीदते हैं, कितनी बिजली हम बेंच देते हैं और फिर कितनी बिजली हम खरीदते हैं ? इसके आंकड़े मैं सरकार से चाहूंगी कि वह प्रस्तुत करें और निश्चित रूप से हमें दें ताकि हमको पता चले कि बिजली का कितना अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली जा रही है तो बिक क्यों रही है और जा कहां रही है एक बात। दूसरी बात कि कितनी बिजली हम खरीदते हैं एन0टी0पी0सी0 से, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रही हूं कितनी प्राइवेट सेक्टर से खरीदते हैं, निजी क्षेत्र से और कितनी बिजली को हम बेचते हैं और उसका अन्तर क्या है रेट्स का ? इसकी जानकारी की जिज्ञासा मुझे है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की आभारी हूं कि उन्होंने इतने ज्वलंत विषय पर कम से कम सरकार क्या करने जा रही है, इस पर बोला। मैं इनका ध्यान इस ओर आकर्षण करूंगी कि भारत निर्माण योजना में बहुत प्राविधान है। ट्रान्समिशन लॉसेस को बचाने के लिये, पारेषण हानि को बचाने के लिये, रोकने के लिये और साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष जी क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो कार्बन क्रेडिट पालिसी है इन्टरनेशनल उसका लाभ उठाने के लिये हम लोग क्या व्यवस्था कर रहे हैं। क्या हमने प्रबन्धन किया है ? उससे हमारा राजस्व बढ़ेगा, उससे हमारी राष्ट्र में ख्याति बढ़ेगी। तो कार्बन क्रेडिट का फायदा उठाने के लिये अब तक सरकार ने क्या किया और अब क्या करने जा रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

एक साथ इतना सवाल करेंगी तो कैसे सबका जवाब आ पायेगा। एक-एक करके पूछिये।

प्रो0 रीता बहुगणा जोशी-

कहिये तो एक-एक करके करूं लेकिन पता नहीं आप मौका दें या न दें। 7 लोगों के बाद मौका मिला है तो मैं सोचती हूं कि मैं छोडू क्यूं। मेरा आखिरी प्रश्न कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण की परियोजना आपकी सब्मिट हो गई अथवा नहीं ? धन्यवाद।

श्री अखिलेश यादव-

मान्यवर, सवाल बहुत बड़ा है और बहुत बिन्दुओं को छूकर के है। मैं इस सदन को यह भरोसा दिला सकता हूं कि बहुत जल्दी प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, हम काम करेंगे। लाइन लॉसेस को कम करेंगे और बहुत जल्दी जो बड़े शहरों से लेकर और जगह जहां डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था ठीक नहीं है उसमें काम करने जा रहे हैं, यह सरकार काम करेगी। उसके लिये थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा प्रोडक्शन पर किसी ने काम नहीं किया उत्पादन बिजली का हुआ नहीं तो बिजली आयेगी कहां से, उसको खरीदने का इंतजाम पिछली सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो पांच सौ करोड़ की प्रतिमाह बिजली खरीदी जा रही थी तब जाकर किसानों को दे पा रहे थे, फीडर सेपरेशन का काम भी हम लोग करने जा रहे हैं जिससे किसान को कब बिजली जरूरत है उसको बिजली कब दे दें, तो फीडर सेपरेशन का काम करने जा रहे हैं। एक सवाल बहुत बड़ा पूछ लिया अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का, कार्बन क्रेडिट का, क्यूटो प्रोटोकाल के बारे में जब यहां चर्चा होगी तो हम कार्बन क्रेडिट के बारे में भी काम करेंगे लेकिन बहुत जल्दी सवाल पूछ लिया कार्बन क्रेडिट के बारे में लेकिन यह भरोसा जरूर दिला सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन में और लाइन लॉसेस में यह सरकार काम करेगी और बहुत जल्दी प्रोडक्शन में भी काम करना पड़ेगा क्योंकि जनता के सामने हमें 2014 में भी करना है और 2017 में भी करना है।

(मेजें थपथपाई गईं)

लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है दादरी की परियोजना अगर लग जाती हमें सहयोग मिल जाता तो उत्तर प्रदेश उत्पादन में आगे होता।

(मेजें थपथपाई गईं)

जहां तक कोयले का सवाल है, 'कोल लिंकेज' अभी हमने कुछ दिन पहले सवाल किया था कि हमने न्यूक्लीयर डील पर तो मदद की थी सरकार की, अब कोल लिंकेज में यह हमारी कितनी मदद करेंगे कोई मदद किसी तरह की केन्द्र सरकार से हम लोगों को नहीं मिल पा रही है।

(मेजें थपथपाई गईं)

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

मैं जानना चाहती हूं क्या हम बिजली बेच रहे हैं आज भी क्या हमारी प्रदेश बिजली खरीदने के बाद बिजली बेच रहा है इसका उत्तर हमें नहीं मिला, यह मेरा प्रश्न था। जहां तक दादरी का प्रश्न है माननीय मुख्य मंत्री जी अगर किसानों को सही दाम मिल गया होता तो दादरी कभी नहीं लगी होती।

श्री अखिलेश यादव-

सवाल कीमत का नहीं था। साजिश करके कांग्रेस पार्टी ने दादरी का कारखाना नहीं लगने दिया। (शोर)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, दो बड़े अहम सवाल यहां पर आये क्योंकि बिजली का मामला पूरे प्रदेश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। सरकारों के भविष्य से जुड़ा है हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो का यह बड़ा अहम मुद्दा है यह आश्वासन भी दिया गया बार-बार सदन में कि हम बिजली की समस्या का निदान करेंगे। 2014

भी सामने है 2017 भी सामने है, यह राजनैतिक प्रश्न हो सकते हैं। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो असल प्रश्न रखा है, क्योंकि माननीय सदस्या जहां से बोल रही हैं वहां हमें केन्द्र सरकार की छाया भी नजर आती है। एक सवाल आपके सामने आया क्या जिस परियोजना का जिक्र आपने किया वह नहीं चल सकी उसमें आपका क्या योगदान है, उसके न चलने देने में, यह आपको बताना चाहिये और यह भी आप बतायेंगी कि कोयले के बगैर बिजली संभव नहीं है इसमें भारत सरकार के सहयोग के बगैर कुछ नहीं हो सकता है तो क्या आप यह आश्वासन यहां देंगी क्योंकि आपका सवाल बहुत गम्भीर है और आपके सामने भी 2014 आयेगा हमारे सामने भी 2014 आयेगा चाहे पटरी दुकानदारों का मामला हो, पटरी आप एलाट करने जा रहे हैं दुकानदारों को। 'फुटपाथ' उसका नाम है और आप एलाट करने जा रहे हैं। हमने मीटिंग में कहा 2014 आपके लिये नहीं हमारे लिये भी है। हमारे लिये ज्यादा बड़ी चुनौती इसलिये है क्योंकि हमारी यहां सरकार है तो आपको यहां आश्वासन देना चाहिये और बताना चाहिये कि कोयले की समस्या जिसका निदान केन्द्र सरकार कर सकती है और देश का सबसे बड़े प्रदेश के मुख्य मंत्री ने निवेदन किया है आपसे मांग की है आपकी तरफ से यह आश्वासन मिलना चाहिये कि आप सम्पूर्ण व्यवस्था जितना कोयला उत्तर प्रदेश को चाहिये वह व्यवस्था आप केन्द्र सरकार से करायेंगी इसकी घोषणा आप कीजिए।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब सब प्रश्न हो गये हैं।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के बोलने का प्रयास करते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी, सारे प्रश्न आ गये हैं, अब आप क्या पूछेंगे ? आपके दल के बड़े नेता ने पूछ लिया, कांग्रेस की अध्यक्ष ने पूछ लिया, जवाब आ गया है, अब आप बैठिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आप हमें परमीशन दे चुके हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हो गये थे, इसलिये मैं बैठ गया था। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं, माननीय मुलायम सिंह जी जब मुख्य मंत्री हुए, पहले दिन ही एनेक्सी से नकल अध्यादेश वापस, बिजली की समस्या के बारे में आप भी जानते हैं। .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप सवाल पूछिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आज सबसे बड़ी समस्या बिजली की है, आप एक मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते, यह समस्या ऐसी नहीं है कि महीने भर, हप्ते भर इंतजार करें, यहां माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, हम शाहजहांपुर से आते हैं, वहां के जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनसे आप पूछ लीजिये, कितने घण्टे बिजली आती है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि बिजली का अभाव है, उसे ठीक करेंगे, अब आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

बिजली की इस गम्भीर समस्या को देखते हुए, माननीय मुख्य मंत्री जी आज सदन में घोषणा करें कि जो शिड्यूल है, उस शिड्यूल के हिसाब से आज शाम से ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में बिजली आनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

अरे, अब आपकी बात आ गई, बैठिये। आप शक्तिशाली हैं, इतने जोर से बोल रहे हैं, शान्त हो जाइये, सवाल का जवाब आ गया, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, आपके बड़े नेताओं ने कहा, माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दे दिया, जब बिजली विभाग का बजट आयेगा, तब उस पर बोलियेगा।

अब प्रश्न संख्या-2, माननीय अखिलेश प्रताप सिंह। अब हम आगे बढ़ गये हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हम उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(श्री हुकुम सिंह बोलने के लिये खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, इतना जवाब आने के बाद अब क्या पूछना है ? हम आगे बढ़ गये हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, आपके बड़े नेता ने पूछ लिया, अब रहने दीजिये।

श्री हुकुम सिंह-

अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि केन्द्र सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा है ...

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह-

कुछ तो आश्वासन आता। प्रदेश में बिजली की गम्भीर समस्या है और उसके निदान के उपाय के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आया है। बिजली का जो घोटाला किया गया है, उसके विरोध में हम और हमारा दल सदन का त्याग करता है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये, सदन का बहिष्कार न करिये, आप तो कल सबसे ज्यादा बिजली पर बोले हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नारे लगाते हुए सदन से बाहर चले गये।)

प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर से बचाव की योजना

*2-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर से बचाव के लिए क्या-क्या उपाय किये हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पूर्वांचल में मस्तिष्क ज्वर से पीड़ितों के उपचार की कहां-कहां व्यवस्था है ? क्या इस बीमारी से बचाव की सरकार की कोई स्थाई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

मस्तिष्क ज्वर से बचाव के लिये निम्न उपाय किये गये हैं :-

1-नियमित टीकाकरण के साथ 16 से 24 माह के बच्चों के लिये टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इलाज के अतिरिक्त जनता को जागरूक करने हेतु प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी के सहयोग से लगभग 04 हजार मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षित किये गये।

2-मस्तिष्क ज्वर के उपचार हेतु बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 100 शैय्या युक्त वार्ड का निर्माण कराया जा रहा है तथा वेन्टीलेटर की व्यवस्था की जा रही है।

3-प्रदेश के 10 जनपदों में जे0ई0 सेन्टीनल लैब क्रियाशील है, जिनमें जांच की जाती है।

4-इसके अतिरिक्त एस0जी0पी0जी0आई0 एवं सी0एस0एम0यू0 में एपेक्स लैब क्रियाशील है, जिनमें जांचें की जाती हैं।

पूर्वांचल में मस्तिष्क ज्वर के पीड़ितों के उपचार हेतु बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर के अतिरिक्त प्रत्येक जिला चिकित्सालय तथा सामु0 स्वा0 केन्द्रों पर व्यवस्था की गई है।

जी हां। कार्ययोजना बनाई गई है निम्नवत् है :-

1-महानिदेशालय परिसर में स्थापित/क्रियाशील ए0ई0एस0/जे0ई0 के सेन्टिनल लैब को उच्चीकृत करने के लिये रु0 118.28 लाख के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है।

2-गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल के 09 जनपदों में (गोरखपुर, कुशीनगर, महराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, सन्तकबीरनगर, बहराइच एवं लखीमपुर खीरी) 10 शैय्यायुक्त आई0सी0यू0 स्थापित करने के लिये रु0 23.01 करोड़ तथा कुशीनगर माडल एक्शन प्लान के अन्तर्गत 09 जनपदों में आई0ई0सी0/बी0सी0सी0 गतिविधियों के लिये रु0 4.81 करोड़ की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है।

3- 02-15 एवं 15-25 आयु के व्यक्तियों के टीकाकरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव भारत सरकार भेजा गया है।

4-चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की गई है। रोग वाहकों के नियंत्रण हेतु फागिंग, कीटनाशकों एवं इनमें प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई है।

5-गत वर्ष 3322 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प लगाये गये हैं। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु शेलो हैण्डपम्प के स्थान पर इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प लगाये जाने के संबंध में जल निगम योजना बनाकर प्रस्ताव ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से भारत सरकार को भेजा जा रहा है।

6-पानी की क्वालिटी टेस्टिंग के संबंध में एन्ट्रोवायरस के परीक्षण एवं पेयजल गुणवत्ता की जांच हेतु प्रयोगशाला बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में स्थापित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा रहा है।

7-विभाग द्वारा ए0ई0एस0/जे0ई0 धनात्मक 300 ग्रामों/मजरों की सूची बेसिक शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई गई है। अध्यापकों द्वारा प्रार्थना सभा तथा कक्षाओं में छात्रों को व्यक्तिगत स्वच्छता व उक्त रोग की रोकथाम हेतु प्रशिक्षण किया जा रहा है।

8-पंचायती राज विभाग द्वारा प्रत्येक घर में शौचालय, पक्की नालियों की व्यवस्था, स्वच्छता, जलभराव की समस्या के समाधान से मच्छरों के प्रजनन को न्यून करने हेतु कार्यवाही की जाती है। इसी क्रम में विभिन्न आवश्यक कार्यों यथा सेनिटरी, ब्लीचिंग पाउडर, हैण्डपम्प की मरम्मत आदि कार्य किये जाते हैं।

9-जे0ई0 रोग के उपचार हेतु स्वयं को रोग वाहकों के काटने से बचाने, रोगवाहक उत्पत्ति आदि के संबंध में व्यापक जागरूकता हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं यूनीसेफ के सहयोग से प्रभावित जनपदों के विभिन्न विभागों के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। लगभग 4000 प्रशिक्षक जनसामान्य से जुड़कर व्यक्तियों को प्रशिक्षित करके जागरूकता प्रदान करेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

अब माननीय मंत्री जी।

(श्री शंखलाल मांझी, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने तारांकित प्रश्न संख्या-2 के स्थान पर तारांकित प्रश्न संख्या-3 का उत्तर पढ़ दिया।)

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, आपने कौन सा उत्तर पढ़ा है ?

(तत्पश्चात् श्री शंखलाल मांझी, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने तारांकित प्रश्न संख्या-2 का उत्तर पढ़ा)

अब अखिलेश प्रताप सिंह जी आप अनुपूरक प्रश्न कर लें।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मस्तिष्क ज्वर की समस्या को लेकर गोरखपुर मेडिकल कालेज में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार कितनी गंभीर है यह आप सबको पता है। मान्यवर, माननीय राहुल गांधी जी और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद जी वहां पर गये थे और व्यवस्थाओं को देखा था और नयी व्यवस्थायें जोड़नें की बात कही थी। मान्यवर, इस बारहवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग चार हजार करोड़ रु0 का प्रावधान किया जा रहा है गोरखपुर मेडिकल कालेज में इन कार्यों के लिये। मान्यवर केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में वहां पर अवेयरनेस स्कीम चला रखी है और उसमें राज्य सरकार भी सहयोग कर रही है ताकि लोग जागरुक हो सके और उन्हे ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके। मान्यवर, इसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी के अर्न्तगत भी इस कार्य को देखा जा रहा है। मान्यवर, वहां इस बीमारी से ग्रसित 77 मरीज एक मई के बाद से मर चुके है गोरखपुर मेडिकल कालेज में और रोज नये भर्ती हो रहे हैं। मान्यवर, गोरखपुर मेडिकल कालेज में लगभग 191 इम्पलाईज हैं इनके दो वार्डों में, जे0 ई0 के दो वार्ड हैं वहां पर, वह सब मानदेय पर कार्यरत है। वहां पर डाक्टरों की कमी है। उनको करीब तीन हजार रु0 मानदेय मिल रहा है। जो नर्स हैं और डाक्टर हैं उनको 5 हजार रु0 प्रतिमाह मानदेय मिल रहा है। क्या इसी तरह से कर्मचारियों को रखकर जेई जैसी गंभीर बीमारी से बचाव कर पायेंगे उससे लड़ेगे ? मेरी मांग है कि उनको समुचित मानदेय प्रदान किया जाये और उन डाक्टरों और स्टाफ को वहां पर रेगुलर किया जाय कंफर्म किया जाय। इसके अतिरिक्त वहां पर और रेगुलर डाक्टरों की व्यवस्था की जाय। मान्यवर, वहां पर सौ बैड्स हैं इक्कीस वेंटीलेटर्स हैं जिसमें से अधिकांश खराब पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न यह भी है कि जो वहां पर लोग काम कर रहे हैं संविदा पर उन्हें अधिक मानदेय दिया जाय।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह -

मान्यवर, जब तक आप उनको अच्छी वेतन सुविधायें नहीं देंगे तो वह कैसे अच्छे मन से वहां पर काम करेंगे। स्टाफ वहां पर बहुत कम है वहां पर रेगुलर पोस्टिंग की जाये चाहे किसी की भी की जाय। जो कार्यरत हैं उनको भी रेगुलर किया जाना जरुरी है। मान्यवर, पूर्वांचल के अन्य जिलों में भी यही स्थिति है। इसमें क्या सरकार की ओर से इलाज की सुविधा बढाने के लिए कोई व्यापक व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि वहां पर भी बताया जा रहा है कि वेंटीलेटर्स नहीं हैं। डाक्टर्स नहीं हैं और दूसरा पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी इनका प्रश्न यह है कि जो गोरखपुर मेडिकल कालेज में लोग काम कर रहे हैं मानदेय पर उनका वेतन बहुत कम है जिस कारण से वह रुचि से काम नहीं कर रहे हैं। क्या उनकी वेतन वृद्वि पर आप विचार करेगें यह इनका प्रश्न है। दूसरा प्रश्न जो मेडिकल कालेज में व्यवस्थाओं से संबंधित है वह चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है। उन्हें इन व्यवस्थाओं को वहां पर देखना होगा। जो वहां पर वेंटीलेटर्स का अभाव है क्या आप उसको व्यवस्था करायेगे जिससे मरीजों को कोई असुविधा न हो।

श्री शंखलाल मांझी-

मान्यवर, वेंटीलेटर्स की अलग से व्यवस्था की जा रही है।

आपने मस्तिष्क ज्वर से बचाव के लिए हमसे सवाल किया है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

आपने लिखित में जवाब दे ही दिया है। हमने जो दो अनुपूरक प्रश्न किये हैं सिर्फ उसका जवाब दे। आप घबराइये मत।

(शोर)

श्री शंखलाल मांझी-

जिस जनपद की आप बात कर रहे हैं उन्हीं जनपदों से हम बिलांग करते हैं। हम घबरा नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष -

मंत्री जी, मस्तिष्क ज्वर से संबंधित डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी का सवाल है। वह स्पेशलिस्ट हैं। वह पूछ लेंगे पूरा क्लीयर हो जाएगा। उनका प्रश्न भी इस प्रश्न से संबंधित है। आप बैठ जायें। इसलिए मैं चाहता हूं कि डा0 राधा मोहन दास स्पष्ट प्रश्न पूछे।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह -

मैंने दो सवाल किये हैं उनका माननीय मंत्री जी जवाब तो दे दें।

श्री अध्यक्ष -

आपका क्या सवाल है?

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मैंनें दो सवाल किये हैं कि जो और अस्पताल हैं उनमें सरकार क्या व्यवस्था कर रही है और दो वार्ड यहां पर हैं उन दो वार्डों में अच्छे डाक्टरों की कमी है डाक्टर पोस्ट नहीं हैं और जो पोस्ट हैं वह डेलीवेजेस पर हैं तो उनके लिए सरकार क्या कर रही है।

श्री अध्यक्ष-

डेलीवेजेस वाला विषय चिकित्सा शिक्षा का विषय है। लेकिन माननीय मंत्री जी और जो वार्ड हैं उनमें इन मस्तिष्क ज्वर के मरीजों के उपचार के लिये क्या व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री शंखलाल माझी-

मान्यवर, यह गंभीर विषय है। आपका जो प्रश्न है वह पूरे पूर्वांचल के लिये अभिषाप बना हुआ है और सरकार इस पर गम्भीर है। इसके लिये जिला अस्पतालों में अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 पर भी फौरी तौर पर व्यवस्था के लिये हमने निर्देशित किया है। जाहिर है कि वहां पर पूर्ण व्यवस्था नहीं हो सकती है इसलिये प्राथमिक उपचार के बाद मरीजों को जिला अस्पताल या मेडिकल कालेज रिफर किया जाता है। वहां पर नियमित टीकाकरण के साथ प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अ थारिटी के सहयोग से लगभग 4000 मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षित भी किये हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय अखिलेश जी आपके प्रश्न का उत्तर आ गया।

प्रदेश के इन्सेफलाइटिस रोग की रोकथाम हेतु टीकाकरण

*3-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इन्सेफलाइटिस रोग की रोकथाम का टीकाकरण बन्द कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे पुनः शुरू करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं। प्रदेश के एक्यूट इन्सेफलाइटिस सिंड्रोम/जापानी इन्सेफलाइटिस रोग से प्रभावित 35 जनपदों में 16 महीने से 24 महीने तक उम्र के बच्चों को नियमित टीकाकरण के साथ-साथ जापानी इन्सेफलाइटिस का टीकाकरण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, यह प्रश्न टीकाकरण से संबंधित है। लेकिन यह विषय इसके पूर्व में इसी के संदर्भ में आया है। मेडिकल कालेज गोरखपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एन0आर0एच0एम0 योजना के तहत नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ की पोस्टिंग की गयी है। इन नर्सेस को 5000 रुपये महीना दिया जाता है और पैरामेडिकल स्टाफ को 3000 रुपये महीना दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना प्रश्न तो पूछ नहीं रहे हैं। अपना प्रश्न पूछिये।

(श्री अम्बिका चौधरी के खड़े होने पर)

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, यह किस नियम के तहत खड़े हैं। माननीय मंत्री जी खड़े हैं जवाब दे रहे हैं। तो आप किस नियम के तहत खड़े हैं।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी जब से आपने डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी को प्रमाण-पत्र दे दिया कि वह स्पेशलिस्ट हैं तो वह हमें सवाल ही नहीं पूछने दे रहे हैं। वह बहुत स्पेशलिस्ट है यह ठीक है। लेकिन दूसरों के सवालों को भी पूछने के लिए आप सबके संरक्षक हैं। श्री अखिलेश सिंह ने पूछा तो आपने कहा कि आप बैठ जाइये डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी स्पेशलिस्ट हैं तो इससे काम बिगड़ गया। आप यह कहिए कि सबके प्रश्नों के सम्बन्ध में अकेले डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी न पूछें।

मा0 अखिलेश जी का उत्तर आ गया।

श्री अध्यक्ष-

अखिलेश जी के प्रश्न का उत्तर आ गया है। अब डा0 राधामोहन जी आप अपने प्रश्न से सम्बन्धित अनुपूरक कीजिए।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 अम्बिका चौधरी जी किस नियम के तहत खड़े हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं व्यवस्था का प्रश्न करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

प्रश्नकाल के समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष, मा0 डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी को जब से आपने यह प्रमाण-पत्र दे दिया कि वह स्पेशलिस्ट हैं, वह हमारी बात ही नहीं सुनते, वह हमें सवाल ही नहीं पूछने दे रहे हैं, इसलिए इनसे कहिये कि वह बहुत स्पेशलिस्ट हैं यह ठीक बात है लेकिन दूसरों के भी सवालों को पूछने के लिए मान्यवर, आप सबके संरक्षक हैं, इसलिए अखिलेश सिंह जी ने पूछा अनुपूरक आ गया, आपने कहा राधामोहन दास स्पेशलिस्ट हैं तो इससे काम बिगड़ गया। आप यह कहिए कि सबके प्रश्नों के सम्बन्ध में राधामोहन दास जी अकेले न पूछें, अखिलेश जी का उत्तर आ गया। आप अपने प्रश्न के बारे में पूछें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मैं अपना ही प्रश्न पूछ रहा हूं। मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी सदन में बैठे हैं इन्वाल्व नहीं हैं। इसलिए इनको पता ही नहीं है कि प्रश्न बदल चुका है और आप दूसरा प्रश्न बुला चुके हैं। वह समझ रहे हैं कि अभी पिछला प्रश्न ही चल रहा है। आप शरीर से नहीं मन से रहिये, खाली यहां बैठ जाने से ही सब कुछ नहीं होता है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, दूसरा प्रश्न ले लिया था और आप पिछले प्रश्न के बारे में पूछ रहे थे, इसलिए मुझे व्यवस्था का प्रश्न करने के लिए उठना पड़ा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 डा0 अग्रवाल साहब आप अपने प्रश्न के बारे में पूछें, पिछला प्रश्न तो बन्द हो गया है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मंत्री जी भी व्यवस्था का प्रश्न उठाने लगे, बहुत अच्छा लगा। कम से कम यह जान लें कि प्रश्नोत्तर काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब आप अपना सवाल कीजिए, यह अभी नया सेशन है, बहुत सी नई बातें पैदा होंगी। चलिये अपना प्रश्न पूछिये।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा, सरकार ने यह कहा कि टीकाकरण, रूटीन टीकाकरण में कराया जा रहा है। सच्चाई यह है कि 2010 में 35 लाख टीके लगाये गये। जो कम्पनी इस टीके को बनाती है वह स्वयं कहती है कि टीके के तीन डोज लगाये जाने चाहिए। 2010 में लगाया गया, यह साल बाद लगना चाहिए था नहीं लगा। अब स्थिति क्या होगी, 2005 में मा0 मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में टीकाकरण कराया गया था। बीमारी पर बहुत प्रभावी नियंत्रण हुआ। दूसरा डोज न लगाने के नाते 2006-2007 के आते-आते वह बीमारी

फिर उभर करके चली आई, यही फिर होने जा रहा है। 2010 में हमने टीकाकरण कराया। बीमारी पर नियंत्रण हो गया आज सौ में से चार बीमारियां जापानीज इन्सेफलाइटिस की होती हैं सिर्फ पहले 98 होती थीं, लेकिन हमने दूसरा डोज नहीं लगाया और आने वाले समय में बरसात का सीजन आयेगा जापानीज इन्सेफलाइटिस फिर बहुत तेजी से उभर जायेगी। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस कम्पनी से इन्होंने दवा लिया, जब वह कम्पनी कहती है कि तीन बार लगाओ, वह डब्ल्यू0एच0ओ0 जो इसको तय करती है कि टीकाकरण कैसे किया जाय और डब्ल्यू0 एच0ओ0 कहता है कि दो बार लगाओ तो मा0 मंत्री जी क्यों कहते हैं टीकाकरण दोबारा कराया जायेगा। कोई न कोई इनके पास बहुत बड़ी वैज्ञानिक जानकारी होगी। मा0 मंत्री जी उस जानकारी को यहां रखें या यह कहें कि टीकाकरण का दोबारा डोज कराया जायेगा।

श्री शंख लाल माझी-

मान्यवर, इसको दिखवा लिया जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें कोई शक नहीं डा0 साहब की बहुत मालूमात है। इस पर और वहां पर यह बीमारी है भी, लेकिन आपके प्रश्न में ही जो उत्तर था। उसमें विरोधाभास है। कम्पनी कहती है कि इस टीके को तीन बार लगाओ और डब्ल्यू0एच0ओ0 कहती है, इसे दो बार लगाओ तो जिस बीमारी के लिए तीन टीके लगने चाहिए उसके लिए अगर दो लगेंगे तो जाहिर है बीमारी नहीं जायेगी। अगर प्रापर डोज नहीं जायेगी बाडी में तो पहले तो यह तय होना चाहिए कि कम्पनी सही कहती है या डब्ल्यू0एच0ओ0 सही कहता है। इस बारे में भी कोई सुझाव मिल जाय।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष यह बहस बहुत तार्किक हो रही है और तार्किक बहसें निष्कर्ष पर पहुंचती हैं, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी संस्था जो स्वास्थ्य मानक स्थापित करती है, हम सब जानते हैं डब्ल्यू0एच0ओ0 है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं और अगर वह कह रही है कि दो टीके डोज लगा दिये जायें तो हम इस पर प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं तो कम से कम दो तो लगवा देने चाहिए। तीन भले न लगें। क्योंकि हमारे पास अनुभव है मा0 मंत्री जी 2005 में आपने करवाया है उससे फायदा मिला। आपकी सरकार चली गई दोबारा टीकाकरण नहीं हुआ, बीमारी फिर उभर कर चली आई।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, क्या मैं इनसे यह भी जानकारी पा सकता हूं कि डब्ल्यू0एच0ओ0 ने जिन-जिन दवाओं के इलाज बताये क्या अमेरिका मानता है उसे डब्ल्यू0एच0ओ0 को सिफारिशात को सबसे कम अगर कोई मानता है तो दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका उनकी सिफारिशों को नहीं मानता है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, डब्ल्यू0एच0ओ0 की सिफारिश अमेरिका मानता है या नहीं मानता है। यह अमेरिका का विषय है भारतवर्ष मानता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह क्या बात हुई ?

जब हम एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था की सिफारिश को मान रहे हैं, जो हमारे देश की संस्था नहीं है। डब्ल्यू0एच0ओ0 अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है, उसकी सिफारिशों को तो हम मान रहे हैं, लेकिन दुनिया का सबसे ज्यादा विकसित देश, तकनीक में, मेडिकल में, मेडिकल साइन्स में, रिसर्चेज में सबसे ज्यादा विकसित देश है अमेरिका, वो नहीं मान रहा है, तो हम क्यों पाबन्द हैं, डब्ल्यू0एच0ओ0 की सिफारिश मानने के लिए ?

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि डब्ल्यू0एच0ओ0 के टीके के बारे में, टीकाकरण के बारे में जो सुझाव है, उनको पूरी दुनिया मानती है। अगर आप यह कह रहे हैं कि डब्ल्यू0एच0ओ0 के टीकाकरण के सुझाव को नहीं मानते और सरकार सदन में स्टैण्ड ले रही है तो सरकार इसकी जांच करा लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

डा0 साहब, मैं अकेले टीकाकरण की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा कहना मा0 सदस्य से यह है कि डब्ल्यू0एच0ओ0 को हम अगर मानक मान लें और कम्पनी ने जिसने रिसर्च किया है, दवाई बनायी है, जिसका वैक्सीन है वह कहता है कि 3 इंजेक्शन लगने चाहिए, डब्ल्यू0एच0ओ0 कहता है कि 2 लगने चाहिए। 3 और 2 का विरोध बहुत बड़ा विरोध है मान्यवर, अगर प्रॉपर डोज बॉडी में नहीं जाती है तो उस वैक्सीन का भी कोई फायदा नहीं होगा। दो का भी कोई फायदा नहीं होगा।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 मंत्री जी, यह बड़ा अजीब सा जवाब है। मान्यवर, कम्पनी कहती है कि 3 लगायेंगे, डब्ल्यू0एच0ओ0 कहती है कि 2 लगायेंगे और यह सरकार कहती है कि हम एक भी नहीं लगायेंगे। यह कौन सा जवाब है। कम से कम दो तो लगवाइये, कम से कम दो तो लगवाइये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं इस पर क्योंकि पूरा सदन जानकारी ले रहा है और इसको अदरवाइज आप नहीं लेंगे। जब तक किसी मर्ज की प्रापर डोज शरीर में नहीं जायेगी। मैं तो ले मैन हूं, आप डाक्टर हैं, अगर आप 250 एम0जी0 का कैप्सूल लेते हैं और डाक्टर लिखते हैं कि 500 एम0जी0 का लिया जाय जो बाडी के हिसाब से उम्र के हिसाब से, मर्ज की शिद्दत के हिसाब से है, वो लिया जायेगा। आप कम डोज लेंगे तो मर्ज बना रहेगा। वक्ती तौर पर दब जायेगा लेकिन उसके कीटाणु बने रहेंगे फिर उभर कर आयेंगे तो मैं यह जानना चाह रहा हूं।

(डा0 राधामोहन दास अग्रवाल के बीच में उठने पर)

यह प्रश्न बहुत गम्भीर है या तो इसकी गम्भीरता को खत्म कर दीजिये। अगर प्रापर डोज नहीं पहुंच रही है तो 3 टीके लगेंगे या 2, यह तय नहीं हो पा रहा है। सरकार यह नहीं कह रही है कि एक भी न लगवाया जाये। हम यह नहीं कह रहे हैं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

यह तो तय हो गया न कि कम से कम दो लगेंगे।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब आप रुक जायें। मा0 मंत्री जी, आखिर यह कहना है कि दो और तीन दोनों के विवाद में कोई निर्णय तो होना चाहिए कि कितना लगेगा, उसका क्या उपाय है बताइये आप।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं वही तो जानना चाह रहा हूं कि जब प्रापर डोज बाडी में नहीं गयी तो खर्चा भी हुआ, मरीज धोखें में भी रहा और मर्ज का इलाज भी न हुआ तो ऐसा क्या रास्ता अख्तियार किया जाये कि कि यह जान सकें कि एक इन्जेक्शन चाहिए कि दो चाहिए या तीन चाहिए।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

जापान में, कोरिया में, चीन में सब जगह इसी टीके का टीकाकरण करके बीमारी को नियंत्रण में कर लिया गया जो कुछ वहां हुआ, वह हम भारत में क्यों नहीं करना चाहते हैं। आखिर जापान में नियंत्रण हुआ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह अजीब समस्या पैदा हो गयी है। चीन में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है हमें इससे मतलब नहीं है। पूर्वांचल में हजारों लोग मर रहे हैं। तीन लगें कि दो लगे, यह काम सरकार का है, वह पता लगाये और लगवा कर जो हजारों लोग मर रहे हैं उनको बचाने के लिये क्या करने जा रहे हैं, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अगर इतना ही जवाब काफी था तो यह जवाब तो पहले दे दिया गया। काहे के लिये इतनी बहस हुयी, यह जवाब काफी नहीं है। प्रमोद तिवारी जी यह जवाब काफी नहीं है। सदन में बहुत सी चीजों पर बहस के लिये भी तैयार रहना चाहिए। यह जवाब काफी नहीं है कि आप हर बात सरकार पर छोड़ दें। अगर हर बात सरकार पर छोड़ दें तो प्रश्नकाल की फिर कोई आवश्यकता ही नहीं है। सरकार तो अपना काम कर ही रही है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नकाल का समय समाप्त हो गया। देख लो टाइम देख लो। संजय कपूर का प्रश्न है तो लेकिन समय हो गया न, 12.20 हो गया। अरे सामने घड़ी देखिये न।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के जर्जर तारों को बदलने की योजना

*4-श्री संजय कपूर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा जर्जर विद्युत तारों को बदले जाने की कोई कारगर योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

वर्ष 2012-13 में बिजनेस प्लान के अन्तर्गत 18500 कि0मी0 जर्जर तार बदले जाने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

देखिए सामने प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है।

श्री संजय कपूर-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न लगा है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी अब आप एक मिनट में पढ़ दीजिए।

श्री संजय कपूर-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए। अध्यक्ष जी, दो बातें आपके माध्यम से पूछनी हैं, मंत्री जी से।

श्री अध्यक्ष-

अब समय समाप्त हो गया।

श्री संजय कपूर-

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये दो प्रश्नों पर जानकारी चाहता हूं। मेरे दो छोटे से प्रश्न हैं अध्यक्ष जी। बिजनेश प्लान कब से प्रारम्भ हुआ पहला प्रश्न यह है मेरा आपसे और दूसरा यह है कि अभी तक रामपुर जनपद में कितने किलोमीटर जर्जर तार बदले गये ? यह दो छोटे प्रश्न हैं इनमें मैं जानकारी जानना चाहता हूं मा0 मंत्री जी की।

श्री अध्यक्ष-

बस इस उत्तर के बाद समय खत्म है। आप जो उत्तर देना चाहे दे दें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी 2012-13 में बिजनेश प्लान के अन्तर्गत 18500 किलोमीटर जर्जर तार बदले जाने की योजना है और उसमें 50 करोड़ रुपया खर्चा आएगा और जैसे ही धन की और उपलब्धि होती जाएगी, वैसे ही और तार लगते जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

बस अब प्रश्नों का समय समाप्त।

प्रदेश में हो रही बिजली की चोरी, दुर्घटनायें आदि को रोकने की जानकारी

*5-श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हो रही बिजली की चोरी, दुर्घटनायें आदि रोकने और विद्युत राजस्व बढ़ाने हेतु विद्युत कनेक्शन देने के नियम को सरल बनाकर लागू करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। प्रश्नगत विषय में योजना उ0 प्र0 राज्य विद्युत नियामक आयोग की सहमति के उपरान्त ही लागू की जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :-तारांकित प्रश्न सं0-4 के पश्चात प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद अलीगढ़ की बरौली विधान सभा क्षेत्र में कतिपय ग्रामों के विद्युत सब-स्टेशन की क्षमता वृद्धि की मांग

1-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ की बरौली विधान सभा क्षेत्र में 33 के0वी0ए0 के विद्युत सब-स्टेशन, भरतरी गभाना, वीरपुरा चण्डौस, सुमेरा, साथा, गोधा हरदुआगंज पर क्षमता से अधिक लोड है ? यदि हां, तो क्या इनकी क्षमता वृद्धि की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक क्षमता वृद्धि होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद अलीगढ़ के बरौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र भरतरी, वीरपुरा, सुमेरा, साथा, गोधा हरदुआगंज अतिभारित नहीं हैं। गभाना व चण्डौस अतिभारित हैं।

अतिभारित विद्युत उपकेन्द्र गभाना एवं चण्डौस की क्षमतावृद्धि निर्माणाधीन 132 के0वी0 उपकेन्द्र सुमेरा, जनपद अलीगढ़ के वर्ष 2012-13 में निर्माण होने पर संभव हो सकेगी।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के बिजनेस प्लान के अन्तर्गत उपरोक्त कार्य प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ की सहकारी साथा चीनी मिल की गन्ना पेराई हेतु क्षमता बढ़ाने की मांग

2-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी साथा चीनी मिल, जनपद अलीगढ़ को घाटे से उबारने के लिए सरकार द्वारा कोई उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? किसानों के गन्ने की समुचित पेराई हेतु क्या सरकार इसकी क्षमता बढ़ायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर साथा चीनी मिल को घाटे से उबारने के लिए गन्ना मूल्य भुगतान एवं अन्य प्रयोजनों के लिए ऋण के रूप में धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। दिनांक 31-3-2012 तक साथा चीनी मिल को राज्य सरकार द्वारा रु0 59.67 करोड़ की वित्तीय सहायता ऋण के रूप में उपलब्ध करायी गयी है।

साथा चीनी मिल की पेराई क्षमता 1250 टन प्रतिदिन के आधार पर 150 दिवस पेराई हेतु 18.75 लाख कुन्टल गन्ने की आवश्यकता होती है। परन्तु विगत वर्षों में मिल को गन्ने की उपलब्धता पर्याप्त नहीं रही है।

मिल को गन्ने की उपलब्धता में आ रही लगातार गिरावट के कारण साथा चीनी मिल रूग्ण हो गयी है। दिनांक 31-3-12 तक मिल को रु0 200.55 करोड़ की संचित हानि हो चुकी है। वर्तमान में शासन स्तर पर साथा चीनी मिल की क्षमता विस्तारीकरण की योजना विचाराधीन नहीं है। मिल की ऋणात्मक नेट वर्थ के कारण विस्तारीकरण में संभावित व्यय रु0 50 करोड़ का वित्त पोषण भी किसी वित्तीय संस्था से संभव नहीं है।

जनपद अलीगढ़ के सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री उपेन्द्र भान पचौरी के विरुद्ध जांच

3-श्री दलवीर सिंह-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक, अलीगढ़ के अध्यक्ष पद पर श्री उपेन्द्र भान पचौरी को अनियमित तरीके से चुने जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 10-4-12 को उन्हें दिये गये शिकायती-पत्र पर कोई जांच हुई है ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सन्दर्भ शिकायती-पत्र दिनांक 10-4-12 जिलाधिकारी, अलीगढ़ को जांच हेतु प्रेषित किया गया है।

जांच आख्या प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के ग्राम भोजपुर से पिलखुआ मार्ग वाया फरीदनगर की क्षतिग्रस्त सड़क के मरम्मत की जानकारी

4-श्री सुदेश शर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में ग्राम भोजपुर से पिलखुआ मार्ग वाया फरीदनगर की सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या उसकी मरम्मत करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। मार्ग कहीं-कहीं क्षतिग्रस्त हो गया है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ में मोहीद्दीनपुर से चुड़ियाला नया गांव मार्ग वाया सैदपुर की क्षतिग्रस्त सड़क के मरम्मत की मांग

5-श्री सुदेश शर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में मोहीद्दीनपुर से चुड़ियाला नया गांव मार्ग वाया सैदपुर की सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ में मोहीद्दीनपुर स्थित बन्द सहकारी शुगर मिल को पुनः संचालित करने की जानकारी

6-श्री सुदेश शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में मोहीद्दीनपुर स्थित सहकारी शुगर मिल पूर्वकालीन सरकार द्वारा बन्द कर देने के कारण हजारों गन्ना किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शुगर मिल को पुनः संचालित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। विनिवेशीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत जनपद मेरठ में स्थित मोहीद्दीनपुर चीनी मिल को पेराई सत्र 2011-12 में संचालित नहीं किया गया है तथा मिल के सुरक्षित क्षेत्र के गन्ने का व्यावर्तन निकटवर्ती चीनी मिलों को कर दिया गया है जिससे गन्ने की पेराई हेतु क्षेत्र के किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मोहीउद्दीनपुर चीनी मिल के सुरक्षित क्षेत्र के गन्ने का व्यावर्तन निकटवर्ती चीनी मिलों को कर दिये जाने की स्थिति में गन्ने की पेराई हेतु क्षेत्र के किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।

जनपद गाजियाबाद में स्थित मोदी शुगर मिल, मोदी नगर द्वारा गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान की जानकारी

7-श्री सुदेश शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में स्थित मोदी शुगर मिल, मोदी नगर पर गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त किसानों के बकाये का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री अखिलेश यादव-

पेराई सत्र 2011-12 में दिनांक 22-5-2012 की स्थिति के अनुसार मोदी शुगर मिल्स लि0, मोदी नगर जनपद गाजियाबाद द्वारा कुल देय गन्ना मूल्य रु0 17028.50 लाख के सापेक्ष रु0 10001.00 लाख का भुगतान किया गया है तथा रु0 7027.50 लाख भुगतान हेतु अवशेष है।

पेराई सत्र, 2011-12 के अवशेष गन्ना मूल्य के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-9360/2012 में पारित निर्णय दिनांक 20-4-2012 द्वारा अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान तीन किश्तों में यथा प्रथम किश्त 07 मई, 2012, द्वितीय किश्त 07 जून, 2012 तथा तृतीय किश्त 07 जुलाई, 2012 तक करने के आदेश दिये गये हैं। तद्क्रम में चीनी मिल,

मोदी नगर द्वारा कुल अवशेष गन्ना मूल्य के अन्तर्गत देय प्रथम किश्त रु0 2442.50 लाख के सापेक्ष रु0 330.00 लाख का भुगतान किया गया है।

सम्बन्धित चीनी मिल को अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

जनपद शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में डाक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की जानकारी

8-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जिला अस्पताल प्रारम्भ में 300 शैय्याओं का बनाया जाना प्रस्तावित था ? यदि हां, तो 12 साल बाद भी उक्त अस्पताल नहीं बन सका है और न ही क्षमता के अनुसार डाक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसको मानक के अनुरूप बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

भवन पूर्व में ही निर्मित होकर हस्तानान्तरित हो चुका है तथा डाक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्धता के आधार पर तैनात है।

जी हां।

मानव संसाधन की उपलब्धता के आधार पर तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर शहर के मध्य स्थित पुराने अस्पताल को चालू कराने की जानकारी

9-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर शहर के मध्य स्थित पुराने अस्पताल को चालू कराकर कम से कम दो चिकित्सक व कम्पाउण्डर 24 घण्टे तैनात किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/23004/2011, दिनांक 21-4-11 द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के चौगामा क्षेत्र में हिन्डन, कृष्णी, दोआब में खरीफ नहरों की परियोजना के अवशेष कार्य कराये जाने की मांग

10-श्री वीरपाल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के चौगामा क्षेत्र में चौ0 चरण सिंह नहर परियोजना (कृष्णी, दोआब नहर) का कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो अधूरे कार्य को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद बागपत के चौगामा क्षेत्र में चौ0 चरण सिंह नहर परियोजना (कृष्णी, दोआब नगर) नाम से कोई परियोजना नहीं है, अपितु उक्त क्षेत्र की सिंचाई हेतु हिन्डन, कृष्णी, दोआब में खरीफ नहरों की परियोजना है जिसके कतिपय कार्य अधूरे हैं, जिसको पूर्ण कराये जाने की परियोजना विचाराधीन है।

परियोजना की सक्षम स्तर से स्वीकृति एवं बजट व्यवस्था उपरान्त अवशेष कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत व अन्य जनपदों में किसानों द्वारा लिये गये 10 एच0पी0 के निजी ट्यूबवेलों के कनेक्शनों की चेकिंग

11-श्री वीरपाल-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बागपत में किसानों ने 10 एच0पी0 के निजी ट्यूबवेलों पर कनेक्शन लिया था जिसे विभाग द्वारा 2.50 एच0पी0 बढ़ाकर 12.50 एच0पी0 कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का पालन प्रदेश के अन्य जनपदों में हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जनपद बागपत में बढ़ाये गये एच0पी0 को वापस करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद बागपत में किसानों द्वारा 10 एच0पी0 का निजी नलकूप कनेक्शन लिया गया था। इसे 2.5 एच0पी0 बढ़ाकर 12.50 एच0पी0 नहीं किया गया, अपितु भू-गर्भ जल अतिदोहन एवं कम वर्षा के कारण जल स्तर अत्यन्त नीचे चला गया और किसानों ने स्वयं बिना अनुमति के मोटर बढ़ी क्षमता की कर ली। विद्युत विभाग द्वारा चेकिंग कराकर संयोजन का भार तद्नुसार किया गया।

अन्य जनपदों में भी चेकिंग कराकर जितनी क्षमता का मोटर पाया जा रहा है उसी के अनुसार बिलिंग की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

तदैव।

तदैव।

जनपद बागपत नगर पंचायत टीकरी में श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री विजय पाल सिंह के निजी ट्यूबवेल का विद्युत बिल माफ करने की मांग

12-श्री वीरपाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत नगर पंचायत टीकरी में श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री विजय पाल सिंह के निजी ट्यूबवेल की विद्युत लाइन दो वर्ष पूर्व उखाड़ दी गयी जिससे फसल की सिंचाई न हो पाने के कारण उन्हें आर्थिक क्षति हो रही है ? क्या सरकार विद्युत लाइन ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी

बतायेगी कि श्रीमती सीता देवी ने विद्युत का प्रयोग जिस अवधि में नहीं किया है, का विद्युत भार माफ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद बागपत नगर पंचायत टीकरी में श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री विजय पाल सिंह के निजी ट्यूबवेल की विद्युत लाइन दिनांक 10-10-2010 से उपभोक्ताओं की वोल्टेज समस्या एवं परिवर्तक की अतिभारिता की समस्या के निराकरण हेतु नयी लाइन/जोड़ा बनाने के लिए बन्द की गयी थी लेकिन इस उपभोक्ता एवं अन्य ने नये स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार लाइन बनाने में असहयोग किया। सामूहिक प्रयासों के उपरान्त यह लाइन दिनांक 14-5-2012 को चालू की गयी।

जी हां।

दिनांक 14-5-2012 को नवनिर्मित जोड़े से लाइन का निर्माण कर कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ता द्वारा अपने बिल का भुगतान दिनांक 30-4-2011 में किया गया। अतः नियमानुसार दिनांक 30-4-2011 से 14-5-2012 तक का विद्युत बिल उपभोक्ता की प्रार्थना पर माफ किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत टीकरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक व अन्य स्टाफ के तैनाती की मांग

13-श्री वीरपाल-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के टीकरी नगर पंचायत में न दवाइयां हैं और न ही कोई डाक्टर है ? यदि हां, तो उक्त चिकित्सालय में मानक के अनुरूप चिकित्सक, अन्य स्टाफ तथा दवाओं की व्यवस्था कराते हुए चिकित्सीय कार्य कब तक चालू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टीकरी, बागपत में दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तथा चिकित्सक भी तैनात है।

मानक के अनुरूप चिकित्सालय में चिकित्सक व अन्य स्टाफ तैनात है तथा औषधि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। चिकित्सीय कार्य सुचारु रूप से हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़, हरदुआगंज तापीय विद्युत गृह में स्थापित नई दो यूनिटों द्वारा अपनी क्षमता के अनुरूप उत्पादन न करने की जानकारी

14-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद अलीगढ़ हरदुआगंज तापीय विद्युत गृह में स्थापित नई दो यूनिट आठ और नौ 250-250 मेगावाट विद्युत उत्पादन हेतु लगायी गयी हैं ? क्या यह

सही है कि तकनीकी खराबी और घटिया मशीनरी के कारण उक्त यूनिट अपनी क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी नहीं।

250 मे0वा0 उत्पादन क्षमता की इकाई सं0-08 वर्तमान में अपनी क्षमता के अनुरूप उत्पादन कर रही है।

250 मे0वा0 उत्पादन क्षमता की इकाई सं0-09 का जून, 2012 में वाणिज्यिक भार पर आना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

परियोजना में ब्वायलर टरबाइन एवं जनरेटर संयंत्रों का कार्य भारत सरकार के प्रतिष्ठित उपक्रम में बी0एच0ई0एल0 द्वारा किया गया है। परियोजना के लिए आपूर्ति की गई समस्त सामग्री भारत सरकार के उपक्रम एवं सलाहकार मे0 एन0टी0पी0सी0 के गुणवत्ता मानकों के अनुसार की गई है। आपूर्ति से पूर्व समस्त सामग्री की जांच मे0 एन0टी0पी0सी0 द्वारा की गई। साइट इरेक्शन का कार्य भी मे0 एन0टी0पी0सी0 द्वारा सुपरवाइज किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

तदैव।

जनपद देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों व अन्य स्टाफ की तैनाती की जानकारी

15-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने स्वास्थ्य केन्द्र हैं ? इन स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक एवं अन्य कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? क्या इन स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुरूप चिकित्सक एवं कर्मचारी तैनात हैं ? यदि नहीं, तो किन-किन स्वास्थ्य केन्द्रों पर कौन-कौन पद रिक्त हैं ? क्या इन रिक्त पदों पर सरकार नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जनपद देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 09 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित एवं क्रियाशील हैं। इन केन्द्रों पर कुल 22 चिकित्साधिकारियों के पद सृजित हैं जिसके सापेक्ष कुल 17 चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं।

जी नहीं।

05 चिकित्साधिकारियों के पद रिक्त हैं, जिसके सापेक्ष स्वास्थ्य महानिदेशालय के विभिन्न आदेशों द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देवरिया के अधीन जनपद देवरिया में रिक्त पदों के सापेक्ष 06 चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया एवं गोरखपुर में राप्ती नदी पर बन रहे पुलों के रुके हुए कार्य को पुनः प्रारम्भ करने की जानकारी

16-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में रुद्रपुर कौड़ीराम मार्ग पर करहकोल घाट पर एवं मदनपुर सेमरौना मार्ग पर बन रहे पुलों का कार्य कब से बन्द है तथा इन दोनों पुलों का कितने प्रतिशत कार्य शेष है ? क्या सरकार इन दोनों पुलों को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद देवरिया में राप्ती नदी पर कराहकोल घाट से सेतु का कार्य जनवरी, 2010 से बन्द है तथा 23 प्रतिशत कार्य शेष है। इसी प्रकार जनपद गोरखपुर में राप्ती नदी पर सेमरा घाट सेतु का कार्य सितम्बर, 2008 से बन्द है तथा 61 प्रतिशत कार्य शेष है।

जी हां।

(क) जनपद देवरिया में राप्ती नदी पर कराहकोल घाट सेतु का पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत किया गया है जो अभी स्वीकृत नहीं है।

(ख) जनपद गोरखपुर में राप्ती नदी पर सेमरा घाट सेतु पर कार्य माह अप्रैल, 2012 से प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में राप्ती एवं गुर्रा नदियों के बन्धों के सुदृढ़ीकरण एवं ठोकर इत्यादि बनवाने हेतु धन आवंटन की कार्यवाही

17-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में राप्ती एवं गुर्रा नदियों के बन्धों के सुदृढ़ीकरण एवं ठोकर इत्यादि बनवाने हेतु भारत सरकार के जल संस्थान मंत्रालय ने अपनी अंशराशि देने की स्वीकृति गत वित्तीय वर्ष में दी थी ? क्या सिंचाई विभाग ने शासन से राज्यांश स्वीकृत करने का अनुरोध किया था ? क्या प्रदेश सरकार ने इन कार्यों हेतु धन का आवंटन किया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कब तक इन पर धन आवंटन कर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार से केन्द्रांश अवमुक्त होने पर धनावंटन की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कालोनियों में सीवरेज ड्रेनेज की भूमिगत व्यवस्था की जानकारी

18-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित सभी कालोनियों में अब तक सीवरेज ड्रेनेज की भूमिगत व्यवस्था कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो शेष में उक्त कार्य कब तक कराये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कालोनियों में से मात्र राप्ती नगर विस्तार आवासीय योजना में सीवरेज की भूमिगत व्यवस्था प्राविधानित है तथा कार्य प्रगति पर है, अन्य कालोनियों में सीवरेज ड्रेनेज की भूमिगत व्यवस्था का प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित ओवरहेड पानी की टंकियों के कार्य क्षमता की जानकारी

19-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक कितनी ओवरहेड पानी की टंकियों का निर्माण कराया है ? क्या ये टंकियां अपनी पूरी क्षमता के अनुसार कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कुल 15 अदद ओवरहेड पानी की टंकियों का निर्माण कराया गया है।

15 टंकियों में से 10 टंकियों को चालू हालत में नगर निगम, गोरखपुर को हस्तान्तरित किया जा चुका है, 01 अदद टंकी गोरखपुर विकास प्राधिकरण की देख-रेख में चालू हालत में है, 01 अदद पानी की टंकी की मरम्मत का कार्य जल निगम गोरखपुर से कराया जा रहा है, शेष 03 टंकियों को चालू किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कालोनियों को नगर निगम को हस्तान्तरित करने की जानकारी

20-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक निर्मित कौन-कौन सी कालोनियां नगर निगम को किन कारणों से हस्तान्तरित नहीं हो पायी हैं ? इन्हें कब तक नगर निगम को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत 11 कालोनियां यथा ललितापुरम् आवासीय योजना, ललितापुरम् विस्तार आवासीय योजना, राप्ती नगर फेज-2 आवासीय योजना, सिद्धार्थ इन्क्लेव विस्तार

आवासीय योजना, सिद्धार्थपुरम् विस्तार आवासीय योजना, शास्त्रीपुरम् विस्तार आवासीय योजना, बुद्ध विहार पार्ट ए,बी,सी आवासीय योजना, आम्रपाली आवासीय योजना, सिद्धार्थ इन्क्लेव आवासीय योजना, लेक व्यू आवासीय योजना, बुद्ध विहार व्यवसायिक योजना का हस्तान्तरण नगर निगम को नहीं हो सका है। नगर निगम एवं गोरखपुर विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीम द्वारा उक्त कालोनियों का निरीक्षण किया गया जिसमें कुछ कमियां पाये जाने के कारण इन्हें पूर्ण कराये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जानी है, पंच स्थानीय नगर निकाय चुनाव 2012 की आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। नगर निकाय चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त कमियों को ठीक कराकर स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत डेवलपर/बिल्डर्स या कालोनी निर्माताओं द्वारा निर्मित कालोनियों को नगर निगम को हस्तान्तरित करने की जानकारी

21-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत पंजीकृत लैण्ड डेवलपर/बिल्डर्स या कालोनी निर्माताओं द्वारा किन-किन कालोनियों का निर्माण किया गया है एवं इनमें से कौन-कौन सी कालोनियां किन कारणों से अभी तक नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं की जा सकी हैं ?

श्री अखिलेश यादव-

गोरखपुर विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत डेवलेपर/बिल्डर्स या कालोनी निर्माताओं द्वारा निम्नलिखित कालोनियों का तलपट मानचित्र गोरखपुर विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराया गया है :-

दिब्य नगर, दिब्य नगर विस्तार, हरिओम नगर, हरिओम नगर फेज-दो, दिब्य नगर गोल्ड, महादेवपुरम्, महादेवपुरम् द्वितीय, वीर बहादुरपुरम् फेज-1, वीर बहादुरपुरम् फेज-2, वीर बहादुरपुरम् फेज-3, मालवीय नगर, जूही इन्क्लेव, चाणक्यपुरी, सहारा स्टेट, अनूप खण्ड राप्तीनगर तृतीय, श्री राम सहकारी आवास समिति लच्छीपुर, साकेत नगर लच्छीपुर, पारसनाथ कैलाश नाथ नकहा नं0-1, वृन्दावन लक्ष्छीपुर, मिलेनियम सिटी, शिवम् सहकारी आवास समिति, पोखरभिन्डा, इन्द्रप्रस्थ पोखर भिन्डा, ग्रीन सिटी, पट्टन मंगलम् मल्हार, मंगलम् उपहार, राप्तीनगर, हरिद्वारपुरम्, बशारतपुर, बशारतपुर द्वितीय, शारदापुरी लक्ष्छीपुर, श्याम विहार लक्ष्छीपुर, भाटी विहार लक्ष्छीपुर, गोविन्द नगरी, गायत्री देवी लक्ष्छीपुर, महावीरपुरम् नकहा नं0-1, सैनिक सहकारी आवास समिति, सैनिक विहार महा0दे0झ0टु0 नं0-3, श्री बृजरमण दास व रेवतीरमण दास शाहपुर, श्यामकुंज शाहपुर, सन्त हुसेन नगर शिवपुर शाहबाजगंज प्राइवेट स्वीकृत कालोनी के हस्तान्तरण की जिम्मेदारी प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त प्राइवेट कालोनाइजर्स की है।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सन्त हुसैन नगर की कालोनी को मानकों के अनुसार सभी सुविधायें उपलब्ध कराने की मांग

22-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण की सीमान्तर्गत गोड़धईया नाले के पास स्थित सन्त हुसैन नगर वैधानिक रूप से स्वीकृत कालोनी है और प्राधिकरण के मानकों के अनुसार इस कालोनी में सभी सुविधायें उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

सन्त हुसैन नगर का तलपट मानचित्र संख्या-1256/94 गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत है। इस कालोनी में शत-प्रतिशत विकास कार्य पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु अभी तक आवेदन नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रबुद्धनगर के थाना भवन बिजली घर की भार क्षमता में वृद्धि करने की मांग

23-श्री सुरेश राणा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रबुद्धनगर के थाना भवन बिजली घर की क्षमता 20 एम0वी0ए0 की है जिस पर क्षमता से अधिक भार है ? यदि हां, तो क्या सरकार भार के अनुरूप इसकी क्षमता में वृद्धि करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

भैसानी इस्लामपुर पर 2x5 एम0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का प्राक्कलन एवं प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। वर्ष 2012-13 में थाना भवन बिजली घर की अतिभारिता को पुनः भैसानी इस्लामपुर बिजली घर पर स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

दादरी में लगने वाली गैस आधारित बिजली परियोजना की स्थिति की जानकारी

24-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दादरी में लगने वाली गैस आधारित बिजली परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ? क्या सरकार यह बतायेगी कि इस परियोजना द्वारा विद्युत उत्पादन कब तक शुरू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रश्नगत परियोजना के लिये अधिग्रहीत भूमि का प्रकरण सम्प्रति मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

प्रश्नगत परियोजना के भूमि अधिग्रहण का विषय मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष विवादित होने के कारण इस संदर्भ में कोई कथन किया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत कार्य व लागत

25-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष जे0 टीके महान्ते ने वर्ष 2011 में गोरखपुर जेल बाईपास पर खजान्ची बाजार चौराहे से फातिमा तक की सिंगिल रोड को डबल रोड करने तथा खजान्ची बाजार से पादरी बाजार पुलिस चौकी तक सड़क के दोनों ओर नाला बनाने का कोई आदेश पारित किया था ? यदि हां, तो सम्पूर्ण कार्य की लागत क्या है तथा क्या यह कार्य पूरा कराया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

तत्कालीन उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न कार्यों के अनुमानित आगणन की स्वीकृति प्रदान की गयी थी :-

1-फातिमा बाईपास से श्री के0के0 मल्ल के घर के सामने नाली व पिच सड़क का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत रु0 2,81,050.69,

2-पादरी बाजार पुलिस चौकी से फातिमा हास्पिटल बाई पास पर चोरपुरवा पुल तक एस0डब्लू0 ड्रेन का निर्माण कार्य पार्ट ए, अनुमानित लागत रु0 1,99,46,503.00,

3-पादरी बाजार पुलिस चौकी से फातिमा बाई पास पर चोरपुरवा पुल तक दक्षिण तरफ एस0डब्लू0 ड्रेन का निर्माण कार्य पार्ट बी, अनुमानित लागत रु0 1,86,94,177.00,

सम्पूर्ण अनुमानित लागत रु0 3,89,21,730.69 है। धनाभाव के कारण यह कार्य नहीं कराया जा सका।

उक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर स्थित देवरिया बाईपास पर जी0डी0ए0 कार्यालय से लेकर सहारा स्टेट तक की क्षतिग्रस्त बाईपास रोड के मरम्मत की मांग

26-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर स्थित देवरिया बाईपास पर जी0डी0ए0 कार्यालय से लेकर सहारा स्टेट तक बाईपास रोड वर्तमान में क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो इसको कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। मार्ग कहीं-कहीं अधिक क्षतिग्रस्त हो गया है।

इस मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

नेशनल हाई-वे-28 के कालेसर गांव से नौषड तथा रुस्तमपुर से पैडलेगंज चौराहे तक मार्ग के सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण की मांग

27-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल हाई-वे-28 के कालेसर गांव से नौषड तथा रुस्तमपुर होते हुए पैडलेगंज चौराहे तक सुदृढ़ीकरण तथा चौड़ीकरण के लिये सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एन0एच0-28 के गोरखपुर शहरी भाग हेतु बाईपास निर्मित कर यातायात शुरू हो जाने के कारण प्रश्नगत मार्ग पर यातायात का दबाव कम हो गया है। अतः प्रश्नगत मार्ग के सुदृढ़ीकरण तथा चौड़ीकरण की आवश्यकता नहीं है।

प्रदेश में कैंसर, गुर्दा, थैलेसीमिया व अन्य गम्भीर रोगों के गरीब मरीजों के इलाज हेतु आर्थिक सहायता

28-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हार्ट, किडनी, कैंसर लीवर आदि बीमारियों से ग्रसित गरीब मरीज जिसका नाम बी0पी0एल0 सूची में नहीं है, के इलाज की नीति क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2007, 2008, 2009 में उक्त गम्भीर बीमारियों में कितने रोगी सरकारी अस्पतालों में आये ? क्या सरकार ऐसे गरीब रोगियों का इलाज सरकारी खर्चे पर कराने हेतु विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

बी0पी0एल0 सूची में नाम न होने की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र के आधार पर राज्य आरोग्य निधि के अन्तर्गत स्थापित मुख्य मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष के माध्यम से हृदय रोग, कैंसर, गुर्दा, अस्थि रोग एवं थैलेसीमिया व अन्य गम्भीर रोगों के इलाज हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित रोगी के परिवार की आय समस्त स्रोतों से रु0 24,000/-से अधिक न हो अथवा तत्समय बी0पी0एल0 के लिये विनिश्चित धनराशि के समतुल्य हो।

सूचना संकलित की जा रही है।

खण्ड ''क'' के अनुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती करने की जानकारी

29-श्री पूरन प्रकाश-

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों में कुल कितने-कितने पद सृजित हैं तथा इन पदों के सापेक्ष कितने पद भरे हुए हैं तथा कितने रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री राजाराम पाण्डेय)-

उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में पदों के सम्बन्ध में सूचना निम्न प्रकार है :-

स्वीकृत पद		भरे हुए पद	रिक्त पद
समूह-क	28	24	4
समूह-ख	110	49	61
समूह-ग	1073	566	507
समूह-घ	435	172	263

वर्तमान में भर्तियों पर प्रतिबन्ध है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़ के उपकेन्द्र में 33/11 के0वी0ए0 के निर्माण की जानकारी

30-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में प्रस्तावित 33 के0वी0ए0 का बिजली घर बरका, कलुआ और इब्राहिमाबाद में बनवाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

(1) **<u>33/11 के0वी0 बिजली घर बरका :-</u>**

ग्राम बरका (विकास खण्ड चण्डौस) को विद्युत आपूर्ति 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र खैर (15 एम0वी0ए0) से निर्मित 11 के0वी0 चण्डौस पोषक से हो रही है तथा चण्डौस पोषक पर 200 एम0वी0ए0 भार है। ग्राम बरका 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र खैर से मात्र 4-5 कि0मी0 की दूरी पर है जो अतिभारित नहीं है। अतः तकनीकी रूप से ग्राम बरका में नये 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र की आवश्यकता न होने के कारण इस उपकेन्द्र के निर्माण का प्रस्ताव किसी योजना में नहीं किया गया है।

(2) **<u>33/11 के0वी0 बिजली घर कलुआ :-</u>**

ग्राम कलुआ (विकास खण्ड लोधा) को विद्युत आपूर्ति 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र गभाना (10 एम0वी0ए0) से निर्मित 11 के0वी0 कलुआ पोषक से हो रही है जिस पर 160 एम0वी0ए0 भार है। ग्राम कलुआ 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र गभाना से मात्र 7-8 कि0मी0 की दूरी पर ही है। अतः कलुआ उपकेन्द्र बनाने की तकनीकी रूप से कोई आवश्यकता नहीं है।

(3) **<u>33/11 के0वी0 बिजली घर इब्राहिमाबाद :-</u>**

ग्राम इब्राहिमाबाद (विकास खण्ड धनीपुर) 33/11 के0वी0 हरदुआगंज (8 एम0वी0ए0) से निर्मित 11 के0वी0 क्वार्सी पोषक से पोषित है। इस पोषक का भार 130 एम0वी0ए0 है। ग्राम इब्राहिमाबाद 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र हरदुआगंज से मात्र 5-6 कि0मी0 की दूरी पर है। 33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र हरदुआगंज अतिभारित भी नहीं है जिससे 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र इब्राहिमाबाद के निर्माण की तकनीकी रूप से आवश्यकता न होने के कारण इस उपकेन्द्र के निर्माण का प्रस्ताव किसी योजना में नहीं किया गया है।

प्रदेश में निजी नलकूपों के बिलों को सरकार द्वारा माफ करने की जानकारी

31-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निजी नलकूपों के बिलों को सरकार माफ करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा विद्युत का क्रय प्रदेशीय/केन्दीय सेक्टर/प्राइवेट विद्युत उत्पादनकर्ताओं से किया जाता है एवं इसका विक्रय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर विद्युत आपूर्ति संहिता 2003 के प्राविधानों के अनुसार किया जाता है।

जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत न्यू आजाद नगर मंगला विहार आदि कालोनियों में विद्युत पोल लगवाने की मांग

32-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के अन्तर्गत न्यू आजाद नगर, मंगला विहार, भवानी नगर, रामपुरम्, दहेली सूजानपुर में विद्युत पोल नहीं हैं ? क्या यह सही कि बल्लियों और बांस के सहारे विद्युत आपूर्ति होती है जिससे घनी आबादी होने के कारण हमेशा दुर्घटना होने की सम्भावना रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में मानक के अनुरूप विद्युत पोल लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अलिखेश यादव-

सोसाइटी द्वारा कालोनी विकसित किये जाने एवं उनके द्वारा कोई धन उपलब्ध न कराये जाने के कारण इन कालोनियों में विद्युत पोल नहीं लगाये गये हैं।

जी हां।

ऐसी सोसाइटी द्वारा विकसित कालोनियों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है तथा इसका प्राक्कलन बनाकर उन्हें उपलब्ध करा दिया जायेगा। उनके द्वारा विकास शुल्क या अन्य किसी निधि से धन उपलब्ध कराये जाने पर विद्युत पोल एवं तार लगाये जाने की व्यवस्था की जा सकेगी।

निधि उपलब्ध होने पर ही कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण की महायोजना शासन द्वारा स्वीकृति तथा लागू होने की जानकारी

33-श्री पूरन प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के अन्तर्गत मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2001 में मथुरा/वृन्दावन के विकास का मास्टर प्लान आगामी 20 वर्षों के लिए तैयार करके वर्ष 2003 में लागू कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि कुछ वर्ष बाद ही इस मास्टर प्लान में बड़े पैमाने पर बिना निर्धारित शुल्क प्राप्त किये भू-उपयोग का नया संशोधन

बनाकर शासन को प्रेषित कर प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपये की राजस्व हानि पहुंचायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर इसमें लिप्त अधिकारियों/भू-माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण की महायोजना शासन द्वारा दिनांक 12-7-2002 को स्वीकृत की गयी, इस प्रकार यह महायोजना वर्ष 2002 से लागू है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर में मुख्य मार्ग एन0एच0 58 पर लगने वाले जाम से जनता को निजात दिलाने की मांग

34-श्री सुदेश शर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गाजियाबाद के मोदीनगर में मुख्य मार्ग एन0एच0 58 पर लगने वाले जाम के कारण जनता का अमूल्य समय एवं लाखों करोड़ों का डीजल, पेट्रोल व्यर्थ जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त जाम से निजात दिलाने के लिए सरकार बाईपास रोड अथवा एलिवेटेड पुल बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत स्थल पर यकाकदा जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

प्रश्नगत स्थल पर यातायात को दृष्टिगत रखते हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मार्ग को चार लेन से छः लेन किये जाने का कार्य किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में चौगामा क्षेत्र में हिन्डन कृष्णी नहर, राजकीय नलकूप एवं निजी नलकूपों द्वारा सिंचाई

35-श्री वीरपाल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत में चौगाम नहर (कृष्णी दोआब) क्षेत्र की सिंचाई का एक मात्र साधन है ? क्या यह सही है कि ये नहर भी सिंचाई विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के कारण पिछले कई वर्षों से बन्द होने के कारण ग्रामीण अंचलों में किसानों एवं पशुओं को पानी न मिलने के कारण भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस नहर को नियमित रूप से संचालित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं। जनपद बागपत के चौगामा क्षेत्र में हिन्डन कृष्णी नहर के साथ राजकीय नलकूप एवं निजी नलकूप भी सिंचाई के साधन हैं।

प्रश्नगत उठाये गये बिन्दु के कारण जनपद बागपत में किसानों एवं पशुओं के भुखमरी की स्थिति की कोई भी सूचना नहीं है।

यह नहर खरीफ फसल में सिंचाई करने हेतु बनाई गई है, जो खरीफ फसल में जल उपलब्धता एवं रोस्टर के अनुसार संचालित की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

लागू नहीं।

जनपद बागपत में ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को बिना सूचना/बिल वितरण किये बिना विद्युत चोरी की एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर उत्पीड़न की कार्यवाही की जानकारी

36-श्री वीरपाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत में ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को बिना सूचना/बिल वितरण किये, विद्युत चोरी की एफ0आई0आर दर्ज कराकर विद्युत कनेक्शन विच्छेदन एवं उत्पीड़न की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर इसके लिये दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद बागपत में ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं की परिसरों पर विद्युत चोरी पाये जाने पर ही एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर विद्युत कनेक्शन विच्छेदन की कार्यवाही की जाती है। विद्युत चोरी प्रकरण में उपभोक्ता को सूचना देकर एफ0आई0आर0 दर्ज कराने का कोई प्रावधान नहीं है। जनपद में बिल वितरण भी नियमानुसार किया जाता है। उत्पीड़न का कोई विशिष्ट प्रकरण संज्ञान में लाये जाने पर यथा अपेक्षित कार्यवाही की जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत की चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान करने की मांग

37-श्री वीरपाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत में कितनी गन्ना मिल कार्यरत एवं कितनी बन्द पड़ी हैं ? क्या यह सही है कि वर्ष 2011-2012 में सरकारी एवं प्राइवेट चीनी मिलों द्वारा किसानों का भुगतान समय से न करने के कारण किसान कर्ज से डूब गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार चीनी मिलों से किसानों का बकाया भुगतान सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद बागपत में सहकारी क्षेत्र की बागपत व रमाला तथा निजी क्षेत्र की एस0बी0ई0सी0 मलकपुर चीनी मिल स्थापित व संचालित है। कोई चीनी मिल बन्द नहीं है।

ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं है।

पेराई सत्र, 2011-12 के अवशेष गन्ना मूल्य के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-9360/2012 में पारित निर्णय दिनांक 20-4-2012 द्वारा अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान तीन किश्तों में यथा, प्रथम किश्त 07 मई, 2012, द्वितीय किश्त 07 जून, 2012 तथा तृतीय किश्त 07 जुलाई, 2012 तक करने के आदेश दिये गये हैं। तद्क्रम में अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

गोरखपुर महानगर में गोड़धईया नाले की पुलिया एवं पी0ए0सी0 कैम्प पुलिया के चौड़ीकरण की जानकारी

38-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोरखपुर महानगर में गोड़धईया नाले पर पादरी बाजार पुलिया एवं पी0ए0सी0 कैम्प पुलिया के चौड़ीकरण का कार्य स्वीकृत है ? यदि हां, तो सम्पूर्ण निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

निर्माण स्थल से अतिक्रमण हटने तथा पूर्वोत्तर रेलवे से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त कार्य पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों पर गन्ना किसानों के गन्ना क्रय मूल्य के भुगतान के बकाये का विवरण

30-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के चीनी मिलों (सहकारी/सरकारी) पर गन्ना किसानों के गन्ना क्रय मूल्य का भुगतान बकाया है ? यदि हां, तो अलग-अलग क्षेत्रों में कितना गन्ना मूल्य बकाया है ? क्या सरकार बतायेगी कि इस मद में शाहजहांपुर की पुवायां तथा तिलहर चीनी मिल पर कितना रुपया बकाया है ? क्या सरकार किसानों को गन्ने की कीमत के भुगतान में विलम्ब होने के कारण नियमानुसार ब्याज दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

दिनांक 23-5-2012 की स्थिति के अनुसार प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों पर गन्ना किसानों के गन्ना क्रय मूल्य का रु0 550.51 करोड़ का भुगतान बकाया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

मध्य क्षेत्र	रु0 304.49 करोड़
पूर्वी क्षेत्र	रु0 82.09 करोड़
पश्चिमी क्षेत्र	रु0 163.93 करोड़
	रु0 550.51 करोड़

गन्ना मूल्य भुगतान के मद में शाहजहांपुर की पुवायां चीनी मिल पर कोई बकाया नहीं है। तिलहर चीनी मिल पर रु0 30.08 करोड़ बकाया है।

प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के जन सेवा गारन्टी विनियम 2011 के अन्तर्गत जवाबदेही/मुआवजा दिये जाने की जानकारी

40-श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यू0पी0 विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत आपूर्ति फेल होने पर विद्युत वितरण निगमों को जवाब देह बनाते हुए उपभोक्ताओं को मुआवजा दिये जाने हेतु कोई आदेश निर्गत किया है ? यदि हां, तो उक्त आदेशानुसार अब तक कितने उपभोक्ताओं को उक्त नियमों के तहत मुआवजे का भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कोड-2005 के चैप्टर 7 (कार्य निष्पादन, शिकायत प्रतितोष तंत्र और प्रतिकर) एवं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के जन सेवा गारन्टी विनियम 2011 के अन्तर्गत जवाबदेही/मुआवजा दिये जाने का प्राविधान है।

समय-सीमा के अन्तर्गत विद्युत दोष दूर होते रहने के कारण एवं उपभोक्ताओं द्वारा उक्त नियम के तहत कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं होने से उक्त नियम के अन्तर्गत किसी भी तरह के मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के पं0 दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय में हिमोडायलिसिस मशीन की स्थापना की जानकारी

41-श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पं0 दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय, वाराणसी में गुर्दा रोगियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने हेतु विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2011 में प्रश्नकर्ता के नियम-51 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण की सूचना पर 2 यूनिट हिमोडायलिसिस मशीन की स्थापना हेतु स्वीकृति के सम्बन्ध में महा निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 29फ/10(41)11/168 दिनांक 10-08-2011 द्वारा प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा चुका है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 06-09-2011 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मशीनों की स्थापना कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

जी हां।

हिमोडायलिसिस मशीन की स्थापना हेतु नेफ्रोलॉजिस्ट विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। अतः मानव संसाधन की कमी के कारण मशीन को स्थापित किया जाना सम्भव नहीं हो पाया है। विशेषज्ञ की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि को रोकने की नीति

42-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि तेजी से हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कोई नीति बनायी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या दशक वृद्धि दर 20.09 प्रतिशत हो गयी है जबकि वर्ष 2001 में 25.85 प्रतिशत थी।

जी हां।

प्रदेश में बढ़ती हुई आबादी को एक समय-सीमा के अन्तर्गत नियंत्रित करने तथा प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की तर्ज पर प्रदेश की अपनी जनसंख्या नीति वर्ष 2000 में प्रख्यापित की गयी है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2016 तक कुल प्रजनन दर को 2.1 के स्तर तक लाना है। जनसंख्या नीति के अन्तर्गत समस्त सम्बन्धित विभागों यथा शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग आदि को मिलकर कार्य करना हैं वर्ष 2005 से संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत भी कुल प्रजनन दर को 2012 तक 2.8 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। जनसंख्या पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नवत् गतिविधियां संचालित की जा रही हैं :-

<u>अन्तराल विधियां-</u>

- सेवा केन्द्रों पर खाने वाली गर्भनिरोधक गोलियों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।
- सेवा केन्द्रों पर निरोध का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।
- सेवा केन्द्रों पर निःशुल्क आई0यू0डी0 380ए का निवेशन किया जा रहा है जो 10 वर्ष तक प्रभावी होती है।
- हाल ही में प्रदेश के 45 चयनित जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों के द्वार तक गर्भनिरोधक सामग्री का वितरण ''आशा'' कार्यकत्रियों द्वारा किये जाने की योजना प्रारम्भ की गयी है।

<u>स्थायी विधियां-</u>

- जिला महिला/पुरुष चिकित्सालय, संयुक्त चिकित्सालय व मेडिकल कालेजों में नियमित रूप से तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियत दिवस पर निःशुल्क महिला एवं पुरुष नसबन्दी की सेवायें प्रदान की जाती हैं।

अन्य गतिविधियां-

- प्रत्येक पुरुष नसबन्दी स्वीकारकर्ता को रु0 1100/-की धनराशि तथा प्रत्येक महिला नसबन्दी स्वीकारकर्ता को रु0 600/-की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है।
- परिवार कल्याण कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की सहभागिता हेतु जनपदों को अलग से धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है।
- नसबन्दी कार्यक्रम में पुरुषों की सहभागिता बढ़ाये जाने हेतु जनपदों में एन0एस0वी0 शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
- सुदूर क्षेत्रों में नसबन्दी शिविरों का आयोजन किया जाता है।
- प्रसव उपरान्त महिलाओं का नसबन्दी करवाने अथवा अन्य परिवार नियोजन विधियों के सम्बन्ध में सलाह प्रदान करने हेतु प्रदेश में प्रथम सन्दर्भन इकाइयों पर संविदा पर फैमिली वेलफेयर काउन्सलर की तैनाती की गयी है।
- नसबन्दी (महिला एवं पुरुष) स्वीकारकर्ताओं हेतु नसबन्दी उपरान्त मृत्यु, असफल नसबन्दी व नसबन्दी उपरान्त जटिलताओं हेतु आई0सी0आई0सी0आई0 बीमा कम्पनी के माध्यम से क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की जानकारी

43-श्री पूरन प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मथुरा के गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रश्नकर्ता के पत्र के सन्दर्भ में मुख्य मंत्री के लोक शिकायत अनुभाग के संख्या-712691/07 दिनांक 13.11.07 के द्वारा चयनित ग्रामों में विद्युतीकरण कराने की वित्तीय अनुमति एवं प्रशासनिक अनुमति प्रदान कर कार्य कराने की अपेक्षा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या कार्य पूर्ण हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रश्न में उल्लिखित पत्र में गोवर्धन एवं फरह क्षेत्र के चयनित 10-10 ग्रामों/मजरों के विद्युतीकरण का कार्य राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में सम्मिलित कर लिया गया है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद में ग्राम पतला-सुहाना-भनैडा-नगला आक्खू उजैडा नाले की सफाई, खुदाई आदि की मांग

44-श्री सुदेश शर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गाजियाबाद में ग्राम पतला-सुहाना-भनैडा-नगला आक्खू, उजैडा तक जाने वाले नाले की सफाई, खुदाई व लेवलिंग कराने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कोई ठोस कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

शासनादेश सं0-960/12-27-सिं0-4-46 (डब्ल्यू)/12, दिनांक 8 मई, 2012 द्वारा प्रदेश में नहरों/ड्रेनों की सिल्ट सफाई की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था करते हुए सिल्ट सफाई की कार्य योजना में प्राथमिकता का निर्धारण, कार्य योजना का अनुमोदन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण आदि के लिये जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया गया है।

शासनादेश संख्या-1054/27-सिं0-9-01 एक्यू/12, दिनांक 28-5-12 द्वारा जिलाधिकारी एवं प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई को उक्त नालों की सफाई हेतु आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार करने हेतु आदेशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में कांशीराम योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को मकान उपलब्ध कराने की मांग

45-श्री पूरन प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मथुरा में मान्यवर कांशीराम योजना के तहत कितने व्यक्तियों को मकान आवंटित हुए हैं तथा इसमें कितने पात्र व्यक्ति वंचित रह गये हैं ? क्या सरकार पात्र वंचित व्यक्तियों को मकान उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद मथुरा में ''मान्यवर, श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना'' के प्रथम चरण में निर्मित 1500 भवन पात्र व्यक्तियों को आवंटित किये जा चुके हैं। योजना के द्वितीय चरण में 1040 भवनों का निर्माण हो चुका है, जिन्हें पात्र व्यक्तियों को आवंटित किया जाना है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के ग्रामीण अंचलों में विद्युत करन्ट से मृतक ग्रामीणों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग

46-श्री पूरन प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मथुरा में वर्ष 2008 से दिनांक 15.04.2012 तक ग्रामीण अंचल में विद्युत करेन्ट (विद्युत के पोल एवं विद्युत के तार टूटने पर आये करेन्ट) से कितनी दुर्घटनायें हुई हैं और इसमें कितने लोगों को जान गवानी पड़ी है ? क्या सरकार द्वारा उन सभी के परिवारी जनों को शासन की नीति के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है ? यदि नहीं, तो उन सभी को सरकार आर्थिक सहायता कब तक प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद मथुरा में वर्ष 2008 से दिनांक 15-4-2012 तक ग्रामीण अंचल में विद्युत करन्ट से कुल 47 दुर्घटनायें हुईं और कुल 47 व्यक्तियों को जान गंवानी पड़ी है।

जनपद मथुरा में शासन की नीति के अनुसार कुल 18 व्यक्तियों के परिवारीजनों को आर्थिक सहायता प्रदान कर दी गयी है।

अवशेष पीड़ित परिवारों को अनुग्रह धनराशि स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में कीठम स्केप के कि0मी0 1.80 पर पुल निर्माण की मांग

47-श्री पूरन प्रकाश-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आगरा में कीठम स्केप के किमी0 1.80 पर पुल निर्माण की परियोजना जिसकी लागत मात्र रुपया 35 लाख के लगभग है, का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे क्रियान्वित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में कोई कार्य योजना प्रस्तावित नहीं है।

जनपद शाहजहांपुर में बी0पी0एल0 कार्ड धारक परिवार व शेष बचे परिवारों को बी0पी0एल0 कार्ड जारी करने की मांग

48-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने परिवारों को बी0पी0एल0 राशन कार्ड जारी किये गये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद शाहजहांपुर में कितने बी0पी0एल0 परिवार हैं तथा उनमें से कितनों को बी0पी0एल0 राशन कार्ड दे दिये गये हैं ? क्या सरकार शेष बी0पी0एल0 परिवारों को भी बी0पी0एल0 राशन कार्ड जारी करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद, कारागार मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह, राजा भइया)-

भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु प्रदेश के लिये बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या-106.79 लाख निर्धारित की गयी है तद्नुसार प्रदेश में 106.79 लाख बी0पी0एल0 राशन कार्ड जारी किये गये हैं।

वर्ष 2002 के ग्राम्य विकास विभाग के सर्वे के अनुसार जनपद शाहजहांपुर में 2,34,193 बी0पी0एल0 परिवार हैं, जिनके सापेक्ष 99,301 बी0पी0एल0 कार्ड जारी हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए लाभार्थी परिवारों की संख्या निर्धारित है।

जनपद लखनऊ के मायानगर मुहल्ले से बन्दरों को भगाने व पकड़ने की मांग

49-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर के मायानगर मुहल्ले के मायानगर महल वाली रोड के समीप रहने वाले निवासियों के साथ बन्दरों के बढ़ते हुये आतंक के कारण आये दिन विद्युत व्यवस्था बिगड़ जाना, बच्चों का दुर्घटना का शिकार होना आदि घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बन्दरों को पकड़वाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

लखनऊ नगर के मायानगर मुहल्ले से पूर्व में समय-समय पर बन्दरों के उत्पात सम्बन्धी समस्याओं की सूचना प्राप्त हुई तथा बन्दरों को भगाने/पकड़ने की कार्यवाही की गयी।

बंदरों को पकड़ने/भगाने की व्यवस्था समय-समय पर आवश्यकतानुसार की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर स्थित गोड़धईया नाले पर पुल निर्माण की जानकारी

50-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर स्थित गोड़धईया नाले पर शिव सिंह मार्ग पर पुल की निर्माण योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो उसकी प्रगति का विवरण क्या है तथा इसका निर्माण कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

निर्माण स्थल से अतिक्रमण हटने तथा पूर्वोत्तर रेलवे से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त कार्य पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर महानगर में गोड़धइया नाले पर मैत्रीपुरम् कालोनी से विछियागांव के बीच नये पुल के निर्माण की मांग

51-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में गोड़धइया नाले पर मैत्रीपुरम् कालोनी से विछियागांव के बीच स्वीकृत नये पुल के निर्माण कार्य की प्रगति का विवरण क्या है ? पुल का निर्माण कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

सेतु का डिजाइन/ड्राइंग प्राप्त होने तथा मौके पर अतिक्रमण हटाये जाने के उपरान्त कार्य पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

गोरखपुर महानगर में निर्माणाधीन तरंग ओवरब्रिज के रुके निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की मांग

52-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में निर्माणाधीन तरंग ओवरब्रिज का निर्माण कार्य किन कारणों से रुका हुआ है ? क्या सरकार अवरोधों को दूर करके निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

कार्य-स्थल पर भूमि विवाद एवं अतिक्रमण के फलस्वरूप कार्य रुका है।

निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना भूमि की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कुल हाटमिक्स प्लान्ट व बन्द प्लान्टों तथा कार्यों की आउट सोर्सिंग के कारण नुकसान की जानकारी

53-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने हाटमिक्स प्लान्ट हैं तथा इनकी कुल प्रतिदिन उत्पादन क्षमता क्या है ? इनमें से कितने हाटमिक्स प्लान्ट बन्द पड़ें हैं या कम क्षमता के साथ काम कर रहे हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कार्यों की आउट-सोर्सिंग के कारण विभाग का कितना नुकसान हो रहा है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रदेश के कुल 22 हाटमिक्स प्लान्ट हैं जिनमें से 10 पुराने प्लान्टों की क्षमता 180 टन व 12 नये प्लान्टों क्षमता 300 टन प्रतिदिन है।

पिछले वित्तीय वर्ष 2011-12 में मात्र एक प्लान्ट जिसकी आयु 36 वर्ष से अधिक है, बन्द रहा है। कुल प्लान्टों से एक वर्ष में 7,20,000 टन हाटमिक्स कार्य करने की क्षमता है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में उक्त क्षमता के सापेक्ष 3,86,905 टन (54%) उत्पादन हुआ है।

किसी भी नुकसान की स्थिति नहीं है।

जनपद गोरखपुर महानगर के मोहल्लों/कालोनियों में विद्युत तार को बांस, बल्ली से हटाकर विद्युत पोल लगवाने की मांग

54-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर के किन-किन मोहल्लों/कालोनियों में पूर्ण या आंशिक रूप से विद्युत तार लकड़ी के डण्डों या बांसों पर दौड़ाये गये हैं ? क्या सरकार इन बांसों को हटाकर तथा झुक चुके विद्युत पोल हटाकर नये पोल लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

महानगर से सटे तथा मुख्य मार्गों से लगी हुई नयी प्राइवेट कालोनियां जैसे कि पादरी बाजार, घोसीपुरवा, वृन्दावन कालोनी (गोरखनाथ) आदि विकसित हो गयी हैं जहां निवासियों द्वारा बांस आदि लगाकर संयोजन लिया गया है।

प्रश्नगत कार्य जमा योजना, कालोनी के विकास कार्य अथवा अन्य किसी मद से निधि प्राप्त होने की स्थिति में कराया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण की सीमान्तर्गत क्षेत्र में लैण्ड डेवलपर्स द्वारा अवैध रूप से प्लाटिंग करके बेचे जाने की जानकारी

55-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण की सीमान्तर्गत बहुत से लैण्ड डेवलेपर्स बिना ले आउट पास कराये एवं अवस्थापना सुविधा विकसित किये बिना प्लाटिंग करके अनियोजित रूप से जमीन बेच रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

गोरखपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचनानुसार प्राधिकरण क्षेत्र में लैण्ड डेवलपर्स द्वारा अवैध रूप से प्लाटिंग करके भू-खण्ड बेचे जाने के सम्बन्ध में कोई तथ्य प्राधिकरण के संज्ञान में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा महानगर में मेट्रो रेल चलाये जाने की मांग

56-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के महानगरों में मैट्रो रेल चलाये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या उसमें आगरा महानगर भी सम्मिलित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

आगरा में मेट्रो रेल परियोजना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश की प्रमुख नदियों की सफाई योजना की जानकारी

57-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की प्रमुख नदियों की सफाई के लिए कोई कार्य योजना बनायी जा रही है ? यदि हां, तो क्या उसमें यमुना नदी भी सम्मिलित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में जन्तु उद्यान के निर्माण कार्यों का विवरण तथा शेष कार्य को पूर्ण करने की जानकारी

58-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में जन्तु उद्यान के निर्माण की स्वीकृत योजना के अब तक पूर्ण हो चुके कार्यों का विवरण क्या है ? शेष कार्य कब तक पूर्ण करा लिये जायेंगे ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्ष 2009-10, वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 में जो मुख्य कार्य पूर्ण किये गये हैं, वे निम्नवत् है :-

1-सर्वे, सीमांकन, अवस्थापना सम्बन्धित विविध कार्य/कार्यालय स्थापना सम्बन्धी विभिन्न कार्य।

2-19575 घन मीटर मिट्टी भरान।

3-पहुंच मार्ग पर मिट्टी भरान का कार्य।

4-परिसर में मिट्टी भरान कार्य।

5-रिटेनिंग वाल/चहारदीवारी के 900 नं0 पाइल का कार्य पूर्ण तथा 720 मीटर रिटेनिंग वाल 2 मीटर ऊंचाई तक पूर्ण।

6-निदेशक कार्यालय/अतिथि गृह के जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण।

7-पहुंच मार्ग के आर0सी0सी0 पुलिया का कार्य पूर्ण एवं मिट्टी का भराई का कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण।

8-14.00 एकड़ अतिरिक्त भूमि के मूल्य का भुगतान।

स्वीकृत योजना के अनुसार वर्ष 2013-14 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है जो बजट की उपलब्धता पर निर्भर है।

गोरखपुर महानगर सीमान्तर्गत वृक्षारोपण के उपरान्त वृक्षों की सही देख-रेख न करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

59-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर सीमान्तर्गत वर्ष 2007-08 से लेकर 2011-12 तक में किन-किन स्थानों पर, कितने क्षेत्रफल में कितनी लागत से कितने वृक्ष लगाये गये वर्तमान में उन वृक्षों में से कितने वृक्ष जीवित हैं और कितने नष्ट हो चुके हैं ? क्या सरकार वृक्षारोपण के उपरान्त इन वृक्षों की सही देख-रेख न करने के लिए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

गोरखपुर महानगर सीमान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 से लेकर 2011-12 तक 7634 पौध विभिन्न स्थलों पर रोपित किये गये हैं तथा रु0 87.77 लाख व्यय किया गया है। स्थलवार रोपित पौधों, जीवित पौधों, कुल व्यय धनराशि का विवरण संलग्न है।†

वर्तमान में इनमें से 6573 पौध जीवित हैं तथा 1061 पौध नष्ट हो चुके हैं।

प्रमुख वन संरक्षक, उ0 प्र0 लखनऊ को नष्ट हो चुके पौधों की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में लोक निर्माण विभाग द्वारा गोवर्धन फरह ब्लाक के ग्रामों में सम्पर्क मार्गों के निर्माण की जानकारी

60-श्री पूरन प्रकाश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के गोवर्धन फरह ब्लाक के ग्रामों में ऐसे कितने सम्पर्क मार्ग हैं जिनका पिछले तीन वर्षों में लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत निर्माण किया गया है और मानक के अनुरूप निर्माण कार्य न होने के कारण सम्पर्क मार्ग टूट गये हैं जिससे आवागमन में वहां के निवासियों को भारी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके जिम्मेदार अधिकारी एवं ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही करेगी तथा सम्पर्क मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद मथुरा में विगत तीन वर्षों में विभिन्न योजनाओं के तहत विकास खण्ड गोवर्धन में 10 व विकास खण्ड फरह में 6 कुल 16 सम्पर्क मार्गों का निर्माण किया गया एवं विकास खण्ड गोवर्धन में 6 व विकास खण्ड फरह में 3 कुल 9 सम्पर्क मार्ग निर्माणाधीन हैं। सभी मार्गों का निर्माण कार्य मानकों के अनुसार कराया गया है व मार्गों की दशा सन्तोषजनक है तथा आवागमन सुचारु रूप से हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा कन्सौल आपरेटर का पद सृजित कराकर विनियमितीकरण

61-श्री पूरन प्रकाश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में कन्सौल आपरेटर के कितने पद कब से रिक्त पड़े हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्या राजकीय निर्माण निगम के प्रबन्ध निदेशक के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-46/विनियमितीकरण दिनांक 22 जनवरी, 2011 के द्वारा विनियमित कर्मी दिनांक 29 जून, 1981 को किस पद पर तथा किस वेतनमान में कार्यरत थे ? क्या शासनादेश संख्या वे0आ0-2-2063/दस-(54)/एम/2008 टी0सी0,

† (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 177-178 पर।)

दिनांक 08-09-10 के अन्तर्गत क्या किसी संवर्ग में पर्याप्त संख्या में नियमित रिक्त पदों की उपलब्धता के बावजूद, अधिसंख्य पदों को स्वीकृत कराकर उच्च पद तथा उच्च वेतनमान देकर विनियमित किया गया है ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 में कंसोल आपरेटर के 09 पद दिनांक 2-7-1994 से तथा 20 पद दिनांक 14-7-2010 से अर्थात् कुल 29 पद रिक्त हैं।

प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम के कार्यालय आदेश संख्या-46/प्रब0का0 (द्वितीय)/विनियमितीकरण/रानिनि/2011, दिनांक 22-1-2011 द्वारा विनियमित 01 कर्मचारी दिनांक 29 जून, 1991 को प्रथमतः संदेशवाहक पद पर तत्समय अनुमन्य दैनिक वेतन पर कार्यरत था।

जी हां।

उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम के निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 23-8-2010 में कंसोल आपरेटर के पद को टंकक के पद से 100 प्रतिशत प्रोन्नति से भरे जाने का निर्णय लिया गया, जिसके क्रम में निगम के कार्यालय आदेश दिनांक 21-9-2010 द्वारा उक्त पद को प्रोन्नति का पद घोषित किया गया।

वित्त (वेतन आयोग) अनु0-2 के शासनादेश दिनांक 8-9-2010 द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में दिनांक 29-6-1991 तक नियुक्त/कार्यरत वर्कचार्ज/ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को यथा अपेक्षित अधिसंख्य पद सृजित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से विनियमित करने के आदेशों के अनुपालन में कंसोल आपरेटर का 01 पद (29 पद रिक्त होते हुए भी) विनियमितीकरण हेतु इसलिए सृजित कराया गया क्योंकि उक्त सभी पद प्रोन्नति के पद घोषित हो चुके थे।

उपरोक्तानुसार।

विधान सभा व विधान परिषद् के मा0 सदस्यों को प्राधिकरण सलाहकार परिषद् में सदस्य होने की जानकारी

62-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहरी विकास प्राधिकरण बोर्ड में प्राधिकरण सीमा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रीय विधायकों को सरकार नामित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-6 (2) (छ) व (ज) में प्राविधान है कि राज्य विधान सभा के ऐसे सब सदस्य, जिनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास क्षेत्र का कोई भाग हो तथा राज्य विधान परिषद् के ऐसे सब सदस्य, जिनका निवास स्थान विकास क्षेत्र में हो, प्राधिकरण सलाहकार परिषद् के सदस्य होंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर के ग्राम खेड़िया के पास भाखड़ा नदी पर पुल निर्माण की मांग

63-श्री संजय कपूर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर के ग्राम खेड़िया के पास भाखड़ा नदी पर पुल न होने से बरसात में लगभग पचास ग्रामों का जिला मुख्यालय से सम्पर्क टूट जाता है ? क्या यह भी सही है कि इसका आगणन भी काफी समय से शासन में लम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आगणन को स्वीकृत कर इस पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2010-11 में सम्यक् विचारोपरान्त उक्त पुल स्वीकृत नहीं हुआ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

64-श्री संजय कपूर-

[1ले सोमवार के अता0 प्रश्न सं0-84 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बहराइच में कैसरगंज से वाया हजूरपुर आदि की क्षतिग्रस्त सड़क के मरम्मत की मांग

65-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में कैसरगंज से वाया हजूरपुर, पयागपुर होते हुए मोहिनीपुर मोड़ (इकौना) तक की क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण/मरम्मत के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-04-12 मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर भूपगंज बाजार से रेलवे स्टेशन से मुख्यालय तक की क्षतिग्रस्त सड़क के मरम्मत की मांग

66-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड-पयागपुर भूपगंज बाजार में बारीपुरवा चौराहे से रेलवे स्टेशन होते हुए ब्लाक मुख्यालय तक की सड़क अत्यन्त जर्जर है, जिससे लोगों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत/निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां, संदर्भगत मार्ग कहीं-कहीं क्षतिग्रस्त है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जापानी इन्सेफलाइटिस बीमारी को रोकने की योजना

67-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष बरसात के बाद जापानी इन्सेफलाइटिस की बीमारी फैलती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस वर्ष जापानी इन्सेफलाइटिस बीमारी की रोकथाम हेतु कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

जी हां।

जे0ई0 बीमारी की रोकथाम के लिए वर्ष 2012 हेतु बनायी गयी कार्ययोजना निम्नवत् है :-

1-नियमित टीकाकरण के साथ एक से 02 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण कराया जा रहा है।

2-रोग वाहकों के नियंत्रण हेतु फॉगिंग कीटनाशकों एवं इनमें प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गयी है।

3-चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की गयी है तथा इन पर पर्याप्त औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है।

4-जे0ई0 रोग के उपचार हेतु स्वयं को रोग वाहकों के काटने से बचाने, रोगवाहक उत्पत्ति आदि के सम्बन्ध में व्यापक जागरूकता हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं यूनीसेफ के सहयोग से प्रभावित जनपदों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। इस प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के प्रशिक्षकों को दिनांक 9-5-2012 से 21-5-2012 तक प्रशिक्षण दिया गया है। जनपद लखीमपुर खीरी में उक्त प्रशिक्षण दिनांक 30-5-2012 को दिया जायेगा। इस प्रकार लगभग 4000 प्रशिक्षक जनसामान्य से जुड़कर व्यक्तियों को जे0ई0 रोग एवं इससे बचाव के सम्बन्ध में प्रशिक्षित करके जागरूकता प्रदान करेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर की न्याय पंचायत पालपुर में निर्मित चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की जानकारी

68-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर, ब्लाक अमानीगंज के अन्तर्गत स्थित न्याय पंचायत पालपुर में निर्माणाधीन

चिकित्सालय का निर्माण कार्य पूरा कराकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

दिनांक 20-5-2012 को नवनिर्मित स्वास्थ्य केन्द्र पालपुर को क्रियाशील कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर व फैजाबाद में गोमती नदी के सत्थिन घाट पर पुल निर्माण की मांग

69-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर व फैजाबाद में स्थित गोमती नदी के सत्थिन घाट पर पुल बनाने की कोई कार्य योजना स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो पुल निर्माण पूरा करने की कोई अवधि निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर सेतु का कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मिट्टी के तेल की कालाबाजारी की रोकथाम तथा वितरण की पारदर्शी व्यवस्था

70-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मिट्टी के तेल की व्यापक कालाबाजारी को देखते हुए, क्या सरकार प्री-सील्ड प्लास्टिक पैक में मिट्टी के तेल की आपूर्ति पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

जी नहीं। मिट्टी के तेल की कालाबाजारी की रोकथाम तथा वितरण की पारदर्शी व्यवस्था हेतु शासन द्वारा समस्त मण्डलायुक्त एवं समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश के लिये विस्तृत दिशा-निर्देश पहले से ही निर्गत है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सी0एम0ओ0 एवं सी0एम0एस0 की वरिष्ठता के आधार पर तैनाती की नीति

71-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सी0एम0ओ0 एवं सी0एम0एस0 की तैनाती के लिये वरिष्ठता के आधार पर तैनाती की नीति है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि कई वरिष्ठ चिकित्साधिकारी अपने कनिष्ठ चिकित्साधिकारियों के अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो इस विषमता को कब तक समाप्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां। मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय (महिला/पुरुष/संयुक्त) तथा जिला क्षय रोग अधिकारी के पद पर तैनाती के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 14-6-2011 द्वारा नीति निर्धारित की गयी है, जिसके अनुसार उपर्युक्त प्रशासनिक पदों पर इच्छुक होने के सम्बन्ध में विकल्प पत्र भी मांगे जाने की व्यवस्था है। इसी प्रकार शासनादेश दिनांक 02-7-11 द्वारा उपर्युक्त पदों पर तैनाती के मानक भी निर्धारित किये गये हैं।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में तैनात मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय (महिला/पुरुष/संयुक्त) उपरोक्त नीति में की गयी व्यवस्था के अनुसार अपने अधिष्ठान में वरिष्ठ हैं।

परिणामी ज्येष्ठता (8क) के अनुसार वरिष्ठ चिकित्सकों को सम्बन्धित अधिष्ठानों में वरिष्ठ होने के आधार पर उपरोक्त प्रशासनिक पदों पर तैनात किया गया था। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में परिणामी ज्येष्ठता सूची निरस्त कर दी गयी है। तद्नुक्रम में जो चिकित्साधिकारी उक्त सूची के अनुसार वरिष्ठ होने के आधार पर सम्बन्धित अधिष्ठानों में वरिष्ठ होने के कारण तैनात हैं, को चरणबद्ध तरीके से उक्त पदों से स्थानान्तरित करते हुए वरिष्ठ चिकित्सकों को सम्बन्धित अधिष्ठानों में तैनात किया जायेगा, जिससे विषमता स्वतः समाप्त हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में धान तथा गेहूं की लक्ष्य से कम खरीददारी करने की जानकारी

72-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2011 में कितने धान की खरीद का लक्ष्य है तथा 2012 में कितना गेहूं क्रय किया गया ? क्या यह सही है कि धान तथा गेहूं की लक्ष्य से कम खरीद की गई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसका परीक्षण कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

खरीफ विपणन वर्ष 2011-12 में प्रदेश में राज्य क्रय एजेन्सियों के लिए 23 लाख मी0 टन तथा भारतीय खाद्य निगम के लिए 02 लाख मी0 टन कुल 25 लाख मी0 टन धान खरीद का कार्यकारी लक्ष्य निर्धारित किया गया।

रबी विपणन वर्ष 2012-13 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत गेहूं का कार्यकारी लक्ष्य प्रदेश में राज्य क्रय एजिन्सियों के लिए 40 लाख मी0 टन तथा भारतीय खाद्य निगम के लिए 02 लाख मी0 टन, कुल 42.00 लाख मी0 टन निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष दिनांक 22-5-2012 तक 23.32 लाख मी0 टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है।

खरीफ विपणन वर्ष 2011-12 में प्रदेश सरकार की राज्य क्रय एजेन्सियों के लिए निर्धारित 23 लाख मी0 टन धान खरीद के सापेक्ष 23.21 लाख मी0 टन की खरीद की गयी जो निर्धारित क्रय लक्ष्य से अधिक है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा भण्डारण कार्य में लगे होने के कारण लक्ष्य से कम धान खरीद की जा सकी।

रबी विपणन वर्ष 2012-13 में गेहूं खरीद का कार्य प्रगति पर है। अतः लक्ष्य से कम गेहूं खरीद का अभी प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के गांवों में पुराने ढीले एवं जर्जर विद्युत तारों को बिजनेस प्लान के अन्तर्गत बदले जाने की योजना

73-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गांवों में पुराने ढीले एवं जर्जर विद्युत तारों तथा खराब खम्भों को बदले जाने की क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

विद्युत तारों को बदले जाने की कार्ययोजना प्रत्येक वर्ष बिजनेस प्लान के मद के अन्तर्गत प्रचलन में है।

वर्ष 2012-13 में बिजनेस प्लान के अन्तर्गत 80,000 खम्भों तथा 18500 किमी0 जर्जर तार बदले जाने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के रुद्रपुर तहसील में एन0एच0आर0एम0 के निर्माण कार्य की जानकारी

74-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्षों में एन0एच0आर0एम0 में शुरू हुए निर्माण कार्य एन0एच0आर0एम0 में हुए घोटाले के उजागर होने के बाद रुके हुए हैं ? यदि हां, तो इसके शेष निर्माण कार्य सरकार कब पूरा करायेगी ? जनपद देवरिया के रुद्रपुर तहसील में इस प्रकार के कितने अधूरे कार्य हैं ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती एवं गोरखपुर मण्डलों में सरकारी क्रय केन्द्रों से चावल तथा लेवी चावल की खरीद का विवरण

75-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2002 से वर्ष 2007 तक बस्ती एवं गोरखपुर मण्डलों में सरकारी क्रय केन्द्रों एवं लेवी द्वारा कितने मी0टन चावल वर्षवार खरीदा गया है ? क्या उक्त खरीद लक्ष्य के अनुरूप है ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया-

बस्ती मण्डल तथा गोरखपुर मण्डल में वर्ष 2002 से 2007 तक वर्षवार सरकारी क्रय केन्द्रों से खरीद हेतु चावल तथा लेवी चावल के लक्ष्य एवं खरीद का विवरण निम्नवत् है :-

बस्ती मण्डल

वर्ष	सरकारी क्रय केन्द्रों से क्रय चावल (मी0 टन में)		लेवी चावल क्रय (मी0 टन में)	
	लक्ष्य	खरीद	लक्ष्य	खरीद
2002-03	23500	11121	--	30246
2003-04	21700	44955	30000	51159
2004-05	12400	47218	73635	46101
2005-06	37200	53937	80000	60547
2006-07	49600	58657	80000	33044
2007-08	53600	97482	75000	38464

गोरखपुर मण्डल

वर्षवार कस्टम/लेवी चावल खरीद का विवरण

वर्ष	कस्टम चावल का क्रय लक्ष्य	लक्ष्य के सापेक्ष खरीद	लेवी चावल का क्रय लक्ष्य	लक्ष्य के सापेक्ष खरीद
2002-03	--	22276.61	18000	36170.77
2003-04	24800	51566.16	36000	129851.98
2004-05	48360	47587.18	100000	125148.13
2005-06	61070	59152.27	140000	103575.00
2006-07	61070	57362.81	140000	58563.04
2007-08	86095	130714.57	110000	42508.59

कार्यकारी लक्ष्य जनपद के बोआई क्षेत्रफल, उत्पादकता एवं भण्डारण क्षमता आदि कारणों से प्रभावित होता है।

प्रदेश के किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की मांग

76-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश के किसानों के घरेलू व नलकूपों के बिजली के बकाया बिल माफ करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मुख्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि सरकार ने प्रदेश के किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

विद्युत अधिनियम, 2003 के प्राविधान के अनुसार विद्युत बिलों के माफ किये जाने पर होने वाली राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति अनुज्ञप्तिधारी को उ0 प्र0 शासन द्वारा कराई जानी आवश्यक है।

जी नहीं।

विद्युत दरों का निर्धारण विद्युत अधिनियम, 2003 के प्राविधानों के अनुसार उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा किया जाता है।

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर से चकफेरी के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत की मांग

77-श्री संजय कपूर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर से चकफेरी मार्ग अत्यन्त जर्जर है, जिससे जनता को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत/निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

मार्ग का आगणन प्राप्त कर लिया गया है। इसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर की तहसील मिलक के ग्राम तिराह में 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण की जानकारी

78-श्री संजय कपूर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की तहसील मिलक के ग्राम तिराह में 132 के0वी0 के निर्माणाधीन उपकेन्द्र का कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है जिससे कृषकों को विद्युत आपूर्ति नहीं मिल पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस उपकेन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

132 के0वी0 उपकेन्द्र मिलक के निर्माण हेतु ग्राम तिरहा, तहसील मिलक, जनपद रामपुर में 2.87 एकड़ भूमि चिन्हित हैं यह भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 6 (4) खलिहान के रूप में दर्ज है परन्तु वर्तमान में खलिहान के उपयोग में नहीं आ रही है। राजस्व विभाग से उक्त भूमि की श्रेणी में परिवर्तन हेतु अनुरोध किया गया। राजस्व विभाग से यह ज्ञात हुआ है कि भूमि खलिहान के उपयोग हेतु सुरक्षित है एवं इसकी श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यदि उसी भूमि पर उपकेन्द्र का निर्माण अपरिहार्य है तो खलिहान के उपयोग हेतु अन्यत्र उतनी ही भूमि विभाग को प्रदान करनी होगी। तद्नुसार अन्यत्र भूमि चिन्हीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

भूमि उपलब्ध होने पर उपकेन्द्र का निर्माण पूर्ण करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर व मिलक में अतिभारित ट्रांसफार्मर की जानकारी

79-श्री संजय कपूर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर के अन्तर्गत तहसील विलासपुर व तहसील मिलक में कितने ट्रान्सफार्मर अतिभारित हैं और उसमें कितने ट्रान्सफार्मर फुंके हुए हैं ? क्या सरकार इन फुंके हुए ट्रान्सफार्मर को बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद रामपुर के अन्तर्गत तहसील विलासपुर में एक परिवर्तक तथा तहसील मिलक में 15 परिवर्तक अतिभारित हैं और सभी परिवर्तक कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

तदैव।

जनपद पीलीभीत के बीसलपुर नगर में मा0 श्री कांशीराम योजना के भवनों को मानक के अनुरूप बनाये जाने की मांग

80-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर के अन्तर्गत मा0 कांशीराम शहरी विकास योजना के आवास अधूरे हैं तथा इनमें मानक के विपरीत निम्न गुणवत्ता की सामग्री प्रयुक्त हुई है ? यदि हां, तो क्या गुणवत्ता का परीक्षण कराकर दोषियों को दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त निर्माणाधीन आवासों का निर्माण पुनः निर्धारित मानक के अनुरूप किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद पीलीभीत के बीसलपुर नगर में मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत तृतीय चरण में 300 आवास निर्माणाधीन है। इनके निर्माण में मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

भवनों का निर्माण मानकों के अनुसार ही कराया जा रहा है।

81-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[1ले शुक्रवार के अता0 प्रश्न सं0-15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

82-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[दिनांक 29-5-2012 के अता0 प्रश्न सं0-29 द्वारा उत्तरित]

गोरखपुर-वाराणसी के क्षतिग्रस्त राजमार्ग के मरम्मत की मांग

83-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर-वाराणसी राजमार्ग के किलोमीटर चैनेज के कौन-कौन से हिस्से खराब तथा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं ? इस राजमार्ग के जीर्णोद्धार के लिये शासन ने क्या कोई कार्य योजना तैयार की है ? यदि हां, तो सड़क का जीर्णोद्धार कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग के कि0मी0 38, 45, 64, 65, 68, 77, 78, 87, 93 एवं 100 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं।

जी नहीं, यह मार्ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के स्वामित्व में है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के 300 बेड के अस्पताल में चिकित्सक तथा पैरामेडिकल स्टाफ के तैनाती की मांग

84-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर के 300 बेड के अस्पताल में डाक्टरों तथा पैरामेडिकल स्टाफ की कमी होने के कारण अस्पताल पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रहा है ? यदि हां, तो उक्त अस्पताल में मानक के अनुसार कब तक डाक्टरों तथा पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

चिकित्सालय में चिकित्साधिकारियों की पर्याप्त मात्रा में तैनाती की गयी है। वर्तमान में विशेषज्ञ चिकित्सकों के कुछ पद रिक्त हैं, उक्त पदों पर उपलब्धता के आधार पर तैनाती किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। मानव संसाधन की कमी के कारण मानक के अनुसार डाक्टरों तथा पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती नहीं की जा रही है, लेकिन वर्तमान में उपलब्ध स्टाफ द्वारा आमजन को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि के मरम्मत की मांग

85-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन/आवासीय भवन काफी जर्जर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन भवनों की मरम्मत तथा सुदृढ़ीकरण का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

सामान्य मरम्मत की आवश्यकता है। धनराशि की उपलब्धता के आधार पर यथावश्यक मरम्मत का कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

संक्रामक रोगों को फैलने से बचाव हेतु रोकथाम का विवरण

86-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गर्मियों तथा बरसात के समय में प्रतिवर्ष संक्रामक रोगों को फैलने से बचाने हेतु समय से पहले रोकथाम व बचाव की सरकार कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

कार्य योजना के मुख्य बिन्दुओं का विवरण निम्नवत् है :-

सभी जनपदों के कन्ट्रोल रूम सक्रिय कर दिये गये हैं।

विभागीय एवं अंतर्विभागीय समन्वय समिति का गठन :-राज्य स्तरीय, मण्डलीय, जिला स्तरीय तथा ब्लाक स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जाता है।

उपचार व्यवस्था :-चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की गयी है। विभाग को संक्रामक रोग की सूचना प्राप्त होते ही सत्यापन कर त्वरित गति से कार्यवाही किया जाता है।

औषधियों की उपलब्धता :-जिला मुख्यालय पर संक्रामक रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण सम्बन्धी पर्याप्त औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है।

रयूमर रजिस्टर :-प्रत्येक जनपद में संक्रामक रोगों की सूचना अंकित किये जाने हेतु रयूमर रजिस्टर बनाया जाता है।

रैपिड रिस्पॉस टीम का गठन :-प्रत्येक जनपद मुख्यालय एवं प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य मुख्यालय एवं प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर रैपिड रिस्पॉस टीम का गठन किया गया है। जो क्षेत्र में किसी भी प्रकार के संक्रामक रोग फैलने की सूचना प्राप्त होने पर उसका सत्यापन करते हुए त्वरित गति से संक्रामक रोग उपचारात्मक एवं निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करते हैं।

इन्वेस्टीगेशन और कन्ट्रोल :-संक्रामक रोग प्रसार की सूचना प्राप्त होते ही रैपिड रिस्पॉस टीम क्षेत्र का भ्रमण करेगी। गम्भीर रोगियों को वाहन उपलब्ध कराते हुए स्वास्थ्य केन्द्र/जिला चिकित्सालय में भर्ती कराने की व्यवस्था की जाती है।

मलिन बस्तियों एवं अतिसंवेदनशील क्षेत्रों का सर्विलेंस :-मु0चि0अ0 ग्रीष्म ऋतु की शुरूआत में ही अपने जनपद की मलिन बस्तियों एवं अतिसंवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर उन पर सतत् निगरानी रखी जाती है।

लैब परीक्षण :-प्रत्येक चिकित्सालयों में रोगों के परीक्षण हेतु लैब की व्यवस्था उपलब्ध है।

संक्रामक रोगों के प्रसार की स्थिति में मुख्यालय के दैनिक प्रारूप पर रिपोर्ट का फैक्स द्वारा प्रेषण :-संक्रामक रोग के आउटब्रेक अथवा प्रसार की स्थिति में राज्य मुख्यालय को दैनिक प्रारूप पर रिपोर्ट का फैक्स द्वारा प्रेषण करना।

क्रॉस रिफरेंस :-यदि रोगी किसी अन्य जनपद/स्थान से आया हो तो उसकी सूचना सम्बन्धित जनपद/स्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तत्काल प्रेषित करेंगे।

नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता :-गांवों/नगर निगम/नगर महापालिकाओं/नगर पालिकाओं के अन्तर्गत क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था।

प्रदूषित खाद्य सामग्री की बिक्री पर रोक :-प्रदूषित खाद्य सामग्री की बिक्री पर रोक लगाया जाना।

स्वास्थ्य शिक्षा :-जन साधारण को संक्रामक रोगों के बचाव हेतु क्या करे, क्या न करें, प्रचार-प्रसार के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा दिये जाने का कार्य किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में सी0एच0सी0 विभाग में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की जानकारी

87-श्री संजय कपूर-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में एन0एच0 87 पर निर्मित सी0एच0सी0 पर मेडिकल स्टाफ व उपकरणों की कमी होने के कारण मरीजों का उपचार सुचारु रूप से नहीं हो पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सी0एच0सी0 पर मानक के अनुरूप स्टाफ व मेडिकल के जरूरी उपकरण उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में सी0एच0सी0 एन0एच0-87 से दो किलोमीटर की दूरी पर स्थापित है। उक्त सी0एच0सी0 पर एक्सरे मशीन, दन्त यूनिट, ओ0टी0, नेत्र उपचार एवं प्रयोगशाला के उपकरण उपलब्ध हैं।

मानक के अनुरूप उपकरण उपलब्ध हैं, जहां तक स्टाफ की उपलब्धता का प्रश्न है तो कुल स्वीकृत 27 पदों के सापेक्ष 15 पदों पर कार्यरत हैं।

चिकित्सा विभाग में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के फलस्वरूप मानक के अनुसार स्टाफ की तैनाती की जा रही है।

जनपद वाराणसी नगर की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को कटौती से मुक्त करने की मांग

88-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सांस्कृतिक राजधानी तीर्थ एवं पर्यटन नगरी वाराणसी में विद्युत आपूर्ति की स्थिति ठीक न होने से नागरिकों को विद्युत के साथ ही पेयजल की किल्लत है तथा उद्योग धन्धे भी नहीं पनप पा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार विशेष दर्जा प्राप्त वाराणसी नगर की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को कटौती से मुक्त रखने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वाराणसी नगर की विद्युत आपूर्ति प्रतिदिन 20-22 घण्टा निर्धारित है। आकस्मिक कटौती को टाला नहीं जा सकता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में विद्युत की मांग के सापेक्ष उपलब्धता में भारी कमी होने के कारण इससे अधिक विद्युत आपूर्ति करा पाना संभव नहीं है। विद्युत की उपलब्धता में सुधार होने की दशा में इससे अधिक आपूर्ति संभव हो सकेगी। राष्ट्रीय ग्रिड की सुरक्षा के मानकों को दृष्टिगत रखते हुए कभी-कभी आकस्मिक कटौती करना अपरिहार्य हो जाता है। स्थिति सामान्य होने पर विद्युत आपूर्ति पूर्व की भांति कर दी जाती है।

पयागपुर के विधान सभा क्षेत्र भूपगंज बाजार से बारीपुरवा चौराहे आदि की क्षतिग्रस्त सड़क के मरम्मत की मांग

89-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत भूपगंज बाजार (पयागपुर) से बारीपुरवा चौराहे से रेलवे स्टेशन होते हुए वाया डाक बंगला तथा ब्लाक मुख्यालय तक की सड़क अत्यन्त जर्जर व गड्ढ़ायुक्त है तथा नालियां नहीं बनी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत व नाली निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां, प्रश्न में वर्णित मार्ग कहीं-कहीं अधिक क्षतिग्रस्त है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

बरनावा दाह मार्ग को चौड़ीकरण करने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

90-श्री वीरपाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-04-12 जो बरनावा दाह मार्ग को चौड़ीकरण करने के सम्बन्ध में है विशेष सचिव, लोक निर्माण, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

पत्र दिनांक 11-4-2012 प्राप्त हुआ है, जो बरनावा दाहा मार्ग के चौड़ीकरण से सम्बन्धित न होकर उक्त मार्ग के सुदृढ़ीकरण से सम्बन्धित है।

मार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिए आगणन प्राप्त कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के परिवार कल्याण केन्द्रों/उपकेन्द्रों पर ए0एन0एम0 के रिक्त पदों पर तैनाती की मांग

91-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के परिवार कल्याण केन्द्रों/उपकेन्द्रों पर एनम व अन्य स्टाफ की कमी के कारण ग्रामीण अंचलों में लोगों को विशेष कर महिलाओं को चिकित्सीय लाभ, टीकाकरण आदि नहीं मिल पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त परिवार केन्द्रों/उपकेन्द्रों पर मानक के अनुरूप एनम/कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में मानक के अनुरूप परिवार कल्याण केन्द्रों/उपकेन्द्रों की कुल संख्या-78 है। 72 उपकेन्द्रों पर ए0एन0एम0 कार्यरत हैं जिनके द्वारा ग्रामीण अंचलों में विशेष कर महिलाओं एवं बच्चों को चिकित्सकीय लाभ एवं टीकाकरण की सुविधा प्रदान की जा रही है। जिन उपकेन्द्रों पर ए0एन0एम0 के पद रिक्त हैं, वहां पर महिलाओं व बच्चों को यह सुविधाएं दूसरे उपकेन्द्र की ए0एन0एम0 द्वारा प्रदान की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में चयनित गांवों का विद्युतीकरण विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

92-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बहराइच के पयागपुर विधान सभा के राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में चयनित गांवों का विद्युतीकरण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्रांक स0वि0प0/जन0हि0/11-12/क-एस0नं0 004959/240 दिनांक 15 अप्रैल, 2012 अधिशासी अभियन्ता बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के प्रथम चरण में पयागपुर विधान सभा से सम्बन्धित विशेश्वरगंज, पयागपुर, जरवल, कैसरगंज, हुजुरपुर विकास खण्ड के 218 ग्राम चयनित थे जिनका विद्युतीकरण हो चुका है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में ग्रामों के मजरों की योजना स्वीकृत हो चुकी है। धन प्राप्त होने के उपरान्त विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी में घरेलू गैस की अवैध रिफलिंग की रोकथाम व निर्धारित मात्रा में उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध कराने की मांग

93-श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-वाराणसी में घरेलू गैस की आपूर्ति में मनमानी एवं गैस की अवैध रिफिलिंग के कारण उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा से कम गैस मिलने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा में गैस उपलब्ध कराने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

जनपद वाराणसी में गत वर्ष की तुलना में बाटलिंग प्लान्ट, बाबतपुर से गैस की कम आपूर्ति प्राप्त होने के कारण कतिपय गैस एजेन्सियों पर रसोई गैस की आपूर्ति में 15 दिन से अधिक का बैकलाग हो गया था। जिला प्रशासन द्वारा गैस की आपूर्ति बढ़ाने के लिये इण्डियन आयल कारपोरेशन से अनुरोध किया गया। जनपद में घरेलू गैस की आपूर्ति में मनमानी एवं गैस की अवैध रिफलिंग की रोकथाम तथा उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा में गैस उपलब्ध कराने हेतु शासन स्तर से पूर्व से ही समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को दिशा-निर्देश निर्गत हैं। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की विशिष्ट शिकायत प्राप्त होने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ से बहराइच रूपईडीहा राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण व मरम्मत की जानकारी

94-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ से बहराइच रुपईडीहा राष्ट्रीय राजमार्ग 28 सी क्षतिग्रस्त है एवं जनपद बहराइच के अनेक भागों में इसके चौड़ीकरण व मरम्मत न होने से दुर्घटनायें हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका चौड़ीकरण तथा मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

राष्ट्रीय राजमार्ग 28सी का मात्र नानपारा से रूपईडीहा का भाग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। जनपद बहराइच में मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के कारण किसी दुर्घटना की जानकारी विभाग को नहीं है।

जी नहीं। यह मार्ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के स्वामित्व में है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के पं0 दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय में ट्रामा सेन्टर का संचालन करने की जानकारी

95-श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी स्थित पं0 दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय में ''ट्रामा सेन्टर'' खोलने की सरकार की कोई योजना

परिचालित है ? क्या यह सही है कि उक्त हेतु क्रय किये गये विभिन्न प्रकार के उपकरण स्टोर में पड़े-पड़े खराब हो रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त ट्रामा सेन्टर कब तक काम करने लगेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां, ट्रामा सेन्टर की स्थापना हो चुकी है।

मानव संसाधन विशेषकर विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के कारण सभी उपकरणों का उपयोग संभव न हो पाने के कारण सुरक्षा के उद्देश्य से उपकरणों को स्टोर में रखवा दिया गया है।

वर्तमान में ट्रामा सेन्टर का संचालन चिकित्सालय में उपलब्ध सीमित मानव संसाधन विशेषज्ञों आदि के माध्यम से किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में शराब की दुकानें मानक के अनुरूप खोले जाने की जानकारी

96-श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में सभी प्रकार की शराब की दुकानें मानक के विरुद्ध खोलने से प्रभावित होने वाले स्थानीय लोगों में घोर आक्रोश व्याप्त हो रहा है और उन्हें आन्दोलन करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर अंकुश लगाने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। वाराणसी जनपद सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में शराब की दुकानें मानक के अनुरूप खोली गई हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में गोकुल से बल्देव मार्ग आदि मार्गों के मरम्मत में अनियिमतताओं की जांच

97-श्री पूरन प्रकाश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में गोकुल से बल्देव मार्ग, राया से बल्देव मार्ग, राया से सादाबाद मार्ग, बल्देव से नगला अकोस एवं कंजौली घाट पुल से कासिमपुर सम्पर्क मार्गों की मरम्मत में घटिया सामग्री के प्रयोग के कारण 6 माह के अन्दर ही सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

जनपद मथुरा में गोकुल से बल्देव मार्ग, राया से बल्देव मार्ग व राया से सादाबाद मार्ग के निर्माण में कतिपय अनियमितताओं की शिकायतें पूर्व में प्राप्त हुई थी, जिसकी त्रिसदस्यीय समिति से

जांच करायी गयी। जांच समिति द्वारा राया-सादाबाद मार्ग की गुणवत्ता संतोषजनक पायी गई। राया-बल्देव मार्ग एवं मथुरा-सादाबाद मार्ग में कतिपय स्थानों पर पैच पाये गये थे जिसकी मरम्मत करा दी गई है।

बल्देव से नगला अकोस नाम का कोई मार्ग नहीं है बल्कि बल्देव-बरौली-कैलाश मार्ग से नगला संजा अकोस मार्ग है। उक्त मार्ग पर वित्तीय वर्ष 2011-12 में नवीनीकरण का कार्य कराया गया है। कंजौली घाट पुल से कासिमपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण 10 वर्ष पूर्व में हुआ था, जो कतिपय स्थानों पर क्षतिग्रस्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मथुरा के बल्देव एवं राया ब्लाक के ग्रामों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कराने की मांग

98-श्री पूरन प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के बल्देव एवं राया ब्लाक के कितने ग्रामों में अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन ग्रामों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मथुरा जनपद के बल्देव एवं राया ब्लाक के अवशेष अविद्युतीकृत (वर्जिन) राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के प्रथम चरण में शत-प्रतिशत पूर्ण कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

तदैव।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के माधोपुर, रसड़ा में स्थापित चीनी मिल की पुरानी मशीनरी बदलवाने की मांग

99-श्री उमाशंकर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के माधोपुर, रसड़ा में स्थापित चीनी मिल की मशीनरियां काफी पुरानी हो जाने के कारण मिल गन्ना पेराई सत्र में ब्रेक डाउन हो जाया करती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चीनी मिल का ब्रेक डाउन कम करने हेतु पुरानी मशीनरियों को बदलवाकर उसका जीर्णोद्धार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

किसान सहकारी चीनी मिल रसड़ा (बलिया) लगभग 35 वर्ष पुरानी चीनी मिल है। मिल की क्षमता 1250 टन प्रतिदिन है।

किसी भी चीनी मिल की मशीनरी में ब्रेक डाउन एक सामान्य प्रक्रिया है एवं ब्रेक डाउन होने की दशा में मिल की मरम्मत करके उसे पुनः चलाया जाता है। चीनी मिल का ब्रेक डाउन कम किये जाने के उद्देश्य से मशीनरी को बदलने एवं जीर्णोद्धार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है क्योंकि दिनांक 31-3-12 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष तक चीनी मिल को रु0 174.19 करोड़ की संचित हानि हो चुकी है और किसी संस्था से वित्त पोषण संभव नहीं है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा अठिलापुरा एवं खरुआंव में गेहूं खरीद हेतु क्रय केन्द्र खोले जाने की मांग

100-श्री उमाशंकर-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा रसड़ा बलिया स्थित क्रय केन्द्र ब्लाक मुख्यालय नगरा एवं तहसील मुख्यालय रसड़ा के बीच की दूरी लगभग 16 कि0मी0 होने के कारण किसानों को कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार कोई दूसरा क्रय केन्द्र ग्राम सभा अठिलापुरा एवं खरुआंव में जो कि उक्त केन्द्रों के मध्य में है, में खोलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया-

जी नहीं।

विधान सभा रसड़ा बलिया स्थित क्रय केन्द्र ब्लाक मुख्यालय नगरा एवं तहसील मुख्यालय रसड़ा के बीच साधन सहकारी समिति जाम एवं साधन सहकारी समिति सुल्तानपुर में गेहूं खरीद हेतु दो क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं जिनकी दूरी ग्राम सभा अठिलापुरा से लगभग 2.5 से 3.00 कि0मी0 है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के माधोपुर रसड़ा चीनी मिल क्षेत्र के किसानों को गन्ना पैदावार बढ़ाने की योजना की जानकारी

101-श्री उमाशंकर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में स्थित माधोपुर रसड़ा चीनी मिल गन्ने के अभाव में निर्धारित समय से पहले ही बन्द हो जाती है ? यदि हां, तो क्या इसके लिये गन्ना विभाग द्वारा किसानों को गन्ना पैदावार बढ़ाने अथवा गन्ना की बुआई करने के लिये कभी प्रोत्साहन दिया गया है ? यदि हां, तो कब, किस रूप में एवं किन-किन ग्रामों में ? यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा किसानों को प्रोत्साहन दिये जाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

किसान सहकारी चीनी मिल लि0, रसड़ा बलिया की पेराई क्षमता 1250 टीसीडी है। चीनी मिल द्वारा वर्ष 1975-76 में अपना प्रथम पेराई सत्र प्रारम्भ किया गया। यह चीनी मिल 35 वर्ष पुरानी

हो चुकी है। मिल की मशीनरी अत्यन्त जर्जर हो चुकी है। मिल क्षेत्र में गन्ने की उपलब्धता कम होने एवं मिल द्वारा अपनी पूरी क्षमता पर पेराई न करने के कारण समय से पहले बन्द हो जाती है।

चीनी मिल क्षेत्र में गन्ने की पैदावार एवं गन्ने की बुवाई कराने के लिए गन्ना शोध केन्द्रों से उन्नतिशील प्रजाति का गन्ना बीज मंगाकर कृषकों के यहां आधार पौधशालायें स्थापित कराई जाती हैं। जिससे तैयार बीज से प्राथमिक पौधशालायें स्थापित कराई जाती हैं तथा पौधशाला धारक कृषकों को गन्ना विभाग द्वारा गन्ना विकास परिषद् के माध्यम से अनुसूचित जाति के कृषकों को आधार पौधशाला पर रु0 2000/-एवं प्राथमिक पौधशाला पर रु0 1000/-प्रति हे0 की दर से तथा सामान्य जाति के कृषकों को आधार पौधशाला पर रु0 1000/-एवं प्राथमिक पर रु0 500/- अनुदान, प्रोत्साहन स्वरूप दिया जा रहा है। उपरोक्त अनुदान गन्ना विकास परिषद् के माध्यम से निम्न ग्रामों के 75 कृषकों को वर्ष 2011-12 में दिया गया है :-

धनईपुर, सीवानकलॉ, बरेती, खरूआंव, कोप, सराय भारती, जुड़नपुर, चन्द्रवार, चांदपुर, हजियारामपुर, डोडवा, सोनाड़ी, खड़सरा, ईसार, पिठापट्टी, कुड़ियापुर, बनहरा, छितौनी, बड़ागांव, आदर, भोजपुर, बुद्धिपुर, अतरौल, भगवानपुर, टगुनिया, सरैया, परहदाखुर्द, बिगह, सरयाडीह, लखनासिंह, सिकड़या खुर्द, पकड़ी, जिगनी, पिपरिहा, सिहाचवर, हालपुर, आरीपुर, चचैया, मखदूमपुर, ससना, बहादुरपुर, सराय गुलाबराय, भाउपुर, महुवातर, सैदपुर, पहाड़पुर, सिसोटार, कुड़ियापुर, छितौनी, हालपुर, कुटहा, भवरपुर, गोठवा एवं बलुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अतिवर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत/पुनर्निर्माण की मांग

102-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिवर्षा के कारण प्रदेश की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत/ पुनर्निर्माण कराने की सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

अतिवर्षा के कारण प्रदेश के क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराने की प्रदेश सरकार की पृथक से कोई नीति नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतिवर्षा के कारण प्रदेश के क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत एवं पुनर्स्थापना का कार्य आपदा राहत नीति के अनुसार भारत सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि के अन्तर्गत आपदा राहत कोष से कराया जाता है।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के कतिपय स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ एवं एण्टीरैबीज दवाओं आदि की जानकारी

103-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बहराइच विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत हजूरपुर, जरवल, विशेश्वरगंज, पयागपुर, कैसरगंज के स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुरूप डाक्टरों, महिला डाक्टरों पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है तथा दवायें,

एन्टीरैबीज, एन्टी स्नैक तथा चिकित्सीय उपकरणों का अभाव होने से नागरिकों को काफी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुरूप डाक्टरों, महिला डाक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ तथा पर्याप्त मात्रा में दवाओं, चिकित्सीय उपकरणों की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जनपद बहराइच विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत हजूरपुर, जरवल, विशेश्वरगंज, पयागपुर, कैसरगंज के स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध चिकित्साधिकारी एवं पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण संलग्न है।† उक्त केन्द्रों पर दवायें, एण्टीरैबीज एवं एन्टी स्नैक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

मानव संसाधन (स्टाफ) की कमी के कारण मानक के अनुसार स्वीकृत पदों के सापेक्ष कतिपय पद रिक्त हैं, परन्तु दवाओं एवं उपकरण की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के समस्त जनपदीय मुख्यालयों पर औषधियों के भण्डारण हेतु ड्रग वेयर हाउस के निर्माण की मांग

104-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त जनपदीय मुख्यालयों पर औषधियों के भण्डारण हेतु ड्रग वेयर हाउस न होने से दवाओं का समुचित रखरखाव नहीं हो पाता है जिससे दवायें खराब हो जाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जिन मुख्यालयों पर ड्रग वेयर हाउस नहीं हैं ड्रग वेयर हाउस का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

प्रदेश के 75 जनपदों के सापेक्ष 53 जनपदों में जनपदीय ड्रग वेयर हाउस का निर्माण हुआ है। वर्ष 2012-13 में एन0आर0एच0 योजना में अवशेष 22 जनपदों में जनपदीय ड्रग वेयर हाउस के निर्माण हेतु रु0 1121.06 लाख धनराशि की मांग भारत सरकार से की गयी है। शेष के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सालयों में चिकित्सकों/कर्मचारियों हेतु आवासीय भवन निर्माण की मांग

105-श्री मुकेश श्रीवास्तव उफ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सालयों में आवासीय सुविधा न होने अथवा जहां आवासीय भवन हैं भी वह काफी जर्जर

(† देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 179-180 पर)

होने के कारण चिकित्सकों/कर्मचारियों को अपना परिवार रखने में काफी कठिनाइयां आती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार चिकित्सकों/कर्मचारियों के रहने योग्य नये आवास उपलब्ध करायेगी तथा जर्जर भवनों की मरम्मत व सुदृढ़ीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं। चिकित्सालयों के निर्माण के साथ ही आवासीय भवन का निर्माण भी प्राविधानित किया जाता है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

द्वारकेश शुगर मिल/सौर ऊर्जा पढेंरा रोड फरीदपुर से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने संबंधी मुख्य मंत्री को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

106-डा0 सियाराम सागर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 01-05-12 जो कि कस्बा फरीदपुर के ग्राम अधरपुरा, तहसील फरीदपुर के 132 के0वी0 से, द्वारकेश शुगर मिल्स अथवा सौर ऊर्जा पढेरा रोड फरीदपुर से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु है उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

उक्त पत्र पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि कस्बा फरीदपुर के ग्राम अंधरपुरा को 33/11 के0वी0 फरीदपुर उपकेन्द्र के 11 के0वी0 भिण्डौलिया पोषक से विद्युत आपूर्ति प्राप्त हो रही है। 132 के0वी0 उपकेन्द्र पर कोई 11 के0वी0 पोषक न होने के कारण सीधे विद्युत आपूर्ति नहीं की जा सकती है। द्वारिकेश शुगर मिल की लाइन ग्रिड से 132 के0वी0 पर जुड़ी हुई है, इस कारण इस लाइन से भी किसी भी ग्राम को तकनीकी रूप से जोड़ा नहीं जा सकता है। सौर ऊर्जा प्लाण्ट, पढेरा रोड द्वारा उत्पादित ऊर्जा 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र फरीदपुर की 11 के0वी0 साइड ग्रिड पर प्राप्त होती है जिसका उपयोग फरीदपुर उपकेन्द्र की कुल मांग के अंश को पूरा करने के लिए किया जाता है। अतः इस लाइन के ग्रिड से कनेक्ट होने के कारण ग्राम अंधरपुरा को सीधे अथवा अलग से विद्युत आपूर्ति किया जाना तकनीकी रूप से संभव नहीं है।

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के पत्र पर कार्यवाही

107-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा पत्रांक 3908/नियो0वि0/2011-12, दिनांक 13 फरवरी, 2012 में प्रस्तावित 297 गांव प्राधिकरण के विकास क्षेत्र से निकाले जाने एवं 110 गांव शामिल करने का प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकृत किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रश्नगत पत्र के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव अलीगढ़ विकास प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदित नहीं है। प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बहराइच के कैसरगंज-हजूरपुर-पयागपुर होते हुए मोहनीपुर मोड़ (इकौना) की क्षतिग्रस्त सड़क के मरम्मत की जानकारी

108-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले के कैसरगंज-हजूरपुर-पयागपुर होते हुये मोहनीपुर मोड़ (इकौना) तक की सड़कें क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का उच्चीकरण एवं मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। प्रश्न में वर्णित मार्ग जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गया है।

कैसरगंज-हजूरपुर-पयागपुर-इकौना अन्य जिला मार्ग (बहराइच बाईपास मार्ग) लम्बाई 53.00 कि0मी0 में जापान इण्टरनेशनल को-आपरेशन एजेन्सी सहायतित उ0 प्र0 बौद्ध परिपथ पर्यटन विकास फेज-2 की परियोजना में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य अनुमोदित है। प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार से परियोजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति तथा धनराशि की मांग की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 30 मई, 2012 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 35 सूचनायें प्राप्त हुईं। जिसमें 18 सूचनाएं स्वीकार की गयीं :-

पहली सूचना श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य की जनपद शाहजहांपुर के जलालाबाद तहसील के ब्लाक एवं ग्राम मिर्जापुर में ग्राम समाज के तालाब पर भू-मफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना श्री दलजीत सिंह की जनपद बांदा में कर्ज से डूबे किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना श्री प्रदीप माथुर की मथुरा जनपद में नेशनल हाइ-वे से मण्डी परिषद् के सामने होकर जाने वाला मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में, चौथी सूचना श्री मनीष असीजा की फिरोजाबाद नगर में पीने के पानी की अत्यन्त विकराल समस्या के सम्बन्ध में, पांचवीं सूचना श्रीमती सीमा द्विवेदी की जनपद जौनपुर के मुगरा बादशाहपुर कस्बे में मंडली गली में विद्युत तार टूटने के सम्बन्ध में, छठी सूचना श्री राम चन्द्र यादव की रूदौली क्षेत्र के अन्तर्गत रामसनेही घाट ग्राम पंचायत सलेमपुर निवासी श्री अजीत यादव एवं 4 अन्य लोगों की टंकी फटने से मृत्यु हो जाने पर प्रशासन द्वारा कोई सहायता उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में, सातवीं सूचना श्री संगीत सिंह सोम की जनपद मेरठ में धारा-6 की विज्ञप्ति जारी हो जाने के कारण तहसील अभिलेखों में बरती जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में, आठवीं सूचना श्री सतीश महाना की कानपुर महानगर के बाहरी क्षेत्रों में गम्भीर जलभराव की समस्या के सम्बन्ध में, नवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर के अन्तर्गत खरीद दरौली घाट घाघरा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, दसवीं सूचना श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू की

जनपद सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड रामपुर मथुरा में घाघरा/शारदा व चौका केवानी नदियों में बाढ़ आने के सम्बन्ध में, ग्यारहवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद द्वारा चयनित सैकड़ों अभ्यर्थियों की नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में, बारहवीं सूचना श्री राजनारायण बुधौलिया की जनपद महोबा में भयंकर आंधी तूफान से हुई तबाही के सम्बन्ध में, तेरहवीं सूचना श्री कमाल यूसुफ मलिक की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के अन्तर्गत बस्ती शाखा में ग्राम लटिया में प्रस्तावित साइफन का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, चौदहवीं सूचना श्री अभय नारायण पटेल की सम्पूर्ण प्रदेश में गर्मी के मौसम में हुये अग्नि कांड के पीड़ितों को सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में, पन्द्रहवीं सूचना डा0 धर्मपाल सिंह की जनपद आगरा में विकास खण्ड खंदौली के गांव नगला चतुरा में गांव सिकन्दरपुर तक यमुना नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में, सोलहवीं सूचना श्री मदन चौहान की जनपद गौतमबुद्धनगर में नोएडा प्राधिकरण द्वारा विगत 5 वर्षों के अन्तर्गत आवंटित 5 प्रतिशत किसान कोटे में गलत नीति के तहत भारी घोटाले की उच्चस्तरीय जांच कराने के सम्बन्ध में, सत्रहवीं सूचना श्री शारदा प्रताप शुक्ला की लखनऊ जिला जेल जो ऐतिहासिक जेल था को मा0 काशीराम इको गार्डन बनाये जाने के सम्बन्ध में, अट्ठारहवीं सूचना श्री राघव लखनपाल शर्मा की सहारनपुर नगर निगम का चुनाव अन्य निकायों के साथ कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :-

1-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल,

2-श्री अजय मिश्रा,

3-श्री सुरेश राणा,

4-श्री पूरन प्रकाश,

5-श्री त्रिलोकी राम

6-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप,

7-श्री रामहेत भारती,

8-डा0 रमेश चन्द्र बिन्द,

9-श्री छोटे लाल वर्मा,

10-ठा0 सूरजपाल सिंह,

11-डा0 पूर्णमासी देहाती,

12-श्री भीम प्रसाद सोनकर,

13-श्री जय प्रकाश अंचल,

14-श्री अगयश रामसरन वर्मा,

15-श्री अवस्थी बाला प्रसाद,

16-श्री अनीसुर्रहमान।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद शाहजहांपुर के जलालाबाद तहसील के ब्लाक एवं ग्राम मिर्जापुर में ग्राम समाज के तालाब पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

[संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जिला-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र जलालाबाद की तहसील जलालाबाद के ब्लाक व ग्राम मिर्जापुर की ग्राम समाज के तालाब पर भू-मामियाओं द्वारा पाटकर अवैध कब्जा कर अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है। जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की गयी परन्तु अभी तक भू-माफियाओं पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी न अतिक्रमण हटाया गया। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त प्रकरण में दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की भी मांग करता हूं।]

जनपद बांदा में कर्ज से डूबे किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलजीत सिंह-

[मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान बुन्देलखण्ड के जनपद-बांदा में कर्ज से डूबे किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। जनपद बांदा में कर्ज और भूख से परेशान होकर किसानों द्वारा आत्महत्या की जा रही है। कर्ज को लेकर समाज में लोगों में बहुत क्षोभ एवं रोष व्याप्त है। कर्ज में डूबे किसानों के पास खोने और जीने का कोई सहारा नहीं है। यह घटनायें व्यवहारिक नहीं हैं। जनपद बांदा में किसानों द्वारा वर्ष 2003 में 178, वर्ष 2004 में 200, वर्ष 2005 में 158 तथा वर्ष 2007 में 107 आत्महत्यायें की जा चुकी हैं। इसके अलावा फसल नष्ट होने पर 150 किसानों द्वारा जान दे दी गयी। मई माह में 12 किसानों द्वारा आत्महत्या की जा चुकी है। कर्ज और आर्थिक तंगी से परेशान होकर श्री कमलेश, ग्राम बघेलन द्वारा आत्महत्या कर ली गयी है। जनपद हमीरपुर में युवा किसान अमृतलाल, बांदा जनपद में कृषक बैजनाथ, संतोष सिंह, ग्राम भिड़ौरा, वि0खं0 तिन्दवारी के कृषक मोनू सिंह, चित्रकूट के रसिन निवासी बृजमोहन, हमीरपुर के गोरनपुरवा निवासी कामता प्रसाद, बांदा के तिसंडी निवासी श्याम प्रजापति तथा झांसी व ललितपुर के किसानों द्वारा कर्ज से तंग आकर आत्महत्या कर ली गयी है। यह बहुत ही दुःखद प्रकरण है। बुन्देलखण्ड के सभी जनपद सूखे से ग्रस्त रहते हैं, सिंचाई एवं पेयजल का समुचित साधन नहीं है। किसानों द्वारा बैंक आदि से कर्ज लिया जाता है, सूखे और सिंचाई की सुविधा न होने के कारण किसान अपनी फसल का लाभ नहीं ले पाता है और कर्ज में डूब जाता है। सरकार द्वारा इस ओर ध्यान दिये जाने की जरूरत है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से आत्महत्या कर लिये गये किसान परिवार को मुआवजा एवं नौकरी दिलवाये जाने एवं कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मथुरा जनपद में नेशनल हाइ-वे से मण्डी परिषद् के सामने होकर जाने वाला मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर-

महोदय,

मैं आपका मथुरा जनपद में नेशनल हाइ-वे से मण्डी समिति से सामने होकर जाने वाला मार्ग जो कि सौंक तक जाता है, ग्राम पालीखेड़ा तक लगभग तीन किलोमीटर तक अत्यन्त क्षतिग्रस्त है। इस मार्ग से मण्डी समिति आने-जाने वाले सैकड़ों ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रालियां, बुग्गियां व सैकड़ों किसान निकलते हैं। इस मार्ग पर जलभराव रहता है, इस कारण मण्डी समिति में अनाज, सब्जियां व फलों के ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है तथा किसानों को बड़ी कठिनाई के दौर से गुजरना पड़ता है। इसी प्रकार नेशनल हाइ-वे से भरतपुर रोड से अडूकी गांव जाने वाला मार्ग बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, ऐसा लगता है कि लगभग दस पन्द्रह वर्षों से लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं बनाया गया है। मथुरा ब्लाक के ग्राम अडूकी की आबादी लगभग तीन से चार हजार की है और ग्रामवासियों को इस मार्ग पर चलने में काफी परेशानी होती है।

कृपया उपरोक्त प्रमुख दो मार्गों को नेशनल हाई-वे से मण्डी समिति से पाली खेड़ा तक ऊंचा करते हुए लगभग 10 मीटर की चौड़ाई में एक कि0मी0 आर0सी0सी0 तथा दो कि0मी0 पी0एम0एस0डी0बी0सी0 कराये जाने तथा दोनों नालों का निर्माण कराये जाने तथा भरतपुर रोड से अडूकी ग्राम के अन्दर तक सड़क का निर्माण जनहित में लोक निर्माण विभाग से तत्काल कराये जाने हेतु इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के प्रश्न पर तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।

फिरोजाबाद नगर में पीने के पानी की अत्यन्त विकराल समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा-

[महोदय, फिरोजाबाद नगर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है, जोकि अपने कांच के उत्पादों के कारण पूरे देश ही नहीं अपितु विश्व भर में प्रसिद्ध है।

वर्तमान में नगर फिरोजाबाद की पेयजल व्यवस्था भूमिगत जल पर निर्भर है। फिरोजाबाद में इस समय लगभग छोटे-बड़े दो सौ नलकूप कार्यरत हैं, परन्तु भूमिगत जल का स्तर अत्यधिक नीचा हो जाने के कारण इन नलकूपों से मिलने वाला जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसके कारण नगर में पीने के पानी की अत्यधिक विकराल समस्या बनी हुई है। पानी की अनुपलब्धता के कारण जनता द्वारा आये दिन सड़कों पर जाम लगाया जा रहा है एवं आपस में छोटे-बड़े झगड़े हो रहे हैं। जिसके कारण आये दिन शहर की कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का खतरा बना हुआ है साथ ही शासन की छवि भी धूमिल हो रही है।

20 अक्टूबर, 2008 को नगर फिरोजाबाद की सीमा विस्तार के फलस्वरूप 13 ग्रामसभायें नगर सीमा में सम्मिलित की गयी थीं, जिनकी आबादी 2001 की जनगणना के अनुसार 200954 थी। उक्त बढ़े हुए क्षेत्र एवं बढ़ी हुई आबादी (वर्तमान में लगभग 4 लाख) के लिए पेयजल योजना नहीं

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बनी है। उक्त के फलस्वरूप जहां नगर की पुरानी आबादी भूमिगत जल के श्रोत खत्म होने के कारण पानी से वंचित है, वहीं नगर सीमा में सम्मिलित नई आबादी को किसी योजना के अन्तर्गत समाहित न करने के कारण इस क्षेत्र की जनता पानी से वंचित है।

उपरोक्त समस्याओं के समाधान के विषय में मेरे निम्न सुझाव हैं :-1-पूरे शहर का रि-आर्गनाइजेशन सर्वे कराया जाय, 2-लखनऊ, मथुरा की भांति नगर फिरोजाबाद को यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 के द्वितीय फेस में शामिल किया जाय, 3-फिरोजाबाद नगर को पेयजलापूर्ति हेतु निचली गंगा नहर प्रणाली (जेड़ा झाल) से जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय, 4-नगर फिरोजाबाद के बाहरी सीमा से भू-गर्भ जल का संरक्षण करते हुए पाइप लाइनों के माध्यम से जल की उपलब्धता करायी जाय, 5-नगर से सटे हुए रजवाहों, बम्बों में नहरों का पानी छोड़ा जाय जिससे कि नगर के भूमिगत जल का स्तर बढ़ सके, 6-नगर की बाहरी सीमा से गुजरने वाली यमुना नदी पर वाटर वर्क्स का निर्माण कराकर पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जाय।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय का सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए नगर फिरोजाबाद में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर कस्बे में मंडली गली में विद्युत तार टूटने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती सीमा

[महोदय,

जनपद जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर कस्बा जो कि नगरपालिका की परिधि में आता है। पिछले एक हफ्ते के अन्दर विद्युत आपूर्ति के समय तार गिरने से दुर्घटना होते-होते बची। बीते दिनांक 28-5-12 को पुनः तार टूटने से दो लोग झुलस गये जब मैंने जे0ई0 और एस0डी0ओ0 से बात किया तो उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है और न ही हम आपके नौकर हैं। ऐसी स्थिति में विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है।

अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल मुंगरा बादशाहपुर कस्बे में मछली गली तथा पूरे बाजार के समस्त तार को नया करके दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करती हूं।]

रूदौली क्षेत्र के अन्तर्गत रामसनेही घाट ग्राम पंचायत सलेमपुर निवासी श्री अजीत यादव एवं 4 अन्य लोगों की टंकी फटने से मृत्यु हो जाने पर प्रशासन द्वारा कोई सहायता उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रामचन्द्र यादव-

[महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत तहसील रामसनेहीघाट ग्राम पंचायत सलेमपुर मजरे सिटकहा निवासी अजीत यादव पुत्र श्री अवध बिहारी यादव की मेंथायल की फसल की पेराई के दौरान टंकी फटने से दिनांक 22-5-2012 को घायलावस्था में रामसनेहीघाट प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया गया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वहां पर चिकित्सकों की अनुपलब्धता के चलते लखनऊ के सिप्स में बर्न यूनिट लाकर भर्ती किया गया। जहां उनकी दिनांक 26-5-2012 को मृत्यु हो गयी। घायल को न तो समय पर इलाज उपलब्ध कराया जा सका और न ही मृतक के परिवार को कोई सरकारी सहायता प्रदान की गयी।

इसी प्रकार की एक घटना दिनांक 26-5-2012 को घटित हुई जिसमें रूदौली विधान सभा की तहसील रूदौली जनपद फैजाबाद की ग्राम पंचायत करीमपुर में भी मेंथायल की टंकी फटने से 1-कमलेश कुमारी पत्नी श्री राम उजागिर निवासी ग्राम बाबू का पुरवा करीमपुर, 2-श्री परमेश पुत्र राम समुझ ग्राम बाबू का पुरवा करीमपुर, 3-राम उजागिर पुत्र राम बरन ग्राम बाबू का पुरवा करीमपुर तथा 4-श्री राम नेवाज पुत्र बद्री मो0 मंगल बाजार कस्बा रूदौली गम्भीर रूप से घायल हो गये हैं। घायलावस्था में उन्हें जिला अस्पताल फैजाबाद में भर्ती कराया गया है। आज चार दिन व्यतीत होने के बाद भी जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी घायलों से मिलने नहीं गया न ही किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है।

उपरोक्त दोनों घटनाओं में सभी पीड़ित खेतिहर मजदूर हैं। इस गम्भीर घटना में स्थानीय प्रशासन द्वारा लापरवाही तथा अनदेखी किये जाने से क्षेत्रीय जनता में गहरा आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त घटनाओं में पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मेरठ में धारा-6 की विज्ञप्ति जारी हो जाने के कारण तहसील अभिलेखों में बरती जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री संगीत सिंह सोम-

[महोदय,

जनपद मेरठ के दौलतपुर ईकड़ी पथोली, दबथुआ, महादेव व सरधना आदि गांवों में चकबन्दी प्रक्रिया लम्बे समय से चली आ रही थी। गांव के किसानों द्वारा चकबन्दी प्रक्रिया दौरान जमीनों के बैनामे कराये गये जिनका दाखिल खारिज भी चकबन्दी रिकार्ड नक्शा 23 में हो गया था। इसके बाद शासन द्वारा कुछ समय पहले अचानक धारा-6 की विज्ञप्ति जारी कर दी गई। जिसमें समस्त अभिलेख तहसील को वापस कर दिये गये। परन्तु खेद का विषय है जिन किसानों द्वारा जमीन खरीदी गई थी एवं नाम भी चकबन्दी अभिलेखों में दर्ज हो गया था, तहसील द्वारा बनाई गई खतौनी में जमीन खरीदने वाले किसानों के नाम अंकित नहीं किये गये। जिस कारण बड़ी संख्या में किसानों को स्टाम्प शुल्क देने के बावजूद जमीन से वंचित होना पड़ रहा है। धारा-छः जारी हो जाने के कारण विक्रेता किसानों के नाम पुनः तहसील अभिलेखों में आ गये हैं।

किसानों की समस्याओं के निराकरण हेतु चकबन्दी प्रक्रिया दौरान जो बैनामे कराये गये उन सभी क्रेता किसानों के नाम तहसील अभिलेखों (खतौनी) में भी दर्ज होने चाहिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तहसील अभिलेखों (खतौनी) में क्रेता किसानों के नाम दर्ज कराने की मांग करता हूं।]

कानपुर महानगर के बाहरी क्षेत्रों में गम्भीर जलभराव की समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सतीश महाना-

[महोदय,

आगामी बारिश के मौसम में कानपुर महानगर के बाहरी क्षेत्रों में जिसमें यशोदा नगर, गोपालनगर, शंकराचार्य नगर, गांधीग्राम, पटेल नगर, संजीव नगर, खाण्डेपुर, अर्रा, बिनगवां आदि क्षेत्रों में गम्भीर जलभराव की समस्या बनी हुई है। बारिश के मौसम में इन क्षेत्रों में आवागमन प्रायः ठप्प हो जाता है। लोग न तो अपने घरों में आने की स्थिति में रहते हैं न निकल सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। शहरी क्षेत्र में भी इस प्रकार का जीवन यापन करने के लिए लोग मजबूर हैं, यह बड़ी विडम्बना की बात है। आगामी बारिश आने के पहले ही उक्त क्षेत्रों में जलभराव न हो इस हेतु आवश्यकतानुसार नाली निर्माण, रेन वाटर ड्रेनेज तत्काल बनाया जाय साथ ही में जल भराव के कारण कई दिनों तक जल निकासी न होने की वजह से गम्भीर बीमारियों का भी खतरा हमेशा बना रहता है। कई बार उक्त बीमारियों में स्वास्थ्य एवं जानमाल का नुकसान हुआ है। लोग दहशत के कारण क्षेत्र छोड़ने को तैयार हैं।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर के अन्तर्गत खरीद दरौली घाट घाघरा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। बलिया जनपद के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर के तहसील सिकन्दरपुर के अन्तर्गत खरीद दरौली घाट घाघरा नदी पर पिछली माननीय मुलायम सिंह सरकार द्वारा पीपे के पुल का निर्माण हुआ था। इस पुल के बन जाने से बलिया और बिहार के सीवान, छपरा जाने व गोपालगंज आदि जनपदों में आवागमन होता है। लगभग 200 कि0मी0 दूरी हो जाती है। बिहार बलिया के बीच व्यापार भी होता है। घाघरा नदी के किनारे के जितने भी गांव हैं दुग्ध उत्पादन का केन्द्र है उनको भी इस पुल से बहुत लाभ है।

मेरी सरकार से मांग है कि घाघरा नदी के खरीद दरौली घाट पर पीपे के पुल की जगह पक्का पुल का निर्माण कार्य इसी बजट सत्र में स्वीकृति प्रदान की जाय।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड रामपुर मथुरा में घाघरा/शारदा व चौका केवानी नदियों में बाढ़ आने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू-

[मान्यवर,

मैं आपका ध्यान जनपद सीतापुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सेवता के अन्तर्गत दिलाना चाहता हूं कि जनपद सीतापुर में तहसील बिसवां एवं तहसील महमूदाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास खण्ड रेउसा, वि0 खं0 सकरन तथा वि0ख0 रामपुर मथुरा में घाघरा/शारदा व चौका केवानी नदियों का कहर 15 जून से प्रति वर्ष जारी हो जाता है। भयंकर बाढ़ से हजारों एकड़ भूमि प्रभावित हो जाती है फसलें नष्ट हो जाती हैं तथा नदी के कटान से सैकड़ों गांव के अधिकांश मकान भूमि सहित नदी में समाहित हो जाते हैं। जनपद सीतापुर में मात्र विधान सभा क्षेत्र 150 सेवता ही सर्वाधिक रूप से प्रभावित होता है यहां तक कि लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच जाते हैं जानवरों को चारा तक नसीब नहीं होता है। बाढ़ के पानी से गांव के गांव घिर जाते हैं जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। यहां लोग इस विषम परिस्थति से आन्दोलित हैं यह एक महत्वपूर्ण का विषय है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को बाढ़ आने से पूर्व ही शासन के माध्यम से ध्यान आकर्षित करते हुए जीवन रक्षक उपकरण, स्टीमर, नावों एवं बाढ़ चौकियों तथा खाद्य सामग्री का भण्डारण ब्लाक स्तर पर अभी से कराये जाने की मांग करता हूं।]

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद द्वारा चयनित सैकड़ों अभ्यर्थियों की नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[महोदय,

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इलाहाबाद द्वारा चयनित सैकड़ों अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति के लिये लगभग 2 वर्षों से दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। बोर्ड द्वारा 20 जनवरी, 2009 को विज्ञापन संख्या-1/2009 द्वारा टी0जी0टी0 एवं पी0जी0टी0 की सभी वर्गों की भर्ती हेतु विज्ञापन निकाला तथा 13-9-2009 से 20-9-2009 तक टी0जी0टी0 तथा 31-1-2010 से 7-2-2010 तक पी0जी0टी0 की लिखित परीक्षा कराई। जुलाई, 2010 से अक्टूबर, 2010 तक परिणाम घोषित करके नियुक्ति-पत्र जारी किये गये किन्तु आज तक प्रबन्धतंत्र तथा जिला विद्यालय निरीक्षकों की सांठ-गांठ से लगभग 97 % चयनित शिक्षकों को नियुक्ति नहीं मिल सकी है।

नियुक्ति न मिल पाने के कारण यह सभी लोग अनिश्चित भविष्य के कारण घोर मानसिक तथा आर्थिक यंत्रणा झेल रहे हैं। धरना-प्रदर्शन का भी कोई असर नहीं हो रहा है। अब यह लोग आमरण अनशन करने जा रहे हैं। इनको देखकर अन्य लोगों में भी हताशा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर मा0शि0से0 चयन बोर्ड द्वारा चयनित सभी शिक्षकों को समयबद्ध अतिशीघ्र सीमा में नियुक्ति दिलाने की मांग करता हूं।]

जनपद महोबा में भयंकर आंधी तूफान से हुई तबाही के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद महोबा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में दिनांक 11-4-12 बुधवार की शाम जब गांवों के ज्यादातर लोग खेतों पर काम में व्यस्त थे तभी ढाई सौ से लेकर एक कि0 ग्राम तक ओले गिरे एवं भयंकर आंधी तूफान से आई आफत से सैकड़ों गांव तबाह हो गये एवं सैकड़ों लोग घायल हो गये। आंधी और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें पूर्णता बरबाद हो गयीं बड़ी संख्या में मकान तहस-नहस हो गये अनेक लोगों की अकाल मृत्यु हो गयी। ओलो के चपेट में आने, आकाशी बिजली गिरने तथा चक्रवात का सबसे बुरा असर जनपद महोबा के साथ-साथ हमीरपुर, ललितपुर, झांसी तथा जालौन जिलों में हुआ है। मेरे क्षेत्र के श्रीनगर थाना क्षेत्र के गांवों में अत्यधिक क्षति हुई है। घायलों का इलाज अभी भी चल रहा है। पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता, रोजगार एवं घायलों को इलाज की सुविधा न मिलने के कारण ज्यादातर किसानों को खाने के लाले पड़े हैं क्षेत्र के लोगों में अभी भी भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त प्रकरण में पीड़ित परिवारों को उचित इलाज एवं आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के साथ-साथ प्रशासन की उदासीनता के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की भी मांग करता हूं।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के अन्तर्गत बस्ती शाखा में ग्राम लटिया में प्रस्तावित साइफन का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[मान्यवर,

मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम लटिया के पास कि0मी0 112.370 पर प्रस्तावित साइफन के निर्माण की ड्राइंग दिनांक 4-1-2007 को स्वीकृत हुआ था। परन्तु मुख्य अभियन्ता सरयू नहर परियोजना-2 सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश गोण्डा द्वारा पत्रांक संख्या-5772 (1)/मु0अ0 (स0प0-2) दिनांक 5 जुलाई, 2008 को अधिशासी अभियन्ता सरयू नहर खण्ड प्रथम बांसी सिद्धार्थनगर से किन्हीं कारण वश यह कार्य हटाकर सरयू नहर खण्ड-5 गोण्डा को स्थानान्तरित कर दिया गया था, परन्तु खेद है कि इस खण्ड द्वारा भी आज तक साइफन का निर्माण कार्य नहीं कराया गया।

उक्त कार्य न होने के कारण इस इलाके के लगभग 50 गांवों के किसानों के दो हजार हेक्टेयर धान की फसल अतिवृष्टि एवं जलजमाव होने के कारण पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है और

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रबी के बुवाई के काफी समय तक पानी जमा रहता है, जिसके कारण गेहूं के फसल की बुआई सही समय पर नहीं हो पाती है। जिससे किसानों में रोष व्याप्त रहता है।

अतः आपके माध्यम से इस लोक महत्व के अविलम्बनीय सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराने का कष्ट करें जिससे 50 गांवों के किसानों के फसलों को बरबाद होने से बचाया जा सके और उक्त स्थान पर साइफन का निर्माण कराने के लिए सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें।]

सम्पूर्ण प्रदेश में गर्मी के मौसम में हुये अग्नि कांड के पीड़ितों को सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अभय नारायण पटेल-

[महोदय,

लगभग सम्पूर्ण प्रदेश में गर्मी के मौसम में गांवों में अग्निकाण्ड की घटनाएं होती हैं। इस प्रकार की घटनाओं में प्रदेश के निर्बल वर्ग से लेकर सम्पन्न लोग भी प्रभावित होते हैं। अग्निकाण्ड से पीड़ितों को आर्थिक सहायता के नाम पर इस मंहगाई में भी प्रति घर रु0 2,500/-(रुपये दो हजार पांच सौ) मात्र की आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। जहां तक मुझे ज्ञात है यह आर्थिक सहायता कभी 250/-से प्रारम्भ की गयी थी और आजादी के छः दशक से अधिक का समय व्यतीत हो गया है तथा प्रदेश की 16वीं विधान सभा गठित हो चुकी है। प्रदेश के अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों के वेतन में हजारों गुना की वृद्धि हो चुकी है किन्तु अग्निकाण्ड से पीड़ितों की ओर किसी सरकार का ध्यान नहीं गया।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस लोक महत्व के प्रश्न को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के अग्निकाण्ड से पीड़ितों को प्रति घर कम से कम रु0 50,000/- की आर्थिक सहायता की व्यवस्था करने का कष्ट किया जाय।]

जनपद आगरा में विकास खण्ड खंदौली के गांव नगला चतुरा में गांव सिकन्दरपुर तक यमुना नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 धर्मपाल सिंह-

[महोदय,

उपरोक्त विषयक आपका ध्यान आकृष्ट कर अवगत कराना है कि जनपद आगरा के ब्लाक खंदौली में यमुना नदी के किनारे गांव गिजौली, डेरा बंजारा, धिंगरौली, नगला चतुरा, गढ़ी दौलता, गढ़ी अजीता, नगला भवानी, गिजौली खास नगला सपेरा, सोनिया, हाजीपुर खेड़ा, सौरई, भूड़ नगरिया, नगला रामबल, पर्वतपुर आदि पचासियों गांव बसे हुए हैं। इन सभी गांवों के लोगों को आगरा आने के लिए 35-40 कि0मी0 का रास्ता आगरा शहर के अति व्यस्ततम चौराहों यथा खंदौली, रामबाग, वाटर वर्क्स, सुल्तानपुर की पुलिया एवं भगवान टाकीज से गुजरते हुए तय करना पड़ता है। इन गांवों के अधिकतर युवा आगरा स्थित विभिन्न फैक्ट्रियों में कार्य करते हैं तथा कई बड़ी शिक्षण

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संस्थायें/विश्वविद्यालय दयाल बाग एवं निकट क्षेत्रों में स्थित होने के कारण हजारों की संख्या में छात्र/छात्राओं का भी आगरा आना-जाना लगा रहता है। आगरा शहर में यातायात का दबाव पूर्व से ही अत्यधिक होने के कारण दिनों-दिन प्रदूषण में इजाफा हो रहा है। सुगम यातायात न होने के कारण अधिकांश युवा वर्ग एवं छात्र/छात्राओं को अपने घरों से दूर रहना पड़ता है जिसके कारण समय एवं धन तो अधिक लगता ही है साथ ही दुर्घटना की संभावनाओं को भी बल मिलता है। इस पुल के निर्माण से दिल्ली से अलीगढ़ को जाने वाले वाहन आगरा शहर में प्रवेश न करके सीधे अलीगढ़ आ-जा सकेंगे। यदि गांव नगला चतुरा से सिकन्दरपुर के बीच यमुना नदी पर पुल का निर्माण करा दिया जाता है तो पचासियों गांवों से लाखों की संख्या में आगरा आने-जाने वाले किसान, युवा एवं छात्र/छात्राओं के समय और धन दोनों की बचत होगी तथा शहर में यातायात का दबाव कम होने से शहर में बढ़ रहे प्रदूषण की रोकथाम में भी मदद मिलेगी।

लोक महत्व के इस विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद गौतमबुद्धनगर में नोएडा प्राधिकरण द्वारा विगत 5 वर्षों के अन्तर्गत आवंटित 5 प्रतिशत किसान कोटे में गलत नीति के तहत भारी घोटाले की उच्चस्तरीय जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मदन चौहान-

[महोदय,

जनपद गौतमबुद्ध नगर में किसानों की भूमि अधिग्रहीत किये जाने तथा 5% भूमि भू-खण्ड आवंटित करने में भारी रकम या भूमि लेकर अधिकारियों द्वारा पक्षपात पूर्ण तरीके से भूमि भू-खण्ड का कुछ चहेतों को आवंटन किया गया है जो कि कुछ लोगों को विकसित अच्छे सेक्टरों में आवंटन किया गया। साथ-साथ अपात्र लोगों को पात्र बनाकर आवंटन किया गया जिससे सरकार को भारी राजस्व हजारों करोड़ों की हानि हुई तथा अधिकारियों व बिचौलियों ने भारी रकम कमाई यह सूचना जनहित व राजस्व के घोटाले से जुड़ी है जिसकी उच्च स्तरीय शासन से जांच कराने हेतु तथा आवंटित भू-खण्डों की स्वामियों की सूची प्रकाशित कर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु दोषियों की सम्पत्ति व जांच की मांग करता हूं ताकि कार्यवाही हो सके।]

लखनऊ जिला जेल जो ऐतिहासिक जेल थी को मा0 काशीराम इको गार्डन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शारदा प्रताप शुक्ला-

[महोदय,

मैं आपका ध्यान लखनऊ जिला जेल जो ऐतिहासिक जेल है। वर्ष 1930 में साइमन कमिशन का विरोध करते हुए पं0 जवाहर लाल नेहरू, गोविन्द बल्लभपंत आदि आजादी की लड़ाई लड़ने वाले तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का यहां इतिहास दर्ज था, साथ ही आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वाले लोकतंत्र रक्षक सेनानी 25/26 जून, 1975 से 19 माह तक कैद रहे हैं। जिसमें स्व0 रामसागर मिश्रा एम0एल0सी0 एवं स्व0 हिदायत अली महमूदनगर, मलिहाबाद की शहादत हुई थी और आपात काल समाप्त होने के बाद लोकतंत्र रक्षक सेनानी छूटे जिन्हें तत्कालीन मुख्य मंत्री मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने सम्मानित किया था। उस जेल को बसपा सरकार ने तोड़कर मान्यवर, कांशीराम ईको गार्डन बना दिया। ईको गार्डेन में सर्वहारा वर्ग का कोई व्यक्ति नहीं जाता है क्योंकि उस गार्डेन में 25 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से टिकट लगता है। मेरा सुझाव है कि इस आधुनिकता लिए हुए विकसित शहर में एक गर्ल्स यूनिवर्सिटी की नितान्त आवश्यकता है जो बना दी जाय और पास में 91 एकड़ जमीन में जहां स्मारक के रूप में मान्यवर, कांशीराम व कुमारी मायावती जी प्रतिमा खड़ी है उसे बच्चों के खेल का मैदान बना दिया जाय तथा बुद्ध बिहार जहां मान्यवर, कांशीराम व मायावती जी की मूर्तियां अनावश्यक रूप से लगी हैं जहां पर तत्काल लड़कियों का गर्ल्स हास्टल बनाये जाने की आवश्यकता है जिससे वहां के लोगों को बेहतर शिक्षा संस्थान मिल सके। वहीं पर पास में पुराना पकड़ी का पुल जो सैकड़ों वर्ष पहले अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था उसको पिछली सरकार द्वारा तोड़वाकर बन्द कर दिया गया है। जिससे स्थानीय लोगों को आने-जाने में असुविधा होती है तत्काल उसे चालू कराया जाय।

अतः इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

सहारनपुर नगर निगम का चुनाव अन्य निकायों के साथ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राघव लखनपाल शर्मा-

[महोदय,

सहारनपुर नगर निगम की घोषणा 2.5 वर्ष पूर्व की गयी थी और कोई बोर्ड गठित नहीं हुआ है। पिछली सरकार द्वारा चुनाव नहीं कराया गया। 22 मार्च, 2012 को मेरे द्वारा आयुक्त, सहारनपुर मण्डल को लिखित रूप में यह आग्रह किया गया था कि मतदाता सूचियों का कार्य समय से करा लिया जाय ताकि सहारनपुर नगर निगम का चुनाव भी अन्य नगर निकायों के साथ सम्पन्न हो सके। प्रशासन की लापरवाही के चलते मतदाता सूचियों का कार्य पूरा नहीं हो पाया है और अब इस चुनाव को टाला जा रहा है। यह जनहित के विपरीत है क्योंकि सहारनपुर नगर की दुर्दशा है। सीवर, सड़क, पीने का पानी नहीं है। जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है। सभी विकास कार्य बाधित हैं। जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने तथा सहारनपुर नगर निगम के चुनाव शीघ्र कराये जाने की मांग करता हूं।]

श्री इन्द्रजीत सरोज द्वारा स्वयं की सुरक्षा विषयक नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष-

यह विधायक जी का कुछ व्यक्तिगत मामला है। आप कह लीजिए।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने 300 के अन्तर्गत एक सूचना दिया है।

श्री अध्यक्ष-

300 में तो नहीं आता है। लेकिन व्यक्तिगत है इसलिए कह लीजिए।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, मेरी सुरक्षा से सम्बन्धित है, मुझे सदन में भाग लेने में कठिनाई हो रही है इसलिए मैंने औचित्य का प्रश्न लगाया। मान्यवर, जैसा कि भारत के संविधान में हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। मान्यवर, 2005 में जब माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी, मेरे ऊपर कई बार जानलेवा हमला हुआ जिसको मैंने समय-समय पर आपको अवगत कराने का काम किया आपने समय-समय पर डी0एम0, एस0पी0 से भी बात किया लेकिन उस समय उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और मुझे समुचित सुरक्षा नहीं दी गयी। मैंने अपनी सुरक्षा को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का काम किया 2005 में। 2006 में माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को यह निर्देश दिया कि इनकी जानमाल की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें समुचित सुरक्षा देने की कार्यवाही करें। मैंने उस निर्देश को लगाकर कई बार शासन स्तर पर मैंने अपनी सुरक्षा की मांग किया लेकिन फिर भी उस पर कार्यवाही नहीं हुई। 2007 में जनवरी में सदन चल रहा था और तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी यहीं पर सदन में विराजमान थे और आप भी अध्यक्ष के रूप में उस पीठ पर आसीन थे। मैंने जब अपनी सुरक्षा को लेकर आवाज उठाई, आपके सामने अपनी बात रखी कि माननीय हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद भी मुझे समुचित सुरक्षा देने का काम नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह यादव जी उसम समय खड़े हुए और आपके निर्देश आने के पहले उन्होंने कहा कि सदस्य की व्यक्तिगत सुरक्षा का मामला है हम माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का अक्षरशः पालन करेंगे और उन्होंने उसी दिन मुझे एक अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करा दिया।

जनवरी, 2007 से लेकर मार्च, 2012 तक लगातार वह सुरक्षाकर्मी मेरे साथ तैनात था, लेकिन जैसे ही यह नई सरकार का गठन हुआ, बिना कोई कारण बताये मेरा वह सुरक्षाकर्मी वापस ले लिया गया। जबकि जिस शासनादेश के तहत मुझे जो सुरक्षाकर्मी दिया गया था, उस शासनादेश के विरुद्ध कोई नया शासनादेश भी नहीं हुआ, मैंने प्रमुख सचिव, गृह के यहां पता भी किया, लिखकर भी दिया तो मौखिक रूप से यह कह दिया गया कि यहां से आपकी सुरक्षा वापस करने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया। लेकिन एस0पी0, कौशाम्बी ने मनमाने तरीके से मेरा अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में दिया था, उसको वापस कर लिया गया, अब मुझे न एस0पी0 सुरक्षाकर्मी दे रहे हैं और न शासन स्तर से मुझे सुरक्षाकर्मी देने के लिये कोई आदेश हो रहा है। इसलिए मुझे सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिये काफी कठिनाई महसूस हो रही है। जिस दिन यह मतगणना हुयी थी, उस दिन मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, यह घटना प्रमुखता से टी0वी0 चैनलों पर भी चली थी और अखबारों में भी छपा था और इसकी एफ0आई0आर0 भी जनपद कौशाम्बी के थाना पिपरी में दर्ज है। तो इसलिए मैं आपके सामने औचित्य के विषय में इस प्रश्न को लाया हूं। जब शासनादेश नहीं हुआ तो पुलिस अधीक्षक,

कौशाम्बी ने मेरे सुरक्षाकर्मी को कैसे वापस ले लिया। किसी को सुरक्षा देने के लिये उच्च स्तरीय शासन स्तर पर एक समिति बनी हुयी है उस कमेटी ने कोई निर्णय नहीं किया फिर से कोई शासनादेश नहीं जारी हुआ तो इस तरह से यह माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन भी हो रहा है। वर्ष 2007 में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी उस समय बैठे थे, माननीय मुलायम सिंह जी ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का उस समय पालन किया था और मुझे अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी दिया था और वह निर्बाध रूप से मेरे साथ तैनात था जो अकारण वापस ले लिया गया, इस मामले पर आप मान्यवर, व्यवस्था देने की कृपा करें, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री विजय कुमार द्वारा खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

पंडित जी आप बैठिये, पहले मंत्री जी का जवाब आ जाने दीजिये।

श्री विजय कुमार-

यदि आपका आदेश हो तो इनके प्रश्न के सम्बन्ध में दो शब्द में उत्तर दे दूं।

संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

हमें सब मालूम है। माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी कृपा की माननीय सदस्य ने कि उस सरकार का हवाला दिया जिससे पहले भी आपकी सरकार रही थी और उस मुख्य मंत्री का हवाला दिया जिससे पहले आपकी मुख्य मंत्री रही थीं। मैं हमेशा कहता हूं कि टेढ़ी बुनियाद पर कभी सीधी इमारत नहीं बनती, फसल वो ही काटी जाती है जो बोई जाती है। इस उदारता के लिये बहुत धन्यवाद आपका। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने आपको सुरक्षा दी, अतिरिक्त सुरक्षा दी, जो आपको मिली। 2007 से 2012 तक भी वह सुरक्षा आपके साथ रही, बावजूद इसके कि आप प्रभावी मंत्री थे सरकार के। आपको वह सुरक्षा वापस कर देनी चाहिये थी, क्योंकि आपकी मंत्री के तौर पर सुरक्षा उस सुरक्षा से कहीं ज्यादा थी आपने उसका अनैतिक लाभ लिया। हाईकोर्ट ने जो आपको राहत दी थी, वह राहत उस दिन समाप्त हो गयी जिस दिन आपको मंत्री के रूप में मंत्री की सुरक्षा मिल गयी। यह राजनैतिक बेईमानी थी आपकी कि आपने वह सुरक्षा, जो आपको मात्र एक विधायक के तौर पर मिली थी, वह आपने अपनी सहूलियत बरकरार रखी। उससे आपकी शानो-शौकत बढ़ी। ये भी याद कीजिये कि जब आपकी सरकारें आईं तो हमारे जैसे लोग जिन्हें जेड श्रेणी की सिक्योरिटी प्राप्त थी, वह हमें किसी सरकार ने नहीं दी थी, बल्कि केन्द्र सरकार ने इसके लिये लिखा था। हमें वह सुरक्षा राज्यपाल महोदय से मिली थी क्योंकि नारा लगा था कि जो ''आजम का सर लायेगा वही राम भक्त कहलाएगा'' हमारे भाजपा के साथी बुरा न मानें, मैं इन पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूं, आप सत्ता में नहीं आये थे सत्ता में ये आये थे। हमारी सुरक्षा वापस हुई, फिर सरकार आई फिर जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली, फिर सुरक्षा वापस हुई। मान्यवर, यह सदन गवाह है कि इस सरकार में वह काम हुए हैं जिसके पाप की सजा अभी नहीं मिली है। हम वहां बैठे थे, आप यहां बैठे थे और हमारे एक सवाल के जवाब में दो पेज का जवाब मा0 मुख्यमंत्री जी का आया, जिसे मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने पढ़ा और यह पढ़ा कि जौहर विश्वविद्यालय की सुरक्षा की जाएगी, दो पेज का बयान और जिस वक्त यह जवाब पढ़ा जा रहा था उस वक्त जौहर विश्वविद्यालय में बुल्डोजर चलाये जा रहे थे।

आपको क्या अधिकार होता है वह सुरक्षा जो आपको माननीय मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने दी थी, वह सुरक्षा उसी दिन समाप्त हो जानी चाहिए थी जिस दिन आप मंत्री बने थे। इस पर जवाब तलब होना चाहिए उस वक्त के एस0पी0 से कि वह सुरक्षा क्यों नहीं वापस ली गई। अब नये सिरे से आपको सुरक्षा की जरूरत है, इसका परीक्षण होगा, अगर जरूरत है तो जरूर दी जाएगी और अगर नहीं है तो पुराने दृष्टान्त हैं, आपकी ही समिति बनी हुई है, आपने ही समिति बनाई थी, आपके ही नियम हैं, आपका ही आदेश है नहीं देने का, अब आपका यदि आदेश न मानें तो आप अभी वाक्आउट कर जायेंगे तो अभी तो हम आपका आदेश मान रहे हैं। नये आदेशों का जब वक्त आयेगा तो देखा जायेगा।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, शासनादेश के विरुद्ध सुरक्षा वापस ली गई है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये हम बता रहे हैं। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, यह विधायक का प्रश्न है, यह अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं इसकी तत्काल जांच करा लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, विधायक का मामला है लेकिन केवल इन विधायक का मामला नहीं है और भी बहुत से विधायक हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी जो मामला अभी विधायक जी ने उठाया है उसका परीक्षण करा लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपके माध्यम से एक बात साफ होनी चाहिए। मा0 सदस्य के पास सुरक्षा है, विधायक के रूप में उनके पास सुरक्षा है, यही सुरक्षा हमारे पास भी थी जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा होने के बावजूद। शानोशौकत के लिए तो सुरक्षा नहीं दी जा सकती।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सरोज जी, आपके पास गनर है ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि इस शासनादेश को विखण्डित करने का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है फिर भी सुरक्षा वापस ले ली गई।

श्री देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह-

मान्यवर, गनर की बात नहीं है, हाईकोर्ट के आदेश का पालन होगा या नहीं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी की बातें आ गईं और मा0 सरोज जी की भी बातें आ गईं, इस पर हम आपका संरक्षण चाहेंगे। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को भी बीती बातों को बिसार कर।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त होकर सुनें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी जहां बैठे हुए हैं वहां बैठने के बाद भेदभाव और पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

बिल्कुल नहीं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

और मान्यवर, हम अपेक्षा करें कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी दे देंगे, मान्यवर, देना तो बहुत दूर गनीमत है कि वह अभी तक पेपरवेट फेंककर नहीं मारे। इसलिए मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा कि आप उदारतापूर्वक कोई निर्णय लें।

श्री अध्यक्ष-

देखिये, मैंने कहा कि परीक्षण करा लें और अगर आवश्यकता है तो दिला देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं मान्यवर, इसमें परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कि माननीय सदस्य को सुरक्षा मिली हुई है और वही सुरक्षा इन्हें भी मिली है। इनके साथ कोई खास सुलूक नहीं हो सकता, शानो-शौकत के लिए सुरक्षा नहीं दी जा सकती।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, पीठ से निर्देश दिये जाने के बावजूद भी संसदीय कार्य मंत्री जी जिस तरीके से द्वेष भावना से प्रेरित हो करके पीठ का अपमान कर रहे हैं, यह केवल पीठ का अपमान नहीं है सदन का अपमान है और हम समझते हैं कि इस लोकतंत्र में बदले की भावना का कोई स्थान नहीं है। इस पर आपका संरक्षण चाहिए। यह खुल्लमखुल्ला पीठ का उल्लंघन है, पीठ के आदेशों की अवहेलना है, पीठ का अपमान है, इस सदन का अपमान है। जब इस पीठ का सम्मान नहीं रहेगा तो इस सदन में बैठने का औचित्य क्या है ? इसलिए मान्यवर, इस गम्भीर मामले का आप संज्ञान लेने का कष्ट करें।

*श्री विजय कुमार-

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आपसे मेरा सानुरोध निवेदन है कि इनके परिवार में कितने लाइसेन्स हैं, इसका पहले परीक्षण करा लें, श्री इन्द्रजीत सरोज जी से हमारा पारिवारिक रिश्ता रहा है जो इससे पहले डी0जी0 श्री बृजलाल साहब जी रहे हैं वह एस0पी0, आर0ए0 इलाहाबाद भी रहे हैं। मा0 मौर्या जी एक मिनट सुन लें। यह हमारे जिले का मामला है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

औचित्य का प्रश्न मा0 इन्द्रजीत सरोज जी का है किसी और का नहीं है इसलिए उस विषय पर चर्चा का माहौल नहीं होना चाहिए। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं समाजवादी पार्टी सदन के अन्दर अगर [x x x] करेगी तो लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। इस पर आपका संरक्षण चाहिए।

श्री विजय कुमार-

इनके भाई ने तत्कालीन एस0पी0, आर0ए0 बृजलाल को एक गोली मार दी थी, जीप में लेट्रिन कर दी थी, ड्राइवर बेहोश हो गया था, इनके सगे भाई राम दुलार ने गोली मारी थी। वही डी0जी0 बृजलाल जी 1980-82 में एस0पी0, आर0ए0 इलाहाबाद रहे हैं। इनके भाई राम दुलार दो तीन साल तक जान बचाकर मेरे साथ रहे इसलिए मुझे घटना की जानकारी है। पचासों लाइसेन्स इनके पास हैं। अब धन बचाने के लिए इनको गनर नहीं दिया जायेगा। अब कानून का राज होगा। मा0 नेता प्रतिपक्ष जी, आपका राज नहीं चलेगा। जिन हालातों में आपने लाइसेन्स निरस्त कर दिया, पत्नी पर गोली चलवा दी और मुकदमा नहीं लिखा, मैं तो इन्द्रजीत सरोज जी धन्यवाद दूंगा। समाजवादी की सरकार पार्टी को कि आपका मुकदमा लिख गया।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, जो स्वयं इतने बड़े अपराधी हैं वह इस तरह की बात कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका निर्देश, आपका आदेश शिरोधार्य है, इस मामले को दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 498-ए के अन्तर्गत हजारों महिलाओं तथा उनके अबोध बच्चों को बेगुनाही के बाद भी जेल भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं, यह किसी दल से सम्बन्धित नहीं है, किसी व्यक्ति से सम्बन्धित नहीं हैं, यह मानवता से सम्बन्धित है, मानवीय पहलू पर संदर्भित है। 498ए, एक दफा है जिसका उपयोग दहेज उत्पीड़न के लिए किया जाता है। मैं पूरी सहृदयता के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि दहेज उत्पीड़न जहां भी हो उस पर कठोरतम कार्यवाही की जानी चाहिए। लेकिन एक बात यह व्यवहारिक रूप से देखी जा रही है कि दहेज उत्पीड़न के नाम पर पूरे परिवार के लोगों का नाम डाल दिया जाता है। मैं हजारों ऐसे दृष्टान्त दे रहा हूं जो उत्तर प्रदेश के जेल में बन्द हैं, उसमें 80 या 85 साल की वह बुजुर्ग महिलायें भी हैं जो चल और फिर नहीं पाती, अशक्त हैं उनके भी नाम हैं। मान्यवर, मुझे

नोट :-[x x x] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सबसे ज्यादा रहम आता है कि किसी महिला का नाम डाल दिया गया और उसके साथ एक साल की मासूम बच्ची, दो साल की मासूम बच्ची, चार साल की मासूम बच्ची है और वह छोड़ी नहीं जा सकती है घर में क्योंकि घर के सभी लोग नामजद हो चुके हैं। वह चार साल की बच्ची मैं जानना चाहता हूं हिन्दुस्तान के किस कानून के मुताबिक जेल में उन अण्डर ट्रायल के बीच में रह रही है। मैं सिर्फ एक विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं। मानवीय आधार पर मान्यवर, इनमें से बहुत से केसेस ऐसे हैं जिनमें तफ्तीस के बाद उन्हें निर्दोष पाया गया बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनमें तफ्तीस के बाद फाइनल रिपोर्ट भी लग गई। मान्यवर, लकिन 498 ए उनमें जो कुछ एक प्राविधान है वह किसी भी तरह से 80 साल की 90 साल की बुजुर्ग औरतों को भी जेल में डाले हुए हैं। वह दो साल, तीन साल, आठ साल की मासूम बच्चियों को जेल में डाले हुए हैं मेरा प्रश्न सिर्फ उन लोगों के बारे में है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि 498ए का एक उद्देश्य था कि कहीं दहेज से उत्पीड़न होने के बाद साधारण परिस्थितियों में लोग लाभ उठाकर बच न जाएं। लेकिन दहेज उत्पीड़न का जो दुरुपयोग हो रहा है वह इस नतीजे पर लेकर आया है कि इसका उपयोग तो कम हो रहा है दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। मैं आज उन हजारों महिलाओं के लिए जो जेल में बन्द हैं उन मासूम बच्चियों के लिए जिनकी जगह स्कूल में हैं और वह जेल में उन अपराधियों के बीच रह रही हैं और वह मासूम बचपन जो जेल में बन्द हैं जहां फाइनल रिपोर्ट लग गई जहां पर उनके बारे में यह सुविचारित तथ्य आ गया कि वह निर्दोष है तो आप भी मान्यवर, इसी समाज में रहते हैं मैं भी इसी समाज में रहता हूं। अगर किसी पति ने किया है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही होनी चाहिए किसी दोषी ने किया है उसके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही होनी चाहिए लेकिन एक अदद यह लिख देने से कि पूरे परिवार ने मिलकर प्रताड़ित किया है पूरे परिवार को जेल में न भेजा जाय इसीलिए मैंने यह औचित्य का प्रश्न उठाया है और मैं आपसे विनम्रतापूर्वक एक आग्रह करना चाहता हूं। मैं जब इस पर व्यवस्था मांग रहा हूं तो मैं आपकी भी मजबूरी समझ रहा हूं यह जो कानून है उसको और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपको भी समझ रहा हूं। लेकिन अगर मेरी बात कहीं से आपको अपील करती हो, मेरी बात में अगर कहीं व्यवहारिकता लगती हो तो मैं चाहता हूं कि आप व्यवस्था न दें आप बैठ जाएं सत्ता पक्ष की ओर से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी माननीय मुख्य मंत्री जी बैठ जाएं और जिन लोगों को आप चाहें नियुक्त कर दें हमारे वरिष्ठ नेता हुकुम सिंह जी हैं जिन लोगों को कानून की जानकारी हो मैं तो कहूंगा कि जेल मंत्री जी को भी बिठा लीजिए। सब लोग बैठकर एक रास्ता तय करें कि दोषी बचकर जाने न पाए लेकिन जो निर्दोष है 498 ए के अन्तर्गत उन महिलाओं का उत्पीड़न रोका जाय यही औचित्य का प्रश्न उठाने का मेरा मकसद है। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आपसे आग्रह करूंगा कि इसे जब चाहे आप निस्तारित करते हुए रिजेक्ट कर दीजिए लेकिन आज मत करिए। उसके पहले इस पर बैठक बुला लीजिए बैठक बुलाने के बाद अगर आपकी आत्मा आपका जमीर गवाही दे कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा को कुछ करना चाहिए तो यह वह विधान सभा है जो स्वयं में सक्षम है जो अपना कानून बना सकती है जो दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन रख सकती है तो मान्यवर, मेरी एक विनम्रतापूर्वक अपील है कि यह वह क्षण है यह वह प्रकरण है जिसमें उत्तर प्रदेश की विधान सभा की मानवता को मैं आवाज देता हूं उस मानवीयता को मैं आवाज देता हूं कि आओ हम सब दलों के बंधन तोड़कर उन निर्दोष लोगों के लिए इकट्ठे हो जाएं और निर्दोषों को बचाएं और दोषियों को सजा दी जाय। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, माननीय सदस्य पुराने सदस्य हैं, हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं और वह आई0पी0सी0 और सी0आर0पी0सी0 के बारे में ज्यादा जान सकते हैं कि यह सदन सक्षम है या नहीं। यह एक व्यापक प्रश्न है और इस पर व्यापक विचार होना चाहिए। इसमें भारत सरकार और अन्य प्रदेश सरकारों का इसमें कोई जब तक समन्वय न हो तब तक इस पर कोई अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता। लेकिन नियम-300 के अन्तर्गत जो आपने औचित्य का प्रश्न रखा है यह अलग बात है कि नहीं बनता लेकिन इसके बावजूद यह बहुत ही सेंसटिव सवाल है बहुत सच्चाई पर आधारित सवाल है हमें बनारस जेल का तजुर्बा है पौने दो साल इमरजेंसी में हमने आपकी कृपा से जेल काटी थी उसमें हमने ऐसे कैदियों को देखा था। मान्यवर, कई लोग ऐसे थे जो बहुत छोटी धाराओं में बन्द थे कोई उनकी जमानत लेने वाला नहीं था दूसरे प्रदेशों के लोग थे और वो वहीं मर गये थे। कोई पता नहीं कोई वारिस था, या लावारिस मर गये थे और यह उससे भी ज्यादा गम्भीर मामला है। इसके लिये जो सुझाव आपका है वही सुझाव मैं अपने साथियों से बात कर रहा था और मेरा विचार भी यही है कि आपकी अध्यक्षता में एक बाज याफ्ता मीटिंग बुला ली जाय मुख्यमंत्री जी को भी आप उसमें इन्वाइट कर लें और सभी दलों के नेताओं को बुलाकर इस पर विचार कर लें और जो सब तय कर लेंगे सरकार उसे मानेगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने तिवारी जी को सुना संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया। वैसे यह नियम-300 का विषय नहीं है। मैं इसको अग्राह्य करता हूं। मैं आपको बताऊं एक बार इस विषय पर चौदहवीं विधान सभा में बात हुई थी सभी दलीय नेताओं के साथ बैठक हुई थी लेकिन किसी निष्कर्ष तक हम लोग नहीं पहुंच सके थे। उस समय भी मैं स्पीकर था। मैं संसदीय कार्य मंत्री के सुझाव को और माननीय प्रमोद तिवारी जी के सुझाव को स्वीकार करता हूं और इसी में से किसी एक दिन सभी दलीय नेताओं को बुलाकर संसदीय कार्य मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री को बुलाकर एक बैठक कराकर इस पर कोई परिणामजनक बात करने का प्रयास किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां एवं पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा-24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत पेंशन के हकदार भूतपूर्व माननीय सदस्यों की मृत्यु के पश्चात् उनको मिलने वाली पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर पारिवारिक पेशंन उनके पति/पत्नी को दिलाये जाने का प्राविधान करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

डा0 राधामोहन दास जी का यह औचित्य का प्रश्न बनता ही नहीं है। आपका सवाल है सुन लें। उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां एवं पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा-24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत पेंशन के हकदार भूतपूर्व माननीय सदस्यों की मृत्यु के पश्चात् उनको मिलने वाली पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर पारिवारिक पेंशन उनके पति/पत्नी को दिलाये जाने का प्रावधान करने के सम्बन्ध में है। विधायकों से सम्बन्धित है कह लीजिये, औचित्य का विषय बनता नहीं है।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

आप सुन लीजिये चाहे अग्राह्य कर दीजियेगा। माननीय अध्यक्ष जी मैं गोरखपुर जनपद से आता हूं। आप लक्ष्मीपुर के एक माननीय स्वर्गीय विधायक रघुराज सिंह से परिचित होंगे। उनकी पत्नी एक बार मेरे पास आई थी। मैं उनका प्रकरण लेकर प्रमुख सचिव के पास गया था। 5 मार्च, 2010 को हम लोगों ने माननीय विधायकों को पारिवारिक पेंशन देने का प्राविधान किया वह अखबार में छपा। जब वह अखबार में छपा तब उन्होंने अखबार में पढ़ा तो उनको लगा कि मुझको पारिवारिक पेंशन मिलेगी। एक पत्रकार से जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि जिनकी मृत्यु 5 मार्च, 2010 के बाद होगी उन्हें तो पारिवारिक पेंशन दिया जायेगा जो उसके पहले स्वर्गीय हो गये उनके परिवार को भगवान भरोसे छोड़ दिया जायेगा। यह प्रश्न लेकर मेरे पास आई थीं कि हमारे पति ने भी इस प्रदेश के लिये जान दिया वह भी पैदल घूम-घूम कर सेवाए करते थे, पूरी जिन्दगी उन्होंने एक धोती कुर्ता में निकाल दिया। इसी दारुलशफा में रहते थे। उस समय तो वेतन भी बहुत कम मिलता था आज तो वेतन फिर भी बहुत है। आखिर जिस सदन में वर्तमान और 5 मार्च, 2010 के बाद मरने वाले विधायकों के लिये पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था आपने अपने लिये तो कर ली लेकिन उनको अधूरा क्यों छोड़ दिया गया। मेरा बहुत छोटा प्रश्न है किसी दल से सम्बन्धित नहीं है यह भूतपूर्व विधायक सभी दलों के हैं और उस समय के विधायक की आर्थिक स्थिति इस सदन में बखारने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है। मान लीजिये तीन हजार होगी 3000 रुपये महीना दिया जायेगा कुल 14-15 करोड़ रुपये का खर्चा सालाना आयेगा और वह ढेर सारे माननीय विधायक जिन्होंने इस सदन को आज यह स्वरूप दिया है। आप उनमें से कितनों को व्यक्तिगत रूप से जानते होंगे। तीन लोगों को तो मैं गोरखपुर में जानता हूं। आर्थिक स्थिति बहुत खराब है वे रिक्शे पर चलते हैं और हैण्ड पाइप के लिये हमारे पास आते हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा ग्राह्य हो ग्राह्य करिये न करिये अभी आपने एक रूलिंग दी। आप बैठकर तय कर लेंगे। एक बार बैठकर तय कर लीजिये कि जो गलती हमने 3 मार्च, 2010 को की है उसको हम सुधार सकते हैं। संभव हो तो हम उनके लिये भी पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी आप इस पर कुछ कहेंगे ?

संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, यह प्रश्न तो जाहिर है कि संगीन है, अहम है। मान्यवर, सन् 80 में जब हम पहली बार आये थे तो मेन गेट से दाखिल होते थे और बड़े खुले आम आते थे। दो-एक सदस्यों के पास मिलिट्री से जो डिस्पोजल जीप मिला करती थी वह थी। लेकिन माननीय सदस्य उनको भी बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखते थे जो जीप से आते थे। बड़ी शान समझी जाती थी रिक्शा से चलना और पैदल चलना। रिक्शा वहां मेन गेट तक आता था। वह दौर भी इन आंखों ने देखा है जिन सदस्यों को शैडो या गनर मिलता था, उन्हें ऊंगली उठाकर दिखाया जाता था देखिए साहब, इन्हें जान का खतरा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। बहुत से माननीय सदस्य ऐसे होते थे जिन्हें जिले की रिपोर्ट पर गनर शैडो दिया जाता था वह उसे वापस कर देते थे, यह कहकर कि हमें किसी से खतरा नहीं है। वह जमाना भी था और उस जमाने में जाहिर है कि ईमानदारी का पारा और सच्चाई का पारा बहुत ऊपर होता था। आहिस्ता-आहिस्ता कुछ कम हुआ और फिर इतना कम हुआ कि मेरे जैसा आदमी सोचता है कि यह जो नया मॉडल आया है इसकी चार गाड़ियों का फ्लीट मेरे साथ कैसे चले। गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं रह गई, इतना बड़ा यहां पर गाड़ियां खड़ी करने का कब्रिस्तान बनाया गया है। बहुत कुछ बदला है। लेकिन जिनके बारे में माननीय सदस्य ने कहा वह सच्चे जमाने के लोग हैं जो वाकई बहुत परेशान हैं, यह हम आप पर छोड़ते हैं कि जिस तरह से माननीय अध्यक्ष जी निराकरण करना चाहें, आप जानते हैं कि इस तरह की घोषणायें हुई हैं इस बार और बजट में भी होने वाली हैं थोड़ा सा बजट तंग है, समय लग सकता है, लेकिन सवाल आपका सही है, इस नियम के तहत तो नहीं आता है लेकिन किसी न किसी नियम के तहत और इन्सानियत के नियम के तहत यह सवाल बहुत अहम है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने संसदीय कार्य मंत्री को सुना, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी को सुना। यह नियम-300 में नहीं आता है इसे अग्राह्य करता हूं। इसमें संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है तो आश्वासन तो नहीं है कोई लेकिन बाद में मुख्य मंत्री जी से वार्ता की जाएगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आपके माध्यम से वार्ता होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है हम सभी दलीय नेताओं को बुलायेंगे, आप भी रहेंगे और मुख्य मंत्री जी भी रहेंगे फिर जो निर्णय होगा।

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र 130 बीसलपुर के अन्तर्गत रपटुआ नाले पर एपिल पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

एक नियम-300 में सूचना और है यह है श्री अगयश राम सरन वर्मा ने जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र 130 बीसलपुर के अन्तर्गत रपटुआ नाले पर एपिल पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी है यह तो 301 का सवाल है यह नियम-300 में नहीं आता है। आप नये सदस्य हैं। आपको पता नहीं है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

नियम-301 में परिवर्तित कर दें।

श्री अध्यक्ष-

कल 301 में दे देंगे।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-7/2010 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-7/2010 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (तेईसवां संशोधन) नियमावली, 2010††

संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, संसदीय कार्य अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1457/90- सं-1-2010-77 सं-2005, दिनांक 30 दिसम्बर, 2010 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (तेईसवां संशोधन) नियमावली, 2010 जो उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-क की उपधारा (1) के अधीन दिनांक 08 फरवरी, 2011 को 30 दिनों की कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके दिनांक 09 मार्च, 2012 को पन्द्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (चौबीसवां संशोधन) नियमावली, 2012††

संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, संसदीय कार्य अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-229/90-सं-1-2012-77सं-2005, दिनांक 10 अप्रैल, 2012 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (चौबीसवां संशोधन) नियमावली, 2012 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-क की उपधारा (1) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

यू0 पी0 प्रोजेक्ट्स लि0 की वार्षिक रिपोर्ट 2009-2010††

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यू0 पी0 प्रोजेक्ट्स लि0 की वार्षिक रिपोर्ट 2009-2010 को कम्पनी अधिनियम-1956 की धारा 619-ए की उपधारा (2) के अधीन बिलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

†† छापी नहीं गयी।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2 वर्ष 2010-2011††

संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2 वर्ष 2010-2011 तथा विनियोग लेखे वर्ष 2010-2011 उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या-3 राजस्व प्राप्तियां उत्तर प्रदेश सरकार†††

संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुये वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या-3 राजस्व प्राप्तियां उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो विषय सदन के पटल पर रख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, मैं चाहता हूं कि कुछ समय इन पर चर्चा के लिए जरूर रखें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन संख्या-1 उत्तर प्रदेश सरकार †††

संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुये वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन संख्या-1 उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या-4 (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार†††

संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुये वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या-4 (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†† छापे नहीं गये।

††† छापा नहीं गया।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार†

संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुये वर्ष के लिये उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की चीनी मिलों के विक्रय पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रतिवेदन (सिविल) संख्या-5 उत्तर प्रदेश सरकार†

संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुये वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रतिवेदन (सिविल) संख्या-5 उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या-6 (सिविल) लखनऊ शहर में पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन पर निष्पादन लेखापरीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार†

संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुये वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या-6 (सिविल) लखनऊ शहर में पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन पर निष्पादन लेखापरीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-14 और 15 में कुछ नहीं है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 29 मई, 2012 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 30 मई, 2012 से दिनांक 30 जून, 2012 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 30 मई, 2012 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा से पूर्व विधायी कार्य लिए जाएं।

---

† छापे नहीं गये।

2-दिनांक 30 मई, 2012 से दिनांक 30 जून, 2012 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाए :-

मई, 2012

30 बुधवार 1-'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-171 के अनुसरण में निम्नलिखित विधेयकों का वापस लिया जाना :-

(1) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2011

(2) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2011

2-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

31 गुरुवार श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

जून, 2012

01 शुक्रवार 1-11.00 बजे पूर्वाह्न

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक का प्रस्तुतिकरण।

2-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (अन्तिम दिन)

02 शनिवार
03 रविवार } बैठक नहीं होगी।

04 सोमवार (हजरत अली का जन्म दिन) बैठक नहीं होगी।

05 मंगलवार 1-वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

2-विधायी कार्य।

06 बुधवार
07 गुरुवार
08 शुक्रवार } वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

09 शनिवार
10 रविवार } बैठक नहीं होगी।

<u>जून, 2012</u>

11 सोमवार 12 मंगलवार 13 बुधवार 14 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
15 शुक्रवार	1-असरकारी दिवस (आधा दिन + आधा दिन दिनांक 08 जून, 2012 के स्थान पर)। 2-विधायी कार्य।
16 शनिवार 17 रविवार	बैठक नहीं होगी।
18 सोमवार 19 मंगलवार 20 बुधवार 21 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
22 शुक्रवार	1-असरकारी दिवस (आधा दिन + आधा दिन दिनांक 29 जून, 2012 के स्थान पर)। 2-विधायी कार्य।
23 शनिवार 24 रविवार	बैठक नहीं होगी।
25 सोमवार 26 मंगलवार 27 बुधवार 28 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
29 शुक्रवार	1-वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-3.00 बजे अपराह्न उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।
30 शनिवार	बैठक नहीं होगी।

संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों से, जिसकी सूचना आज मा0 अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों से सम्बन्धित प्रस्ताव जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2011 पर पुनर्विचार का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2011, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने के उपरान्त श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत श्री राज्यपाल के संदेश सहित वापस प्राप्त हुआ है, पर पुनर्विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2011, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने के उपरान्त श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत श्री राज्यपाल के संदेश सहित वापस प्राप्त हुआ है, पर पुनर्विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, पुनर्विचार का प्रश्न उपस्थित हुआ है तो इस पर पुनर्विचार तो करा लें।

श्री अध्यक्ष-

यह तो फिर कार्य-मंत्रणा समिति में जायेगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह पुराना मामला है, नये माननीय सदस्यगण आये हैं उनको जानकारी तो हो जाय कि यह प्रकरण क्या है। उनकी जानकारी में सब कुछ आ जाये। इसलिए इस पर यहां पुनर्विचार हो जाये। माननीय मंत्री जी अपने विचार रख दें।

श्री अध्यक्ष-

यह सदन के सामने आ गया है। अगर चर्चा की बात होगी तो समय के निर्धारण के लिए कार्य-मंत्रणा समिति में जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आप देख लें अगली मद जो है वह है कि इसे वापस लेने की अनुमति दी जाये। फिर यह कार्य कार्य-मंत्रणा समिति में कहां से विचारार्थ आ जायेगा। आप इस पर आज बहस करा दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, हम पूरा ही प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत कर सकते हैं इसमें एक शब्द पुनर्विचार वाला बदल जायेगा। उनका एतराज तो सही है क्योंकि कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में यह तय हुआ था कि इसे कार्य सूची में शामिल किया जायेगा। इस पर विचार न किया जाय। विचार शब्द हटा देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

क्या आप चर्चा के लिए तैयार हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, सदन को पता नही है कि यह क्या है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी जब यह प्रस्ताव यहां से पारित हुआ तो उसमें हमने और आपने भी इसमें संशोधन दिये होंगे। कितने लोग महामहिम राज्यपाल के यहां ज्ञापन भी देने गये होंगे। आज इसको वापस लेना है। महामहिम राज्यपाल जी ने इसको वापस भेज दिया। यह इस सदन का तो है नहीं यह पुराने सदन का है। जिसने इसको पारित किया था और महामहिम राज्यपाल के यहां भेजा था। महामहिम राज्यपाल के यहां पेन्डिंग था अब उन्होंने इसे वापस भेज दिया तो अब इस पर चर्चा की क्या जरूरत है। चर्चा तो हो चुकी है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, नियमावली पढ़ दें। मान्यवर, श्री स्वामी प्रसाद मौर्या जी की सरकार थी इन्होंने इसे पास कराया था। अभी नये सदस्य चुनकर आये हैं उनसे हां-ना हम करा रहे हैं। उन्हें यह भी पता नहीं कि यह विषय क्या है।

*राजस्व, अभाव सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी आपने महामहिम राज्यपाल के उस संदेश को जो आया था और जो आज इस मद में रखा गया है। उसको आपने कल ही पढ़ दिया था। इसको सदन में सभी सदस्य जानते हैं। इसलिए वह सदन में आया नहीं है ऐसी बात नहीं है। इसकी शब्दावली में जिसमें यह प्रस्ताव आया है कि पुनर्विचार किया जाये इसकी शब्दावली पर आप स्वयं विचार कर सकते हैं। इसका आपको अधिकार है। जैसा माननीय हुकुम सिंह जी ने प्वाइंट आउट किया है वह ठीक प्वाइंट आउट किया है। सिर्फ शब्दावली बदल देने की बात है। वह कल सदन में आ गया है।

श्री हुकुम सिंह-

आपने जो प्रस्ताव रखा था वह भी मैंने सुना था। उसमें महामहिम राज्यपाल का संदेश आया था उन्होंने कहा था कि चुनाव हो चुके हैं। नई सरकार बन चुकी है इसलिए इस विधेयक पर पुनर्विचार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया जाये। पुनर्विचार के लिए उन्होंने कहा क्योंकि उनके पास पुनर्विचार के लिए दो ही विकल्प थे या तो उस पर हस्ताक्षर करें या न करें या दोबारा संदेश करके पुनर्विचार के लिए भेज दें। अगर पुनर्विचार के लिए भेजा है तो माननीय सदस्यों को यह जानकारी तो होनी चाहिए कि यह क्या है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये, मैंने मान लिया कि आप विद्वान हैं। देखिये ये बिल पेश नहीं हो रहा था। यह बिल जो महामहिम के यहां था उसको नई सरकार ने पेश नहीं किया। गवर्नर ने इसको वापस कर दिया तो वापस ले रहे हैं तो इसमें क्या विचार की बात है हमें बताइये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी बात थोड़ी गलत तरफ चली गयी। क्योंकि इसकी जानकारी कल सदन को मिल गयी है और यह एक प्रक्रिया है कि जब कोई सरकार जाती है और कोई लोकप्रिय सरकार आती है तो उस सरकार के लास्ट कैबिनेट के डिसिजन या जो आखिरी सदन बुलाया गया हो उसके पासशुदा बिल जो महामहिम के पास जाते हैं वह यही लिखकर वापस कर देते हैं कि आने वाली सरकार इस पर निर्णय लेगी। यह और जिन्हें सरकार वापस लेना चाहती है उन दोनों की स्थिति एक सी होती है इसमें महामहिम राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। जब हस्ताक्षर नहीं हुए है तो फिर यह यहां वापस आ गया है। अब दोबारा इस पर किसी बहस की आवश्यकता नहीं है। बहस पहले हो चुकी है यहां से पारित हो चुका है। अब क्योंकि कल आपने इसकी तफसील बता दी है तो कोई प्रश्न नहीं बनता कि इस पर आगे कोई बहस की जाये।

श्री अध्यक्ष-

देखिये यह ऐसा प्रश्न नहीं है कि मैं चर्चा से डरता हूं, लेकिन मा0 हुकुम सिंह जी इस पर कैसे चर्चा होगी, यह भी तो बतायें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इस पर चर्चा हो ही नहीं सकती।

श्री अध्यक्ष-

मा0 हुकुम सिंह जी, आप तो यहीं थे, आपने इस पर संशोधन दिया था, आप उस बिल पर बोले थे, मैं भी बैठा था आपके बगल में। चलिये अब आप बैठिये, मैं अगली मद ले रहा हूं।

विधान सभा में लम्बित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2011 को वापस लिये जाने का प्रस्ताव

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा में लम्बित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2011 को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि विधान सभा में लम्बित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2011 को वापस लेने की अनुमति दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2011 पर पुनर्विचार का प्रस्ताव

*पंचायती राज (राज्य मंत्री) श्री कमाल अख्तर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2011, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने के उपरान्त श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत श्री राज्यपाल के संदेश सहित वापस प्राप्त हुआ है, पर पुनर्विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2011, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने के उपरान्त श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत श्री राज्यपाल के संदेश सहित वापस प्राप्त हुआ है, पर पुनर्विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

विधान सभा में लम्बित उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2011 को वापस लेने का प्रस्ताव

पंचायती राज (राज्य मंत्री) श्री कमाल अख्तर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा में लम्बित उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2011 को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि विधान सभा में लम्बित उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2011 को वापस लेने की अनुमति दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा†

श्री अध्यक्ष-

अब चर्चा प्रारम्भ होगी।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी मेरा एक निवेदन है कि बहुत से मा0 सदस्य जो नये आये हैं आपने कृपापूर्वक कल उनको सुनने का अवसर दिया था। इसी के सन्दर्भ में मान्यवर, हम लोगों ने नामों की एक सूची आपको दी है, उसी के अनुसार अगर आप बुला लेंगे तो आपकी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, लेकिन यह नहीं बताया जाता है कि मैंने नाम दिया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† दिनांक 29 मई, 2012 की कार्यवाही से।

श्री प्रमोद तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरी एक प्रार्थना सुन लें, शायद आपको अच्छी लगे। मान्यवर, 90 प्रतिशत आरक्षित कर दें कि जो पहली बार चुनकर आये हैं, पहले उनको बोलने का अवसर मिलेगा। 10 प्रतिशत को बाद में जब आप चाहें बुलवा लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। कल बहुजन समाज पार्टी के मा0 सदस्य की वार्ता हो रही थी, आपका कुछ बाकी रह गया था क्या, अच्छा अब चर्चा प्रारम्भ है, आप बोल लें, लेकिन समय का ध्यान रखिये, कल आप बोल चुके थे, इसलिए दो-तीन मिनट में आप अपनी बात रख दें।

श्री कालीचरन सुमन-

माननीय अध्यक्ष जी, कल मेरा विषय अधूरा रह गया था, मैं उसी के आगे से अपनी बात प्रारम्भ करता हूं, मान्यवर, आगरा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत खारी नदी अकोला का रेगुलेशन प्रतिमाह पानी को सुचारु रूप से चालू किया जाय। आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पेयजल हेतु नानपुर, सहारा, लखनपुर, लड़ामदा, पंचगाई खेड़ा, रामनगर घड़ी हरदयाल पानी की टंकी का निर्माण कराया जाय। आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पेयजल समस्या निदान हेतु 400 नग एवं उपग्राम टी0टी0एस0पी0 टंकियों का निर्माण कर पेयजल चालू की जाय। आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पेयजल समस्या के निदान हेतु 1000 इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगाने की कृपा की जाये। आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रोहता नहर, पचगाई ठाकुर दास की गढ़ी के बीच की नहर पर पुलिया का निर्माण कराया जाये। आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में इंजीनियर कालेज, राजकीय कन्या इण्टर कालेज विकास खण्ड अकोला, विकास खण्ड बरौली अहीर विकास खण्ड बिचपुरी में खोले जायें। आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खराब पड़े समस्त हैण्ड पम्प रि-बोर कराये जायें। आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खराब पड़ी टी0टी0एस0पी0 की टंकियां ठीक करायी जायें। आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खराब पड़ी टंकियों को चालू कराया जाये। आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रोहता, धनौली, बरौली गूजर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायें। आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत छूटे हुए गांव, मजरों में जूनियर हाई स्कूल और प्राथमिक विद्यालय खोले जायें। आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मात्र 5-6 घण्टे बिजली मिलती है इसको सुचारु रूप से चालू किया जाये, रात में जब बिजली चली जाती है तो मच्छरों का प्रकोप रहता है या तो बिजली सुचारु रूप से चालू की जाये या मच्छरों को खत्म करने की व्यवस्था की जाये। आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्ववर्ती सरकार में स्वीकृत टी0टी0एस0पी0 10000 ली0 वाली लगभग 428 एवं 13 बड़ी पानी की टंकियां स्वीकृत हुयीं उन्हें चालू कराया जाये। आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्ववर्ती सरकार में डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत नगला कली, कौलक्खा रजरई, रोहता में जो धनराशि स्वीकृत हुयी थी जो काम अधूरे पड़े हैं उनमें सी0सी0, खड़न्जा, विद्युत, पेयजल, सड़क, पेंशन आदि से पूर्ण कराया जाय। आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा घेरिया मोड़ से जगनेर रोड पर नरीपुरा, भीमनगर, अजीजपुर, धनौली में नाला और खेरिया सड़क निर्माण जो अधूरा पड़ा है उसे पूरा कराया जाये। आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में विगत वर्ष भीमनगरी के समय

धनौली, अजीजपुर, बल्हेरा टफड़ा खार क्षेत्र में आगरा विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, जल निगम की परियोजनाओं को पूरा कराया जाये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सभी जर्जर टूटी सड़कों को लेपन तथा मरम्मत गड्ढा युक्त कार्य कराया जाय।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

धन्यवाद, मान्यवर। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ उसके सम्बन्ध में नेता विरोधी दल ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा और मैंने भी अपना संशोधन प्रस्ताव रखा है। उसके समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ा हूं। मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी का ध्यान चाहता हूं कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री का खास तौर से, संसदीय कार्य मंत्री जी शायद व्यस्त हैं। कभी-कभी हम लोगों की तरफ भी देख लिया करिये। मान्यवर, बहुत गम्भीरता से महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा और सरकार की तरफ से जो नीति वक्तव्य आया है। मान्यवर, बड़ी निराशा इस बात पर हुयी कि पांच बरस के अंधकार के बाद लोगों को यह उम्मीद बंधी थी कि शायद नयी वाली सरकार कुछ नया करके दिखायेगी, नया देगी। लेकिन जिस दिन से ये सरकार आयी, उस दिन से हम उम्मीद इस बात की करते थे कि कुछ ऐसी घोषणायें या कुछ ऐसा नयापन देखने को मिलेगा कि जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। दिक्कत क्या हुयी कि दिशा बदल गयी मान्यवर। दिशा क्या हुयी कि आज इनको पार्टी मजबूत करने की चिन्ता है मान्यवर।

(इस समय 1 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मदन चौहान पीठासीन हुए)

अगर प्रदेश की चिन्ता हो और प्रदेश का कल्याण इनके मन में हो तो प्रदेश की जनता का भी भला होगा और अंततोगत्वा इनकी पार्टी का भी भला होगा। लेकिन पार्टी का भला होना, वोट बैंक को मजबूत करना और किसी भी तरीके से राष्ट्रीय राजनीति में अपना स्थान स्थापित करना मान्यवर, यह सब समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी चिन्ता आज की तारीख में है। मान्यवर, दिशा बदल गई इसलिए सब गड़बड़ी वहीं से शुरू हो गईं, कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरे देश के समाचार-पत्रों की सम्पादकीय देख लें। सम्पादकीय मान्यवर, हम कितना ही न्यूज पेपर को नजरअंदाज करें। यहां पर न्यूज पेपर का संज्ञान न लें मान्यवर, लेकिन बिना मीडिया के आज की राजनीति में कुछ चलता नहीं है। मान्यवर, बिहार की कानून और व्यवस्था इतनी खराब थी मान्यवर कि एक डी0जी0 प्रॉसीक्यूशन ने, जिससे बिहार के मुख्य मंत्री का बहुत अच्छा सम्बन्ध था, उन्होंने जघन्य अपराधों के केसेस एफ0आई0आर0 से लेकर ट्रायल तक मान्यवर, 3-3 महीनों में पूरे करवा लिए। मैं सोचता था कि मान्यवर, सरकार की कोई शार्टटर्म या लांगटर्म प्लानिंग ऐसी होगी जो ऐसे ही काम करेगी।

श्री अधिष्ठाता-

अपने प्रदेश के दायरे में ही अपनी कानून व्यवस्था को जिक्र रखें। अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था तक ही सीमित रहें, दूसरे प्रदेश की कानून व्यवस्था .....

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अच्छा उदाहरण तो मान्यवर, अगर घूरे पर से मिल जाए तो वह भी ले लेना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

अरे उदाहरण लेते रहेंगे तो आपका समय तो समाप्त हो जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं इस पर आ रहा हूं। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं। एक बयान इनका बहुत अच्छा लगा, उसका जिक्र हम बाद में करेंगे। अभी समाचार-पत्रों में छपा है। मैं उसके लिए बधाई भी दूंगा आपको। मान्यवर, बिहार प्रदेश की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन डी0जी0 प्रॉसीक्यूशन ने इस बात को साबित कर दिया कि अगर तत्काल जो जघन्य अपराध है, उनमें सजा दिलाई जा सकती है तो निश्चित रूप से कानून-व्यवस्था को ठीक करने में मान्यवर, मदद मिलेगी और उसका परिणाम मान्यवर, सार्थक आया। मान्यवर, जिस प्रकार से पोस्टिंग और जिस प्रकार से थानों में तैनाती हो रही है मान्यवर, उसका आधार ज्येष्ठता और श्रेष्ठता नहीं है। उसका आधार पुराना काम नहीं है। उसका आधार पिक एण्ड चूज है और हमारे राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति कैसे हो सकती है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण आज वही है। मान्यवर, कानून और व्यवस्था के नाम पर बहुत कुछ उम्मीद थी कि नये मा0 मुख्य मंत्री जी से कुछ नयापन देखने को मिलेगा, कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन थानों की कार्यपद्धति वही है, सर्किल आफिसर्स की कार्यपद्धति वही है। पुलिस अधीक्षकों की कार्यपद्धति वही है जो नेशनल हाईवेंज और स्टेट हाईवेंज की पुलिस चौकियां हैं। मान्यवर, उनके ऊपर तो लगता है कि जैसे स्वतंत्रता दिवस आ गया। जिस दिन 15 तारीख को इस सरकार ने शपथ ली उस दिन ऐसा लगा कि पूरे प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस आ गया और स्वतंत्रता दिवस काहे का है यह मान्यवर, खुली छूट अपराधियों की जो चाहे सो करो। कल एक बात आई थी कि बिना सत्ता के संरक्षण के अपराध बढ़ते नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है। यदि हमको यह भरोसा हो कि हमारा बाद में कुछ नहीं होगा या बाद में हमारा नेता, हमारा सहयोगी, हमारा साथी जो है वह निपट लेगा तो निश्चित रूप से उसका फर्क कानून एवं व्यवस्था पर पड़ता है मान्यवर और इसीलिए मान्यवर, मुख्य मंत्री जी की इच्छा कुछ भी हो लेकिन व्यवहार में अभी यह देखने को नहीं मिला है। कोई ऐसा काम इस सरकार ने नहीं किया, कोई मैसेज देने का काम प्रदेश में नहीं किया। ऐसा कोई मैसेज देते कि मुख्य मंत्री जी कानून और व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। मान्यवर, दूसरी बात बिजली की। लोगों ने अपने घरों में जो नई लड़की पैदा हुई उसका नाम बिजली रखना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि बिजली तो आएगी नहीं, जब यह खेलकूद कर अपने घर पर आएगी तो कम से कम इसी को पुकार लेंगे और कह देंगे कि बिजली आ गई, बिजली आ गई, बिजली आ गई। मान्यवर, यह छोटी बात नहीं है। हम उम्मीद यह करते थे कि जिस दिन मुख्य मंत्री जी शपथ लेंगे उसी दिन शपथ लेने के बाद तुरन्त इस बात की घोषणा करेंगे कि बिजली चाहे खरीद के लाए, चाहे किसी प्लान्ट से लें, चाहे किसी प्रकार की व्यवस्था करें, बिजली की व्यवस्था जरूर होगी। मान्यवर, नलकूपों के कनेक्शन पड़े हुए हैं, बिजली के तारों के गुच्छे लटक रहे हैं, खम्भे टूटे पड़े हैं, बिजली के नये कनेक्शन देने के लिए मीटर है नहीं और घोषणा पत्र के नाम पर तमाम तरीके के प्रदेश के वो चीजें कि जिससे पार्टी का एजेण्डा मजबूत हो जाए और प्रदेश की जनता चाहे कितनी ही परेशानी से क्यों न गुजरे। आज रात-रात भर लोगों को बिना बिजली के, पंखा हाथ से डुलाते हुए।

(श्री आरिफ अनवर हाशमी के बीच में कुछ बोलने पर) मान्यवर, मैंने आपका जो धन्यवाद प्रस्ताव आया, उसको शालीनता से सुना।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 हाशमी जी शेर बाद में बोलियेगा। उन्हें अपनी बात कहने दीजिए।

*श्री आरिफ अनवर हाशमी-

आप अपनी बात कह लीजिए। आप तो सीनियर सदस्य हैं, हम लोग आपसे सीखते हैं मा0 खन्ना जी लेकिन आज सदन में खन्ना जी का यह कहना कि बिजली नाम की कोई कन्या पैदा हुई है तो सिर्फ इतना जानना था कि आपके यहां पैदा हुई है या किसी और के यहां पैदा हुई है। बस इतने के लिए मैं खड़ा हूं। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

बोलिए खन्ना जी, आपका समय समाप्त होने के करीब आ रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

बस इतने के लिए खड़े थे, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया।

संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

न इन्होंने कोई पहाड़ खोदा और न चूहिया निकली। असल में विडम्बना यह है हमारे मित्र के साथ। हमारा आधा सफर साथ गुजरता है एक साथ। दरअसल जो बात कही है आपने कि सारी रात पंखा झलना पड़ता है हाथ से। अगर पत्नी होती तो वह झल लेती। मजबूरी है। दोहरा कष्ट है, गर्मी है और झलना भी खुद पड़ रहा है। अगर आप यह समस्या हल कर दें तो यह पंखा झलने वाली शिकायत आपकी फिर सदन में नहीं आएगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री विद्वान हैं, एक भ्रष्टाचार को रोकने के लिये संसदीय कार्य मंत्री जी का बार-बार बयान स्वागत योग्य है। यह प्रदेश और पूरा देश भ्रष्टाचार से त्रस्त है और मैं उसके लिए स्वागत करता हूं मान्यवर, उन्होंने कहा कि जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं हमारे विभाग के उनकी तस्वीरों को हम डिस्प्ले करवायेंगे और अगर कहीं न कहीं से यह पहल शुरू हो तो मान्यवर, यह एक अच्छा कदम है। लागू करें तो हम उसका स्वागत भी करेंगे कि कहीं न कहीं कोई आशा की किरण दिखायी तो पड़नी चाहिए कि यहां से शुरू होगा भ्रष्टाचार रुकना। क्योंकि जिस स्थिति में हम पहुंच गये। मान्यवर, यह हर किसी की पीड़ा है। आज अगर कोई तहसील में आय प्रमाण-पत्र बनवाने जाए, निवास प्रमाण-पत्र बनवाने जाए, जाति प्रमाण-पत्र बनवाने जाए, उस स्थिति से गुजर कर मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह सरकार श्री राम मनोहर लोहिया जी के और चौधरी चरण सिंह के सिद्धान्तों की अनुयायी रही है और चौधरी चरण सिंह का नाम एक बहुत बढ़िया कृषक हितैषी के रूप में तो लिया जाता है। मान्यवर, और भ्रष्टाचार के विरोध में जो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन्होंने संदेश दिया था, पूरे देश को, पूरे प्रदेश को। मान्यवर, मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री जी से, मैंने उस दिन भी इस बात की प्रशंसा की थी, जिस दिन मुख्यमंत्री जी अपने बंगले से निकल कर गेहूं के क्रय केन्द्र को चेक करने गये थे। मान्यवर, आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रदेश की नौकरशाही में इस बात का भय पैदा हो कि पता नहीं किस समय मुख्य मंत्री जी आ जायेंगे। लोगों ने अपनी जेबों में अपना निजी पैसा रखना छोड़ दिया था, जब मा0 चौधरी चरण सिंह मुख्य मंत्री थे। मान्यवर, आज आवश्यकता इस बात की है कि विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन इनमें फार्म भरने से लेकर मंजूर कराने तक दलाल लगे हुए हैं। आज किसी को शादी अनुदान कलेक्टर तब तक नहीं दे सकता, जब तक उसकी आय का प्रमाण-पत्र वह लेखपाल नहीं लिखेगा और अगर लेखपाल चाहे तो आय का प्रमाण-पत्र उसका 24 हजार से बढ़ाकर 30 हजार कर दे। अगर उसको सुविधा शुल्क नहीं मिलता तो वह 24 हजार से बढ़ाकर 30 हजार कर देता है। यहां पर जितने भी मा0 सदस्य बैठे हैं, मैं उनकी बात कह रहा हूं कि जो लोग भुक्तभोगी हैं। आय प्रमाण-पत्र बनाने के लिए जाति प्रमाण-पत्र बनाने के लिए सुविधा शुल्क, यह पूरे प्रदेश की समस्या है। मान्यवर, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। यह सारे लोगों की समस्या है।

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने दिखाई है एक किरण और हम उसका स्वागत करेंगे। मान्यवर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसी भी क्षेत्र में, किसी गांव में, किसी शहरी क्षेत्र में 3-3, 4-4 महीने का गल्ला, 3-3, 4-4 महीने की शक्कर, मिट्टी का तेल एक बार बटता है और बाकी का बंदरबाट हो जाता है यह सच्चाई है मान्यवर। बेसिक शिक्षा का हाल यह है सोचते थे कि एक मामले में यह नई सरकार अगर पहल करती, हर सदन में मैं इस बात को चिल्लाता हुआ आया हूं। मान्यवर, बेसिक शिक्षा में अध्यापकों की उपस्थिति। आज यहां पर कितने हाउस के मेम्बर ऐसे हैं जिनके बच्चे जिनके रिश्तेदार जो ग्रामीण में कक्षा एक से कक्षा आठ तक ग्रामीण के सरकारी स्कूल में पढ़ना पसंद करते हैं क्या वहां का बच्चा निकलकर किसी कम्पटीशन में जा सकता है ? आज वहां की क्वालिटी खराब है वहां विद्यालय में भवन हैं, टीचर हैं, शिक्षा मित्र हैं, बैठने की व्यवस्था है लेकिन मान्यवर, क्वालिटी नाम की कोई चीज नहीं है, शिक्षा की गुणवत्ता नाम की कोई चीज नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से शिक्षा मंत्री से विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर वह चाहते हैं कि सरकार कोई योजना माइल स्टोन बने तो कम से कम बेसिक शिक्षा के ऊपर ध्यान जरूर दिया जाय। 3-4 बातें अपनी कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। हमारे शहर में ग्राम टिकरा से लेकर तिउलक तक एक नाला खुदना है। पन्द्रह गांव पूरे जलमग्न हो जाते हैं वहां की खेती सैकड़ों बीघा नष्ट हो जाती है नाला न होने से। तो वहां नाला तत्काल खुदवाया जाय। नलकूप के कनेक्शन जितने बचे हुए हैं वह तत्काल दिये जायें। एक सेटेलाइट बस अड्डा शाहजहांपुर में तत्काल बनना है, पिछले 4 वर्ष से प्रस्तावित है उसको पूरा बनवाया जाय जो ग्रामीण क्षेत्र में आधा-अधूरा विद्युतीकरण पड़ा है उसको करवाया जाय। एक हमारे गांधी फैजान कालेज में 10 साल से स्थाई प्रिंसिपल नहीं हैं उसकी व्यवस्था कर दी जाय। शाहजहांपुर में एक रिंग रोड बनवाई जाय हर समय हर रोड पर जाम लगता है, विरासत के जितने शस्त्र लाइसेन्स है उसको देने की घोषणा की जाय और गन्ना शोध परिषद् को अपग्रेड किया जाय, मैगो रिसर्च सेन्टर बनवाया जाय। इसके साथ ही मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल

देता हूं। आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री संजय कपूर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पुरानी बातों पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन सबसे विकट समस्या उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है और बिजली की है। आज बिजली का मुद्दा पूरे दिन सदन में उठता रहा उसी से परेशान मेरे क्षेत्र की जनता भी है विलासपुर जहां से मैं आता हूं, कृषि प्रधान तहसील है और बिजली का हाल यह है कि 3-4 घण्टे से ज्यादा आपूर्ति नहीं मिल पा रही है और जो मिलती भी है वह किस तरीके से मिल रही है कि उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। मैं चाहूंगा कि इस बिजली के सुधार के लिए सबसे पहला कदम यह मौजूदा सरकार जो बनी है वह उठाये ताकि इसका फायदा आम जनता को किसानों को और उद्योगों को मिल सके। एक बात और इसमें मैं चाहूंगा जो बहुत जरूरी है। हमें ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति दी जाती है। मैं इसमें चाहूंगा कि जहां पर मीटर लगे हुए हैं जिन तहसीलों में, जैसे मेरी तहसील विलासपुर है केमरी टाउन एरिया है वहां पर मीटर सिस्टम है और बिजली ग्रामीण की भांति दी जाती है जबकि शहरी क्षेत्र में बिजली शहर के हिसाब से दी जाती है। जहां पर मीटर का सिस्टम है मैं चाहूंगा कि वहां पर बिजली का शिड्यूल शहरी क्षेत्र की भांति होना चाहिए देहात की भांति नहीं होना चाहिए। कानून व्यवस्था की जो हालत है उसे सभी लोगों ने पूर्व वक्ताओं ने काफी तफसील से आपको बताया है, बहुत अच्छी तरह से आपको जानकारी है हालात बहुत खराब हैं इस समय उसको मौजूदा सरकार को सुधारने की जरूरत है। मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं जिन्हें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं मेरा क्षेत्र विलासपुर है पिछले कार्यकाल में मैं बराबर प्रयासरत रहा, अपनी क्षेत्र की समस्याओं को बराबर सभी नियमों में उठाया मगर अभी तक उसमें कामयाबी नहीं मिली है। मैं चाहूंगा कि सरकार उन पर गम्भीरता से विचार करे और उन समस्याओं का निराकरण करने का भरसक प्रयास करे। मेरे क्षेत्र में तहसील बिलासपुर है जहां पर चकफेरी शहीदों, फौजियों के गांव उस गांव के मार्ग पर आते हैं, उस गांव का मार्ग शहीद बलजीत सिंह के नाम से जाना जाता है, वह कारगिल में शहीद हुआ था, उस सड़क की हालत यह है कि आज कच्ची सड़क ज्यादा अच्छी होगी, इस सड़क का हाल यह है कि आज आदमी उस पर पैदल चलने में भी मजबूर है। इस सड़क का निर्माण कराया जाये। यह उत्तरांचल राज्य को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है, इसके लिये मैं पिछले 3-4 साल से प्रयासरत हूं। इसके अलावा तहसील बिलासपुर में ग्राम खंडिया है, इस विषय को मैंने कल नियम-301 में भी उठाया था, वहां खंडिया गांव के पास भाकड़ा नदी पर पुल बनाया जाये ताकि आगे के गांवों का सुधार हो सके इसके अलावा तहसील बिलासपुर में बिलासपुर-शीशगढ़ मार्ग है जो बहुत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, इसका निर्माण कराया जाना भी बहुत आवश्यक है क्योंकि बरेली जिले को जोड़ने वाला यह प्रमुख मार्ग है। मेरे क्षेत्र में बिजली की बहुत समस्या है, मेरे क्षेत्र में मिलक तहसील है जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। वहां पर 132 के0वी0 का बिजली घर बनना प्रस्तावित है इसकी बाउन्ड्रीवाल बन चुकी है वहां ओवरलोडिंग के चलते बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाती, मैं चाहूंगा कि तिराट गांव में 132 के0वी0 बिजली घर का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र कराया जाये ताकि बिजली की सही आपूर्ति मिल

सके। इसके अलावा बराखाल क्षेत्र में जो गांव पड़ता है उसके लिये 20-25 कि0मी0 दूर से बिजली आपूर्ति कराई जाती है, इससे क्षेत्र में बहुत समस्या होती है। मैंने वहां के जर्जर बिजली के तारों की समस्या उठाई थी, 20-25 साल पुराने तार हैं, यह तार अब चल नहीं पा रहा है, इसके कारण एक-दो घण्टे वहां मुश्किल से बिजली मिल पाती है। मैं चाहूंगा कि 33 के0वी0 का बिजली उपकेन्द्र बनाया जाये। इसके अलावा पिछले कार्यकाल में भी मैंने प्रयास किया था एक मेरे क्षेत्र में केनरी है टाउन एरिया जो एग्रीकल्चर के हिसाब से भी बहुत आगे है। मण्डी के हिसाब से भी आगे हैं, वहां उप मण्डी के निर्माण की मांग काफी लम्बे समय से चली आ रही है, मैं चाहूंगा कि केनरी में उप मण्डी का निर्माण कराया जाये। मंडी के निर्माण से किसानों को उनकी पैदावार का सही दाम मिलेगा और जनता को भी उसका लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा रामपुर में तहसील बिलासपुर एग्रीकल्चर के मामले में उत्तर प्रदेश की तीन तहसीलों में जानी जाती है। वहां पर फायर स्टेशन नहीं है। फायर स्टेशन की मांग वहां पर काफी लम्बे समय से चली आ रही है। मैं चाहूंगा कि फायर स्टेशन वहां पर बनाया जाय और बिलासपुर तहसील में जो ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड हैं इसके लिये वहां पर 5 एम0वी0 के स्थान पर 10 एम0वी0 का ट्रांसफार्मर लगाया जाये। वहां ओवरलोडिंग की समस्या के कारण एक-एक क्षेत्र के हिसाब से बिजली की आपूर्ति कराई जाती है इसलिये जितनी सरकार बिजली आपूर्ति निर्धारित करे उतनी बिजली वहां के लोगों को मिल सके। इसके अलावा मेरा तहसील बिलासपुर एन0एच0 87 पर पड़ता है जो उत्तरांचल राज्य को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। यहां पर अक्सर दुर्घटनायें होती रहती हैं। बिलासपुर पी0एच0सी0 पर पूरे उपकरण नहीं हैं, इसके अलावा वहां पर डाक्टरों की भी कमी है जिसके कारण वहां पर आने वाले मरीजों को बहुत बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। मैं चाहूंगा कि इस पी0एच0सी0 पर उपकरण उपलब्ध कराये जाये और डाक्टर्स की पोस्टिंग भी कराई जाये।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य शमशेर बहादुर सिंह बोलना शुरू करें।

श्री संजय कपूर-

इसके अलावा बिलासपुर टाउन एरिया में इतने ज्यादा ट्रक हैं जितने उत्तर प्रदेश के किसी भी टाउन एरिया में नहीं होंगे। यह बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का एरिया है, लगभग 1000 ट्रक वहां पर होंगे। इसलिये मैं चाहूंगा कि वहां पर ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जायें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय संजय कपूर जी, आप बजट पर और बोल लीजियेगा, आपका समय समाप्त हो गया है। मैंने दूसरे माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया है।

श्री संजय कपूर-

बस एक मिनट चाहूंगा। केनरी में जो पी0एच0सी0 है वहां पर डाक्टरों की भारी कमी है, उपकरणों की भी बहुत कमी है, इसलिये वहां पर डाक्टरों की तैनाती कराई जाये और उपकरणों की व्यवस्था की जाये। वहां पर मरीजों को 20-25 कि0मी0 दूर जिला अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिये जाना पड़ता है। मैं चाहूंगा कि इस मांग को भी इसमें सम्मिलित किया जाये। इसके अलावा मेरी तहसील मिलक में तीन नये पुलों की मांग बहुत लम्बे समय से की जा रही है। भवरकी चैनपुर व

गरैया निकट हरसूनगल मैं चाहूंगा कि इन तीनों जगहों पर पुलों का निर्माण शीघ्र कराया जाये और केनरी में एक महिला महाविद्यालय खोला जाये। यह बहुत बड़ी टाउन एरिया है उसके आस-पास शिक्षा के लिये कोई साधन नहीं हैं तथा बिलासपुर में रोडवेज का बस अड्डा बनवाया जाये एवं डिग्री कालेज में एम0ए0, एम0काम0, एम0एस0सी0 कक्षायें खोली जायं।

(श्री संजय कपूर, सदस्य का माइक बन्द कर दिया गया)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, शमशेर बहादुर सिंह यदि वह नहीं हैं तो नेक्स्ट सदस्य बाला प्रसाद अवस्थी जी, वह भी नहीं हैं। माननीय सदस्य आरिफ अनवर हाशमी जी, आप प्रारम्भ करें। माननीय संजय कपूर जी आप कृपया समाप्त करें और आप अपनी बाकी बात बजट में बोल लीजियेगा।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री योगेश प्रताप सिंह जी द्वारा 29 मई, 2012 को प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। महामहिम श्री राज्यपाल जी ने विधान मण्डल के समवेत् सदन के समक्ष जो प्रस्ताव किया है वह उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का एक दस्तावेज है। अभिभाषण पर चर्चा की शुरूआत करते हुए माननीय नेता प्रतिपक्ष ने महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण पर अनेकों प्रकार की उंगलियां उठाने का काम किया है। यह सदन गवाह है और उत्तर प्रदेश सूबे की जनता जो 5 वर्षों में बहुजन समाज पार्टी की काली सरकार उत्तर प्रदेश में गठित हुई थी जो अपने अन्त तक घोटालों की सरकार रही, से त्रस्त हो चुकी थी। उसने अपने कार्यकाल में मूर्ति घोटाला, पत्थर घोटाला, खजूर घोटाला, एन0आर0एच0एम0 घोटाला और न जाने कितने घोटाले किये जिसकी कीमत कितने अधिकारियों को जान गंवाकर चुकानी पड़ी। कानून-व्यवस्था के नाम पर नेता प्रतिपक्ष ने कुठाराघात किया है। दुनिया के इतिहास में नजर उठाकर देखा जाए तो आज जो परिवर्तन हो रहा है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक युवा मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंपी गई है यह परिवर्तन का एक उदाहरण है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने चौधरी चरण सिंह, डा0 राम मनोहर लोहिया और अपने पिता युगपुरुष, लौहपुरुष, धरतीपुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी के पदचिन्हों पर चलकर उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने का बीड़ा उठाया है, इसके लिए हम उनको बधाई देना चाहते हैं। अभी पिछली सरकार वर्ष 2007 में गठित हुई, इस सदन में एक प्रश्न उपस्थित किया गया था कि क्या भूतपूर्व माननीय सदस्यों की विधवाओं को पेंशन दी जायेगी। बड़ी विडम्बना है, बड़े दुःख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि पन्द्रहवीं विधान सभा मई, 2007 में अस्तित्व में आई और इस सरकार ने मार्च, 2010 में एक कानून पास किया कि भूतपूर्व माननीय सदस्यों की विधवाओं या माननीय महिला सदस्यों के विधुर पतियों को पेंशन दी जाएगी। मैं कहना चाहता हूं कि जब वह सरकार वर्ष 2007 में गठित हुई थी तो आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि वर्ष 2007 से पेंशन न लागू करके उसे 2010 से लागू किया गया। मान्यवर, इनकी कथनी और करनी से स्पष्ट हो जाता है कि पन्द्रहवीं विधान सभा के नामित सदस्यों को पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं माननीय प्रमोद तिवारी जी का और अन्य माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने उन दर्दमन्दों की आवाज को उत्तर प्रदेश की विधान सभा में उठाने का काम किया है। मान्यवर, मैं नेता

प्रतिपक्ष का बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि लोकदल पार्टी में हमने साथ में काम किया है लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जकड़न से परेशान होकर अपने दिल की बात न कहकर वह अन्य बातें कह गये।

जहां तक उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार की बात है, 5 कालीदास मार्ग पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का निवास है, वहां बैरीकेटिंग कर दी गयी थी, वहां जनता या जनता का कोई प्रतिनिधि नहीं जा सकता था। मैं शानो-शौकत के बारे में नहीं कह सकता कि पिछली महान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के निकलने से पहले हजारों लीटर पानी बहाकर सड़कों को धोया जाता था और उत्तर प्रदेश की जनता भूख और प्यास से तड़प रही हो और मुख्य मंत्री जी के निकलने से पहले हजारों लीटर पानी से सड़क को धो करके साफ किया जाता हो। यह इनकी विडम्बना है, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी यह भूल गये।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय हाशमी जी संक्षेप में रखें।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, एक दर्द भरी दास्तान है। उधर बैठे हुए लोग घमण्ड से चूर थे जब सत्ता में थे। हम लोग विपक्ष में थे। हमारे नेता विरोधी दल मा0 शिवपाल सिंह यादव ने कहा था और पहले नेता विरोधी दल माननीय नेता जी चुन करके आये थे, हमारे नेता मा0 आजम खां साहब उप नेता थे। उन्होंने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी के लोगों, जनता ने हमें सजा दी है इसलिए उधर बिठाया है और अपना आचरण ठीक नहीं करोगे तो यह स्थान आपको मिल जायेगा और हम वहां चले जायेंगे। मैं उत्तर प्रदेश की बहादुर जनता को बधाई देना चाहता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के पांच साल के काले शासन को समाप्त करके भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी को सत्ता में बिठाया है। आज जब सरकार बनी है, अभी कितने दिन हुए, 9-10 हफ्ते हुए हैं। मैं तो मा0 नेता प्रतिपक्ष से कहना चाहता हूं कि महापुरुषों की बात आप करते हैं, महापुरुषों में सभी धर्म और जाति के लोगों ने हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी है। वह महान सपूत बहादुरशाह जफर 1857 की क्रांति में जिन्होंने देशी राजाओं को जोड़ करके हिन्दुस्तान की लड़ाई लड़ी थी। एक भी मुसलमान सपूत के नाम जिसने जंगे आजादी की लड़ाई लड़ी कोई जिला नहीं बनाया आपने। आजादी के बाद सिर्फ महमूद बट साहब चीफ सेक्रेटरी हुए थे, मैं बधाई दूंगा समाजवादी पार्टी की सरकार को, संसदीय कार्य मंत्री जी को, नेता सदन मा0 अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने इंसाफ करके एक मुसलमान को चीफ सेक्रेटरी बनने का मौका दिया। आपने मा0 अनीस अंसारी साहब को चीफ सेक्रेटरी बनने का मौका नहीं दिया। जहां तक आपने एक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना की, आपने किसी भी महान सपूत मौलाना मोहम्मद अली जौहर, बेगम हजरत महल, अशफाक उल्ला खां, राजा अशरफ बक्श खां, हाफिज अहमद खां, रोहिल्ला, जिन्होंने अपनी कुर्बानी करके इस देश को आजाद कराया उनके नाम पर नहीं रखा, मान्यवर, कांशीराम जी के नाम पर रखा जो इस सूबे के नहीं थे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यहां मैं अन्याय कर रहा हूं, माननीय सदस्य को रोक रहा हूं माफी के साथ। हम जैसे अनपढ़ लोगों की मालूमात में इजाफा हुआ। हमें यह पता चला मा0 कांशी राम जी कभी-कभी हम जैसे छोटे आदमी से मिलने हमारे आवास पर तशरीफ लाते थे, उनका बड़प्पन था, उस जमाने में हमारी

उनसे कुछ वैचारिक गुफ्तगू चलती थी। मुझे नहीं मालूम था इतने करीब शख्स को कि वह अरबी के इतने बड़े ज्ञाता हैं, फारसी के इतने बड़े ज्ञाता हैं, उर्दू के इतने बड़े ज्ञाता हैं यह उनकी खूबी छुपी हुई थी। जब उर्दू, अरबी, फारसी यूनिवर्सिटी का नाम उनके नाम से रखा गया तब मुझे मालूम हुआ कि अली मियां का नाम छोटा है अरबी के मैदान में और कांशीराम जी का नाम बड़ा है। इसमे तो हमारी मालूमात बढ़ी है इसके लिए तो हमें बहुजन समाजपार्टी को मुबारकबाद देना चाहिए कि उनकी इतनी बड़ी खूबी मुसलमानों से क्यों छुपाकर रखी गयी।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

माननीय अधिष्ठाता जी ....

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

माननीय अधिष्ठाता जी, बहुत कम वक्त में समाप्त करूंगा, बात सुन लीजिये। 'दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है। पर नहीं ताकतें परवाज मगर रखती है।' मैं अपने नेता सदन मा0 अखिलेश यादव जी को मुबारकबाद दूंगा। डा0 इकबाल का एक शेर मुझे याद आता है कि हजारों साल नरगिसे बेनूरी रोती है, बड़े मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का नारा देते हैं और जब हक देने की बात आती है तो हमें भूल जाते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं इस सरकार को कि अक्लियतों के कब्रिस्तान के चहारदीवारी की योजना को इन्होंने रखा है।

मैं मुबारकबाद देता हूं कि यह जो लोग कब्जा कर रहे थे। उसको रोकने के लिए सरकार ने बाउन्ड्रीवाल बनाने का काम किया।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें। चाहें तो शेर के साथ समाप्त करें।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

अधिष्ठाता जी मैं समाप्त कर रहा हूं। अधिष्ठाता जी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सारी बातें आना बहुत जरूरी हैं क्योंकि कल टी0वी0 के चैनल वाले मीडिया वाले यह सवाल करेंगे और छापेंगे कि कल जो पिछली सरकार थी उसने 2007 से 2012 तक किसके साथ क्या किया। मैं सिर्फ अकलियत की बात नहीं करता, मुस्लिम भाइयों की बात नहीं करता। मैं आपको सदन में बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी ने उन कमजोर, दबे-कुचले दलितों के साथ भी नाइंसाफी किया है। आज गांव की दशा देख लीजिये गांव में रहने वाला वह गरीब दलित इंसाफ एक धोती और एक कुर्ते पर अपनी जिन्दगी काट देता है और बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर जीतने वाले लोग उनकी हैसियत कहां से कहां पहुंच जाती है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें। जी0एम0 सिंह जी बजट पर बोलिये।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

समाजवादी पार्टी की सरकार जब प्रारम्भ होती है उसी का नतीजा है कि समाजवादी पार्टी में अनुसूचित जाति के सबसे ज्यादा सदस्य चुनकर आये हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि समाजवादी पार्टी दलितों की हितैषी है। पिछड़ों की हितैषी है अकलियतों की हितैषी है। बहुजन समाज पार्टी अगर दलितों की हितैषी होती तो अनुसूचित जति के लोग इनकी पार्टी से ज्यादा जीतकर आते। इससे यह साबित हो जाता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव की नीतियों में विश्वास करके उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी की नीतियों में विश्वास करके भारी संख्या में सदस्यों को जिताकर भेजा है।

*श्री देवनारायन उर्फ जी0एम0 सिंह-

मान्यवर, यह इनका दोष नहीं है जो यहां से वहां जाता है वह दो तीन महीने बहुत गरजता है। लेकिन जैसे ही पांच साल करीब आते हैं उसका दिमाग ठण्डा होना शुरू हो जाता है। अब इनको सुनना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

हाशमी जी आप वरिष्ठ सदस्य हैं कृपया स्थान लीजिए। अब लिखा नहीं जा रहा है।

श्री देवनारायन उर्फ जी0एम0 सिंह-

यह 25-30 मिनट बोल चुके हैं।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

एक शेर सुन लें। जब यह सत्ता में थे उसी समय का यह शेर है। सब देख रहे थे दिल ए बिस्मिल का तड़पना। यह गौर से कातिल का हुनर देख रहे थे। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जो सदस्य अभी बहुत उछल-उछल कर बोल रहे थे यह बसपा के भगाये हुए साथी थे जो आज सपा के सदस्य बन गये हैं तो इनकी पुरानी पीड़ा बोल रही थी।

श्री देवनारायन उर्फ जी0एम0 सिंह-

मान्यवर, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हमारे नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। मान्यवर, तमाम लोगों के विचार आए और जो यहां से वहां जाता है वह काफी उछलता है वह तो होना ही चाहिए। लेकिन कभी इधर कभी उधर सबकी बारी लगी रहती है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं मैं उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहूंगा कि सरकार ने समग्र विकास के लिए तमाम घोषणाओं को किया है चुनाव के समय में उसको पूरा करने के लिए मैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन 2002 से 2007 के बीच में 2006-07 के बीच में प्लानिंग कमीशन का जो उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति नजरिया था उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ यह नजरिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार दिवालियेपन के कगार पर है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राज्य दिवालियेपन के कगार पर है। बीमार स्टेटों में इसका नाम था। 2007 के बाद जब उत्तर प्रदेश सरकार की 6.10 प्रतिशत आर्थिक विकास दर रखी गयी थी। मान्यवर, 2007 के पहले यह 3 प्रतिशत से कम थी। 2007 के बाद उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास दर (माननीय सदस्यों के बोलने पर शोर) यह मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। आप गौर से सुन लीजिये। अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। यह मिनिस्टर आफ स्टेट अश्विनी कुमार यह राज्य सभा में (शोर)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्यगण बैठ जायं शोर न करें। उनको अपनी बात बोलने दें।

श्री देवनारायन उर्फ जी0एम0 सिंह-

उत्तर प्रदेश में बी0एस0पी0 की सरकार ने 2007-2012 के बीच में 7.23 प्रतिशत आर्थिक विकास दर हासिल की थी। समाजवादी पार्टी की गवर्नमेन्ट में यह आर्थिक विकास दर 3 प्रतिशत थी। अगर यह सरकार अपनी पुरानी नीतियों पर रही तो अभी तक बी0एस0पी0 की गर्वनमेन्ट की वजह से प्रदेश की जो आर्थिक व्यवस्था अभी ठीक है वह आने वाले 2 सालों में बोल जायेगी। मान्यवर, मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान मैं इस पर आकृष्ट करना चाहता हूं कि एक सुझाव गेहूं के क्रय केन्द्रों और गेहूं की खरीद को ले करके यहां पर बहुत बहस हुई। मेरा यह सुझाव है मान्यवर कि गांवों से गेहूं खरीदा जाता है सभी सदस्य सुन लें मेरी बात को। गांव से गेहूं सेन्टर तक ले जाया जाता है और वहां से फिर उसको गोदाम तक ले जाया जाता है और गोदाम से फिर उसको ले जा करके गांवों में वितरित किया जाता है। सरकार और सदन यह व्यवस्था करे कि गांव का गेहूं गांव में खरीदा जाय और गांव में खरीद करके वहां गांव के किसान के गोदाम बनाने के लिये प्रेरित किया जाय, उसी गोदाम का उसको भाड़ा दिया जाय। एक भी पैसा ढुलाई नहीं पड़ेगा और फिर वहीं उसी गांव में नहीं ले जाना पड़ेगा। सारी समस्या का मान्यवर हल हो जायेगा। इस तरह से मान्यवर, मेरे प्रस्ताव को सदन को मानना चाहिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी चले गये, इस प्रस्ताव को मानने से ही पूरी समस्या का हल हो जायेगा। मान्यवर, मैं इसके अलावा कुछ बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जो कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सम्मिलित नहीं किये हैं। हमारे विधान सभा में अबतहुवा के पास मान्यवर 26 लोग बाढ़ से डूबकर मर गये थे। वहां पर नदी है नदी के एक तरफ बंधा ऊंचा है और दूसरी तरफ तीन फिट कम ऊंचा बंधा है। मान्यवर, जब बाढ़ आती है तो एक तरफ ओवर फ्लो हो गया और 26 लोग मर गये। मैं चाहता हूं कि माननीय सिंचाई मंत्री जी तो यहां पर नहीं है, उस बंधे का उच्चीकरण कराया जाय, रेग्युलेटर लगवाया जाय नहीं तो भविष्य में फिर इस घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है। दूसरा मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं बस्ती से लेकर मेहदावा और कप्तानगंज तक बी0एल0सी0टी0 रोड के नाम से उत्तर प्रदेश स्टेट नेशनल हाई-वे एथारिटी जो उसको सौंप दिया गया है, दे दिया गया है आधा रोड इधर से बन गया है आधा रोड उधर से बन गया है लेकिन बीच में नहीं बना है। पी0डब्ल्यू0डी0 के लोग कहते हैं कि वह तो हमने सौंप दिया है इसलिये हम उसकी मरम्मत नहीं कर सकते। मान्यवर, वहां पर कई गाड़ियां पलट गईं, कई लोग मर गये इस पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि इसको तात्कालिक रूप से ठीक कराया जाय। दूसरी बात कि जितने जिले नेपाल के सीमावर्ती हैं मान्यवर, जब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, वे मुख्य मंत्री थे और भा0ज0पा0 की भी जब सरकार थी तब

से वहां माओवादी की घुसपैठ की समस्या को ले करके बहुत चर्चा हुई थी। यहां पर सदन में यह कहा गया था कि जो बार्डर के जिले होंगे वहां 24 घण्टे बिजली दे करके रात में देखा जायेगा कि वहां पर घुसपैठ न हो सके। सभी सरकारों के द्वारा यह आदेश हुआ था मान्यवर, लेकिन स0पा0 की सरकार के द्वारा दिया हुआ आदेश था। बी0एस0पी0 के समय में बिजली दी जा रही थी, भा0ज0पा0 के समय में बिजली दी जा रही थी मान्यवर, मैं चाहता हूं कि वहां पर बिजली बहाल की जाये ताकि माओवादी घुसपैठ न हो सके नहीं तो कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी समस्या आने वाले दो चार महीने में पैदा होने वाली है यह मैं अन्दरूनी बात आपको बता रहा हूं जो नेपाल से सुनने में आई है। दूसरी बात मान्यवर, इन्सेफ्लाइटिस पर बहुत चर्चा हुई बहुत बातें हुईं हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसके रोकथाम के लिये कि इसके वायरस का संवर्धन न हो सके इसके लिये तमाम व्यवस्था की गई। माननीय प्रमोद तिवारी जी यहां पर नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य अब समाप्त करें।

श्री देवनारायन उर्फ जी0एम0 सिंह-

मान्यवर, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। केन्द्रीय बाढ़ आपदा राहत के जो वाइस चेयरमैन थे श्री रेड्डी। उन्होंने जो उनका प्रयास था उसको गर्वनमेंट ने गिनाया वह वास्तव में केन्द्रीय उपाध्यक्ष का प्रयास था उनके प्रयास से ट्रेनिंग दिया जा रहा है ट्रेनिंग में कहा गया कि मच्छरदानी की व्यवस्था गरीबों के हित को देखते हुए की जाए तो बीमारी कम हो जाएगी।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

(कुंवर भारतेन्द्र का नाम पुकारा गया)

श्री देवनारायन उर्फ जी0एम0 सिंह-

हम चाहते हैं कि गरीबों के लिए मच्छरदानी की व्यवस्था हो जाए। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विद्युतीकरण बड़े पैमाने पर मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं हो सका है वहां हैण्डपम्प की व्यवस्था की जाए जो इससे प्रभावित है उनको इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प दिया जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं यह अभिभाषण में सम्मिलित नहीं था इसलिए मुझे कहना पड़ा। इसी के साथ में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसका विरोध करता हूं।

कुंवर भारतेन्द्र-

मान्यवर, धन्यवाद आपने बोलने का अवसर दिया, किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इन बिन्दुओं का उल्लेख नहीं किया। मान्यवर, बड़ी उम्मीद थी कि एक युवा मुख्यमंत्री प्रदेश में चुनकर आया है। पूरे प्रदेश में एक उम्मीद जगी थी कि न्याय व्यवस्था काबू में आयेगी मैं बहुत ही संक्षेप में बोलूंगा। मैं दो-तीन उदाहरण देना चाहता हूं। 26 अप्रैल को मान्यवर थाना कोतवाली बिजनौर में रिपोर्ट दर्ज हुई, एक गरीब आदमी जो पंजाब में मजदूरी करता है, उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया। 28 तारीख को जब उसकी रिपोर्ट में नामित लोगों को पकड़कर उनसे बात करने के लिए शाम को 7.00 बजे कोतवाली बिजनौर में लाया गया तो वहां पर कुछ

असामाजिक तत्व कोतवाली में आये और उन्होंने बदतमीजी की, कोतवाल को पीटा और पुलिस वालों को पीटा। मान्यवर, आम आदमी के लिए कोतवाल ही सरकार है उसके पास सरकारी वर्दी है। उसी का सम्मान है। जो सरकार की नीति यहां बैठकर बनती है उसको लागू कोतवाल करवाता है। न्याय व्यवस्था कोतवाल चलाता है, जब कोतवाल वहां पर पिटता है तो एस0पी0 बिजनौर वहां पर पहुंचकर कोतवाल को लाइन हाजिर कर देता है। दबाव में आकर कोतवाल को लाइन हाजिर कर दिया गया है। कोई रिपोर्ट उन अपराधियों के खिलाफ नहीं हुई। उन अपराधियों के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई जिन्होंने इतनी हिम्मत की कि जिला बिजनौर के मुख्यालय में कोतवाली में आकर कोतवाल को पीट दिया। जब कुछ दिनों बाद एक मई के बाद हम लोगों ने कहा कि धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। उस धरना-प्रदर्शन को हमने गांव में किया, कोई हाइ-वे नहीं रोका, कोई सड़क नहीं रोकी और उस प्रदर्शन में पूरा समाज आया। किसान यूनियन के अध्यक्ष, किसान यूनियन के पूर्व अध्यक्ष, चौरासी साल के, आर्य समाज सभा के प्रतिनिधि, 85 वर्ष के जसराम सिंह जी, ऐसे वरिष्ठ नामी गरामी लोग किसान यूनियन के अध्यक्ष जो इस समय लंगड़ा कर चलते हैं, उनके पैर में विकलांगता है। ऐसे-ऐसे वरिष्ठ लोगों ने आकर उस सभा को सम्बोधित किया उसमें सभा से हमारी रिपोर्ट तो क्या लिखते हैं, इन 80-85 साल के किसान यूनियन अध्यक्ष के नाम रिपोर्ट लिख दी गई। जबसे यह सरकार आई है, शायद यहां बैठे माननीय सदस्यों की मंशा नहीं है, लेकिन एक सूचना सब जगह गई है और निश्चित रूप से बिजनौर जिले में गई है कि अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। अपराधी आपे से बाहर हो गया जिन लोगों ने कोतवाल बिजनौर को जाकर पीटा था क्योंकि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसी वजह से मान्यवर कुछ दिनों बाद उन्हीं लोगों ने रजिस्ट्रार आफिस में (रजिस्ट्रार आफिस कलेक्ट्रेट में है) जाकर रजिस्ट्रार के साथ बदतमीजी की। रजिस्ट्रार आफिस कलेक्टर, डी0एम0 के नाक के नीचे हैं वहां पर कुछ लोग रजिस्ट्री कराने गये।

वही लोग जो अपने आप को समाजवादी कहते हैं, वही लोग जो सत्तारूढ़ दल से अपने को जोड़ने लगे हैं, वही लोग गये और रजिस्ट्रार आफिस में बतमीजी की। रजिस्ट्रार वह व्यक्ति है, रजिस्ट्रार वह कुर्सी है, जहां पर जाकर हम अपनी वसीहत तक रजिस्टर करवाते हैं। हमारा विश्वास है कि जब हम नहीं रहेंगे, हमारी भावनाओं को माना जायेगा क्योंकि हमने उसकी रजिस्ट्री करवाई है। न रजिस्ट्रार की इज्जत हो रही है और वह गुण्डे जो अपने आप को समाजवादी कहते हैं, वे निरन्तर इस बदतमीजी को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तब भी जब उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती तो झालू कस्बे में इन्हीं गुण्डों ने अपने पड़ोसी को गोली मार दी। इन घटनाओं में आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। समाजवादी कौन होता है ? हमारे स्पीकर साहब हैं, समाजवादी, उनके गेट हमेशा खुले रहते हैं, उनके घर पर कोई भी जाये, सिक्योरिटी नहीं है, सबका उसी तरह से स्वागत होता है, वही ठंडा पानी और गुड़ से, चाहे वह बड़े से बड़ा मंत्री हो, केन्द्र से आया मंत्री हो, चाहे छोटे से छोटा आदमी हो। इसीलिए वहां भीड़ लगी रहती है और फटी धोती पहने तमाम किसान उनके घर पर खड़े रहते हैं, उनका स्वागत-सतकार वैसे ही होता है। क्या यह समाजवाद है या वह गुण्डे जो आपका नाम लेकर आपका संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं, वह समाजवादी है ? समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, कहीं भी किसी की पूंछ नहीं है, समाजवाद के नाम पर गुण्डागर्दी बढ़ती जा रही है और क्योंकि हम अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, यह सरकार

अंकुश नहीं लगा पा रही है, इस कारण सड़क चलते व्यापारी की चंपक में गोली मारकर हत्या कर दी, दूसरी एक और चन्दक में ही लूट हुई, दारानगरगंज में 14 वर्षीय बच्ची को दुकान में खींचकर उसके साथ बलात्कार किया गया। यह घटनाएं इसलिए बढ़ती जा रही हैं क्योंकि कहीं न कहीं ऐसे असामाजिक तत्वों को महसूस होने लगा है कि हमें संरक्षण प्राप्त है।

मान्यवर, आपने घोषणा-पत्र में कहा है कि आप उन जातियों को भी जो दलित हैं, जिनका नाम अनुसूचित जाति की सूची में नहीं आया है, उन्हें आप सम्मिलित करेंगे। जिला बिजनौर में और लगभग सभी क्षेत्रों में जो बंगाल से उजड़ कर आज से 50-60 साल पहले लोग आए थे, उनकी जाति का नाम ही नमो शुध्र है, ऐसी जातियों को हम आज भी अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं कर पाये हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपा करके इसे भी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में (जो कि सरकार की नीति होती है) सम्मिलित करें कि नमो शुध्र, पौण्ड, पाल जो कि कुम्हार होते हैं, बंगाल में, मांझी जो केवट होते हैं और राजपंक्षी जो मछुआरे हैं, इन्हें भी अनुसूचित जाति में शामिल करवाया जाये। इस सम्बन्ध में आपकी ही सरकार ने गोपन अनुभाग-1(4)/25/89-एसीटी-1, दिनांक 31-07-89 को आपकी ही जनता पार्टी की सरकार ने पारित कर दिया था। यह काफी दिनों से लम्बित पड़ा हुआ है, कृपा करके आप इसे भी शामिल कर लीजिए। बहुत सी और बातें हैं, किसानों के गांवों की सड़कें नहीं जुड़ी हुई हैं, गेहूं क्रय केन्द्रों के मामले हैं लेकिन समय की कमी है, इसलिए समाप्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, आपने महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं जनपद प्रबुद्धनगर की विधान सभा शामली से चुनकर आया हूं। हमारे जनपद का यह दुर्भाग्य है कि पिछली सरकार ने इसे बना तो दिया लेकिन न ही अभी तक जनपद का सीमांकन हुआ है, कुछ गांव ऐसे हैं जो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वह मुजफ्फरनगर में हैं या प्रबुद्ध नगर में हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उनका सीमांकन करा करके और उसका नाम शामली नगर के नाम पर जाए क्योंकि शामली नगर एक ऐतिहासिक नगर है, वहां के अनेकों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया था और इस देश के लिए अपना लहू न्योछावर करने का काम किया था। यह पिछली सरकार की साजिश थी। मान्यवर, नई सरकार से अनुरोध है कि उस ऐतिहासिक नगर शामली का इतिहास खत्म करने का काम किया गया है उसे आप पुनर्जीवित करें। प्रबुद्धनगर का नाम शामली नगर करने का काम करें।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र दिल्ली यमुनोत्री मार्ग का तत्काल निर्माण कराया जाना चाहिए। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुढ़ाना, शामली, करनाल मार्ग तथा मुजफ्फरनगर शामली मार्ग का निर्माण तत्काल कराया जाना चाहिए। यात्रियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके आस-पास के मार्गो को भी तत्काल ठीक कराया जाय। मेरी विधान सभा क्षेत्र के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी हेतु हैंड पम्प लगाये जाने चाहिए और खराब हैंड पम्पों को रि-बोर कराया जाना चाहिए। विधान सभा क्षेत्र शामली में बिजली आपूर्ति बढ़ायी जानी चाहिए। विधान सभा क्षेत्र के दो नगर पंचायत व दो नगर पालिका (नगरपालिका शामली और कांघला और नगर पंचायत हैं

एलम और बनत) में ग्रामीण स्तर की विद्युत आपूर्ति की जा रही है उसका उच्चीकरण होना चाहिए और राजकीय परिवहन निगम की बसें शामली बुढ़ाना व मेरठ तथा कैराना कांधला मेरठ आदि रुटों पर राजकीय बसें चलायी जानी चाहिए। शामली क्षेत्र के गिरते भूजल स्तर को बनाये रखने के लिए रिचार्ज कुएं बनाये जाने चाहिए और दूषित भूजल को प्रदूषण मुक्त कराया जाना चाहिए। वहां पर प्रदूषित भूगर्भ जल के होने से लोगों में बीमारियां फैल रही हैं उनको उससे बचाया जाय। किसानों के सहकारी बैंकों के कर्जे माफ किये जाने चाहिए। मान्यवर, प्रबुद्धनगर जनपद बागवानी का क्षेत्र है प्रदेश सरकार को कृषि एवं बागवानी आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए नयी योजनाओं का संचालन करना चाहिए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में यमुना नहर की पटरी को पक्की कराया जाय जिससे शामली विधान सभा क्षेत्र को दिल्ली से जोड़ा जा सके। सघन कृषि क्षेत्र शामली विधान सभा की साखलोई राजबहा को लगातार चलाया जाना चाहिए जिससे किसानों को लाभ होगा। शामली में ब्लड बैंक की स्थापना की जाय और वहां के अस्पताल का उच्चीकरण कर 300 बेड के अस्पताल की सुविधा दी जानी चाहिए। शामली विधान सभा क्षेत्र में राजकीय इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेज खोले जाने चाहिए। माननीय अधिष्ठाता जी आपके माध्यम से एक अत्यन्त गंभीर मामला सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारे युवा मा0 मुख्य मंत्री जी कानून व्यवस्था को लेकर बहुत गंभीर हैं और समाज को अपराधमुक्त बनाना चाहते हैं। परन्तु उन्हीं के पार्टी में बाहर से आयतित कुछ लोग जिनका कभी समाजवादी पार्टी से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है और सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए पार्टी में आये हैं मा0 मुख्य मंत्री जी की छवि को खराब करना चाहते हैं। वहां मेरी विधान सभा क्षेत्र में गांव खंदरावली में फरवरी माह में एक सिताब सिंह नाम के कांग्रेस कार्यकर्ता का मर्डर कर दिया गया उसमें आधे से ज्यादा अपराधी खुले घूम रहे हैं। वहां उसी गांव में अभी कुछ दिनों पहले संजय शास्त्री नाम के व्यक्ति को बुरी तरह से पीटा गया। जिनके द्वारा पीटा गया वह अपराधी खुले घूम रहे हैं चूंकि उन्हें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे पूर्व मंत्री का संरक्षण प्राप्त है। वहां उक्त नेता द्वारा एस0पी0, डी0एम0 को एसओ को पंचायतों में बुलाकर के उन्हें बेइज्जत करने का काम किया जाता है। पुलिस अधिकारी बड़े दबाव में काम करते हैं अगर निष्पक्ष रूप से काम करते हैं तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब से यह नई सरकार आयी है दो महीनों में दो एस0पी0 और दो डी0एम0 बदले जा चुके हैं। अगर इसी तरह से बदले की भावना से काम होते रहे तो उससे मा0 मुख्य मंत्री जी की छवि खराब होगी। अधिकारी बदलने से काम नहीं चलता है। अपराधियों का कोई दल नहीं होता है अपराधी अपराधी होते हैं उन पर अंकुश लगाना आवश्यक है चाहे वह कितना भी बड़ा कद रखते हों। पुलिस वहां पर लाचार है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं जनपद प्रबुद्धनगर प्रतिभाओं का धनी है खेल और शिक्षा के क्षेत्र में। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है प्रबुद्धनगर में युवाओं के लिए एक स्टेडियम और छात्रावास का तत्काल निर्माण कराया जाय। नौजवान मा0 मुख्य मंत्री जी से हम लोगों को काफी उम्मीदें हैं मान्यवर हमारे इस सुझावों को अभिभाषण में शामिल कर लिया जाय। मेरे विधान सभा क्षेत्र को 22 घंटे बिजली की आपूर्ति अवश्य करायी जाय। वहां की नहरों की रजबाहों की सफाई करायी जानी चाहिए और रजबाहे लगातार चलाये जाने चाहिए उससे किसानों का फायादा होगा। हमारा क्षेत्र किसान बाहुल्य क्षेत्र है। धन्यवाद।

मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को लेकर बहुत गंभीर हैं और समाज को अपराधमुक्त बनाना चाहते हैं। परन्तु उन्हीं के पार्टी में बाहर से आयतित कुछ लोग जिनका कभी समाजवादी पार्टी से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है और सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए पार्टी में आये हैं मुख्य मंत्री की छवि को खराब करना चाहते हैं। वहां मेरी विधान सभा क्षेत्र में गांव खंदरावली मे फरवरी माह में एक सिताब सिंह नाम के कांग्रेस कार्यकर्ता का मर्डर कर दिया गया उसमें आधे से ज्यादा अपराधी खुले घूम रहे हैं। वहां उसी गांव में अभी कुछ दिनों पहले संजय शास्त्री नाम के व्यक्ति को बुरी तरह से पीटा गया। जिनके द्वारा पीटा गया वह अपराधी खुले घूम रहे हैं चूंकि उन्हें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे पूर्व मंत्री का संरक्षण प्राप्त है। वहां उक्त नेता द्वारा एस0पी0, डी0एम0 का एस0ओ0 को पंचायतों में बुलाकर के उन्हें बेइज्जत करने का काम किया जाता है। पुलिस अधिकारी बड़े दबाव में काम करते हैं और निष्पक्ष रूप के काम करते हैं तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब से यह नई सरकार आयी है दो महीनों में दो एसपी और दो डीएम बदले जा चुके हैं। अगर इसी तरह से बदले की भावना से काम होते रहे तो उससे मुख्यमंत्री जी की छवि खराब होगी। अधिकारी बदलने से काम नहीं चलता है। अपराधियों का कोई दल नहीं होता है अपराधी अपराधी होते हैं उन पर अंकुश लगाना आवश्यक है चाहे वह कितना भी बड़ा कद रखते हों। पुलिस वहां पर लाचार है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं जनपद प्रबुद्धनगर प्रतिभाओं का धनी है खेल और शिक्षा के क्षेत्र में मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है प्रबुद्धनगर में युवाओं के लिए एक स्टेडियम और छात्रावास का तत्काल निर्माण कराया जाय। नौजवान मुख्य मंत्री जी से हम लोगों को काफी उम्मीदें है मान्यवर हमारे इस सुझावों को अभिभाषण में शामिल कर लिया जाय। मेरे विधान सभा क्षेत्र को 22 घंटे बिजली की आपूर्ति अवश्य करायी जाय। वहां की नहरों की रजबाहों की सफाई करायी जानी चाहिए और रजबहे लगातार चलाये जाने चाहिए उससे किसानों का फायदा होगा। हमारा क्षेत्र किसान बाहुल्य क्षेत्र है। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, अभी हमारे साथी भारतेन्दु जी ने बताया कि बिजनौर में किस तरह का राज चल रहा है उससे बदतर हालात मुजफ्फरनगर और शामली में हैं।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामलाल अकेला-

माननीय अधिष्ठाता जी, महामहिम राज्यपाल महोदय ने 28 मई को दोनों सदनों को सम्बोधित करते हुए जो शानदार उत्साहवर्धक अभिभाषण यहां पर दिया है और उस पर धन्यवाद प्रस्ताव हमारे साथी माननीय योगेश प्रताप जी ने रखा उसका समर्थन करने के लिए आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, दो माह के शासनकाल में हमारे शानदार, जानदार युवा मुख्य मंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने विकास और कानून व्यवस्था को जो गति प्रदान की करने का काम किया उससे समुचे उत्तर प्रदेश में नौजवानों के अंदर किसानों के अंदर मुसलमानों के अंदर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे नेता माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी का जो सपना था इसे उत्तम प्रदेश बनायेंगे मानो उस ओर माननीय अखिलेश यादव जी ने साहसिक कदम उठाने का काम किया है। मान्यवर, 28 मई को जब महामहिम यहां अपना अभिभाषण कर रहे थे तो नेता प्रतिपक्ष ऐसा हुड़दंग मचा रहे थे कि हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जिस तरह से डकैती, छिनैती, फिरौती, गुण्डागर्दी, अराजकता की बात कर रहे थे यह तो उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष गुण्डागर्दी, अराजकता का माहौल, लोकतंत्र की हत्या करने काम काम किया है। 28 मई को नेता प्रतिपक्ष उसी को यहां बयान करने का काम कर रहे थे। आप लोकतंत्र की बात करते हो। आपने 5 वर्ष उत्तर प्रदेश के अंदर राज किया। आपने विकास के धन को लूटने का काम किया है। जब आपकी मुख्य मंत्री समीक्षा के नाम पर गांव देहात में दौरा करने जाती थी तो क्या होता था। जब कोई दलित महिला अपनी फरियाद करने के लिए आती थी तो उसकी बात सुनने के लिए आपकी मुखिया तैयार नहीं होती थी। लोकतंत्र पर आपने ताला डालने का काम किया था। मान्यवर, नई सरकार आते ही माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कालीदास मार्ग पर माननीय विधायकों के लिए दरवाजे खोल दिये। समय निश्चित कर दिया कि हम विधायकों से इस दिन मिलेंगे उनकी समस्याओं को सुनने का काम करेंगे। क्या आपने भी कभी ऐसा सोचा था। हमने देखा है कि सारे दल के विधायक माननीय मुख्य मंत्री जी के पास पहुंचते हैं और अपनी बात करते हैं। वह जनता जो आपके समय में मुख्य मंत्री से नहीं मिलती थी आज जनता दर्शन के नाम पर माननीय अखिलेश यादव जी ने मुख्य मंत्री का आवास खोल दिया और गरीब आज वहां पर आकर अपनी बात को कहने का काम कर रहा है। क्या आपको गुण्डागर्दी का वह माहौल याद नहीं है, आपने जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की है, माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमने क्षेत्र पंचायत के चुनाव में देखा है, हमने देखा है जिला पंचायत के चुनाव में कि कप्तान, दरोगा, कलेक्टर बसपा का कार्यकर्ता बनकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे और पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा था कि कैसे बसपा की सरकार में लोकतंत्र में डकैती डालने का काम किया जा रहा है। आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप लोकतंत्र की बात करोगे। आपने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है और रिश्वतखोरी, दलाली और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा आपने पार कर दी है। आप दलितों की बात करते हो। एन0एच0आर0एम0 घोटाले में जो दवा आपने खाई है वह दवा किसकी थी, किसी बड़े आदमी की नहीं थी, बड़ा आदमी तो नर्सिग होम में इलाज करा लेता है, लेकिन गांव की पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 में वह आदमी जाता है जो हैण्ड-टू-माउथ होता है, जो गरीब

आदमी होता है, जो दलित है, जो खेतिहर है, वह गांव के अस्पतालों में इलाज के लिए जाता है। आपने उनकी दवाओं का पैसा खा लिया, दवाई बेच लिया, वह गरीब दवाई के अभाव में तड़पता हुआ मर गया। आप गरीबों की बात करते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के राज में जितना अन्याय, जितनी गुण्डागर्दी दलितों के ऊपर हुई है शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी ने इतना बड़ा जुर्म करने का काम न किया हो। महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में उत्तर प्रदेश को एक शानदार दिशा देने का काम किया। क्या कभी आपने भी सोचा था कि किसान बीमा योजना के अन्तर्गत एक लाख रुपया हमारे नेता मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने देने का काम किया था पांच वर्ष आपने सरकार चलाई है अगर दिल होता आपके अन्दर तो 50 हजार बढ़ा देते, आप 10 हजार बढ़ा देते, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने नेता मा0 अखिलेश यादव को कि उन्होंनें किसान बीमा की राशि एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का काम किया है। यह है किसान का बेटा, यह है किसान का नेता, यह है गरीबों का नेता, इसकी तुलना, इसकी मिसाल कोई नहीं ले सकता। इसके अलावा मान्यवर, आप शिक्षा की बात करते हो। महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में शिक्षा के बारे में कन्याओं के लिए हमारे मा0 नेता सदन ने स्पष्ट कहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी विकास खण्डों में जहां कोई कन्या डिग्री कालेज नहीं है, जमीन की उपलब्धता को देखते हुए वहां सरकारी कन्या डिग्री कालेज की स्थापना की जाएगी।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अकेला जी बहुत हो गया अब आप समाप्त करें। बजट पर भी बोलियेगा। अभी कुछ जेब में रखियेगा।

श्री रामलाल अकेला-

मा0 अधिष्ठाता जी, आखिर में मैं इनके बारे में बस एक लाइन कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं, ये बहुत चिल्ला रहे थे। मान्यवर, ''जिनकी आंचल में ममता, न आंखों में पानी, वह क्या जाने किसानों की परेशानी।'' मैं योगेश प्रताप जी के धन्यवाद प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मा0 नेता प्रतिपक्ष द्वारा लाये गये संशोधन पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं, मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि इस संशोधन में हमारे क्षेत्र की कुछ समस्यायें हैं जिनको शामिल करने का काम किया जाय। हमारा क्षेत्र जलालाबाद जिससे तीन नदियां गुजरती हैं। बरसात के महीने में भीषण बाढ़ सैकड़ों गांवों को तबाह कर देती है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, 2011 में हमने शासन को लिखा था, सरकार ने लिखा था कि बाढ़ के रोक के उपाय किये जाएं। सरकार के द्वारा इंजीनियरों की एक टीम बनाकर पूरे क्षेत्र में जहां-जहां बाढ़ से प्रभावित गांव हैं उनका निरीक्षण किया गया, सर्वे कराया गया और वह सर्वे बनाकर पूरा प्रोजेक्ट शासन में लम्बित है। मैं आपके माध्यम से सरकार से उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में फिर बरसात आने वाली है। तीन नदियां तीन ब्लाकों से होकर गुजरती हैं, मिर्जापुर गांव से लगाकर कुण्डरिया तक जितने गांव पड़ते हैं सभी बाढ़ में तबाह हो जाते हैं और दोबारा अपने को

स्थापित करने के लिए उनको अपनी पूरे साल की पूरी कमाई को लगाना पड़ता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे क्षेत्र लेखपालों की बड़ी कमी है। पूरी तहसील में मानक के अनुरूप जितने लेखपाल होने चाहिए, उसके एक-तिहाई भी वहां पर तैनात नहीं है। मैं चाहूंगा कि जो मानक के अनुरूप लेखपालों की नियुक्ति होनी चाहिए। उसको कराने का काम किया जाये जिससे की गांव के लोगों को गांव में ही सहूलियत मिल सके और इसी तरह से हमारे जनपद शाहजहांपुर में 15 ब्लाक हैं और प्रत्येक ब्लाक पर बी0डी0ओ0 की कमी होने के कारण एक-एक बी0डी0ओ0 के पास 2-3 ब्लाकों का चार्ज है। गांव की जनता परेशान रहती है, बी0डी0ओ0 न तो कार्यालय में मिलते हैं न तो गांव में मिलते हैं। ऐसी स्थिति में जो आज सरकार का सपना है कि उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर लाया जाये। जब तक जो जमीनी हकीकत है, जमीन पर काम करने वाले जो अधिकारी कर्मचारी हैं, अगर उनकी कमी रहेगी तो शायद सरकार का सपना पूरा होना संभव नहीं होगा। इसी तरह से पेयजल की बड़ी समस्या पेयजल की इतनी समस्या है कि गर्मी का तीन महीने का समय बीत गया और इन तीन महीनों में एक भी नया हैण्ड पम्प लगाने का काम पूरे जनपद में नहीं हो रहा है। मैं आपके माधम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि पेयजल की समस्या को देखते हुए नये हैण्ड पम्प लगवाने की व्यवस्था तत्काल करायी जाये। साथ ही साथ जुलाई का महीना आने वाला है। जुलाई में स्कूल खुलते हैं, प्राइमरी की शिक्षा का हाल ऐसा है कि जो अध्यापक नियुक्ति हैं। वो दिनभर अपने ट्रांसफर पोस्टिंग के चक्कर में लगे रहते हैं। स्कूलों में जाने का काम नहीं होता। कानून व्यवस्था की बात करें तो हमारे यहां ग्राम मिर्जापुर में एक ग्राम समाज का बहुत बड़ा तालाब है उस तालाब पर अभी डेढ़ महीने पहले कुछ अराजक तत्वों, भू-माफियाओं ने कब्जा करके उस पर निर्माण कार्य कराने का काम किया। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि तत्काल उस ग्राम समाज के तालाब को खाली कराके, उसका सौन्दर्यीकरण कराके वह ग्राम समाज के लिये ही रखा जाये। जनपद शाहजहांपुर में बालू निकालने के लिये किसी का भी एक भी पट्टा नहीं है लेकिन बालू माफिया, खनन माफिया बालू निकालने का काम लगातार कर रहे हैं। लेकिन गांव का कोई भोला आदमी भला आदमी अपने गृह निर्माण के लिए ट्रैक्टर ट्राली से एक बालू निकाल कर लाता है तो तत्काल पकड़ कर बंद करने का काम किया जा रहा है। जबकि शाहजहांपुर गर्रा नदी में खुलेआम खनन किया जा रहा है, बगैर पट्टे के बालू निकाली जा रही है और उन माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि बालू माफियाओं के साथ कड़ी कार्रवाई की जाये। गरीबों के लिये अगर उनको बालू चाहिए, मिट्टी चाहिए तो कोई ऐसी नीति बनायी जाये जिससे कि अगर वो अपने मकान के निर्माण के लिये एक ट्राली बालू लाने का काम करते हैं। एक ट्राली मिट्टी लाने का काम करते हैं तो उनको थानों में न बैठना पड़े उनकी ट्रालियां न बंद की जायें। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी मांग करता हूं कि जो ब्लाकों में ग्राम पंचायत अधिकारियों की बहुत कमी है, एक ब्लाक में 3-4 ग्राम पंचायत अधिकारी ही काम कर रहे हैं और ऐसी दशा में एक ग्राम पंचायत अधिकारी के पास दस, पन्द्रह, बीस, तीस गांव का चार्ज है और ग्राम प्रधान सुबह से उनके यहां चक्कर लगाते हैं, वे आम जनता के लिये उपलब्ध नहीं रहते हैं। गांव के विकास के वगैर उत्तर प्रदेश का विकास संभव नहीं है। अगर गांव का विकास होगा तभी उत्तर प्रदेश का विकास होगा और गांव के विकास के लिये जरूरी है कि जो बुनियादी जरूरते हैं जो आम आदमी समस्यायें हल करने वाले

कर्मचारी, अधिकारी हैं उनकी पूरी तरह से एक गांव में एक ग्राम पंचायत अधिकारी रहे, एक गांव में एक लेखपाल रहे, वह गांव में उपलब्ध रहेगा, लोगों की बात सुनेगा, लोगों के काम होंगे लेकिन जब एक अधिकारी के पास दस-दस, बीस-बीस गांव होंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर वो काम नहीं देखेगा बल्कि वो बीस गांव के चार्ज के बहाने जनता को परेशान करने का काम करेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि जो ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारियों की कमी है उसकी भी सरकार नियुक्ति के माध्यम से या जैसे भी हो पूरा कराये। जिससे कि आम जनता की बात सुनी जाये। गांव का विकास हो, गांव के विकास बगैर उत्तर प्रदेश का विकास संभव नहीं है। मैं आपके माध्यम से इस संशोधन पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हमारे मुख्य मंत्री जी और प्रदेश के अन्य वरिष्ठ मंत्री, बड़े भाई मंत्री जी लोग जिस दिन शपथ ले रहे थे तो हम लोग टीवी बड़े ध्यान से देख रहे थे जिसमें यह था कि बिना किसी भेद-भाव के सारे कार्य किये जायेंगे। हम लोग आये पहली बार विधान सभा में आये तो यह देखने को मिला कि तमाम राजनैतिक दल के हमारे वरिष्ठ अभिभावक एक जुटता का पाठ पढ़ा रहे थे और कह रहे थे कि बिना भेद-भाव के पूरे प्रदेश में काम होना चाहिए और चलना भी है। काहे कि सरकार कहती होगी। लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है सरकार बने हुये एक महीने भी नहीं हुये थे कि इस [x x x] हमारी इलेक्ट्रानिक मीडिया के लोगों ने पूरे देश को दिखाया था। मान्यवर, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वहां के लोगों ने जब अपना पक्ष रखा था तो सरकार ने पक्ष रखा कि अतिक्रमण हटाने के लिये इस तरीके की कार्यवाही की। मान्यवर, हम लोगों को तो भरोसा था कि इसके पहले जो सरकार बनी थी उससे कुण्ठित होकर के प्रदेश की जनता ने इस सरकार को चुना था और हमारे युवा मुख्य मंत्री को उ0प्र0 एक स्वच्छ उत्तर प्रदेश बनाने के लिये दिया था। लेकिन मान्यवर, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि संज्ञान ले यह सदन कि ये अराजी संख्या उन [x x x] और अगर अतिक्रमण की शुरूआत होनी चाहिए थी तो पहले इस हाते से होनी चाहिए थी लेकिन मान्यवर, ऐसा नहीं हुआ। अब आगे बढ़िए आराजी सं0-99, 101, 102 ग्राम सभा कपूरी के अभिलेख में गौहाद और भीका के रूप में अंकित है जो कि सुप्रीम कोर्ट की मा0 हिंचलाल कमेटी ने आदेश दिया है कि गौवाध भीटे और पोखरे की जमीन पर कब्जा नहीं किया जा सकता है लेकिन उस समय के [x x x] बात इतने पर खत्म नहीं होती मान्यवर। सबसे दुःख की बात तो यह है कि मां फुलेश्वरी देवी शिक्षण संस्थान, ग्राम सथना, जनपद बलिया, तहसील बलिया, न बलिया में चलता है लेकिन उसके नाम पर मान्यवर, यहां पर लखनऊ से सटा एक नौबस्ता कला गांव है जो यहां से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर [x x x] है और उस ओर मैं कहना चाहता हूं कि लखनऊ के जो प्रशासनिक अधिकारी लोग पोस्ट किये गये हैं, हमको लग रहा है कि इसी जमीन का कब्जा कराने के लिये हैं। ये दस्तावेज हैं अगर आप चाहें तो मैं आपकी पीठ पर भिजवा सकता हूं। बात वहीं नहीं रुकती, अभी कुछ दिनों

नोटः-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

पहले यहां के कमिश्नर ने इस घटनाक्रम की जांच की और उस समय के तत्कालीन मंत्री को दोषी दिखाया है और अपने पद का दुरूपयोग करने पर कार्रवाई की संस्तुति भी उन्होंने की है। मान्यवर, बात इतने पर रुक जाती तो भी हम लोग मान जाते। कानून व्यवस्था के नाम पर यह सरकार आयी लेकिन मान्यवर, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 9, 10 तारीख को रात में अचानक हमारे समर्थक जो इन दस्तावेजों को उपलब्ध कराते हैं। उनके घर के ऊपर मान्यवर, अध्यक्ष जी हमारी बात का कुछ संज्ञान लें। मामला गंभीर है इसलिये मान्यवर, 10, 11 तारीख की रात में एक हमारे समर्थक के घर पर बम चला दिया गया, एक बजे रात में।

(सत्तापक्ष से उदयराज के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

मान्यवर, जब बोलने का मौका मिलेगा तब बोलियेगा मान्यवर। पहले हमें बोलने दिया जाये। मन की पीड़ा को शान्त करने दिया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

तिवारी जी, कृपया बैठें।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के लोगों के एक साथ बोलने पर)

(शोर के मध्य)

श्री उदयराज-

पहले हमारी बात सुन लीजिये। हमारी बात सुन लीजिये। मा0 अधिष्ठाता जी, यह चर्चा .....

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य तिवारी जी, आप अपनी बात संक्षेप में समाप्त करें।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मान्यवर, 10, 11 तारीख को रात में हमारे समर्थक भोला ओझा के घर पर 1 बजे रात में बम चलाया गया। घर के बाहर से बम चलाया गया। जहां पर वे लोग सोये थे वहां से 3, 4 फीट की दूरी पर बम गिरा। ट्रैक्टर पर जा करके गिरा था। दो बछिया और एक गाय घायल हो गयी। अगर वह बम 5 फीट दूर पूरब दिशा में गया होता तो श्री भोला ओझा का पूरा परिवार शहीद हो गया होता।

(शोर के मध्य)

श्री अधिष्ठाता-

आपका समय समाप्त हो गया, आप की बात आ गयी, अब आप अब बैठ जाइये।

(शोर के मध्य)

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बलिया के अन्दर हत्यायें हो गयीं, सर्राफा व्यवसायी की हत्या हुयी।

श्री अधिष्ठाता-

तिवारी जी आपकी बात आ गयी, अब समाप्त करें। मा0 सदस्य उपेन्द्र जी बैठिये।

(मा0 उपेन्द्र तिवारी जी और अन्य सदस्यों के एक साथ लगातार बोलते रहने पर शोर के मध्य)

(इस समय 2 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री उदयराज-

मा0 अध्यक्ष जी, [x x x] मा0 अध्यक्ष जी, अभी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा पर विपक्ष के एक मा0 सदस्य उपेन्द्र तिवारी जी, अपनी बात रख रहे थे। मेरा यह मानना है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर जिन बिन्दुओं पर जिस विषय पर प्रदेश के विकास से सम्बन्धित, प्रदेश की कानून व्यवस्था से सम्बन्धित बात हो।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक अनुरोध है, मैं बधाई देता हूं उपेन्द्र जी, हमारे क्षेत्र से हमारे विरोध में जीत करके आये हैं इस सदन में मैं उनको बधाई देता हूं वह हमारे विधायक हैं इसलिए मान्यवर, चूंकि वह पहली बार के विधायक हैं उनकी नियम कायदे की इतनी जानकारी किसी को नहीं होता है, सब पहली बार आते हैं तो किसी को नहीं होती है, आप पहली बार आये होंगे तो आपको भी नहीं होगी, बाद में सबको होती है आदमी धीरे-धीरे सीखता है। आप सिर्फ एक बात देख लेंगे व्यक्तिगत आक्षेप एक तो नहीं लगाये जा सकते नियमावली में, आप सुनिये, बैठिये, बधाई दे रहा हूं फिर भी यह बात है। हमारे विधायक हैं मुझे सम्मान है, मुझे इस बात का गौरव है कि इतने प्रतिभाशाली विधायक हमारे क्षेत्र से चुनकर आये हैं उन्होंने मुझे पराजित किया है इस सदन में मैं उन्हें पुनः बधाई देता हूं। मैं अनुरोध दूसरा कर रहा हूं कि आए यह देख लेंगे कि एक तो मान्यवर, आक्षेप लगाने की जो विधि है उसके साक्ष्य और सूचना दिये बगैर आक्षेप नहीं लगाया जा सकता, यह नियमावली में प्राविधान हैं। चूंकि सदन में नये सदस्य हैं जो बोलना चाहें बोल ले उस पर कोई आपत्ति मुझे नहीं है, आप इसका परीक्षण कर लीजिएगा। जितना बोलना चाहे आप उनको समय दे दें यह आपका विवेक है मुझे कोई कठिनाई नहीं है। सब अनर्गल है, शत-प्रतिशत जो उन्होंने कहा सब अनर्गल है और मिथ्या है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी अनर्गल बोले कोई आपत्ति नहीं है आप सिर्फ एक काम देख लेंगे कि अगर यह व्यक्तिगत आक्षेप है नियमानुसार नहीं है तो कार्यवाही से निकाल दिया जाय और दूसरी बात जो कार्यवाही से निकाल दिया जाय वह किसी भी मीडिया में कहीं भी प्रकाशित करने की अनुमति न हो यह आप स्पष्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसको दिखवा लूंगा अगर वह नियमों में नहीं है तो कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा और मीडिया से भी कि वह उसे प्रकाशित तब तक न करें जब तक यह निर्णय न हो जाय।

नोटः- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

तिवारी जी आप बैठें। नियम यह है कि अगर किसी पर आक्षेप लगाते हैं तो उसकी सूचना और कापी हमको दीजिए अगर गलत हो जायेगा तो आपके खिलाफ विशेषाधिकार हो जायेगा आपका नुकसान हो जायेगा।

* श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कटौती के प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

(श्री उपेन्द्र तिवारी द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

हो गया अब आप बोल चुके जितना समय था उतना बोल चुके। अब दूसरे को बोलने दीजिए। अब आपको बैठना पड़ेगा। पूरन प्रकाश जी आप बोलिये।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश का मथुरा का हमारा क्षेत्र जो देहात का जिला है उसमें 70 प्रतिशत किसान खेत और खलिहान में रहता है। सिंचाई के अभाव में पानी के अभाव में वह भुखमरी की कगार पर आ गया है।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी, आप बैठ जाइये, कुछ नियम कायदा है।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, जनपद मथुरा में सिंचाई का मुख्य साधन मांट ब्रांच एवं अपर आगरा कैनाल है जिसमें कि बलदेव एवं गया ब्लाक के किसान मांट ब्रांच से जमीन को सींचते हैं तथा फरह ब्लाक के किसान अपने खेतों की सिंचाई अपर आगरा कैनाल से करते हैं आज यह हालत है कि इन दोनों कैनालों में सिंचाई का पानी किसान को अपने खेत की आखिरी छोर तक नहीं मिल पा रहा है। जिसका मुख्य कारण पानी का अभाव एवं नहरों की सफाई, खुदाई न होना है। जनपद मथुरा में मेरे क्षेत्र में कोई भी कारखाना या कोई भी ऐसा उद्योग नहीं है जिससे किसान और ग्रामीण लोग अपनी जीविकापार्जन कर सके। अधिकारी सुन नहीं रहे हैं वह कहते हैं कि हमने पानी छोड़ दिया लेकिन टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। जो टेल का किसान है वह बिना पानी के रह जाता है कि कब नहर में पानी आवे और वह कब अपने खेत को तैयार करें। मान्यवर, आज सुबह सदन में माननीय विद्युत मंत्री जी कह रहे थे कि ग्रामीण अंचल में 10 से 12 घन्टे लाइट आ रही है। मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपको सत्य बता रहा हूं कि हमारे ग्रामीण एरिया में 4 घन्टे से ज्यादा बिजली नहीं आ रही है। कहीं-कहीं इससे ज्यादा हो सकती है, जहां पर लोग अधिकारियों से एप्रोच कर लें। इसके अलावा स्थिति यह है कि जनपद मथुरा में जर्जर बिजली के तारों के कारण 47 आदमियों को करेंट लगने से मृत्यु हो गयी। होता यह है कि ट्रैक्टर ट्राली से जा रहे हैं, बिजली का तार ट्रैक्टर में छू गया और ट्रैक्टर में आग लग गयी, इस प्रकार 47 आदमी पिछले 4 साल में खत्म हो गये और इनमें से खाली 18 आदमियों को सहायता राशि

* वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिल सकी है, बाकी लोगों की राशि अभी भी मिलना बाकी है। अगर यही स्थिति रहेगी तो हमारा वहां का किसान क्या करेगा। आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे माननीय राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण है, उसमें यह बात दी गयी है कि विद्युत सबको मिलेगी, लेकिन जो हालात है वह मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं। हमारे मथुरा जनपद में हर तीन महीने पर मुडिंया पूर्णिमा के मौके पर मेला लगता है उसमें एक-एक करोड़ आदमी गोवर्धन गिरिराज जी के दर्शन करने, दाऊ जी महाराज के दर्शन करने, बांके बिहारी महाराज के दर्शन करने आता है एवं गिरिराज जी की परिक्रमा लगाता है और जब वहां से वापस जाता है तो वह बड़ा ही खराब इम्प्रेशन लेकर जाता है। मथुरा जनपद को तीन-तीन, चार-चार मंत्रियों का जिला होने का सौभाग्य मिला है लेकिन वहां कोई काम नहीं हुआ और इसके चलते वह दर्शनार्थी दुबारा मथुरा आने की हिम्मत नहीं करता। सड़कों की हालत यह है कि अगर गाड़ी जा रही है तो लौटकर जरूर वर्कशाप में जायेगी, सड़कों पर बड़े-बड़े पत्थर निकलकर आ गये हैं। हमारे राया ब्लाक के अन्दर, बलदेव ब्लाक के अन्दर सड़कों की हालत बहुत खराब है। इस बात को मैनें अपने कटमोशन में भी लिखकर दिया है। इसलिये मैं चाहता हूं कि वहां की सड़कों का सुधार किया जाये। इसके साथ ही वहां एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के जो सम्पर्क मार्ग हैं, आजादी के 50-60 साल हो गये, इस बीच तमाम सरकारें आई और चली गयीं लेकिन आज तक इन सड़कों का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। मैं चाहता हूं कि इन सम्पर्क मार्गो का शीघ्र निर्माण कराया जाये। इसके अलावा मान्यवर, क्षेत्र में पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है। हमारे सभी साथी यहां बैठे हैं वह जानते हैं कि टी0टी0एस0पी0 की योजना चालू की गयी है, यह जल निगम की योजना है। इसके अन्तर्गत जितनी भी टंकियां बनाई गयी हैं और जो भी पाइप डाले गये हैं, उनको आपस में जोड़ा नहीं गया है, जिस कारण अधिकतर कोई भी टंकी चालू नहीं हो पायी है। मैं चाहता हूं कि यहां जितने भी साथी बैठे हैं उनके यहां यदि टी0टी0एस0पी0 के अन्तर्गत कोई भी टंकी चालू हो तो वह बता दें। अभी हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बता रहे थे, कल भी बता रहे थे, आज भी बता रहे थे कि 50-50 रीबोर एक-एक ब्लाक को भेजे गये हैं। मैं बताना चाहता हूं कि एक-एक ब्लाक में 60-70 तक ग्राम पंचायत हैं जिनमें 5-5, 6-6 मजरे और लगे हुये हैं, इस तरह से एक-एक ब्लाक में यह संख्या 300-400 हो जाती है जबकि एक-एक ब्लाक में रीबोर की हजारों की संख्या है। इस परिस्थिति में 50 रीबोर कहां-कहां करायेगें।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि प्रत्येक ब्लाक में 250-250 नये हैंडपम्प स्थापित करने की क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि विधायकों को आवंटन किये जायें, जबकि सुनने में आ रहा है कि शासन द्वारा मात्र 50 नये हैण्डपम्प ही प्रत्येक ब्लाक में दिये जायेगें इसके साथ ही मान्यवर, जो किसानों की मुख्य समस्या है वह है खाद और बीज की। हमारे जनपद मथुरा में आलू बहुत पैदा होता है और आलू के बीज के लिए किसान मेरठ, दिल्ली, हरियाणा मारा-मारा फिरता है लेकिन उसे आलू का बीज नहीं मिल पाता है। मजबूरी में जो भी बीज बाजार से खरीदता है उसी को बोने को मजबूर है। शासन के द्वारा हमारे जनपद मथुरा में कुल 200 क्विंटल आलू का बीज मुहैय्या कराया जाता है जबकि एक-एक किसान 50-50 क्विंटल बीज मांगने को तैयार बैठा रहता है। ऐसी हालत में किसान की मांग के अनुसार आलू का बीज प्रदेश

सरकार मुहैय्या कराये। इसलिए किसान ब्लैक मे आलू का बीज खरीदने को मजबूर है। किसान ब्लैक में बीज महंगा खरीदता है लेकिन उसे क्वालिटी नहीं मिल पाती है। अभी दो महीने के बाद आलू के बीज की समस्या आयेगी इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि आलू का बीज अच्छी क्वालिटी का कम दामों पर मुहैय्या कराया जाए। एक और चीज मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं यह कैसी विडम्बना है कि हमारे जनपद मथुरा के राया ब्लांक, बलदेव ब्लाक, फराह ब्लाक में लोगों ने कई वर्षों पहले विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। गांवों में विद्युतीकरण हुआ नहीं विद्युत पहुंची नहीं और किसानों पर जिन्होंने विद्युत कनेक्शन के लिए एप्लाई किया था उसके बिहाफ पर बिल चालू हो गये हैं, आर0सी0 तक जारी कर दी गयी हैं। जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ, बल्ब तक नहीं जला उनकी आर0सी0 जारी करके किसानों को पकड़ा जा रहा है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप निर्देश दें कि जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ है वहां जिनकी आर0सी0 जारी हो चुकी हैं, उन्हें वापस लिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, जनपद मथुरा में एशिया का सबसे बड़ा मथुरा रिफाइनरी है। आज उसकी हालत यह हो गई कि वहां एक रोजगार बन गया है काले तेल का कारोबार। जिसमें बड़े-बड़े माफिया संलग्न हैं पुलिस वालों की देखरेख में, प्रशासन की नाक के नीचे नेशनल हाई-वे पर खुलकर जगह-जगह कई थानों के अन्तर्गत काले तेल का व्यापार चल रहा है। इसी काले तेल में आग लगने के कारण वर्ष 2000 में बेरी ग्राम में 60 आदमी जिन्दा जलकर मर गये। इसमें बहुत तेज आग लगती है और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन छोटे या बड़े हादसे आग लगने के न हो रहे हों। चूंकि यह अवैध कारोबार है न ही इसकी किसी थाने में एफ0आई0आर0 होती है और न जलने वाले पकड़ने के डर से कोई कार्रवाई करते हैं। इस प्रकार से मान्यवर, अवैध काले तेल का व्यापार मथुरा में पनप रहा है, पुलिस की देखरेख में पनप रहा है। मैं चाहूंगा कि इसे तत्काल रोका जाए। मान्यवर, जबसे नई सरकार बनी हैं ढाई महीने का रिकार्ड मैं बता रहा हूं बिना पैसे के किसी थाने में राइट एफ0आई0आर0 नहीं लिखी जा रही है बल्कि मनमाने तरीके से एफ0आई0आर0 दर्ज की जा रही है। कप्तान कहते हैं सी0ओ0 के पास जाओ जबकि सीधे थानेदार और एस0ओ0 को कहना चाहिए। प्रत्येक थाने के अन्दर दलाल बैठे हुए हैं वह बिना पैसा के एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं होने देते हैं। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा अध्यक्ष जी कि इस स्थिति को रोका जाए। जिस तरह से सरकार ने चुनाव से पहले जो वायदे किये थे उनको सरकार पूरा करे हमें भी अच्छा लगेगा और जनता को भी अच्छा लगेगा कि उन्होंने किसी को जिताकर भेजा है और जनता को न्याय मिले। आज जिस तरह का माहौल है उससे काम नहीं चलेगा।

(श्री अध्यक्ष द्वारा लालबत्ती जलाये जाने पर)

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, आपने लालबत्ती जला दी मैंने तो अभी शुरू ही किया था। मान्यवर, हमारे जनपद मथुरा में मानसी गंगा से लोगों की बहुत सी भावनायें जुड़ी हैं। यमुना मैया में प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ गया है, अभी 31 तारीख आ रही है उस दिन बहन-भाई एकसाथ स्नान करते हैं। आज हालत यह है हो गई है कि यमुना मैया के किनारे खड़े नहीं हो सकते हैं। जितने भी हरियाणा में हास्पिटल और नर्सिंगहोम हैं उनका कचरा सीधे यमुना नदी में फेंका जा रहा है। मैं

आपसे अनुरोध करूंगा कि यमुना मैया ब्रज में बहुत पवित्र मानी गई हैं, उसमें जंगली जानवर बह-बह कर आ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि यमुना का प्रदूषण रोकने की प्रापर व्यवस्था की जाए एवं दिल्ली से निकली यमुना मैया को मथुरा गोकुल बलदेव में शुद्ध पानी छोड़ा जाए एवं जितने भी रास्ते में नाले, नालियां, सीवर यमुना जी में बह रहे हैं उनको अतिशीघ्र बन्द किया जाए जिससे कि यमुना का जो ब्रज में स्थान है वह बरकार रह सके। आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत विरोध प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

(प्रतिपक्ष के अनेक सदस्यों के अपने आसन पर खड़े होकर बोलने के लिए अवसर दिये जाने का आग्रह करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठिये, मैंने गायत्री प्रसाद जी को बुला लिया है। सभी लोगों को मौका मिलेगा, फिक्र मत करिये, अभी कल भी चलेगा, सभी लोगों को अवसर मिलेगा, कोई बचेगा नहीं।

श्री गायत्री प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन मे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जो अभिभाषण महामहिम राज्यपाल महोदय ने पढ़ा है उसमें प्रदेश के किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों, छात्रों सभी लोगों का ख्याल रखा गया है, इसके लिए मा0 मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी को साथ ही मैं मा0 मुलायम सिंह यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको बधाई देता हूं, उनके अथक परिश्रम, मेहनत और संघर्ष से पूर्ण बहुमत की सरकार आयी है, इसमें मा0 मुलायम सिंह जी का विशेष योगदान रहा है। आज पूरे प्रदेश की जनता ने जो जनमत दिया है और जो आशा और विश्वास किया है उसके अनुरूप सरकार द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में प्रदेश की समस्त समस्याओं को दूर करने व विकास के लिए योजना बनायी गयी है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयत्नशील और गम्भीर है। मा0 अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की जितनी सराहना की जाए वह कम है क्योंकि उसने समाज के दबे-कुचले, निरीह लोगों में आशा जगायी है, जबकि पिछली सरकारों द्वारा उनका शोषण और उत्पीड़न किया जा रहा था और इनका किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया था। जब-जब.....

श्री अध्यक्ष-

आप इसको पढ़ें नहीं वैसे ही बोलिये।

श्री गायत्री प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी, जब-जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तब-तब माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी निगाह अन्तिम छोर तक के व्यक्ति तक पहुंची। उन्होंने ऐसे समाज को हित और रक्षा के लिए, प्रदेश में 16 जातियों का महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में आया है, को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने की

व्यवस्था दी गयी है। मा0 पूर्व मुख्य मंत्री जी ने उस समय शासनादेश जारी किया था उसका ब0स0पा0 सरकार ने षड़यंत्र करके स्टे करा दिया था और पुनः जब लोक सभा का चुनाव आया तो उस समय कांग्रेस और ब0स0पा0 के लोगों ने उसे अपने एजेण्डे में शामिल करके इस बात को कहा था कि जब मेरी सरकार आयेगी तो निश्चित तौर से इन 16 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस की केन्द्र में सरकार है, मा0 रीता बहुगुणा जी यहां मौजूद नहीं हैं, उनके लोग यहां हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की केन्द्र में सरकार है और यहां अभी मा0 हुकुम सिंह जी बैठे थे वह कल कह रहे थे अनुसूचित जाति में शामिल करने का मामला यहां का विषय नहीं है। मैं अवगत कराना चाहता हूं कि इसी सदन से पूर्व मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव पास करके केन्द्र को भेजा था लेकिन केन्द्र में 7 अगस्त को मा0 मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने इस विषय को संसद में उठाया था कि इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित होना चाहिए। यहां कांग्रेस के लोग, ब0स0पा0 के लोग और भा0ज0पा0 के लोग बैठे हुए हैं, वहां पर इनकी सरकार है। इन लोगों ने षड़यंत्र के तहत उस पर रिपोर्ट मांग ली। प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार की मिलीभगत थी यहां पर जब रिपोर्ट आती है तो बसपा के लोग षड़यंत्र करके पूर्व मुख्य मंत्री जी ने उसको कूड़ेदान में डाल दिया। जब इन जातियों के लोगों ने सड़क पर उतर कर आवाज उठाई और 17 जाति के लोगों ने धरना और प्रदर्शन के माध्यम से जब अवगत कराया तब जाकर इस सरकार की नींद खुली और उसके बाद जब रिपोर्ट आई उसमें प्रजापतियों की रिपोर्ट जब मा0 मुख्य मंत्री के सामने पहुंची और उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री ने देखा तो कुछ अधिकारी ऐसे थे उन्होंने इस रिपोर्ट को दबाने का काम किया। आज भी वह रिपोर्ट पड़ी हुई है। इनका षड़यंत्र है मैं कहना चाहता हूं 17 जातियों में प्रजापतियों का जो मानक है उस रिपोर्ट को वहां भेजना चाहिए केन्द्र सरकार को इस सदन से पास कराकर भेजना चाहिए। वहां पर भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह जी ने अवगत कराया था तो एक रिपोर्ट माननीय मुख्य मंत्री जी ने भेजी थी उस समय पूर्व मुख्य मंत्री जी ने जी0एन0हाटन द्वारा लिखित जिसमें सारा डिटेल था माननीय अध्यक्ष जी चार जातियों बेलदार, खरोट, कुम्हार, लोनिया, वाह्य जातियो के रूप में इनको लिखा है। इसमें बेलदार और खरोट अनुसूचित जाति में सम्मिलित हो गया है। अध्यक्ष जी, उस समय चार जातियां अनुसूचित जाति के मानक पूरा करती थीं उसको तत्काल पूर्व मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने भेजने का काम किया था 21 फरवरी, 2007 को सुश्री मीराकुमार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को भेजा गया था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इसे भेजा था लेकिन केन्द्र सरकार ने गूंगी और बहरी होकर इस पर ध्यान नहीं दिया। अध्यक्ष जी, जब बेलदार और खरोट जाति अनुसूचित जाति में शामिल हो सकता है तो प्रजापति और लोनियां को अनुसूचित जाति में शामिल न करके उनके हक को मारा गया है। मैं मांग करता हूं कि इसको इस पटल पर रखकर इस पर चर्चा होकर इसको पास कराया जाय और इसे भेजा जाय। क्योंकि यह महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी आया हुआ हैं। जब तक इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया जाता है तब तक इन जातियों को अनुसूचित जातियों को जो सुविधा दी गई है वह सुविधा दी जाए। यह मैं इस सदन से मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री गायत्री प्रसाद-

मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने हक मारा है।

(श्री शमशेर बहादुर सिंह व अवस्थी बाला प्रसाद का नाम पुकारे जाने का एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री गायत्री प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी मैं जिस क्षेत्र से विधायक बनकर आया हूं यह अमेठी क्षेत्र है। वहां पर लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं। वहां पर एक मेडिकल कालेज के लिए जमीन है मैं चाहता हूं कि वहां पर एक मेडिकल कालेज खोला जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

देखिए बहुजन समाज पार्टी विरोध में है और उनके सदस्य अभी कम बोल पाए हैं कल बोले थे उनकी तरफ से जो आग्रह है। उनको भी मौका मिलेगा अभी काफी समय है। सभी को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा।

*श्री कृष्ण कुमार ओझा-

माननीय अध्यक्ष जी आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गए संशोधन प्रस्ताव पर बोलेन का मौका दिया उसके लिए आपका आभारी हूं। मैं जनपद बहराइच के महसी विधान सभा क्षेत्र से दूसरी बार चुनकर आया हूं मान्यवर, हमारे यहां सबसे भीषण समस्या है।

(सदस्य, अवस्थी बाला प्रसाद जी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप क्या कहना चाहते हैं ? अरे आप ही की पार्टी के सदस्य बोल रहे हैं इतना भी ध्यान नहीं है आपको। इनको बोलने दीजिये।

श्री कृष्ण कुमार ओझा-

माननीय अध्यक्ष जी, नेपाल से निकलने वाली नदी गेरूआ और कौड़ीयाला जो हमारे जनपद बहराइच में आकर घाघरा नदी में तब्दील हो जाती है यह नदी जनपद बहराइच और गोंडा में भीषण उत्पात करती है। यह नदी मेरी जानकारी में है कि पिछले 5 सालों से आज तक लगभग 19 गांवों को समाप्त कर चुकी है। 1189 घर मकान जो वहां पर थे वह उस नदी में समाहित हो चुके हैं। वह लोग गेहला बहरौली बांध पर किसी तरीके से झोपड़ी झुग्गी में रह कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मान्यवर, क्योंकि झोपड़ी झुग्गी में रहने से अगर किसी एक घर में आग लग

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाती है तो पूरे के पूरे गांव में जो 1189 झुग्गी झोपड़ी जो बनी हैं उनमें से प्रतिदिन 20 से 25 घर वहां जल जाते हैं आगजनी का शिकार हो जाते हैं। उन लोगों को खाने के लाले हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि कम से कम पिछली सरकार में 2011 में राज्यपाल जी के प्रस्ताव से भूमि संशोधन एक्ट करके 2-2 बिस्वा का पट्टा दिया गया था। कम से कम वहां पर इनके लिये आवास की व्यवस्था कराई जाय जिससे वहां पर होने वाले भीषण अग्निकांड और बाढ़ से इनकी सुरक्षा हो सके और इनको खुले आसमान के नीचे न रहना पड़े। इसके साथ-साथ यह भी अनुरोध करना है कि करीब-करीब 39 गांव जो घाघरा नदी के किनारे बसे हुए हैं इन गांवों के कट जाने से इनका अस्तित्व समाप्त हो गया है क्योंकि घाघरा नदी के इस तरफ बहराइच है और उस तरफ जनपद लखीमपुर और जनपद सीतापुर है। बार्डर एरिया में भूमि सम्बन्धी मामले जो आये दिन चलते रहते हैं। बार्डर सीतापुर, बार्डर लखीमपुर और जनपद बहराइच का बार्डर क्लीयर नहीं हो पाता है। कम से कम तीनों जनपद के डी0एम0 को बुला करके उनसे व्यवस्था कराई जाय, इसकी नाप कराई जाये जिससे कि वहां बांध पर जो भुखमरी का कगार है उनकी जो जमीन है उनको थोड़ी-थोड़ी मिल सके। मान्यवर, इसके साथ-साथ यह भी कहना है कि केन्द्र सरकार की एक बहुत अच्छी स्कीम चल रही है मिड-डे-मील। लेकिन इसका आलम यह है कि सुबह आठ बजे यहां का प्राथमिक शिक्षक खाना बनाने के लिये लकड़ी ढूंढने के लिये चला जाता है और जब स्कूल की छुट्टी होती है तो व्यवस्था करके आता है तो पढ़ायेगा क्या। मान्यवर, आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जिन विद्यालयों में गैस सिलेन्डर नहीं हैं कम से कम उन विद्यालयों को चाहे प्रधान के बजट से चाहे किसी अन्य निधि से गैस सिलेन्डर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। मान्यवर, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हर जिले में माननीय जज के लिये अच्छे-अच्छे दीवानी के न्यायालय के परिसर बने हैं लेकिन वकील लोग फूस की झोपड़ी में रह करके वाद दायर करते हैं। आये दिन कहीं आग लगती है और कहीं बरसात में पानी बरसता है उनके पेपर खराब हो जाते हैं। क्योंकि वह हम लोगों को न्याय दिलाते हैं, गरीब जनता को न्याय दिलाते हैं इसलिये दीवानी, कचहरी, तहसील आदि में टीन शेड की अवस्थापना होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बिन्दु है मान्यवर, श्रावस्ती जनपद देश का ही नहीं विदेश का गौरव है, महात्मा बुद्ध का स्थान है, इसे पर्यटन के रूप में विकसित किया जाय। इसी के साथ मान्यवर, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

(कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

जब आपका नम्बर आयेगा तब बोलियेगा। आप सबको बोलने का मौका मिलेगा। विश्नोई जी, आप इतने पुराने सदस्य हैं आप भी बोलना चाहते हैं। महाना जी ने कल सारी समस्या रख दी है आपके लिये कुछ छोड़ा नहीं है।

श्री सत्यवीर मुन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रथम बार निर्वाचित हुआ हूं, इलाहाबाद जैसे ऐतिहासिक

शहर की सोरांव विधान सभा से और परसों जब माननीय राज्यपाल महोदय, अपना अभिभाषण दे रहे थे तो हम कुछ और तस्वीर लेकर आए थे, लेकिन यहां जो हमें देखने को मिला उस समय तो किसी तरह मैंने देख लिया लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो मेरे दोनों बच्चे मुझसे बोले कि पापा यह क्या हो रहा है। मैं उनको जबाव नहीं दे पाया। लेकिन मुझे लगा जो कुछ भी उस दिन विपक्ष के लोग खासतौर से बी0एस0पी0 के लोगों ने किया वह उनके चाल-चरित्र को ही प्रदर्शित करता है। अध्यक्ष जी, नेता विरोधी दल ने अपने भाषण में कहा जैसा आप लोगों ने किया था जैसी परिपाटी है, वैसा हम लोगों ने किया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बुरे काम की परिपाटी नहीं बनाई जाती है। अच्छी परिपाटी बनाई जाती है। अध्यक्ष जी, पिछला पांच साल का जो इनका कार्यकाल था, बोल तो नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में रहे थे लेकिन उन्हें अभी शायद यह लग रहा था कि वह सत्ता में हैं और वह अपने कार्यकाल को याद करके बोल रहे थे। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से हम सबके मुख्य मंत्री नेता सदन माननीय अखिलेश यादव जी का मैं हृदय से कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं जो सदन अपने नेता के बिना पांच साल रहा लेकिन नई सरकार बनने पर नेता सदन हम सबके बीच बैठ रहे हैं और जो पुरानी अच्छी परम्परा रही है उसको कायम किया मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

(मेजें थपथपाई गईं)

अध्यक्ष जी, मैं ऊर्जा के क्षेत्र में अपने विचार रखना चाहता हूं आज खासतौर से सदन में चर्चा भी हुई इसको लेकर पूरा सदन गम्भीर है। मेरा सुझाव है और प्रस्ताव में भी है कि नॉन कन्वेन्शनल एनर्जी सोर्सेज अर्थात् गैर परम्परा ऊर्जा स्रोतों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा क्योंकि परम्परागत स्रोतों की तरफ आप देखें तो वह धीरे-धीरे कम हो रहे हैं और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों पर हम अपनी निर्भरता बढ़ायेंगे तो ऊर्जा का बेहतर उत्पादन होगा। इसके लिए बहुत से प्रस्ताव हैं, मेरा भी एक प्रस्ताव है, सोरांव विधान सभा में नहरों का बहुत अच्छा जाल है अतः इन नहरों पर अगर सोलर पैनल लगाए जाएं और उससे अगल-बगल के गांव को और सौर ऊर्जा उपलब्ध कराई जाए तो उससे दो लाभ होंगे एक तो सौर ऊर्जा उपलब्ध होगी और नहरों के अगल-बगल के गांव पोषित होंगे और साथ ही जो (वाष्पीकरण दर) ड्रव आपेरशन रेट होता है, जो नहरों के जल की वाष्पीकरण होता है वह भी कम होगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी कोई शासकीय डिग्री कालेज नहीं है मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि सरकार मेरे विधान सभा क्षेत्र में महिला डिग्री कालेज और इण्टर कालेज स्थापित करेगी। साथ ही मैं यह भी आग्रह करता हूं कि हमारी सोरांव विधान सभा क्षेत्र की भूमि बहुत ही उपजाऊ है यहां का प्रति हेक्टेयर उत्पादन हरियाणा और पंजाब के समतुल्य है तो यहां पर अगर कोई खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र एवं मण्डी समिति योजना आदि स्थापित हो सके तो यह हमारे विधान सभा क्षेत्र के लिए बहुत ही शुभ होगा किसानों के लिए भी शुभ होगा। बन्द पड़ी मऊआइमा कताई मिल के लिये मैं आग्रह करूंगा कि इसको फिर शुरू करने को प्रस्ताव में जोड़ा जाए। पूरा प्रस्ताव शानदार है हमारी जो सरकार है, इस धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में इस सरकार के समर्थन में, अपने नेता सदन का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

डा0 महेश शर्मा जी हैं ? नहीं हैं।

सलिल विश्नोई जी बोल लें।

(श्रीमती सीमा के खड़े होने पर)

श्री अम्बिका चौधरी-

अध्यक्ष जी, आपका विवेक है, नए सदस्यों तक तो ठीक है लेकिन शीमा जी कल से खड़ी हो रही हैं, उन्हें अवसर नहीं मिल पाया है। महिलाओं पर आपकी नजर नहीं जाती। महिलाओं को आप पहले बुला लें।

श्री अध्यक्ष-

सीमा जी को मैंने बुलाया था।

सलिल विश्नोई जी बोल लें, अभी सबको बोलने का मौका मिलेगा।

श्री सलिल विश्नोई-

अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे गए संशोधन प्रस्ताव पर बल देने के लिए अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग 16वीं विधान सभा के सदस्य चुनकर आये हैं और 16 की गिनती बड़ी नाजुक और जालिम होती है जिसके भी कदम बहके, चाहे इधर के हों या उधर के हों।

श्री अध्यक्ष-

क्या कानपुर में इस पर बहुत खतरा है ?

(कुछ और सदस्यों के हंसी-मजाक करने पर)

श्री अध्यक्ष-

खन्ना साहब से आप लोग बात कर लीजिए, हमें न समझाइये।

श्री सलिल विश्नोई-

हम दोनों लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें और प्रदेश को उज्जवल भविष्य की ओर ले चलें। किसी भी इमारत की बुनियाद यदि झूठ के आधार पर बनी होती है तो उस इमारत की मजबूती ज्यादा नहीं होती है। जिस प्रकार से प्रदेश के नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता का सपना दिखाया गया, जिस प्रकार से लैपटाप और कैपसूल के वितरण का सपना दिखाकर छात्रों के साथ धोखाधड़ी की गई। जिस प्रकार से प्रदेश के नौजवानों के साथ धोखाधड़ी की गई, उसी प्रकार प्रदेश की कानून-व्यवस्था सुधारने के नाम पर आम आदमियों को अपराधियों के हवाले कर दिया गया। बलात्कारियों और शोहदों के द्वारा प्रदेश की महिलाओं की इज्जत लुट रही है। थानों में बलात्कार हो रहा है, गेहूं खरीद के नाम पर किसानों के साथ जिस तरह की ज्यादती हो रही है, इसको किसी को नकारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश में जो वैट और टैक्स की दरें हैं, जिससे प्रदेश का व्यापार प्रभावित हो रहा है, उनका सरलीकरण करके अन्य राज्यों के मुकाबले वैट और टैक्स की दरें निर्धारित करें जिससे

प्रदेश में उद्योग और व्यापार को बढ़ने का एक मौका मिल सके और उद्योगों का पलायन रुक सके। प्रदेश के प्रशासन में जिस तरह से कानून-व्यवस्था बिगड़ रही है, उससे जनता का विश्वास घट रहा है। जिस विश्वास के साथ जनता ने इस सरकार को पूर्ण बहुमत दिया था कि उसे एक अच्छा औरा स्वच्छ प्रशासन मिलेगा, लेकिन उसमें कहीं न कहीं कमी रह गयी है, उन कमियों को दूर किया जाये और जनता ने जिस विश्वास के साथ इस सरकार को पदारूढ़ किया है उसके विश्वास को बनाये रखा जाए ऐसा न हो कि अधिकारियों की पसन्दगी और न पसन्दगी के आधार पर उनकी नियुक्ति हो, अधिकारियों की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर की जाए, जिससे प्रदेश की जनता को एक स्वच्छ प्रशासन मिल सके।

मान्यवर, पूरे प्रदेश में इस समय बिजली और पानी का भीषण संकट है। इस समय 45 डिग्री से ऊपर का तापमान रहता है, बिजली की कटौती पूरे प्रदेश में हो रही है जिसके बारे में कुछ न कुछ गंभीर प्रयास सरकार को करने चाहिए। राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं पर यह नहीं है कि शहरों को 20 और 22 घण्टे बिजली मिलेगी, देहातों को 8 और 12 घण्टे की बिजली मिलेगी। उसकी आपूर्ति कहां से की जायेगी, इस बारे में सरकार गंभीर चिन्तन करे। चारों तरफ जनजीवन अस्त-व्यस्त है, छात्र परेशान हैं, आम नागरिक परेशान हैं, गृहणियां परेशान हैं, बिजली न मिलने से कारखाने नहीं चल पा रहे हैं, उद्योगपति परेशान हैं। दुकानदारों को बिजली न मिलने से व्यापारी परेशान हैं। यहां तक कि अस्पतालों में बिजली न मिलने से आपरेशन तक नहीं हो पा रहे हैं तो बिजली की बहुत बड़ी समस्या है और बिजली के न मिलने के कारण कानून व्यवस्था की भी समस्या पैदा हो रही है। आप जिस अखबार को उठा कर देख लीजिए, जिस टी0वी0 को देख लीजिए, जगह-जगह बिजली कटौती के खिलाफ तमाम आन्दोलन और प्रदर्शन हो रहे हैं और बिजली के न रहने से जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वह गरीब आदमी है, जो मजदूर कारखानों में काम करता है, बिजली न रहने के कारण पूरी-पूरी शिफ्ट बन्द हो जाती है, वह गरीब मजदूर घर पर बैठा रहता है, उसकी दिहाड़ी मारी जाती है। जब गरीब, किसानों और मजदूरों के नाम पर यह सरकार चुनकर आई है तो उनके हितों की भी रक्षा करनी चाहिए। मान्यवर, कानपुर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। प्रदेश में शहरों के हिसाब से सबसे बड़ा शहर है। कारखाने वहां पर सबसे ज्यादा हैं। कानपुर सबसे ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार देता है और सबसे ज्यादा राजस्व भी देता है। मान्यवर, जब लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, इटावा, सैफई और कन्नौज को विशेष दर्जा दिया जा सकता है तो सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले कानपुर के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों है। मान्यवर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री मुलायम सिंह यादव जी जब 2004-2007 में मुख्य मंत्री थे, तो कानपुर आये थे, वहां पर आंदोलन चल रहा था हमारा और उसमें मेरी टांग भी टूट गयी थी, जब हम लोगों ने कानपुर को विशेष दर्जा देने की बात कही तो उन्होंने कहा कि कानपुर हमें देता ही क्या है। एक विधायक सपा का चुनकर आता है। हम आपको कितनी बिजली दे दें। मान्यवर, इस बार कानपुर ने समाजवादी पार्टी की झोली पूरी भर दी है अधिकांश विधायक वहां से चुने गये हैं उनके दल के। अब माननीय मुलायम सिंह यादव जी को माननीय अध्यक्ष जी, आप उनका वायदा याद दिलवा दें और कानपुर नगर को

पर्याप्त बिजली आपूर्ति और पीने के पानी की व्यवस्था करवा दें। सड़कों की व्यवस्था करवा दें। अब तो उनके द्वारा कोई सौतेला व्यवहार कानपुर के साथ नहीं होना चाहिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

हम तो आपको अपने यहां ही मानते हैं।

श्री सलिल विश्नोई-

माननीय अम्बिका चौधरी जी, अगर आपकी सरकार अच्छा काम करेगी तो हम आपका साथ देंगे। मान्यवर, प्रदेश की सरकार को एक बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि प्रदेश वासियों को हर दो-तीन घन्टे बाद खुशियां बांट रही है कि दिन भर बिजली गुल रहने के बाद जब 2-3 घन्टे के लिये बिजली कानपुर नगर के निवासियों को मिलती है तो सबके चेहरों पर खुशी आ जाती है कि बिजली आ गयी बिजली आ गयी। मा0 अध्यक्ष जी, वहां पर पीने के पानी का बड़ा भारी संकट है। हैंडपम्पों का जल स्तर नीचे गिर गया है शहरी क्षेत्रों में इसको लेकर त्राहि-त्राहि मच गयी है। मान्यवर, जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन के अन्तर्गत कानपुर नगर में फूलबाग सटिर-28 पानी की टंकियां बनी खड़ी हुई हैं अरबों रुपये की लागत से बनी हैं लेकिन कानपुर बैराज से उनको कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। थोड़े करोड़ रुपये व्यय होकर के यह कनेक्शन का काम हो सकता है इससे जनता का बहुत भला हो जायेगा। इस पर सरकार कार्य करे। इस भीषण गर्मी में जनता को इससे बड़ी राहत मिल जायेगी। मान्यवर, कानपुर नगर की अन्य छोटी-छोटी समस्यायें हैं। जैसे सीवर और ड्रेनेज की समस्या है चारों तरफ बड़ी-बड़ी सीवर लाइनें डाल दी गयी हैं परन्तु उनमे जरूरी कनेक्शन न होने की वजह से वह पूरी प्रणाली कार्यरत नहीं हो पा रही है। आगे बरसात का मौसम आयेगा तब तक अगर सीवर लाइनों को नहीं जोड़ा गया तो फिर जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। मान्यवर, कानपुर नगर में अतिक्रमण और टूटी-फूटी सड़कों की बहुत बड़ी समस्या है। इसको देखने का काम यह सरकार करे टूटी-फूटी सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक कराया जाये। मान्यवर, राज्यपाल जी के अभिभाषण में लखनऊ में मेट्रो ट्रेन के संचालन की बात कही गयी है लेकिन आबादी की दृष्टि से जो कानपुर नगर है उसको मेट्रो रेलवे परियोजना से छोड़ दिया गया हैं। अभिभाषण के इस संशोधन में कानपुर नगर में भी मेट्रो रेल को भी जोड़ने का काम किया जाये। वह सबसे बड़ा शहर है वहां पर मेट्रो रेल की सबसे बड़ी आवश्यकता आज है। मान्यवर, वहां पर पतित पावनी गंगा नदी बहती है। कानपुर में आज गंगा सबसे ज्यादा मैली दिखती है। उसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है वह लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। उसकी सफाई की ओर ध्यान दिया जाय और उसे प्रदूषित होने से, मैली होने से रोका जाये।

मान्यवर, हमारे यहां पर कुकिंग गैस और कैरोसिन आयल की बहुत कालाबाजारी हो रही है। आप अपने अधिकारियों पर अंकुश लगायें और जो पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम है वह बेअसरकारक वहां पर हो गया है उसको वहां पर असरकारक बनाया जाय और जनता को सहुलियतें दी जायें। कानपुर नगर का सबसे बड़ा अस्पताल उर्सला अस्पताल है। वहां तमाम होल

बाडी चेकिंग और टेस्टिंग की मशीनें लगी हैं स्कैनिंग की मशीनें लगी हैं लेकिन उनको आपरेट करने वाला कोई नहीं है वहां पर उन्हें चलाने के लिए ट्रेंड आपरेटरों को लगाया जाय जिससे मरीजों को लाभ हो सके। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में एम्स की स्थापना की बात है उसके लिये रायबरेली जनपद का चुनाव हो गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कानपुर नगर एम्स की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। वहां पर पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर है। मान्यवर, भले ही दूसरी जगहों पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दें लेकिन जब तक वहां पर विशेषज्ञ डाक्टर और दूसरा स्टाफ नहीं जायेगा तो वहां पर वह बिल्डिंगें खड़ी खड़ी ही रह जायेंगी। आप कानपुर में एम्स को लाने का काम करें। मान्यवर, कानपुर मेडिकल कालेज के तमाम वरिष्ठ प्रवक्ताओं को दूसरे छोटे-छोटे मेडिकल कालेजों में भेजा जा रहा है जिसके कारण वह नौकरी से वी0आर0एस0 ले रहे है। बड़े डाक्टर छोटे जिलों में नहीं जाना चाहते हैं। सरकार अपनी इस नीति पर पुनर्विचार करे और कानपुर के जो प्रमुख डाक्टर हैं उनको कानपुर में ही बने रहने दिया जाये जिससे कानपुर का मेडिकल कालेज अपने पुराने सम्मान को प्राप्त कर सके। व्यापारियों को सम्मान देते हुए कर प्रणाली को और सरल बनाया जाये। जो केन्द्र सरकार ने पैट्रोल के दाम बढ़ायें हैं तो वैट की दरों को कम करके पेट्रोल के दामों को कम करने के लिए भी सरकार प्रयास करे। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा खेल का स्टेडियम है वह कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम है जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच होते हैं। लेकिन उसमें शासन का नियंत्रण होने के कारण ग्रीन पार्क स्टेडियम का किराया उत्तर प्रदेश सरकार करोड़ों रुपये मांगती है जो यू0पी0सी0ए0 देने में सक्षम नहीं है अतः आपसे अनुरोध है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम का मालिकाना हक कानपुर यू0पी0सी0ए0 को दे दिया जाये। मान्यवर, खनन माफियाओं का इस समय प्रदेश में आतंक सा फैला हुआ है। इस समय प्रदेश में मौरंग 6500 से 7000 रुपये प्रति सौ फिट हो गयी है इससे आम आदमी को अपना मकान बनाना मुश्किल हो गया है। खनन माफियाओं पर नियंत्रण कराकर मौरंग आम आदमी को उपलब्ध कराया जाये जिससे आम आदमी भी अपना मकान बना सके। मान्यवर, मिड-डे-मील योजना के नाम पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। स्कूलों में 10 बच्चे होते हैं और रजिस्टर में 50 बच्चे लिखे जाते हैं और उनके नाम पर सरकारी धन का पूरा दुरूपयोग किया जाता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जैसा अभी गेहूं खरीद केन्द्रों का निरीक्षण किया है उसी प्रकार से इसका भी निरीक्षण कर लें तो वास्तविकता नजर आएगी। मिड-डे-मील के नाम पर भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। मान्यवर, मेरा एक और अनुरोध है कि जो पिछली सरकार थी उसने कोई अच्छा काम नहीं किया पूरे प्रदेश का वातावरण अंधकार था एक रुपये की चीज को उन्होंने 50 रुपये में खरीदा और बनवाया। लेकिन लखनऊ शहर में जो तमाम पार्क बनवाये और जो ग्रीनरी लगवायी है उससे शहर की खूबसूरती बढ़ी है। मेरा अनुरोध है कि इसको विपक्षी की भावना से न लें उसमें जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसकी आप जांच करवायें लेकिन उन पार्कों और उन पेड़ों की सुरक्षा और देखरेख उसी तरह की जाये जिससे शहर का सुन्दरीकरण बना रहे और पर्यावरण बना रहे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

श्री उमेश पाण्डेय-

मान्यवर, हम देख रहे हैं कि हमारे सदस्यों को समय नहीं दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं ऐसा नहीं है। होता यह है कि एक सदस्य विपक्ष से और एक सत्तापक्ष से बुलवाते हैं। क्योंकि उनकी संख्या 224 है और बाकी में सब मिलाकर हैं। एक आप बोलते हैं और एक वह बोलते हैं। उनके बाद आप ही का नम्बर आ रहा है।

श्री उमेश पाण्डेय-

मान्यवर, मेरा एक सुझाव है। अभी भारतीय जनता पार्टी के श्री उपेन्द्र तिवारी जी बोल रहे थे नये सदस्य थे उनकी बात सुनने में क्या जाता है। उनको रोक दिया गया। यह सदन की परम्परा नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, ऐसा नहीं है कि आप जो मनमानी आवे वह बोल दें। यह नहीं चलेगा। उसका नियम है कि क्या-क्या बोला जायेगा।

*श्री राम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रथम बार चुनकर आया हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, 28 तारीख को महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण जैसे ही शुरू हुआ। चूंकि मेरा प्रथम दिन प्रथम अनुभव था जो मुझे समझ में नहीं आया कि यहां होने क्या लगा। अचानक कुछ देर बाद पता चला कि कानून-व्यवस्था के नाम पर यहां से नेता प्रतिपक्ष और बाकी सदस्यों ने वाकआउट किया। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज दो महीने बाद कानून-व्यवस्था को जिन लोगों को याद आई, विगत पांच वर्षों में उन्हीं लोगों ने अपे मुंह से एक आवाज तक नहीं निकाली थी और विगत पांच वर्षों में पूरे प्रदेश में कानून-व्यवस्था के नाम पर जो हाहाकार मचा हुआ था, जंगलराज कायम था। अभी बमुश्किल दो महीने हुआ माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुए, मात्र दो महीने के अन्दर ही कानून-व्यवस्था के नाम पर उंगलियां उठाई जा रही थी। मैं और किसी की बात नहीं करता हूं, मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, मेरे परिवार में ही बसपा सरकार 2007 में जैसे ही आई थी, मेरे पिता जी के ऊपर ही एक दिन में सात मुकदमें लादे गये थे और मुझे किसी भी अधिकारी ने यह जवाब नहीं दिया था कि आखिर यह मुकदमें लादे क्यों जा रहे हैं। हम लोग घर में बैठे थे, उससे पहले न कोई एफ0आई0आर0 थी, न कुछ था, लेकिन एक ही दिन में सात-सात मुकदमें लादे गये और एक महीने हमारे पूरे परिवार की सम्पत्ति गैंगेस्टर ऐक्ट में निरुद्ध कर दी गई और माननीय गैंगेस्टर कोर्ट ने आदेश दिया उसके बावजूद भी गैंगस्टर कोर्ट के आदेश का न तो अनुपालन किया गया और न ही वहां के सम्बन्धित अधिकारियों ने उस

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आदेश को माना। मा0 सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए तब जाकर हमारी सारी सम्पत्तियों का निराकरण हुआ, उसे छोड़ा गया। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस कानून-व्यवस्था की बात लोग कर रहे थे बमुश्किल तीन-चार महीना पहले ही लखनऊ में सी0एम0ओ0 स्तर के तीन-तीन अधिकारियों की हत्यायें हुई थीं, उस समय आप लोगों ने कानून-व्यवस्था की बात नहीं की थी। आज जो है झूठे पुलिन्दे बांधे जा रहे हैं कानून-व्यवस्था के, थोड़ा सा समय लगता है हर चीज के लिए, मैं भी अभी पहली बार आपके सम्मुख खड़ा हुआ हूं, आपके आर्शीवाद से पहली बार बोल रहा हूं, तो कुछ त्रुटि भी हो सकती है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में महिला महाविद्यालय नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा में भी एक महिला महाविद्यालय के प्रस्ताव को मंजूर किया जाय, धन्यवाद।

श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

माननीय अध्यक्ष जी, आज महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर मा0 नेता प्रतिपक्ष द्वारा संशोधन प्रस्ताव पर बल देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, इस महत्वपूर्ण चर्चा पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति दिल से आभार प्रकट करता हूं। महोदय हमारे वरिष्ठ नेताओं द्वारा एवं दल के नेता द्वारा बहुत सारी बातें सदन के संज्ञान में आ चुकी हैं, मैं ज्यादा लम्बी बात न कह कर के सीधे अपने महोबा विधान सभा क्षेत्र की समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। महोदय, जनपद महोबा का गठन आपको जानकारी होगी कि मा0 नेतागण बैठे हुए हैं, पूर्व मुख्य मंत्री मा0 मुलायम सिंह यादव जी द्वारा किया गया था। महोबा जनपद को गठित हुए लगभग दस वर्ष से ऊपर हो गये हैं, लेकिन अभी भी उस जनपद में जिला स्तरी सुविधाओं का बहुत ही अभाव है, पिछले पांच साल में बहन मायावती सरकार में विकास सम्बन्धी कार्य हुए हैं, लेकिन अभी भी वहां काफी कुछ होना बाकी है। महोदय, महोबा जनपद में पेय जल की बहुत ही गम्भीर समस्या बनी हुई है। महोबा नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल का इतना अकाल पड़ा हुआ है कि टैंकरों से पानी उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन वह भी बहुत ही नाकाफी है। महोदय, मैं सरकार से मांग करूंगा कि पेयजल के लिए जो भी उचित संसाधन हो सकते हों, पेयजल आपूर्ति के लिए सरकार उस पर जरूर ध्यान दें। महोदय, स्वास्थ्य के मामले में, अभी उत्तर प्रदेश में एम्स की स्थापना की बात की जाती है। बुन्देलखण्ड के बारे में मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि यहां एम्स बनना चाहिए। जहां एम्स की बात होती है वहां हमारे जनपद महोबा के जिला चिकित्सालय से जिला होते हुए भी जिला चिकित्सालय का दर्जा अभी अस्पताल को प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे ही स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में भी बहुत सी कमियां हैं, जिसकी ओर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, अभी हमारे जनपद महोबा में दैवीय आपदा के कारण, अभी 301 में भी मैं इसे संज्ञान में लाया था कि वहां पर ओलावृष्टि हुई। वहां किसानों की भारी क्षति हुई, जानें भी गई। मा0 राजस्व मंत्री जी बैठे हैं, उन्होंने बुन्देलखण्ड का दौरा किया था, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वह चित्रकूट मण्डल में नहीं जा सके। यहां भी एक बार सरकार निरीक्षण कर लें। मान्यवर, आपको जानकारी नहीं होगी, हमारा श्रीनगर क्षेत्र है। जैसे उकीर ब्लॉक क्षेत्र है, वहां पर जितनी जाने गई, इसी प्रकार हमारे यहां भी क्षति हुई। हम आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे कि इस दैवीय आपदा पर ध्यान दिया जाए।

श्री अम्बिका चौधरी-

चूंकि ऐसी समस्या का मा0 सदस्य ने उल्लेख किया है अभी वह बोलेंगे, मैं सिर्फ उनको सूचित करना चाहता हूं कि जिन गांवों में जहां भी राहत नहीं पहुंची है, जैसे भी सामान्य तौर पर देने के बजाय आप केवल मुझे सूचना की शक्ल में दे दीजिएगा मैं आश्वस्त करता हूं आपको कि दैवीय आपदा के सम्बन्ध में बहुत ही संवेदनशील तरीके से जितनी आवश्यकता होगी, हम उनको पूरी मदद करेंगे। हमको जैसे सूचना मिली, मैं अगले ही दिन गया था। आप दे दें।

(श्री सतीश महाना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, अभी वह बोल रहे हैं।

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

महाना साहब, मैं भी पहली बार चुन कर आया हूं। अध्यक्ष महोदय, कल की एक घटना है ग्राम कोहारी हमारे कबरई थानान्तर्गत वहां पर भयंकर आगजनी की घटना हुई। मैंने दूरभाष पर एस0डी0एम0 को स्वयं सूचना दी, उनके संज्ञान में भी लाया लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर आग बुझाने वाली मशीनें नहीं पहुंची। आधा गांव जल कर खाक हो गया। 6 लोग बहुत बुरी तरह से झुलस गए। दाने-दानें को लोग मोहताज हो गए उसके बावजूद भी प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी आज तक नहीं पहुंचा। आप के माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि इस घटना पर भी संज्ञान लिया जाए। महोदय, महोबा जनपद बुदेलखण्ड का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। वहां सिंचाई के संसाधनों की भारी कमी है। कहने को तो वहां पर बहुत बांध हैं, अर्जुन बांध है, उर्मिल बांध है, शिवहर बांध है, मौदाहा बांध है, लेकिन वहां पानी की क्षमता बहुत कम है। उन बांधों का उच्चीकरण करके वहां सिंचाई संसाधन बढ़ाये जाए ताकि पर्याप्त वहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकें। एक हमारे यहां परियोजना चल रही है अर्जुन सहायक परियोजना, जिसके काम की प्रगति में बहुत ही धीमापन है। मैं चाहूंगा कि उसमें सरकार शीघ्र कार्यवाही करे और इस परियोजना का शीघ्र निर्माण हो जाए, जिससे सिंचाई के संसाधन निश्चित रूप से उपलब्ध होगे। साथ ही साथ इस परियोजना के तहत जिन किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गयी। एक साल से ऊपर हो गया है उनके चक्कर काटते हुए, उनकी अधिग्रहीत की गयी जमीन का मुआवजा आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। मा0 अध्यक्ष महोदय, इम आपसे अनुरोध करेंगे कि सरकार उन किसानों का मुआवजा शीघ्र उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। शिक्षा के क्षेत्र में महोबा नगर में केवल एकमात्र जी0जी0आई0सी0 है वहां बालिकाओं की शिक्षा की बहुत ही अधिक कमी है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि एक जी0जी0आई0सी0 इण्टर कालेज, और महाविद्यालय की स्थापना महोबा नगर में और क्षेत्र के जो बड़े ग्राम है जैसे हमारा श्रीनगर है, ग्यूडी है, खन्ना है, ननौरा है, कवरई है, इन गांवों में भी शिक्षा के संसाधन, आई0टी0आई0, इसके साथ ही जो भी उचित हो, बालिकाओं के लिए स्कूल खुल सकते हैं, उनको खुलवाने की कृपा करें। सड़क के क्षेत्र में आप जाकर के देखें, दौरा मा0 मंत्री जी ने किया होगा, वहां पर सड़कों का बुरा हाल हो गया है। नेशनल हाई-वे है, झांसी-मिर्जापुर, कानपुर, सागर, हमारी सदस्य, साध्वी निरंजन ज्योति जी बैठी हुई

हैं। इतना बुरा हाल है 2-2 फुट गहरे गढ्ढे हैं, आधे घण्टे का सफर चार-चार घण्टे में हम लोग तय करते हैं। हमारा राज्य सरकार से अनुरोध है कि केन्द्र सरकार को भी पत्र लिखें और साथ ही राज्य सरकार की जो सड़कें हैं, महोबा से बांदा है, महोबा से हमीरपुर के अलावा महोबा से चरखारी होते हुए राठ है। श्रीनगर से बेलाताल है, सूपामोड से बिल्गीपवा होते हुए श्रीनगर तक है, कबरई से पहरा है, कवरई से कबरई, भटौंध से तिदुंही, सिरसीकला होते हुए खन्ना तक सड़क निर्माण शीघ्र किये जाने की आवश्यकता है। महोदय एक बहुत पुराना पुल है मा0 शिवपाल सिंह जी ने उसका शिलान्यास किया था, तबसे उसका निर्माण चल रहा है। विरमा नदी पड़ती है, हमारे क्षेत्र में। साथ ही राठ से गरौठा क्षेत्र पर पड़ने वाला पुल है उसके बाद हमीरपुर का पुल है और चण्डौर मार्ग पर पुल का निर्माण है। यह काफी समय से लम्बित पड़े हैं इन पुलों का शीघ्र निर्माण कराया जाय। मान्यवर, पर्यटन के क्षेत्र में आल्हा ऊदल की नगरी है महोबा, यह ऐतिहासिक महत्व की नगरी है यहां पर अनेक संभावनायें हैं यह खजुराहों से जुड़ा हुआ है वहां पर अनेक चन्देलकालीन अवशेष है उसे संरक्षित, सुरक्षित और आकर्षक बनाये जाने की कृपा करें। साथ ही ऐतिहासिक कजरी मेला का आयोजन होता है, 800 साल पुराना कजरी का मेला वहां लगता है उस मेले को आकर्षक रूप दिया जाय जिससे वहां का सम्मान और बढ़ सकता है। कबरई में क्रेशर उद्योग है लेकिन वहां के अधिकारियों के शोषण के कारण प्रदूषण और पर्यटन में शोषण के कारण वह बन्द हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

मान्यवर, हमारे यहां का क्रेशर उद्योग, पीतल उद्योग आदि जो उद्योग हैं उनको बचाने की कृपा करें।

श्रीमती रूबी प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि एक नये सदस्य को बोलने का मौका दिया। मैं सोनभद्र जनपद की दुद्धी विधान सभा जो उत्तर प्रदेश की सबसे अन्तिम विधान सभा और चार राज्यों से घिरा हुआ है। झारखण्ड, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। मेरा क्षेत्र अत्यन्त नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यह मेरा विधान सभा जो गरीब आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर पुलिस के द्वारा आदिवासियों की बेटियों आदिवासी बहनों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र विधान सभा बभनी ब्लाक में कई अनुसूचित जनजातियां है जो अपनी खेतीबाड़ी के लिए आस-पास के क्षेत्र से बैल खरीदकर लाते हैं तो उन्हें तश्करी के मामले में थाने में बन्द कर मारा-पीटा जाता है। मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जैसे बंभनी ब्लाक के गांव मछबंधवा, गांव धूमा में रामसरन, माता प्रसाद को जो आदिवासी भाई हैं, जो खेती बाड़ी के लिए आस-पास के क्षेत्र से बैल लाते हैं और वहां पर थाना प्रभारी उनको पकड़कर मारते-पीटते हैं। उनके साथ बदसलूकी करते हैं और कहते हैं कि अगर ऊपर तक यह बात पहुंचाओगे तो तुम्हारे ऊपर बहुत सारा मुकदमा लाद दिया जायेगा। मेरे विधान सभा ब्लाक क्योरपुर में कई जगह से मुझे ऐसी शिकायत मिली और देखने

को भी मिला गांव बलियरी और गांव मेढ़नीखाड़, गांव लौबंद जहां नाबालिक लड़कियां 12 साल, 13 साल की हैं उनको वहां के कुछ जाति विशेष के लोग बलात्कार कर लेते हैं और जब उनके लड़की के गार्जियन थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो थाने वालों का काम एस0ओ0 के द्वारा गार्जियन को बुलवाकर उस लड़के से समझौता कराकर और थाने में ही शादी करवाते हैं। यह संज्ञान में एस0पी0 सोनभद्र के लाया गया लेकिन एक भी रिपोर्ट अभी तक नहीं लिखी गई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से बताना चाहती हूं कि हमारे युवा मुख्य मंत्री माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी से जनता की गरीब आदिवासी किसान को दलित को बहुत उम्मीद थी कि उन्हें न्याय मिलेगा लेकिन मुझे अब तक संज्ञान में जितने भी मामले आये हैं वहां के एस0पी0 ने एक भी मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है और न ही थाने में भी एक भी रिपोर्ट दर्ज करी गयी है। मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को गरीब, आदिवासी दलितों, पीड़ितों को क्या उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं है। हमारी गरीब आदिवासी महिला बहनों की इज्जत लूटी जाती है नाबालिक लड़कियों की थाने में शादी करवाई जाती है। साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहती हूं कि जनपद सोनभद्र जो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य को करोड़ों रुपये का राजस्व देती है वहां पर 27-28 फरवरी को अवैध खनन हुआ जिसमें हमारे बहुत सारे मजदूर भाई मारे गये और उनकी कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई और न ही उन्हें मुआवजा दिया गया। वहां का पुलिस प्रशासन, डी0एफ0ओ0, खनन अधिकारी इन सब कामों में लिप्त रहते हैं जबकि वहां की डी0एम0 ने यह रिपोर्ट भेजा था कि यहां जनपद सोनभद्र में एक भी इनलीगल माइन्स नहीं है। फिर भी पता नहीं कैसे खनन किया जाता है। अभी मेरे पास बहुत से ऐसे साक्ष्य मौजूद है जिससे पता चलता है कि अभी भी जनपद सोनभद्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है। वहां खनन का पट्टा किसी और के नाम से रहता है, लीज किसी और के नाम से होती है और खनन कोई और करता है। इस कारण हमारे जनपद सोनभद्र में, ओबरा में अभी हाल ही में बहुत बड़ी दुर्घटना घटी थी। सारे चैनलों में इस घटना को दिखाया गया, लेकिन आज तक किसी भी मजदूर को मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ। हम आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करते हैं कि अवैध खनन को बन्द किया जाये और इस मामले की सी0बी0आई0 जांच कराई जाये। यहां जो पूर्ववर्ती सरकार थी वह आदिवासी विरोधी थी, उनसे तो उम्मीद किया ही नहीं जा सकता था। मैं माननीय मुख्य मंत्री श्री अखिलेश भइया से उम्मीद करती हूं कि हमारा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य है जहां पर धारा-20 की जमीन बहुत सारी है वर्ष 2006 में केन्द्र सरकार ने यह हक दिया था कि हर आदिवासी भाई जो जमीन जोत बो रहे हैं उन्हें 17 बीघे के रूप में जमीन का पट्टा दिया जाये लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने एक-दो बिस्वे के रूप में जमीन देकर इन आदिवासी लोगों के साथ अन्याय किया है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे गांव हैं, वहां डी0एफ0ओ0, रेंजर और जायका संस्था जो गांव में प्लान्ट लगाने का काम करती है। उनके द्वारा इन गरीब लोगों के घर उजाड़े जाने का काम किया जाता है। वहां उनकी जमीन में गड्ढा खुदवाया जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि धारा-20 की जमीन हर आदिवासी, जिस पर वह वर्षों से काबिज है और जोत बोकर अपना जीवन यापन करते हैं, कम से कम उनका जो हक है, वह 16-17 बीघे के रूप में

उनको मिलना चाहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूं मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी मेरी यही क्षेत्र की समस्यायें हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद।

*श्रीमती सीमा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जनपद जौनपुर के मुंगरा विधान सभा क्षेत्र से जीतकर आयी हूं। मान्यवर, मेरी विधान सभा जनपद प्रतापगढ़ के बार्डर में हैं, जनपद इलाहाबाद के बार्डर में है और जनपद जौनपुर के बार्डर में है। अगर हमको इमरजेन्सी में अपने क्षेत्र से किसी मरीज को लेकर जाना हो तो हम 50 कि0मी0 जौनपुर जायें, 50 कि0मी0 इलाहाबाद जायं या 50 कि0मी0 प्रतापगढ़ जायें। अभी जब मैं इस पुस्तक को पढ़ रही थी तो मुझे पढ़कर अच्छा लगा, इस सरकार ने कुछ काम बहुत अच्छे किये हैं, मैं इसके लिये आपको बधाई देना चाहूंगी, धन्यवाद देना चाहूंगी। आपने सबसे अच्छा काम किया कि किसान दुर्घटना बीमा योजना को आपने 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया है। दूसरी बात हम सभी लोग गांव से आते हैं, गांव में रहते हैं और गांव के दुखः दर्द को जानते हैं और हम सभी किसान है। आपने किसानों के लिये बहुत सारी योजनायें बताई हैं लेकिन एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, उसमें मैं समझती हूं कि सबसे ज्यादा लोग किसान परिवार से यहां पर आये हैं। आज आप मान्यवर, पूरे प्रदेश में पता कर लीजिये मेरे जनपद जौनपुर में भी सबसे अच्छी, सबसे छोटी प्रजाति होती है ढैंचा, इसको आप सभी लोग जानते हैं, जिले में आज कहीं भी ढैंचा उपलब्ध नहीं है। मैंने अपने जिले में अधिकारियों से ढैंचा के लिये बात की तो वहां के अधिकारियों ने बताया कि न तो ढैंचा इस बार आया है और न इस बार ढैंचा आने की उम्मीद है। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने क्रय केन्द्र का दौरा किया, माननीय मंत्रियों ने भी औचक निरीक्षण किया, मैं बहुत दुखी मन से कहना चाहती हूं कि किसी भी जिले में समय से बोरे उपलब्ध नहीं कराये गये और बोरे समय से उपलब्ध न होने के कारण गेहूं की खरीद समय से नहीं हो पायी, यह बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूं। मान्यवर, आपने कहा है कि जिला मुख्यालय पर, ब्लाक मुख्यालय पर टी0बी0 के लिये, कैंसर के लिये और तमाम गम्भीर बीमारियों के लिये निःशुल्क इलाज करने की व्यवस्था की है, यह अच्छी बात है लेकिन अगर आप इलाज कराने के लिये वहां जायेंगे तो सबसे बड़ी बाधा यह आती है जब आप किसी हास्पिटल में जाते हैं तो कहा जाता है कि आपका नाम बी0 पी0 एल0 सूची में है कि नहीं। हम किसी गॉव में जाते है किसी परिवार में जाते है, किसी विधवा परिवार में जाते है कही भी जाते है, जब पेंशन की बात आती है तो वह हमसे बहुत उम्मीद रखते है जनप्रतिनिधि होने के नाते हमसे उनको बड़ी आशाएं होती है। लेकिन जब हम उनकी पेंशन की बात करते है तो फिर सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि आपका नाम बी0 पी0 एल0 सूची में नहीं है। मान्यवर, अगर किसी का नाम बी0 पी0 एल0 सूची में नही और वह बहुत मजबूर है, विधवा है, विकलांग है तो मान्यचर, ऐसे में छूट होनी चाहिए और उसके पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। आप भी अपने क्षेत्रो में जाते होगें, आकस्मिक ओलावृष्टि हो गयी, दीवार गिर गई, घर गिर गया, आदमी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बेघर हो गया और जब उसको आवास देने की बात आती है तो हम लोग खुले मन से नहीं कह सकते कि आपको आवास दे पायेंगे क्योंकि उसके सामने फिर बाधा उत्पन्न हो जाती है कि आपका नाम पात्रता सूची में नहीं है। मान्यवर, इतनी छूट होनी चाहिए हम विधायकों को जिसके दरवाजे पर हम जाये जिस गरीब परिवार में हम जाये तो इतनी हमको छूट मिलनी चाहिए कि नियम शिथिल करके भी उस गरीब को आवास देने की शक्ति हमारे पास होनी चाहिए। मान्यवर आपने सड़कों के बारे में कहा पुरानी परियोजनाओं के बारे मे आपने कहा जितने पुराने रोड हैं वह बनने जा रही है, मेरी विधान सभा में मछली शहर से सुजानगंज होते हुए बेलवा रोड तक अगर आप 20 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से ज्यादा तेज चले जाएं तो मै सदन में आना बन्द कर दूंगी। मछली शहर से बधवा बाजार हो करके जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है, इतने बड़े-बड़े पत्थर पड़े हुए है। और तो और जो रास्ता मेरे घर को जाता है जो रास्ता मेरे गांव को जाता है उस रास्ते पर जब पब्लिक जाती है तो कहती है कि विधायक जी पहले अपनी रोड ठीक करवा लो बाद में हमारी ठीक करा देना। पिछली बार भी हम लोग विधायक रहे और तरस गये एक किलोमीटर का प्रस्ताव भी हम लोग रोड के लिए दे पाये। आपने अच्छा काम किया हम उम्मीद करेंगे आपसे और हमे इस बात की खुशी है कि हमारे उत्तर प्रदेश में 54 प्रतिशत युवाओं की आबादी है, हमारे प्रदेश को एक युवा मुख्य मंत्री मिला है, सबको बड़ी उम्मीद है, हमको भी उम्मीद है, विपक्ष को भी उम्मीद है परम्परा हमेशा अच्छी डालनी चाहिए गलत परम्परा का अनुसरण कभी नहीं करना चाहिए। हम जितने लोग सदन में बैठते हैं सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। अभी हमारे जनपद जौनपुर में शाहगंज विधान सभा में, मछली शहर विधान सभा में मड़ियांहू विधान सभा में जहां समाजवादी पार्टी के विधायक चुनाव जीत करके आये हैं वहां दो शिफ्टों में लाइट दी जा रही है। बगल की विधान सभा हमारी है वहां लाइट नहीं दी जा रही है।

श्री अम्बिका चौधरी (बैठे हुए) -

अब तो ठीक हो गया।

श्रीमती सीमा-

हां अब ठीक हो गया लेकिन एक बार आपने अपनी किरकिरी करा दी तो मुझे बहुत दुःख हुआ। पता नहीं आगे मिलेगी कि नहीं लेकिन इतना आप मुझे आश्वस्त कर दें कि अगर जौनपुर में कोई परिवर्तन होगा तो जौनपुर की 9 विधान सभा क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एक बराबर होगा। दूसरी बात मै आपसे कहना चाहती हूं कि अभी हमारे यहां एक है जीत लाल चौरसिया सुजाननगर में इनके यहां विधुत से आग लग गई, मैं चिल्लाते मर गई, जे0 ई0 से चिल्लाती रही, एस0डी0ओ0 से चिल्लाती रही कि तुम्हारे बिजली विभाग से आग लगी है कम से कम 50 लाख रुपए की क्षति हुई है, खाने को कुछ भी नहीं बचा है, ईट के ईट उड़ गये एक पैसे की उसे सहायता राशि नहीं दी गयी। राजस्व विभाग से जब मैंने बात की तो 2500 रुपए की धनराशि उसे प्रदान की गई। माननीय राजस्व मंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं मैं आपसे विनम्र विनती करूंगी कि जिसका 50 लाख रुपये का नुकसान हो जाए और उसको आप अगर 2500 रुपया देते है तो यह ऊंट के मुंह में जीरे की जैसा है। आपसे मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि जितना अधिक से अधिक हो सकता है उस परिवार को उबारने के लिए, उस परिवार की आर्थिक हालत ठीक करने के लिए धनराशि प्रदान की जाए।

दूसरी बात, मान्यवर, भुलना तराकी के एक लालमनि पाल है, वर्ष 2011 में इनके घर की दीवार गिर गयी, उनकी पत्नी को चोट लग गयी, वह अस्पताल में भर्ती हुई और मर गयी लेकिन राजस्व विभाग से एक पैसे की सहयोग राशि प्रदान नहीं की गयी। जब मैंने एस0डी0एम0 से बात की तो एस0डी0एम0 ने कहा कि 2011 का वर्ष समाप्त हो गया है, पिछले साल का पैसा हम नये सत्र में नहीं दे सकते हैं। मान्यवर, इतनी छूट कर दी जाए कि अगर एस0डी0एम0 ने पैसा नहीं दिया, अगर तहसीलदार ने पैसा नहीं दिया तो उसमें उस पीड़ित परिवार का दोष क्या है जिसमें कि पूरा का पूरा परिवार निपट गया। दूसरी बात, मैं आपके सामने कहना चाहूंगी मा0 प्रमोद तिवारी जी ने एक विषय उठाया था दहेज उत्पीड़न के बारे में, बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल उसी प्रकार की बीमारी हरिजन बनाम सवर्ण का मुकदमा है, चाहे जिसको फंसा दिया जाए। अभी होली के दिन मेरे क्षेत्र के थाना सुजानगंज, नीलमपुर गांव में बिना किसी बात के क्षत्रिय परिवार के लड़कों को रंजिश में फंसा दिया गया। मैंने एस0पी0 से अनुरोध किया कि इसकी विवेचना किसी दूसरे थाने से करायी जाए विवेचना में कुछ गड़बड़ जरूर निकलेगा, लेकिन एस0पी0 ने मेरी बात नहीं मानी। निर्दोष परिवार के बच्चे जिनके ऊपर धारा- 151 का भी मुकदमा पंजीकृत नहीं है, उनके ऊपर भी हरिजन बनाम सवर्ण का मुकदमा लाद दिया गया। 18-18, 20-20 साल के बच्चे, ऐसे में आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि इन सारी बातों का संज्ञान में लेते हुए प्रदेश में एक ऐसा सन्देश दीजिए कि जनता राहत की सांस ले सके।

मेरी विधान सभा क्षेत्र में सई नदी निकलती है, पानी पीने की बहुत किल्लत है उसको मैं आपके सामने बयां नहीं कर सकती। आप सारे विधायकों को हैण्ड पाइप जरूर दीजिए और अच्छा होगा, अगर महिला विधायकों को थोड़ी वरीयता में दे देगें तो मै समझती हूं कि बहुत अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

द्विवेदी जी, अब आप समाप्त करें।

श्रीमती सीमा-

मान्यवर, बिजली की समस्या अगर मै उठाऊं तो बिजली की समस्या से पूरा प्रदेश त्रस्त है। बिजली एक ऐसी समस्या है जिसमें पूरा प्रदेश बहुत दुःखी है। हम तो 18 घण्टे, 14 घण्टे लाइट की बात छोड़ दीजिए, हमको जो 5 घण्टे भी लाइट प्राप्त होती है तो पता लगता है कि उसमें तार टूट गया है, खम्भा गिर गया है, ट्रान्सफार्मर जल गया है, कितनी विषम परिस्थिति है। आज बिजली विभाग में सरकारी लाइनमैन एक भी नहीं है, प्राइवेट लाइनमैन के सहारे बिजली विभाग चल रहा है। वह प्राइवेट लाइनमैन जो बिजली के बारे में ए,बी,सी,डी भी नहीं जानता, उस लाइनमैन के सहारे आप बिजली व्यवस्था चला रहे है। मै आपसे अनुरोध करूंगी, आप पता लगा लीजिए, सदन चल रहा है सरकार यहां बैठी है, मुंगरा बादशाहपुर कस्बे में जो नगरपालिका है वहां पर तार कल से गिरा हुआ है दो-तीन लोग मरते-मरते बच गये। मैं थक गयी जे0ई0 से कहते-कहते लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति जाकर वहां पर तार बदलने का काम नहीं किया। इस भीषण गर्मी में भी वहां की जनता पिछले 48 घण्टे से बिना बिजली के है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्रीमती सीमा-

अध्यक्ष जी, महिलायें वैसे भी बहुत कम बोलती है, कभी-कभी बोलती है।

श्री अध्यक्ष-

पूरा बोलें तो बहुत बवाल हो जाये, इतना बोलती है वही बड़ा भारी है।

श्रीमती सीमा -

माननीय अध्यक्ष जी, बिजली के बारे में मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो सारे विधायकों को एक साल में पांच-पांच गांव विद्युतीकरण के लिए दिये गये थे। अब मंहगाई भी बढ़ गयी, बिजली की आवश्यकता भी बढ़ गयी, कम से कम 10-10 गांव विधयाकों की संस्तुति पर देने की कृपा करें। तमाम ऐसी बातें है, हम सब अपनी वेदना को कहना चाहते है। आज आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि जितनी भी बातें हमने अपनी विधान सभा क्षेत्र के बारे में रखी है। हमारे विधान सभा मुंगराबाद शाहपुर से इलाहाबाद जाने के लिए बीच में एक रेलवे क्रासिंग पड़ती है, डेढ़-डेढ़ घण्टे का वहां पर जाम लगता है। कोई गम्भीर मरीज अगर इलाहाबाद मेडिकल कालेज को जाना चाहे तो उसकी मृत्यु रास्ते में ही हो जाती है। आपने फ्लाई ओवर देने का काम किया है तो हमारी विधान सभा मुंगराबाद शाहपुर में भी एक फ्लाई ओवर देने का काम करिये, इससे अच्छा संदेश जायेगा कि सरकार विपक्ष के विधायकों का भी काम करती है। एक अच्छा संदेश जायेगा। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि इन सारी बातों को भी शामिल किया जाए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्रीमती इन्द्राणी देवी-

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में आपने जो हमें सदन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूं। अध्यक्ष जी, मैं पहली बार चुनकर आयी हूं, हमारा जनपद श्रावस्ती नेपाल बार्डर से मिला हुआ आखिरी छोर पर भिनगा विधान सभा है और जब मै सदन में पहली बार 28 तारीख को आयी तो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय जो हंगामा किया गया उसको मैं देखकर दंग रही गयी। अध्यक्ष जी मैं बताना चाहती हूं कि वर्ष 2003 में मै बसपा पार्टी में थी और बसपा पार्टी ने हमको 2007 में प्रत्याशी बनाया मैं एक किसान परिवार की बेटी हूं हमको 6 महीने बसपा के लोगों ने क्षेत्र में घुमाया और जब आखिरी बार आया तो मेरा टिकट काट दिया गया। मैं किसान परिवार से थी अध्यक्ष जी।

(शोरगुल के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शांत रहें। महिला सदस्य हैं इनकी बात सुनिये।

श्रीमती इन्द्राणी देवी-

माननीय अध्यक्ष जी मैंने 40 लाख रुपया पूर्ववर्ती सरकार मायावती जी के पास जमा किया था लेकिन उसके बावजूद मेरा टिकट कट गया। अध्यक्ष जी मेरे अन्दर जो पीड़ा है आज विपक्ष के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

लोग हमारी समाजवादी पार्टी के युवा करोड़ों बेजुबानों को जुबान देने वाले परम आदरणीय माननीय मुख्य मंत्री जी अखिलेश यादव जी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वह सरासर गलत है और अन्यायपूर्ण है। उस समय बसपा की सुप्रीमो मायावती जी एक महिला थी लेकिन एक किसान की बेटी के दर्द को वह नहीं समझ सकी। न वह किसान परिवार को हक देना जानती थी। आज अध्यक्ष जी के आदेशानुसार मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि समाजवादी पार्टी के मुख्य मंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने किसान की बेटी को 2012 में विधान सभा में जो आने का मौका दिया है उसके लिये मैं समाजवादी पार्टी को अपने उत्तर प्रदेश किसान परिवार से धन्यवाद देना चाहती हूं कि आज किसान की बेटी को जो मौका मिला है किसानों की पीड़ा को जो सदन में रखने का मौका दिया है इसके लिए मैं समाजवादी पार्टी को माननीय मुख्य मंत्री, सभी मंत्री और विधायकों को मैं धन्यवाद देती हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जब हमारा टिकट 2007 में काट दिया गया तो मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ी और जब मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ीं तो पिछली सरकार में मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का मौका नहीं दिया गया। हमारे सिरसिया ब्लाक में ब्लाक प्रमुख के लिए दलित महिला की सीट आई तो मैंने अपने कंडीडेट को माननीय मंत्री जी के कंडीडेट को पांच वोटों से हरवाकर ब्लाक प्रमुख बनवाया। आज बसपा के लोग कानून-व्यवस्था देख रहे हैं।

पांच सालों में प्रदेश के किसी कोने में चाहे वह महिलाएं हों चाहे वह लड़कियां हों चाहे वह आम आदमी हो सुरक्षित नहीं थे। आप जिस दिन का पेपर उठा लेते तो कहीं बलात्कार, कहीं हत्याएं, कहीं मंत्रियों के द्वारा लोग पीसे जा रहे थे। लेकिन आज समाजवादी पार्टी की सरकार में चाहे वह विधायक हों चाहे वह मंत्री हों या मुख्य मंत्री हों आम आदमी मिलने में संकोच नहीं करता। चाहे वह गांव गली में बात कर सकता है चाहे वह खेत खलिहान में बात कर सकता है। अध्यक्ष जी मैं बसपा में थी लेकिन हमारे विधान सभा में जिसको टिकट मिला वह मंत्री बना लेकिन मैं उससे बात करने लायक नहीं थी वह बात नहीं करता था यह पीड़ा है जो बसपा के लोगों ने दी है। उस पीड़ा की भरपाई के लिए यह कभी भी सरकार में नहीं आ सकते। शासन सत्ता में यह कभी नहीं आ सकते। नेता प्रतिपक्ष नहीं हैं। मैं उनके सामने बताती हमारे भिनगा में कई प्रोग्राम कर चुके हैं हमारी पीड़ा को देख चुके हैं। मैं सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहती हूं कि हमारे क्षेत्र में बसपा के कई मंत्री गये हैं। मैंने बसपा पार्टी में रहकर बड़ी ईमानदारी से कार्य किया लेकिन बसपा की नजर में किसान परिवार को राजनीति में भागीदारी देना नहीं आता था। आज समाजवादी पार्टी के ऊपर जो ब्लेम लगा रहे हैं। यह अपने गिरेबान में झांककर देखें कि हमने क्या किया है। आज मुख्य मंत्री अखिलेश जी की उम्र बहुत कम है लेकिन वह काम में बहुत ज्यादा है। आज छोटे बच्चे से लगाकर बूढ़ा बुजुर्ग विकलांग हो चाहे गरीब हों चाहे वह सर्वसमाज के लोग हों चाहे वह मुस्लिम समाज के लोग हों। चाहे किसान परिवार के लोग हों सब लोग आते हैं ऐसा नहीं है कि मंत्री और विधायक ही बात करते हैं। आम जनता के लिये दरबार खुला है और वो जाकर बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के मुख्य मंत्री, समाजवादी पार्टी के मंत्रियों और माननीय सदस्यों को बधाई देती हूं कि आज 2012 में आप हैं और आने वाला 2014 भी आपका होगा एक किसान की बेटी आपको सदन में बता रही है इसी के साथ माननीय अध्यक्ष जी मैं आपको धन्यवाद देती हूं और सदन में आये हुए सभी सदस्यों को धन्यवाद देती हूं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री शमशेर बहादुर जी का नाम पुकारे जाने पर और भी कई सदस्य बोलने के लिये खड़े होने लगे)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहें। लिस्ट में इनका नाम है, आप ही हैं शमशेर बहादुर ?

*श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

जी माननीय अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जायं, आपका भी नम्बर आयेगा। शमशेर बहादुर जी को बोलने दीजिये।

श्री उमेश पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीया विधायिका जी ने हमारे नेता पर आरोप लगाया गया है इसलिये संसदीय परम्परा के अनुसार जो असंसदीय है उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहें। उन्होंने अपनी बात कही, अब हो गया। अब आप बैठिये। आप सफाई दे देना खत्म हो गई बात। (माननीय सदस्यों के बोलते रहने पर शोर) देखिये माननीय सदस्य कौन क्या बोल रहा है इन्द्राणी जी ने जो भिन्गा से विधायक चुनकर आई हैं उन्होंने एक बात कह दी। जब इधर से बोल रहे हैं वो अपनी बात कह देंगे। अब इसमें यहां कोई बहुत ज्यादा ऐसी बात नहीं है। (रविदास मेहरोत्रा के बोलने के लिये खड़े होने पर)।

माननीय मेहरोत्रा जी आप कोई पहली बार तो आये नहीं हैं इस सदन में। आप इतने लड़ाका हैं सैकड़ों बार जेल भी गये हैं तो कम से कम कुछ समय तो बैठिये।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं लखीमपुर खीरी के धौरहरा विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं। आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जनपद लखीमपुर जिले में दो दो नदियां शारदा और घाघरा वहां से होकर निकलती हैं। लखीमपुर बाढ़ प्रभावित जिला है। जैसाकि महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है उसमें बाढ़ जो कि वह खुद गये हैं लखीमपुर खीरी। हमारे मुख्य मंत्री जी का पहला दौरा लखीमपुर खीरी हुआ। लेकिन उनको बाढ़ और बाढ़ से प्रभावित लोगों के बारे में, उनके घर, कटान और नदी के कटान के बारे में राज्यपाल जी के अभिभाषण में हमें वह चीज पढ़ने को नहीं मिली। तो वह चीज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं और सदन के सामने यह चीज रखना चाहता हूं कि हमारा जनपद बहुत ज्यादा बाढ़ प्रभावित है। शारदा नदी और घाघरा नदी दोनों के बीच का क्षेत्र है जिसमें पलिया, निघासन, धौरहरा, श्रीनगर, चार विधान सभा क्षेत्र उससे प्रभावित होते हैं। बरसात आने वाली है, बरसात शुरू होने पर नेपाल का पानी आता है नदियों में, जब बाढ़ आ जाती है तो लोगों के घर में कटान शुरू हो जाता है, लोग घर से बेघर होकर सड़कों पर आने लगते हैं। मुझे लगता है उनकी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दशा बेदशा देखकर फौरी राहत का इंतजाम किया जाता है। मान्यवर, बाढ़ के बाद, जब बाढ़ का पानी भर जाता है और फिर बाढ़ का पानी निकलता है तो वहां विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इन बीमारियों की रोकथाम के लिये भी इंतजाम कर लिया जाए। बाढ़ आने पर सांप बिच्छू आ जाते हैं। बाढ़ आने पर सांप काटने के इंजेक्शन अस्पतालों में रख दिये जायें ताकि किसी को अगर सांप काट ले तो उसे अस्पताल में इंजेक्शन लगवा दिया जाए। उसका समुचित इलाज हो सके और सांप काटने से किसी की मृत्यु न हो सके। श्रीमन् दूसरी बात जिन लोगों का घर कट गया उनको बसाने के लिये जगह देने का काम किया जाए। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सरकार व्यवस्था कर दे तो ठीक है वरना हमें अपनी विधायक निधि से जमीन खरीदकर देने का काम दो-दो डिसमिल आवंटन सरकार के द्वारा कराकर उनको बसाने का काम, अगर हमें इसकी अनुमति मिल जाए तो बेहतर होगा और मैं समझूंगा जिन लोगों ने चुनकर हमें भेजा है, उनके साथ न्याय होगा। श्रीमन् बाढ़ पीड़ितों की पीड़ा, गरीब लोगों की पीड़ा है, बहुत पिछड़ा क्षेत्र है हमारा, नदियों की वजह से यहां विकास कार्य नहीं हो पाते हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है सड़कें बनाई जाती हैं, कट जाती हैं पुल बनाये जाते हैं, गिर जाते हैं, कई पुल आधे बने खड़े हैं। कटान हुआ पुल बना उसके आगे कटान हुआ पड़ा है। हाहाकार कब मचता है हाहाकार तब मचता है जब स्टेट हाइवे कटने की नौबत आती है। पुल आप देखें ऐरा पुल है। ऐरा पुल के आगे स्टेट हाइवे कटके नदी किनारे पहुंच चुका है पिछले साल रोड नदी के काटने की कोशिश की अगर वह रोड कट जाती तो वह पुल अपनी जगह पर खड़ा रह जाता। इसलिये आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि बाढ़ आने पर जो बीमारियां हों, और जो बाढ़ विस्थापितों के लिये व्यवस्था हो, उनके आवास संबंधी या अन्य परेशानियां हों, जब वह विस्थापित आयेंगे कहीं बसेंगे किसी जगह पर, तो उनके पीने के पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो भी अपना सामान लाये हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जानवरों के चारे की व्यवस्था करनी पड़ेगी तो इन सब चीजों के लिये हम तैयार रहें। हमारे जनपद लखीमपुर खीरी में माननीय मुख्य मंत्री जी शपथ लेने के बाद पहली बार गये शायद उनके हृदय में वेदना रही होगी लेकिन जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है उसमें कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दी कि उन्होंने लखीमपुर खीरी के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिये कुछ किया हो। इसलिये मैं नेता प्रतिपक्ष जी ने जो संशोधन के प्रस्ताव को रखा है तो मैं चाहता हूं कि उसमें बाढ़ की विभीषिका को सम्मिलित कर लिया जाए। दूसरे हमारे यहां सबसे बड़ा संकट खाद्यान्न का है। खाद्यान्न के 40-50 कोटे निरस्त कर दिये गये हैं इतने पूरे जनपद में नहीं हुए होंगे। पूरी कमिश्नरी में नहीं हुए होंगे जितने धौरहरा विधान सभा क्षेत्र में, 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर जाकर उनका अटैचमेंट कराया जाता है, गरीबों के मुंह का निवाला छीना जाता है। श्रीमन् 2004 में सबसे बड़ा खाद्यान्न घोटाला हमारे लखीमपुर खीरी में आया। यह मामला संज्ञान में आया, जांच हुई। छः संस्थाओं ने जांच की, फूड सेल ने अलग जांच की, सी0बी0सी0आई0डी0 ने अलग जांच की। अन्ततः अब सी0बी0आई0 जांच कर रही है। सी0बी0आई0 की जांच में बड़े-बड़े अधिकारी लिप्त पाये गये हैं। ए0डी0एम0 रैंक के डी0एम0 रैंक के अधिकारी जा रहे हैं, ट्रान्सपोर्टर जा रहे हैं वहां हैण्डलिंग गोदामों के प्रभारी जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इन सबकी मिली भगत से वहां खाद्यान्न का वितरण तक नहीं हो रहा है तो आपसे अध्यक्ष जी यह बताना चाहता हूं कि एक तरफ तो आदमी बाढ़ से परेशान होगा और दूसरी तरफ जो उसको 35-28 किलो मिलने वाला अनाज है वह नहीं मिल पायेगा तो वह आत्महत्या के लिये मजबूर होगा।

मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से यह सरकार की जानकारी में आवे और वहां से यह मंगा लें कि धौरहरा तहसील में जो गोरखधंधा चल रहा है इस पर तत्काल विराम लगे और लोगों को अपना गल्ला मिले हमारे क्षेत्र में चीनी मिल चल रही है गन्ने के भुगतान का मामला आता है समय-समय पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि तीन किश्तों में गन्ने का भुगतान दिया जाए लेकिन गन्ना हमने लगाया हुआ है प्राइवेट चीनी मिल है किसी के यहां शादी है किसी के यहां कोई बीमार हो रहा है। उसकी कोई सुनने वाला नहीं है बल्कि चीनी मिलें अपनी बेईमानी पर अमादा हैं, उनकी घटतौली चरम सीमा पर पहुंच गई है, हमारी जो गन्ना समितियां हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं है, वे सीधे चीनी मिल आते हैं और वहां के अधिकारियों से मिलकर सांठ-गांठ करते हैं। प्रदूषण की बात वहां पर उठी थी, पर्यावरण की बात वहां पर उठी थी, हमारे यहां जो चीनी मिल हैं, वहां पीडब्लूडी की रोड है, किससे परमीशन ली, मुझे नहीं मालूम है, उन्होंने सड़क खोद कर उसके नीचे पाइप डालकर नाले में निकाल दिये हैं जिससे शारदा नदी में सीधे पानी जा रहा है। मछलियां मर रही हैं, गन्दा पानी जानवर पी रहे हैं जिसके कारण जानवर बीमार हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि वह लोग पूंजीपति हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा विधान सभा क्षेत्र धौरहरा जो कि अति पिछड़ा है, शारदा और घाघरा नदियों से घिरा हुआ है और उनकी जो उप नदियां निकली हैं, उनसे वह प्रभावित है। वहां बाढ़ आती है, बाढ़ की समस्या को देखते हुए यहां से आप निर्देश देने का कष्ट करें जिससे नागरिकों को कुछ राहत मिल सके। हमारे यहां नरगढ़ा में एक व्यक्ति की बिजली से मृत्यु हुई, उसको भी अनुदान राशि नहीं मिली, ग्राम बिन्दवा में घर जलने से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई लेकिन सरकार से जो अनुदान राशि मिलनी चाहिये थी, वह नहीं मिली। तो मैं आपके माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र की यह सब बातें बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण पर जो संशोधन रखा गया है, उसको रखा जाए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद।

(कुछ सदस्यों के बोलने के लिये हाथ उठाने पर)

श्री अध्यक्ष-

ये नये लोग हैं, बोल रहे हैं, आपको भी मौका मिलेगा, पहले नये सदस्यों को बुला लें। इसके बाद देवी साध्वी का नम्बर है, तैयारी कर लो बोलने के लिये।

श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी मेरी उम्र तो नई नहीं है लेकिन मैं विधायक नया हूं। मैं इलाहाबाद जनपद से चुनकर आया हूं, मेरी विधान सभा मेजा पहली बार बनी है और पहली बार मैं विधायक बना। मैं जिस क्षेत्र से विधायक हूं, उस क्षेत्र से भारत के प्रधान मंत्री से लेकर मुख्य मंत्री तक, चीफ जस्टिस से लेकर नरगिस दत्त तक हैं। मैं बहुजन समाजपार्टी वालों के घड़ियाली आंसुओं को सुन रहा था, मुझे लग रहा था कि 5 साल में इन्होंने मायावती के राज में कोई काम नहीं पाया, ये बेचारे हैण्डपाइप के लिये तरस गये, एक-एक सड़क के लिये तरस गये। इनको अपने नेता से कहना चाहिये था, चीफ मिनिस्टर से कहना चाहिये था कि 5 साल के राज में बहुजन समाजपार्टी ने हमको एक हैण्डपाइप नहीं दिया। आज बहुजन समाज पार्टी वाले चिल्ला रहे हैं, घटियाली आंसू बहा रहे हैं कि

5 साल में हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। जब यह लोग कह रहे हैं कि 5 साल में कोई काम नहीं हुआ तो हमारे क्षेत्र में क्या हुआ होगा ? आपने हमको एक हैण्डपाइप दिया नहीं, आपने हमको एक सड़क दिया नहीं, आपने हमारी जनता को गेहूं और चावल के नाम पर अन्न दिया नहीं, बीपीएल कार्ड आपने बनवाये नहीं, अन्त्योदय कार्ड आपने बनवाये नहीं, आपने 5 साल में कोई काम नहीं किया और जब हमारी सरकार आई है और अपने भाषण में कह रही है कि हम इन्दिरा आवास बनवायेंगे, हम गरीबी दूर करेंगे तो आप उसका माखौल उड़ा रहे हैं, टोपी पहन करके नाच रहे हैं।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय-

मान्यवर, मैं तो पहली बार विधायक हुआ हूं, लेकिन मा0 मौर्या जी के साथ काम करने का मौका मुझे 25 साल पहले मिला था। मैं जनता दल में था, अब मैं समाजवादी पार्टी में हूं और समाजवादी पार्टी में राजनारायण जी का सहयोगी था और उनके पदचिन्हों पर चलता था। मैं तो आपके इन घड़ियाली आंसुओं से चिन्तित हूं यदि भारतीय जनता पार्टी वाले कहते, कांग्रेस पार्टी वाले कहते तो बात समझ में आती। मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से हूं, हमारे क्षेत्र से सटा हुआ मिर्जापुर है, हमारे क्षेत्र से सटा हुआ रीवां है। हमारे क्षेत्र से सटा हुआ चित्रकूट, बांदा है।

मान्यवर, हमने तमाम बार कहा है कि हमारे विधान सभा क्षेत्र को बुंदेलखण्ड से जोड़ दिया जाय तो तमाम सुविधायें मिल जायेंगी। हमारे यहां पेयजल की बहुत दिक्कत है। वहां पर नदी से पेयजल की परियोजना लागू होनी है उसे कराया जाये वहां पर टैंक से पानी आता है। हमारे क्षेत्र में एक भी डिग्री कालेज और पालिटेक्निक नहीं है। हमारे यहां भारतगंज इलाका है वह 90 प्रतिशत मुस्लिम बाहुल्य है वहां एक भी डिग्री कालेज नहीं है पालिटेक्निक नहीं है। वहां के लोगों को डिग्री कालेज और पालिटेक्निक चाहिये। हमारे यहां की पेयजल परियोजना नदी पर आधारित है। चार पेयजल परियोजनायें हैं उसके माध्यम से हम अपने यहां की पेयजल समस्या को सुदृढ़ करना चाहते हैं। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में करीब 500 काले हिरण हैं जब बी0जे0पी0 की सरकार यहां पर थी तो हमें उम्मीद थी कि वह उनके संरक्षण का काम करेगी लेकिन आप लोगों ने बी0एस0पी0 वालों ने काम नहीं किया। आप हमारी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वहां पर सरकार द्वारा काले हिरण के संरक्षण का कार्य किया जायें। आपने हमारे सांसद और एम0एल0ए0 को हैण्डपम्प नहीं दिया वह मांगते रहे। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में काले हिरण के संरक्षण की, पानी पहुंचाने की उसे बुंदेलखण्ड से जोड़ने की कार्यवाही की जायं वहां की बंद कताई मिल को फिर से चालू कराया जाय। हमारे यहां पर तेल शोधक कारखाने की नींव रखी गई थी। उसमें भूमि का अधिग्रहण हो गया था किसानों को पैसा मिल गया है। लेकिन उसमें आगे कार्यवाही नहीं हो पाई है उस पर ध्यान दिया जाय। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय मुरली मनोहर जोशी जी का बड़ा सम्मान करता हूं लेकिन उन्होंने भी उस ओर ध्यान नहीं दिया। मान्यवर, हमारें यहां माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने तीन-तीन पॉवर प्रोजेक्ट दिये थे जिसमें से दो पर काम हो रहा है पिछली सरकार ने एक पर काम बन्द कर दिया है उसको सरकार चालू करवा दे। इसी के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

साध्वी निरंजन ज्योति-

मान्यवर, मैं हमीरपुर विधान सभा क्षेत्र से पहली बार चुनकर आयी हूं। मुझे बताया जाता था कि विधान सभा के सारे प्रस्ताव पारित होते हैं और जनहित में वह लागू होते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि प्रस्ताव पारित होने चाहिये सौहार्दपूर्ण वातावरण में। मैं कल देख रही थी कि महामहिम राज्यपाल जी अपना अभिभाषण देने के लिये आये हुए थे हालांकि मैं भी विपक्ष की विधायक हूं लेकिन इस प्रकार का व्यवहार हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं होता है (सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) हमारे नेता यहां पर बैठे हुए हैं उनके पास लोक निर्माण विभाग स्वास्थ्य विभाग होगा कृषि मंत्री जी यहां पर नहीं हैं इस समय। बुंदेलखण्ड से हर दल के यहां पर सदस्य हैं मान्यवर, बुन्देलखण्ड से सबसे ज्यादा राजस्व की वसूली होती है गिट्टी और मौरंग से। मेरा कहना यह है कि उस राजस्व वसूली में से 50 प्रतिशत हिस्सा वहां के विकास के लिये दिया जाये। क्योंकि जब ओवर लोड ट्रक छोटी-बड़ी सड़कों पर चलता है तो वह सड़कें ध्वस्त हो जाती हैं। जो सड़कें बनायी जाती हैं वह मानक के अनुरूप नहीं होती हैं। महोदय एक बहुत ही गम्भीर विषय आपके सामने लाना चाहती हूं। हमीरपुर का एक कुरारा ब्लाक है। 14 कि0मी0 सड़क है। 2007 में वहां के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। मुझे लगा कि बसपा की सरकार बनी है वह सड़क बनेगी लेकिन अध्यक्ष महोदय, 2007 के बाद में वह सड़क नहीं बनी। मैं 2007 का चुनाव लड़ी थी। मान्यवर, 2009 का जब चुनाव आया तो वहां के लोगों ने बहिष्कार किया लेकिन किसी प्रकार से मनवाकर के वोट डलवा लिया गया। मान्यवर, अबकी बार कम से कम 10 गांवों के लोगों ने उस रोड को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि उस कुरारा बेरी रोड बेरी और जालौन जिले में एक गांव पड़ता है कदौरा, उस रोड को बनवाने की कृपा करेंगे। तो आपके माध्यम से उस क्षेत्र की जनता का भला होगा। उत्तर प्रदेश में नदियों में खनन हो रहा है। मैं खनन का विरोध नहीं करती हूं। एक सरकार गयी। पहले भी वसूली हो रही थी। खनन में कहीं फिर से पोंटी चड्ढा न आ जाये इसकी मुझे चिन्ता है। माननीय अध्यक्ष जी, आपसे मेरा अनुरोध है कि बुन्देलखण्ड की धरती में सबसे ज्यादा मौरंग और गिट्टी होती है। महोदय वहां गरीबों के नाम से पट्टे लिये जाते हैं। मौरंग माफिया उसे चलाते हैं और वह गरीब वसूली के नाम से जेल जाता है। इसकी जांच होनी चाहिए। अगर किसी गरीब के नाम से पट्टा होता है उस गरीब को मुआवजा देने का अधिकार उसे दिलाना चाहिए। महोदय एक निवेदन और करना चाहती हूं। मान्यवर, जिस दिन शपथ ग्रहण हो रहा था तो उसके बाद मैं तुरन्त निकल गयी थी तो मैंने वहां जाने के बाद देखा कि वहां महिलायें, आदमी उनके खेतों में दाना नहीं था वह फूट-फूट कर रो रहे थे। हमारे माननीय कृषि मंत्री जी वहां गये थे। मुझे लगा था कि हमीरपुर जनपद में भी माननीय कृषि मंत्री जी आयेंगे और मैं निमंत्रण देती हूं। माननीय कृषि मंत्री जी को और आपको भी निमंत्रण देती हूं कि आप बुन्देलखण्ड की धरती में आकर कभी देख लें कि वहां सड़क है या नहीं है। मान्यवर, एक और निवेदन करना चाहूंगी। मैंने आपको लिखकर 30 प्वाइन्ट में संशोधनों को दिया है उसको उसमें सम्मिलित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

आपका यह संशोधन समय के बाद आया था लेकिन आपने संशोधन तो दे ही दिया है।

साध्वी निरंजन ज्योति-

मान्यवर, एक निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे तिवारी जी दहेज उत्पीड़न के सम्बन्ध में निवेदन कर रहे थे। मैं चूंकि एक महिला हूं और मैंने महिलाओं को जेल में जाते हुए देखा है। उन बच्चियों को जेल में जाते हुए देखा है। मेरे पैर पकड़कर रोती है। अध्यक्ष जी, जिस पति ने जलाया है उस पति को जेल जाना चाहिए उस पति को सजा होनी चाहिए। पूरे परिवार को सजा नहीं होनी चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से अनुरोध करती हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जब महामहिम राज्यपाल जी अभिभाषण में कानून व्यवस्था को लेकर अभिभाषण का विरोध किया जा रहा था। मुझे बांदा का शीलू प्रकरण याद है। शीलू प्रकरण में मैंने जाकर देखा था। मैंने जेल में धरना दिया था। अध्यक्ष जी, मैं यह कहने में नहीं चूकूंगी। अध्यक्ष जी उस महिला के साथ बलात्कार भी हुआ था और उसको जेल में भी डाला गया था। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि इसकी पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश में फिर से हो रही है। इसको रोका जाये। आपसे बार-बार अनुरोध करती हूं और मेरे जो संशोधन प्रस्ताव हैं उसको जोड़ने का कष्ट करेंगे। मेरा क्षेत्र बहुत बीहड़ क्षेत्र है और कोई भी गांव 4-5 कि0मी0 से नजदीक नहीं है और वहां पर कोई भी सड़क नहीं है। 5 साल में अगर आपके माध्यम से मुझे रोड का विकास का मौका दिया तो मैं सरकार को धन्यवाद दूंगी।

आपके माध्यम से और राजस्व मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगी, मेरे पास उन गांवों की लिस्ट है। अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि मेरे गांवों की विद् फोटोलिस्ट जिन खेतों में ओले गिरे हैं। ओलों का तो सर्वे हुआ है लेकिन जिन खेतों में कटी हुई फसल पड़ी हुई थी आंधी के कारण उड़ गई थी उनमें फसल लग ही नहीं रही थी कि खेत में फसल है जब अधिकारियों से मैंने बात की तो कहते हैं कि इन्हें मुआवजा नहीं दिया जायेगा वहां उस फसल का नुकसान हुआ ओला नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन करती हूं उन किसानों को भी मुआवजा बांट दिया जाय जिनकी फसल आंधी के कारण उड़ चुकी है, उस खेत में गेहूं नहीं बचा है या फसल नहीं बची है। हमीरपुर का मौदहा तहसील 50 गांव प्रभावित हुए हैं जिनके घर में खेत में कटा हुआ अनाज और खड़ा हुआ दोनों ध्वस्त हो गये हैं, उनको मुआवजा दिया जाय। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय बुधौलिया जी ने भी यही प्रश्न उठाया था और माननीया सदस्य ने भी यह बात रखी है, मैं पूरे सदन के सभी सदस्यों से यह बात कहना चाहता हूं कि वह ऐसी त्रासदी थी कि जिसको देख करके कोई भी मानव मन हिल जायेगा। दो-तीन गांवों को मिलाकर के 13 लोगों की मृत्यु हुई थी और मैंने करीब डेढ़ सौ लोगों को ऐसी घायल स्थिति में देखा कि उसका वर्णन करना कठिन है, लेकिन मैं अनुरोध यह करना चाहता हूं कि राहत के सम्बन्ध में अगर कहीं पर भी कोई कठिनाई हुई हो या आपको लगता है कि यह बात ठीक नहीं है तो आप लिखित रूप में मुझे दे दीजिए। मैं यहां मुख्यालय से टीम भेज करके उसकी दोबारा जांच करवा लूंगा और प्रत्येक किसान को राहत मिलेगी और अगर उनकी फसल की नुकसान हुई है, कई बार तो कह देते हैं कि नहीं है तो आप इस बारे में बिल्कुल प्रभावित न हों, मुझे लिख करके दें, मैं यहां से टीम भेज देता हूं और

जिनकी फसल नुकसान हुई हो, उनको मानक के अनुसार निश्चित रूप से हम उनकी पूरी मदद करेंगे, जिनके घर गिर गये हैं उनके बारे में सूचनाएं दे दीजिए। हम उनकी पूरी मदद करेंगे।

श्री जगराम पासवान-

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया गया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

मान्यवर, पांच साल के कार्यकाल में सुबह विरोधी दल नेता, समाजवादी पार्टी को किसान विरोधी बता रहे थे, अपने आप में ही वह अंदाजा लगायें कि किसान विरोधी सरकार हमारी थी या समाजवादी पार्टी की थी। आज समाजवादी पार्टी की दो महीने कुछ दिन सरकार बने हुई है, हमारे किसान भाइयों के लिए किसान बीमा योजना को एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दिया है। हमारे किसान भाइयों के लिए बचा हुआ गन्ना भुगतान सभी किसान भाइयों को मिल गया है। मान्यवर, मैं अपने पर बीती बात बता रहा हूं, बसपा के कार्यकाल में वर्ष 2008, 2009, 2010 में हमारे तीनों साल चार ईंट भट्ठे मैं चला रहा हूं यह बसपा के लोग हर साल उसमें जांच, कमियां, फर्जी मुकदमें हर तरह से हमें परेशान किया गया, लेकिन कोई ऐसी त्रुटि नहीं पाई कि यह लोग अपनी दबंगई से हमें दबा दें। मान्यवर, हमारे बलरामपुर विधान सभा में एक कोडरी घाट है। 1996-97 में उस घाट पर पुल बना था, मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 1998 से जो बचा हुआ पुल आज कम से कम 20 हजार जनता का उस पुल से आने-जाने का रास्ता है, लेकिन मान्यवर, उसमें कोई ऐसा काम बीती हुई सरकार ने नहीं किया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि हमारे बलरामपुर विधान सभा के कोडरी घाट का अवशेष कार्य पूर्ण कराने का कष्ट करें। मान्यवर, मैं दलित से जुड़ा हुआ हूं, दो जिलों से मैं जुड़ा हुआ हूं गोण्डा और बलरामपुर में पिछले पांच साल में दलित की सरकार में दलित का ही उत्पीड़न किया गया है। पिछले पांच साल में कोई दलित अपनी फरियाद लेकर बसपा के मंत्री, विधायक के पास जाता था तो उसकी फरियाद नहीं सुनी जाती थी। बल्कि उसकी फरियाद न सुनकर, फरियादी से मौके का फायदा लेकर उसकी जमीन को अपने नाम बैनामा करवा लेते थे, ऐसे बहुत से मामले संज्ञान में हैं। हम लिखित दे सकते हैं और मान्यवर, नया सदस्य हूं कुछ गलती हुई होगी तो माफ कीजिएगा। धन्यवाद जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष-

इसके बाद लोकदल का सदस्य बोलेगा, इसके बाद फिर बहुजन का आएगा।

श्री वीरपाल-

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के धन्यवाद, संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, आज तीन दिन हो गये हैं विधान सभा को चलते-चलते मैं यहां का नजारा देख रहा हूं। नया सदस्य आया हूं। इधर की बात, उधर की बात...

श्री अध्यक्ष-

उसी में कुछ अपनी बात भी मिलाओ।

श्री वीरपाल-

इधर की बात उधर की बात इसके अलावा यहां कोई चर्चा ही नहीं है। मान्यवर, बीच वालों की कोई बात ही नहीं है। मान्यवर, ऐसा माहौल है जैसा कि कोई जनसभा समाजवादी पार्टी के लोग अपने नेता की तारीफ कर रहे हैं, अपनी पार्टी की तारीफ करते हैं। बसपा के लोग अपने नेता की तारीफ करते हैं। अपनी पार्टी की तारीफ करते हैं। मैं देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, अपनी पार्टी की चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहां पर कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे हैं, वह भी नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के लोग हैं यहां या अपना दल के लोग है, निर्दलीय है इसके अलावा पीस पार्टी के लोग हैं, मैं यहां पर चर्चा करूं चौधरी अजीत सिंह जी का अपने बल पर उन्होंने 45 चीनी मिल लगवाने और प्रदेश में गन्ना क्रान्ति पैदा की तथा तमाम कार्य उनको बताऊं तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं यहां पर चर्चा करूं चौधरी चरण सिंह जी की कि जिन्होंने देश और दुनिया को एक दिशा देने का काम किया तो अच्छा लगेगा। (सत्ता पक्ष के लोगों ने खड़े होकर एक साथ कहा अच्छा लगेगा) यहां चर्चा करनी चाहिए मुद्दो की चर्चा करनी चाहिए। श्री राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण किया, उस पर संशोधन के प्रस्ताव के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। संशोधन होना चाहिए। यहां पर विपक्ष के नेता ने ऐसा नजारा पेश किया, पूरे सदन की गरिमा को बिल्कुल नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। इस पर मैं एक कहानी कहना चाहता हूं। मान्यवर, एक कंजूस था और एक महाकंजूस। एक बार कंजूस महाकंजूस के घर चला गया और एक कागज के पन्नों पर छोटे-छोटे अंगूर के चित्र बनाकर ले गया। महाकंजूस नहीं मिला उसका बेटा मिला कंजूस ने कहा तेरे पिताजी हैं नहीं कहा गये बाहर गये बेटे पिता जी से कहना चाचा जी आये थे और ये अंगूर लाये थे। पिता ने पूछा कि बेटे बदले में तुमने भी कुछ दिया बेटे ने कहा पिता जी हवा की आकृति में आम बनाकर पकड़ा दिया। पिता ने कहा सब नाश करेगा, इतना बड़ा-बड़ा बनाकर पकड़ा दिया। ऐसा ही माहौल है यहां का, एक तरफ कंजूस है और दूसरी तरफ महाकंजूस है। आज जरूरत पड़ रही है बिजली की एक महीने के बाद बिजली अपने घर मान्यवर रखें एक महीने के बाद किसान को नहीं जरूरत पड़ेगी। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। बड़ा अन्याय है हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं। बागपत जिला ऐसा जिला है जिसमें कोई भी किसान कनेक्शन लेता है तो कनेक्शन लेने के बाद उसका एक एग्रीमेन्ट होता है उससे अधिक पावर नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा अधिकारी बागपत के अन्दर है जो कानून बनाता है। यहां मौर्या जी बैठे हैं उनकी सरकार के एक अधिकारी ने ढाई पावर बढ़ाकर किसानों को आन्दोलित किया कितना आन्दोलन बागपत में चला किसी ने नहीं सुना। यहां पर अम्बिका चौधरी जी और संसदीय कार्य मंत्री जी चले गये। मैं निवेदन करूंगा कि इस पर कार्यवाही करें। प्रदेश में सब जगह बिजली के कनेक्शन देना चालू है लेकिन हमारे बागपत में बन्द है। हमारे यहां बिजली के अलावा सिंचाई का और कोई साधन नहीं है। मैंने सवाल उठाया सिंचाई पर तो आया कि बहुत से साधन है।

नहरों की स्थिति में 1978 में एक कृष्णा दोआब परियोजना बनी थी जो ज्यों की त्यों खटाई में पड़ी है न सफाई है, न पानी छोड़ा गया है और पानी की भी व्यवस्था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा फसलों की पैदावार होती है उनमें पानी की व्यवस्था यमुना से है और यमुना के अन्दर पानी नहीं है। अगर थोड़ा बहुत पानी भी था तो इधर की सरकार सपा की सरकार ने हरियाणा को

देने के काम किया, प्रदेश को न देकर हरियाणा को देने का काम किया। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गंगा से एक लिंक नहर चली है। उसमें दोआब परियोजना में उससे जोड़ा जाय। मान्यवर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में यमुना नदी बहती है मेरी विधान सभा से मेरे जिले से लगी हुई है। कटान के कारण सीमा इधर-उधर हो जाती है वहां पर आये दिन झगड़े और फसादात होते हैं इतने दिन हो गये बहुत चर्चा मेरे से पहले विधान सभा के माननीय सदस्यों ने की होगी लेकिन कोई असर नहीं बन्दूक लिये फिरते हैं यू0पी0 के किसान हरियाणा के किसान कई किसानों की मौत हो गयी। मेरा निवेदन है कि इस सभा के अन्दर विधान सभा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है और इस पंचायत में मुद्दों की बात होनी चाहिए उन मुद्दों की बात होनी चाहिए जिससे जनता त्रस्त है। यह उन मुद्दों की बात नहीं होनी चाहिए कि जो आपने मुंह से अपनी ही तारीफ अच्छा काम करोगे तो जनता तारीफ करेगी। हम तारीफ करेंगे मान्यवर हमारा दल छोटा जरूर है लेकिन सोच राष्ट्रीय है यहां जो दल सत्ता में चल रहे हैं उनकी सोंच छोटी है। राष्ट्रीय नहीं है। इनके बयान भी व्यवहारिक नहीं हैं और हमारे नेता का बयान अव्यवहारिक दिखा दे तो मैं मानू फिर वहीं बात मान्यवर यहां मैं अपनी पार्टी की बड़ाई करूं अपने नेता की बड़ाई करूं सपा, बसपा वालों की तरह उससे हल होने वाला नहीं है। हल होगा तो मुद्दों पर आधारित होगा, मुद्दों की लड़ाई लड़ो, कभी इधर कभी उधर आप इधर थे उधर हो गये अबकी बार मैं समझता हूं यह उधर होंगे यह मेरा विश्वास है मान्यवर, हम देख रहे हैं, पहले विधान सभा में हम अपने क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप पहले किस्सा सुना रहे थे अब चर्चा करना चाह रहे हैं।

श्री वीरपाल-

मान्यवर, अब मैं अपने क्षेत्र की चर्चा करना चाहता हूं। यहां पर पार्टी की बहुत बात हुयी। यहां पर बहुत सी ऐसी-ऐसी बात हुयी। जैसे चुनाव का अखाड़ा हो। मैंने तो मान्यवर, ऐसी कोई बात नहीं की। मान्यवर, मैं एक छोटी सी चर्चा और करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और अभी समाजवादी पार्टी के मेरे एक मित्र ने कहा था कि हमने पेमेन्ट दिलाने का काम किया। मान्यवर, मलकपुर चीनी मिल हमारे क्षेत्र में है, आप उसका पेमेन्ट दिला दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी उसका पेमेन्ट नहीं है यह कितने अफसोस की बात है और यहां इसकी कोई बात नहीं उठाता। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस ओर ध्यान देकर जो पीड़ित किसान हैं, उनका आप पेमेन्ट कराने का काम करेंगे। इसके अलावा मेरे क्षेत्र में ग्राम असारा, घुन्डपुर तमेलागढ़ी में नदी का पुल नहीं है। मान्यवर, जमुना नदी पर भी एक पुल की आवश्यकता है, छपरौली टाण्डा जो हरियाणा को जोड़ते हुए पूरे उत्तर प्रदेश का एक राष्ट्रीय राजमार्ग बन सकता है। मेरी आपके माध्यम से इस सरकार से मांग है कि इस पुल को शीघ्र बनवाया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जयहिन्द, जयभारत।

*श्री सूरज पाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं और आपके माध्यम से मैं प्रदेश के मुख्य मंत्री, माननीय संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला है तो उन कल्याणकारी योजनाओं के लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन धन्यवाद वह होता है जब किसी को दान दिया जाता है तो वह अपनी जेब से दिया जाता है। लेकिन जब किसी से छीनकर दिया जाता है तो वह दान नहीं होता। एक तरफ तो कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की जा रही है और दूसरी तरफ जो कल्याणकारी योजना हमारी सरकार की थी, उसे बन्द कर उनका नाम परिवर्तित किया जा रहा है तो इसे कल्याणकारी योजना नहीं कहा जायेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो महामाया गरीब बालिका मदद योजना का संचालन किया था, उसमें उन गरीब परिवारों को यह मालूम नहीं था कि उनके यहां जब बच्ची जन्म लेगी तो जिस दिन वह जन्म लेगी उसी दिन वह एक लाख की हो जायेगी। इस योजना को चलाने का काम राष्ट्रीय नेता हमारी बहन कु0 मायावती जी ने किया था और इस प्रकार उस बालिका की शादी का इंतजाम उन्होंने उसके जन्म लेते ही कर दिया था। लेकिन आपकी सरकार ने इस योजना को बन्द करके उन गरीब परिवारों के साथ धोखा करने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के अनुसार जो आपको पीठ मिली है और हमको सदस्यता मिली है और इस गरिमामय माननीय सदन में हम आये हैं, चाहे विधान सभा हो, चाहे लोक सभा हो, जिस महापुरुष ने भारतीय संविधान की रचना की थी, उनकी इस सरकार द्वारा बहुत निन्दा की गई है। उनके बनाये कानून से हम यहां विधायक बनकर आये, उस समय उन गरीब परिवारों को यह अहसास तक नहीं था कि एक गरीब का लड़का विधान सभा का सदस्य बन सकता है, विधान सभा का सदस्य बन सकता है, लोकसभा का सदस्य बन सकता है, ग्राम प्रधान बन सकता है, उनके नाम पर लागू योजना को जो अपने बंद करने का काम किया है, वह उन महापुरुष के साथ धोखा किया गया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, उनके नाम से हमें सम्मान दिया है, लेकिन इस सरकार को उनके नाम से नफरत है। उनके नाम से नफरत क्यों। अम्बेडकर ग्राम विकास योजना जो संचालित थी, उस समय तत्कालीन मुख्य मंत्री समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में लागू की गई थी उसे बन्द किया गया है यह खेदजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह सरकार वादा करती है कि हम भेदभाव की राजनीति नहीं करते हैं मैं पूछना चाहता हूं कि यह भेदभाव नहीं तो क्या है। एक के बाद एक हमारी योजनाओं को बन्द किया जा रहा है यह भेदभाव नहीं तो क्या है। ढाई महीने के अन्दर आपकी कथनी और करनी में अन्तर आ गया यह महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में दिखाई दे रहा है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में सत्यता नहीं है यह झूठ का पुलिन्दा है। यह जनता के साथ धोखा है पहले जनता से कहा गया कि हम 18 से 60 वर्ष की उम्र के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे बाद में उनको काट दिया गया और कहा गया कि 30 से 40 वर्ष की उम्र वाले बेरोजगारों को ही बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि सारी योजनाओं को चालू करने में जनता के साथ छलावा किया गया है। मैं अपने गांव का किस्सा सुनाता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष-

अरे भाई अपने क्षेत्र की बात कहो, क्या यह किस्सा सुनाने का टाइम है ?

श्री सूरजपाल सिंह-

एक सज्जन थे उनके घर में उनका भांजा आया था उन्होंने भांजे से कहा बेटा खाना खायेगा, उसने कहा कि हां मामा मैं खाना खाऊंगा, तो मामा ने कहा कि कितना खायेगा, भांजे ने कहा कि दो-तीन चपाती खा लूंगा। मामा ने कहा तीन चपाती खा लेगा तू तो उसने कहा कि दो खा लूंगा फिर मामा ने कहा कि दो चपाती खा लेगा तू, तो उसने कहा कि एक खा लूंगा तो मामा ने कहा कि चुपकर सो जा एक चपाती के लिये कौन खाना बनायेगा। इसी प्रकार की यह योजनाएं हैं इसमें जनता को कुछ नहीं मिलने वाला।

श्री अध्यक्ष-

कृपया समाप्त करें।

श्री सूरजपाल सिंह-

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारा विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी जो भारतवर्ष की राजधानी रहा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, पांच बजे तक ही सदन की कार्यवाही चलाई जाये या कुछ आगे बढ़ाया जाए ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, पांच बजे तक ही रखा जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। भाई सूरजपाल जी आपका समय समाप्त हो गया आपने किस्सा कहानियों में ज्यादा समय ले लिया अब कृपया बैठ जायें।

*श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी आपने हमें समय दिया इसके लिये हम आपके आभारी हैं। मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर कोई निन्दा या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। हम उसमें कुछ संशोधन चाहते हैं, हमारी कुछ जिज्ञासाएं हैं, जब नेता सदन बोलें तो उनका हम जवाब चाहते हैं। मान्यवर, मन में एक खेद है मैंने आज एक प्रश्न लगाया था उसका हमें जवाब मिला कि न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय में विचाराधीन है, यह मुझे जवाब मिला। लेकिन सत्तापक्ष से उस पर वक्तव्य दिया गया पर कोई बात नहीं। गैस की उपलब्धता दोनों भाइयों का झगड़ा था केन्द्र सरकार का उसमें कोई रोल नहीं था। मान्यवर, हमारी जिज्ञासा है सिर्फ एक पैरा पर, इसलिये मैं सिर्फ एक पैरा पर कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने अपने बारहवें वित्तीय वर्ष में दस प्रतिशत ग्रोथरेट लाने की बात कही है।

क्या यह सम्भव है, यह कैसे सम्भव है ? यह सरकार ने ....

श्री अध्यक्ष-

माननीय अखिलेश जी कल आपकी चर्चा जारी रहेगी।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

धन्यवाद सर।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशों विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

यह सदन की सूचना है :-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 30 मई, 2012 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 31 मई, 2012 से दिनांक 30 जून, 2012 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 31 मई, 2012 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनाएं ली जायं।

2-दिनांक 21 जून, 2012 से 26 जून, 2012 तक सदन की बैठकें न हों।

3-शनिवार, दिनांक 30 जून, 2012 को सदन की बैठक हो, प्रश्नकाल न हो एवं 11.00 बजे पूर्वाह्न उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण किया जाए तथा केवल नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं ली जायं।

4-दिनांक 31 मई, 2012 से दिनांक 30 जून, 2012 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाए :-

मई, 2012

31 गुरुवार	1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनाएं। 2-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

जून, 2012

01 शुक्रवार	1-11.00 बजे पूर्वाह्न वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक का प्रस्तुतिकरण। 2-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (अन्तिम दिन)।
02 शनिवार 03 रविवार	बैठक नहीं होगी।
04 सोमवार	(हजरत अली का जन्म दिन) बैठक नहीं होगी।
05 मंगलवार	1-वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा। 2-विधायी कार्य।
06 बुधवार 07 गुरुवार 08 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

09 शनिवार 10 रविवार	बैठक नहीं होगी।
11 सोमवार 12 मंगलवार 13 बुधवार 14 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
15 शुक्रवार	1-असरकारी दिवस (आधा दिन + आधा दिन 08 जून, 2012 के स्थान पर)। 2-विधायी कार्य।
16 शनिवार 17 रविवार	बैठक नहीं होगी।
18 सोमवार 19 मंगलवार 20 बुधवार	वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
21 गुरुवार 22 शुक्रवार 23 शनिवार 24 रविवार 25 सोमवार 26 मंगलवार	बैठक नहीं होगी।
27 बुधवार 28 गुरुवार 29 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
30 शनिवार	11.00 बजे पूर्वाह्न उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

यह सदन को सूचना थी एजेण्डे में कल आयेगा।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 30 मई, 2012 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 48 सूचनायें प्राप्त हुईं। निम्नलिखित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं :-

पहली सूचना श्री अजय मिश्रा की जनपद लखीमपुर की विधान सभा क्षेत्र में पेयजल के आर्सेनिक युक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री सतीश महाना की जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत कानपुर महानगर में सीवर लाइन डालने, पानी की लाइन बिछाने एवं सीवेज ट्रीटमेन्ट के निर्माण में व्याप्त अनियमितताओं की जांच किये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज की जनपद महोबा में ग्राम कोहारी में भीषण आगजनी की घटना से प्रभावित लोगों के उचित इलाज एवं आर्थिक सहयोग किये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री शारदा प्रसाद शुक्ला की लखनऊ के सरोजनीनगर स्थित एल0डी0ए0 कालोनी में बने लोकबंधु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय में स्टाफ बढ़ाने एवं उनकी आदमकद प्रतिमा लगाये जाने के सम्बन्ध में है, तथा पांचवीं सूचना श्री अजय कुमार लल्लूकुशीनगर के तमकुहीराज क्षेत्र में गण्डक नदी से हो रहे कटान से बचाने हेतु तटबन्धों एवं ठोकरों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं :-

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जनपद प्रतापगढ़ के तहसील लालगंज के अन्तर्गत प्रवाहित होने वाले प्रमुख रजबहों में टेल तक सिंचाई हेतु पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत थाना निगोही में अवैध कब्जे किये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री विजय कुमार दुबे की विधान सभा क्षेत्र खड्डा में स्थानीय पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों की बर्बरतापूर्वक पिटाई किये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री दिलनवाज खान की भारतीय शत्रु सम्पत्ति अधिनियम उत्तर प्रदेश के सुन्नी एवं शिया वक्फ बोर्डों में पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कमिश्नरों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती हैं :-

पहली सूचना श्री मनीष असीजा की नगरपालिका परिषद् फिरोजाबाद में पेयजल की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री विजय बहादुर यादव की गोरखपुर-लखनऊ राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर से हावर्ट बांध पर बाईपास बनाकर गोरखपुर-सोनौली को राष्ट्रीय मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री राधेश्याम सिंह की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में तहसील भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में है तथा चौथी सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर के अन्तर्गत बिलासपुर-चकफेरी मार्ग की मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं।

1-श्री सुरेश कुमार खन्ना,
2-श्री मुकुट बिहारी वर्मा,
3-श्री अमरपाल शर्मा,
4-श्री अवस्थी बाला प्रसाद,
5-श्री जय प्रकाश अंचल,
6-श्री अगयश रामसरन वर्मा,
7-श्री नीरज (कुशवाह) मौर्य,
8-श्री राजेश त्रिपाठी
9-श्री रमेश चन्द्र बिन्द,
10-श्री वेदराम भाटी,
11-श्री वीरपाल,
12-श्री रामचन्द्र यादव,
13-श्री पूर्णमासी देहाती,
14-डॉ0 धर्मपाल सिंह,
15-श्री भीम प्रसाद सोनकर,
16-श्री कालीचरन सुमन,
17-श्री संजय बंसल,
18-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा),
19-श्री अनीसुर्रहमान,
20-मो0 जमील अहमद कास्मी,
21-श्री रविन्द्र जायसवाल,
22-श्री सुरेश राणा,
23-श्री पंकज कुमार मलिक,
24-श्री राधेश्याम जायसवाल,
25-श्री पूरन प्रकाश,
26-ठाकुर दलबीर सिंह,
27-डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल,
28-श्रीमती विमला सिंह सोलंकी,
29-श्री बंशी सिंह पहाड़िया,
30-साध्वी निरंजन ज्योति,
31-मो0 इरफान,
32-श्री सुनील सिंह,
33-श्री मुकेश श्रीवास्तव,
34-श्री जगन प्रसाद गर्ग तथा
35-श्री रविन्द्र भड़ाना।

श्री अध्यक्ष-

बंशी सिंह पहाड़िया जी आप कल बोल चुके थे। उसके बाद भी सूचना लगा दी। आप हमारे यहां आ जाइये हम समझा देंगे।

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 05 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ।

दिनांक : 30 मई, 2012

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(अतारांकित प्रश्न संख्या-59 का उत्तर देखिये पीछे पृष्ठ 63-64 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-59 का संलग्नक

क्र0 सं0	वर्ष	स्थल का नाम	रोपित पौध	जीवित पौध	कुल व्यय धनराशि (रु0 में)
1	2	3	4	5	6
1	2007-08	रामगढ ताल परियोजना	1112	780	25984.00
2	2007-08	गोरखपुर कसया मार्ग	60	43	85469.00
3	2007-08	रामगढ ताल परियोजना चम्पा पार्क	40	28	55907.00
4	2007-08	गंगा नगर कालोनी	100	70	142337.00
5	2007-08	सूर्यकुण्ड कालोनी	100	70	1442337.00
6	2007-08	धर्मशाला गोरखनार्थ मार्ग	5	4	7390.00
7	2007-08	महिला महाविद्यालय राजेन्द्र नगर, गोरखपुर	10	8	14686.00
		योग-	**1427**	**1003**	**474110.00**
1	2008-09	राप्ती नगर कालोनी	237	191	296469.00
2	2008-09	माधोपुर कालोनी	79	64	98823.00
3	2008-09	शिवाजी नगर कालोनी	84	68	104922.00
4	2008-09	दिव्यनगर कालोनी	400	322	407926.00
5	2008-09	मालवीय नगर कालोनी	200	160	247834.00
6	2008-09	बशारतपुर घोष कालोनी	50	40	62517.00
7	2008-09	डी0 आई0 जी0 गोरखपुर आवास मार्ग	40	32	50014.00
8	2008-09	गोरखपुर सोनौली मार्ग, राजेन्द्र नगर	20	16	29948.00
9	2008-09	राजघाट मार्ग	50	40	61968.00
10	2008-09	शिवपुर सहबाजगंज	24	20	29758.00
11	2008-09	इण्डस्ट्रियल एरिया गोरखपुर	16	13	19761.00
12	2008-09	जेल परिसर	1100	879	17477.00
		योग -	**2300**	**1845**	**1427417.00**

1	2009-10	सूर्यकुण्ड कालोनी	200	170	246960.00
2	2009-10	राप्तीनगर कालोनी	100	85	123380.00
3	2009-10	शास्त्रीनगर कालोनी	100	85	123380.00
4	2009-10	पूर्वी आजाद नगर रुस्तमपुर	50	43	61690.00
5	2009-10	विकास नगर कालोनी	50	43	61690.00
6	2009-10	पूर्वोत्तर रेलवे जी0 एम0 कार्यालय के पास	14	12	17283.00
7	2009-10	गोरखपुर सोनौली मार्ग	343	292	676652.00
		योग-	**857**	**730**	**1311035.00**
1	2010-11	गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर मुख्य गेट से छात्र संघ भवन मार्ग	50	48	53050.00
		योग-	**50**	**48**	**53050.00**
1	2011-12	गंगा नगर बशारतपुर	150	147	187675.00
2	2011-12	अभिषेक नगर कालोनी	500	489	936199.00
3	2011-12	मेडिकल कालेज परिसर	550	547	1029522.00
4	2011-12	राजघाट बैकुण्ठ धाम मार्ग	50	49	93647.00
5	2011-12	सिद्धार्थपुरम् कालोनी	150	147	280778.00
6	2011-12	करीमनगर राप्तीनगर कालोनी	500	489	935064.00
7	2011-12	मालवीय नगर कालोनी	300	294	562725.00
8	2011-12	खजान्ची से फतीमा बाई पास मार्ग	150	147	278842.00
9	2011-12	खेतान हास्पिटल कालोनी	150	147	276197.00
10	2011-12	द्विव्यनगर कालोनी	500	491	930825.00
		योग-	**3000**	**2947**	**5511474.00**
		कुल योग-	**7634**	**6573**	**8777086.00**

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-103 का उत्तर पीछे पृष्ठ 83-84 पर)

संदर्भगत स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात/उपलब्ध चिकित्साधिकारियों एवं पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण :-

क्र0सं0	चिकित्सालय का नाम	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6
1	सामु0 स्वा0 केन्द्र, पयागपुर तथा उसके अन्तर्गत आने वाले नये/अति0प्र0स्वा0 केन्द्र	पुरुष चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ	12	09	03
		महिला चिकित्साधिकारी	01	00	01
		चिकित्साधिकारी, सामु0 स्वा0	04	02	02
		फार्मासिस्ट	06	05	01
		लैब टेक्नीशियन	02	02	00
		स्टाफ नर्स	03	03	00
		ऐनम	24	24	00
2	प्र0 स्वा0 केन्द्र, हजूरपुर तथा उसके अन्तर्गत आने वाले नये/अति0प्र0स्वा0 केन्द्र	चिकित्साधिकारी	04	02	02
		महिला चिकित्साधिकारी	00	00	00
		चिकित्साधिकारी, सामु0 स्वा0	02	01	01
		फार्मासिस्ट	03	03	00
		लैब टेक्नीशियन	01	01	00
		स्टाफ नर्स	00	00	00
		ऐनम	21	21	00
3	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, जरवल तथा उसके अन्तर्गत आने वाले नये/अति0प्र0स्वा0 केन्द्र	चिकित्साधिकारी	05	04	01
		महिला चिकित्साधिकारी	00	00	00
		चिकित्साधिकारी, सामु0 स्वा0	04	02	02
		फार्मासिस्ट	04	03	01
		लैब टेक्नीशियन	02	01	01
		स्टाफ नर्स	03	00	03
		ऐनम	22	12	10
4	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, विशेश्वरगंज तथा उसके अन्तर्गत	चिकित्साधिकारी	05	01	04
		महिला चिकित्साधिकारी	00	00	00
		चिकित्साधिकारी, सामु0 स्वा0	03	03	00

	आने वाले नये/अति0प्र0स्वा0 केन्द्र	फार्मासिस्ट	04	02	02
		लैब टेक्नीशियन	02	02	00
		स्टाफ नर्स	03	00	03
		ऐनम	24	23	01
5	सामु0 स्वा0 केन्द्र, कैसरगंज तथा उसके अन्तर्गत आने वाले नये/अति0प्र0स्वा0 केन्द्र	पुरुष चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ	10	09	01
		महिला चिकित्साधिकारी	01	01	00
		चिकित्साधिकारी, सामु0 स्वा0	02	02	00
		फार्मासिस्ट	08	06	02
		लैब टेक्नीशियन	02	02	00
		स्टाफ नर्स	03	03	00
		ऐनम	24	20	04

ह0/-

(मुख्य चिकित्सा अधिकारी)

बहराइच।

पी0एस0यू0पी0-एल0 177 विधान सभा (322)-24-8-2012-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।